नागर विमानन मंत्रालय

भारत सरकार

वार्षिक विवरण 2020-21

विजन

''विश्वस्तरीय नागर विमानन अवसंरचना से लोगों को संरक्षित, सुरक्षित, सतत तथा वहनीय विमान संपर्कता सेवाएं उपलब्ध कराना।''

ध्येय

- विश्वस्तरीय नागर विमानन अवसंरचना सुविधाओं का सृजन करना।
- अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप संरक्षा सहित प्रभावी विनियामक संरचना की स्थापना।
- मौजूदा असेवित क्षेत्रों के लिए विमान संपर्कता उपलब्धप कराना।
- क्षेत्र की आवश्यकताओं के अनुरूप कुशल मानव संसाधन विकास।
- क्षेत्र के इष्टतम विकास के लिए नवीनतम प्रौद्योगिकी का प्रस्तुतिकरण।
- प्रयोक्ताओं के लिए अधिकतम संतोषप्रद सेवा/इष्टतम उपभोक्ता संतुष्टि का सुनिश्चय ।

विषय सूची

क्र. सं.	अध्याय	पृष्ठ सं.
1.	मुख्य विशेषताएं	1 – 3
2.	नागर विमानन मंत्रालय	5– 6
3.	नागर विमानन महानिदेशालय	7 – 19
4.	नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो	20 – 25
5.	रेल संरक्षा आयोग	26 – 30
6.	विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो	31 – 32
7.	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी	33 – 37
8.	विमापत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण	38 – 47
9.	राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय	48 – 56
10.	भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण	57 – 90
11.	एअर इंडिया लिमिटेड	91 – 102
12.	पवन हंस लिमिटेड	103 – 107
13.	मंत्रालय में लेखा व्यवस्था	108 – 109
14.	महिला कल्यांण	110 – 111
15.	निःशक्तय व्यवक्तियों के लिए सुविधाएं	112 – 113
16.	इकाओ परिषद् में भारत के प्रतिनिधि	114 – 117

1. प्रमुख विशेषताएं

1.1 जीवनरेखा उड़ान

नागर विमानन मंत्रालय ने कोविड–19 महामारी के दौरान दिनांक 26.03.2020 को 'जीवनरेखा उड़ान' का प्रारम्भ किया, जब अनुसूचित अन्तर्देशीय उड़ानों का प्रचालन 25 मार्च, 2020 से स्थगित हो गया था। जीवनरेखा उड़ान एक पहल थी जिसने आवश्यक वस्तुओं के साथ–साथ मेडिकल सामग्री, पीपीई (निजी सुरक्षा उपकरण), जांच किट, इत्यादि को देश के सभी भागों में नियमित आपूर्ति सुनिश्चित की। इस उद्देश्य के लिए, मंत्रालय ने राज्यों/संघ शासित प्रदेशों/स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय (HLL & ICMR)/(विशिष्ट उड़ान योजना सहित अन्य मंत्रालय की अपेक्षाओं/माल प्रेषण को पूरा करने के लिए जीवनरेखा उड़ान तंत्र स्थापित करने की सुविधा प्रदान की।

जीवनरेखा उड़ान के अंतर्गत एअर इंडिया, एलाइन्स एयर, पवन हंस लिमिटेड, और कुछ निजी एयरलाइनों ने 28 मई, 2020 तक 588 उड़ानों का प्रचालन किया था। लगभग 1000 टन कार्गो का परिवहन जीवनरेखा उड़ान के 5,45,000 किलोमीटर की हवाई दूरी तय करने द्वारा किया गया था। जीवनरेखा उड़ान का केंद्रबिन्दु पूर्वोत्तर क्षेत्र, द्वीप एवं पर्वतीय भू भाग था। जीवनरेखा उड़ान ने देश भर में मेडिकल सामग्री, चिकित्सीय दल, कोविड प्रयोगशाला की स्थापना एवं आरटीपीसीआर मशीनों की त्वरित गति सुनिश्चित की थी। जीवन रेखा उड़ान ने गैस लीक दुर्घटना के बाद विशाखापत्तनम में विशिष्ट, रसायनिक, एवं उपकरण से लैस उड़ानों का प्रचालन किया था।

1.2 क्षेत्रीय संपर्कता योजना (आरसीएस) – उड़े देश का आम नागरिक (उड़ान)

क्षेत्रीय संपर्कता योजना (आरसीएस) – उड़े देश का आम नागरिक (उड़ान) का 21.10.2016 को प्रारंभ किया गया था। 27 अप्रैल, 2017 को माननीय प्रधानमंत्री द्वारा आरसीएस–उड़ान के अंतर्गत प्रथम उड़ान का उद्‌घाटन किया गया था।

देश की लंबाई एवं चौड़ाई के हिसाब से हवाईअड्डों को जोड़नेवाले 303 मार्गों को आरंभ किया गया था। उड़ान के अंतर्गत पिछले 3 वर्ष के दौरान 5 हेलीपोर्ट एवं 2 जलीय एरोड्रोम सहित 53 हवाईअड्डों का विकास एवं प्रचालन हुआ है, जबकि स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद 70 वर्ष में केवल 76 हवाईअड्डों का विकास हुआ था।

नवंबर, 2020 के अंत तक कुल पाँच मिलियन यात्रियों ने उड़ान के अंतर्गत विमान यात्रा की है।

उड़ान के अंतर्गत हवाई परिवहन के नए विकल्प आरंभ किए गए हैं जिनमें सीप्लेन, हेलीकॉप्टर, छोटे विमानों के माध्यम से उड़ानें शामिल हैं।

उड़ान ने किफायती व्यवसाय मॉडल विकसित करने में एयरलाइन ऑपरेटरों की सहायता की और छोटी क्षेत्रीय एयरलाइनों को प्रारंभ और विस्तार करने का अवसर प्रदान करने में सहायता की।

उड़ान ने मार्गों के विकास के साथ व्यापक लाभ किया है, जिससे उड़ान की और अधिक उड़ानें प्रचालित हुई हैं, जो लाभदायक मार्गों के लिए बढ़ती मांग और विकास को सुविधाजनक बनाती हैं।

उड़ान ने आम आदमी को सस्ती कीमतों पर सुविधाजनक और कम यात्रा समय प्रदान करके जीवन की गुणवत्ता में वृद्धि की है। उड़ान के कारण पहली बार बड़ी संख्या में यात्री आकाश पर जाने में सक्षम हुए हैं।

उड़ान ने दूरदराज के क्षेत्रों में चिकित्सा आपूर्ति, कर्मियों आदि के परिवहन सहित तीव्रगति से चिकित्सा सेवाओं के प्रावधान को भी सक्षम किया है जो आपातकाल के समय में महत्वपूर्ण है। यह कोविड–19 महामारी के दौरान किए गए जीवनरेखा उड़ान प्रचालन से स्पष्ट हुआ है।

उड़ान ने दूरदराज के क्षेत्रों के आर्थिक विकास को गति प्रदान की है और देश भर में आर्थिक गतिविधियों में अधिक न्यायसंगत और समावेशी विकास में योगदान दिया है।

1.3 हवाईअड्डों का निजी – सार्वजनिक भागीदारी (PPP)

(क) केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने पीपीपी के माध्यम से प्रचालन, प्रबंधन एवं विकास के लिए दिनांक 08.11.2018 को छह हवाईअड्डों नामतरू अहमदाबाद, लखनऊ, मेंगलुरु, गुवाहाटी, जयपुर और तिरुवनंतपुरम को लीज पर देने हेतु "सैद्धांतिक" अनुमोदन प्रदान किया है।

(ख) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (AAI) ने बोली प्रक्रिया पूर्ण कर ली जिसमें मेसर्स अडानी इंटरप्राइज लिमिटेड ने सभी छह हवाईअड्डों के लिए सबसे ऊंची बोली लगाई है।

(ग) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (AAI) ने अहमदाबाद, लखनऊ एवं मैंगलुरु हवाईअड्डों के लिए दिनांक 14.02.2020 को मेसर्स एईएल (AEL) के साथ रियायत करार किया।

(घ) एईएल (AEL) ने दिनांक 31.10.2020 को मैंगलुरु, 02.11.2020 को लखनऊ एवं 07.11.2020 को अहमदाबाद हवाईअड्डा अपने अधिकार में लिया।

(ङ) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (AAI) ने जयपुर, गुवाहाटी और तिरुवनंतपुरम के लिए लेटर ऑफ अवार्ड जारी किया है, जो सबसे अधिक बोली लगाने वाले मैसर्स एईएल (AEL) को सुरक्षा क्लियरेंस और रिट याचिकाओं/मुकदमों के परिणाम के अधीन दिनांक 01.09.2020 पर जारी किया गया है।

(च) इसके अतिरिक्त, एएआई बोर्ड ने पीपीपी के अंतर्गत

प्रचालन, प्रबंधन और विकास के लिए अमृतसर, वाराणसी, भुवनेश्वर, इंदौर, रायपुर और त्रिची जैसे 06 और हवाईअड्डों को किराए पर लेने की सिफारिश की है। पीपीपी के लिए समीप के हवाईअड्डे के साथ 6 हवाईअड्डों में से प्रत्येक को इकट्ठा करने का निर्णय लिया गया है। इसके लिए ऐरा अधिनियम में संशोधन अपेक्षित होगी क्योंकि वर्तमान अधिनियम एकल हवाईअड्डे के लिए टैरिफ निर्धारण का प्रावधान करता है न कि हवाईअड्डों के समूह के लिए। एएआई को तदनुसार आगे बढ़ने के लिए कहा गया है।

1.4 मानव रहित विमान प्रणाली (ड्रोन)

ड्रोन के प्रचालन को विनियमित करने के लिए, भारत में ड्रोन के निर्माण को बढ़ावा देने हेतु, आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत और ड्रोन प्रचालकों के प्रशिक्षण की सुविधा के लिए नागर विमानन मंत्रालय द्वारा निम्नलिखित उपाय किए गए हैं:

क) मानव रहित विमान प्रणाली (यूएएस) नियम का मसौदा तैयार।

ख) यूटीएम नीति का मसौदा तैयार।

ग) डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म (DSP) ने ऑनलाइन पंजीकरण, उड़ान पथ की स्वीकृति, पूर्व उड़ान विश्लेषण आदि जैसी संपूर्ण गतिविधियों को पूरा करने के लिए पहल की है।

घ) प्रशिक्षण संरचना को व्यापक बनाने की दृष्टि से, विभिन्न संगठनों जैसे केंद्रीय / राज्य सरकार, विश्वविद्यालय, निर्माता, एफटीओ, गैर–अनुसूचित ऑपरेटर परमिट धारक (NSOPs), अनुसूचित ऑपरेटर परमिट धारक (SOPs), अनुरक्षण प्रशिक्षण संगठन (MTOs) को ड्रोन प्रशिक्षण लेने की अनुमति दी गई है।

ङ) 15 नागर विमानन महानिदेशालय द्वारा अनुमोदित एफटीओ को ड्रोन प्रशिक्षण लेने की अनुमति दी गई है

च) भारत में प्रचालित ड्रोन का ऑनलाइन विज्ञापन जनवरी 2020 में शुरू हुआ। 31 दिसंबर 2020 तक 22,863 ड्रोन पावती संख्या (DAN) जारी किए गए हैं।

1.5 वंदे भारत मिशन (VBM)

वंदे भारत मिशन (VBM) का उद्देश्य कोविड–19 महामारी के कारण दुनिया के विभिन्न हिस्सों में लाखों फंसे और संकटग्रस्त भारतीय नागरिकों को वापस लाना है। इस अभियान में भारत सरकार द्वारा वायु, समुद्र और भूमि मार्गों द्वारा भारतीय नागरिकों को वापस लाने के लिए एक विशाल अभियान का आयोजन किया गया है। वंदे भारत मिशन (VBM) भारत में फंसे विभिन्न राष्ट्रिकों को उनके देशों में वापस जाने में निरंतर सहायता कर रहा है।

यह ऐतिहासिक मिशन विदेश मंत्रालय, भारत सरकार और विदेश मंत्रालय,नागर विमानन मंत्रालय, गृह मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय एवं राज्य सरकारें के सक्रिय समर्थन और सहयोग के साथ चलाया जा रहा है। एअर इंडिया समूह (एअर इंडिया और एअर इंडिया एक्सप्रेस) वंदे भारत मिशन की रीढ़ है, जबकि निजी भारतीय वाहक अर्थात गो एयर, इंडिगो, स्पाइसजेट और विस्तारा भी सक्रिय प्रतिभागी हैं। निजी एयरलाइनें चरण III में वंदे भारत मिशन में शामिल हो गई हैं। यात्रियों की बड़ी संख्या और कवर किए गए देशों की संख्या से भी, यह विश्व में नागरिक अधिकारियों द्वारा किया गया सबसे बड़ा निकासी अभ्यास है। एयरलाइनों को इस काम के लिए और श्रेय देने की आवश्यकता है क्योंकि प्रचालन को गृह मंत्रालय और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा निर्धारित कोविड–19 से संबंधित सख्त सावधानियों के अंतर्गत किया गया था।

वंदे भारत मिशन के अंतर्गत, एअर इंडिया / एअर इंडिया एक्सप्रेस ने 50 से अधिक देशों में प्रचालन का कार्य पूर्ण किया है। यहां तक कि ऐसे देशों में भी प्रचालन किया गया है जहां एअर इंडिया/एयर इंडिया एक्सप्रेस सामान्य समय में उड़ान नहीं भरती है। अब तक, वे दुनिया के विभिन्न भागों से लाखों भारतीयों को वापस ला चुके हैं। वंदे भारत मिशन के अंतर्गत भारतीयों को बाहर निकालने के लिए तीसरे चरण के दौरान भारतीय निजी वाहकों को भी उतारा गया है। निजी वाहक खाड़ी देशों, मलेशिया, फिलीपींस और सिंगापुर में अब तक प्रचालन कर चुके हैं। वंदे भारत मिशन के अतिरिक्त, निजी भारतीय वाहक और विदेशी वाहक द्वारा चार्टर उड़ानों के माध्यम से प्रत्यावर्तन भी हुआ है।

राज्य सरकारों ने भी इस अभ्यास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है ताकि आवश्यक क्वारंटाइन और अन्य व्यवस्था सुनिश्चित की जा सके।

1.6 विमान परिवहन बबल

"विमान परिवहन बबल" या "विमान यात्रा व्यवस्था" दो देशों के बीच अस्थायी व्यवस्थाएं हैं, जिनका उद्देश्य जब कोविड–19 महामारी के परिणामस्वरूप नियमित अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को निलंबित कर दिया जाता है तब वाणिज्यिक यात्री सेवाओं को पुनः आरंभ करना है। वे परस्पर समान हैं, अर्थात दोनों देशों की एयरलाइंस समान लाभ उठाती हैं।

दिनांक 31.12.2020 तक, हमारे पास 24 देशों के साथ अर्थात अफगानिस्तान, बहरीन, बांग्लादेश, भूटान, कनाडा, इथियोपिया, फ्रांस, जर्मनी, इराक, जापान, केन्या, कुवैत, मालदीव, नेपाल, नीदरलैंड, नाइजीरिया, ओमान, कतर, रवांडा, तंजानिया, यूएई, यूके, यूक्रेन और यूएसए एयर बबल की व्यवस्था है। अन्य देशों के साथ भी एयर बबल तैयार करने के लिए बातचीत चल रही है।

1.7 कृषि उड़ान

कृषि उत्पादन योजना कृषि–उत्पादनों के अन्तर्देशीय और अंतरराष्ट्रीय वैमानिक माल प्रेषण को बढ़ाना और सभी प्रकार के कार्गो के अंतर्राष्ट्रीय आवागमन में भारतीय वाहकों की भागीदारी बढ़ाना है। इसे विशेष रूप से पूर्वोत्तर और आदिवासी जिलों में मूल्य वसूली में सुधार करने में सहायता करने के लिए 10 सितंबर 2020 को मंजूरी दी गई है। इसका उद्देश्य

कृषि–फसल कटाई और वायु परिवहन के बेहतर एकीकरण और अनुकूलन के माध्यम से मूल्य प्राप्ति में सुधार करना और विभिन्न और गतिशील परिस्थितियों में कृषि–मूल्य श्रृंखला स्थिरता और लचीलापन में योगदान करना है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा दिनांक 02.11.2020 को 41 ग्राह्य फल और सब्जियां जब 12 पूर्वोत्तर एवं हिमालयी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों से वायुयान द्वारा वहन की गयी तब हवाईअड्डों पर ऑपरेशन ग्रीन योजना और कृषि उड़ान के बीच अभिसरण को विमान माल भाड़े 50% की दर से एवं टर्मिनल, स्टोरेज और प्रोसेसिंग (टीएसपी) पर 50% छूट दी गयी थी। भारतीय एयरलाइनों द्वारा सब्सिडी के दावों की ऑनलाइन फाइलिंग को 01.12.2020 को गो लाइव के साथ अंतिम रूप दिया गया था।

इसके अतिरिक्त,आपरेशन ग्रीन योजना और कृषि उड़ान के बीच परिवर्तन के अंतर्गत ग्राह्य उत्पादों के कवरेज में विस्तार करने के लिए विमान माल भाड़ा घटक के अंतर्गत सभी हॉर्टिकल्चर उत्पादों को शामिल करने के लिए नागर विमानन मंत्रालय के 08–12–2020 के प्रस्ताव को खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा स्वीकार कर लिया गया था।

ट्रकों/रेल के माध्यम से एक हवाईअड्डे को दूरस्थ संपर्कता उपलब्ध कराने हेतु सबसिडी प्रदान करने का प्रस्ताव है, जिसमें 12 पर्वतीय राज्यों के लिए एकल माध्यम में ऐसे सड़क मार्ग द्वारा ढुलाई हेतु मूल्य निर्धारण तंत्र स्थापित किया गया है, ताकि इस अभिसरण (convergence) के अंतर्गत बहुल माध्यम पारवहन (मल्टी–मॉडल ट्रांसपोर्टेशन) को भी स्वीकार किया जा सके।

1.8 उड़ान प्रशिक्षण संगठन (एफटीओ)

भारतीय हवाईअड्डों में उपयोग न होने वाली क्षमता का लाभ उठाने के लिए और राजकोषीय, मौद्रिक और प्रक्रियात्मक सुधारों के माध्यम से एफटीओ के लिए अनुकूल वातावरण बनाने के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए हैं:

क) 6 हवाईअड्डों (लीलाबारी, खजुराहो, बेलागवी, कलबुर्गी, जलगाँव और सलेम) के साथ शुरू करने के लिए, एफटीओ द्वारा पर्याप्त रूप से तर्कसंगत रियायत शुल्क के भुगतान के आधार पर एफटीओ को अपने परिसर में प्रचालन की अनुमति दी गई है।

ख) भारत के सबसे बड़े उड़ान स्कूल इग्रूआ (अमेठी, यूपी) को गोंदिया और गुलबर्गा में पायलट प्रशिक्षण शुरू करने की अनुमति दी गई है।

ग) इग्रूआ के प्रचालन और प्रबंधन को 30 वर्ष के लिए पीपीपी आधार पर एक निजी प्रचालक को सौंपने का प्रस्ताव है।

1.9 डीजीसीए की सेवा वितरण प्रणाली का डिजिटिकरण (eGCA)

नागर विमानन महानिदेशालय की प्रक्रिया और कार्यों के डिजिटल परिवर्तन के माध्यम से व्यापार करने में सहजता प्रदान करने के लिए, नागर विमानन मंत्रालय ने डीजीसीए में eGCA सेवा आरंभ की है। यह परियोजना विभिन्न सॉफ्टवेयर अनुप्रयोगों, सभी क्षेत्रीय कार्यालयों के साथ संपर्क, सूचना के प्रसार के लिए एक पोर्टल और एक सुरक्षित वातावरण में ऑनलाइन और शीघ्र सेवा प्रदान करने के लिए अंतिम समाधान की परिकल्पना करती है। परियोजना कार्यान्वयन चरण में है और एक बार पूरी तरह से लागू होने के बाद, यह आईटी अवसंरचना और सेवा वितरण ढांचे के लिए एक मजबूत आधार प्रदान करेगा। यह डीजीसीए द्वारा प्रदान की जाने वाली विभिन्न सेवाओं की दक्षता को बढ़ाएगा और सभी डीजीसीए कार्यों में पारदर्शिता और उत्तरदायित्व सुनिश्चित करेगा। डीजीसीए की ईजीसीए परियोजना पूरी होने के समीप है और परियोजना के कार्यान्वयन के बाद डीजीसीए में सभी सेवाएं स्वचालित हो जाएंगी। यह पहले से ही प्रशिक्षण और लाइसेंस निदेशालय, उड़ान प्रशिक्षण और चिकित्सा निदेशालय में कार्यात्मक बना दिया गया है।

1.10 हवाईक्षेत्र का सर्वोत्कृष्ट उपयोग

अतीत में, लगभग 40% हवाई क्षेत्र नागरिक उपयोग के लिए अनुपलब्ध था। इससे विमान को अपने गंतव्यों तक पहुंचने के लिए घुमावदार मार्ग लेना पड़ा जिससे ईंधन और समय के अकुशल उपयोग के साथ–साथ अतिरिक्त व्यय (जिसे टाला जा सकता था) हुआ।

आत्मनिर्भर भारत के भाग के रूप में, भारतीय वायु सेना ने नागरिक उपयोग के लिए हवाईक्षेत्र के इन भागों को खोलने की सहमति व्यक्त की है।

इससे उड़ान के समय में महत्वपूर्ण बचत, ईंधन का उपयोग और कार्बन उत्सर्जन में कमी आएगी। एयरलाइंस को 1000 करोड़ रुपये प्रति वर्ष की संभावित बचत होगी। विमानन पारितंत्र को संभावित रूप से बहुत अधिक समग्र लाभ होगा।

नागर विमानन मंत्रालय की संगठनात्मक संरचना

श्री हरदीप सिंह पुरी, नागर
(स्वतंत्र प्रभार)

श्री प्रदीप सिंह खरोला
सचिव नागर विमाननविमानन राज्य मंत्री

सुश्री वंदना अग्रवाल
वरिष्ठ आर्थिक सलाहकार

श्री सत्येन्द्र कुमार मिश्रा
संयुक्त सचिव

श्रीमती उषा पाढ़ी
संयुक्त सचिव

श्रीमती रूबीना अली
संयुक्त सचिव

श्री अंशुमाली रस्तोगी
संयुक्त सचिव

श्री अंबर दुबे
संयुक्त सचिव

श्री विमलेन्द्र आनंद पटवर्धन
संयुक्त सचिव एवं वित्त सलाहकार

सुश्री भावना सिंह
उप महानिदेशक

श्रीनितेश कुमार मिश्रा
मुख्य वित्तीय नियंत्रक

2. नागर विमानन मंत्रालय

2.1 संगठन

नागर विमानन मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन निम्नलिखित संगठन हैं:–

संबद्ध कार्यालय/संगठन

- नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए)
- नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो (बीसीएएस)
- रेल सरंक्षा आयोग (सीआरएस)
- विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो (एएआईबी)

स्वायतशासी निकाय

- इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी (इग्रुआ)
- विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण (ऐरा)
- राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय (आजीएनएयू)

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम

- भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (भाविप्रा)
- एअर इंडिया लिमिटेड (एआईएल)
- पवन हंस लिमिटेड (पीएचएल)

2.1.1 नागर विमानन मंत्रालय देश में नागर विमानन क्षेत्र के विकास और विनियमन हेतु राष्ट्रीय नीतियों तथा कार्यक्रमों के प्रतिपादन के लिए उत्तरदायी है। यह देश में वायुयान अधिनियम, 1934, वायुयान नियम, 1937 तथा विमानन क्षेत्र से संबंधित विभिन्न अन्य विधानों को लागू करने के लिए उत्तररदायी है।

2.1.2 नीति निर्धारण संबंधी प्राथमिक कार्यों के अतिरिक्तर, मंत्रालय अपने संगठनों को नीति संबंधी दिशा–निर्देशों के पालन के संबंध में मार्ग–दर्शन प्रदान करता है, उनकी गतिविधियों की मॉनीटरिंग और मूल्यांकन करता है और संसद के साथ उनका इंटरफेस भी मुहैया कराता है। मंत्रालय संगठनों द्वारा सरकार के विशेष कार्यक्रमों, विशेषकर समाज के कमजोर तबकों के लिए बनाये गये कार्यक्रमों, के कार्यान्वयन का पर्यवेक्षण भी करता है।

सचिव, नागर विमानन मंत्रालय की सहायता के लिए पाँच संयुक्त सचिव, एक आर्थिक सलाहकार, एक संयुक्त सचिव एवं वित्त सलाहकार, निदेशक/उप–सचिव/वित्तय नियंत्रक, एक उप महानिदेशक स्तर के सात अधिकारी तथा अवर सचिव/सहायक वित्त नियंत्रक स्तर के तेरह अधिकारी हैं। मंत्रालय के कार्यों का आबंटन इसके सह अनुभागों के बीच किया गया है।

संबद्ध कार्यालय

- नागर विमानन महानिदेशालय : श्री अरुण कुमार, महानिदेशक
- नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो : श्री एम ए गणपति डी.जी.
- रेल संरक्षा आयोग : श्री शलैश कुमार पाठक, सीसीआरएस
- विमान दुर्घटना अन्वेषण ब्यूरो : श्री अरबिंदो हांडा, डी.जी.

स्वावयत्त निकाय

- विमानपत्तान आर्थिक विनियामक प्राधिकरण : श्री बी. एस. भुल्लर, अध्यक्ष
- इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी : श्री कृष्नेन्दु गुप्ता, निदेशक
- राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय : श्री अंबर दुबे, कुलपति

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम

- भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, श्री अरविंद सिंह, अध्यक्ष
- एअर इंडिया लिमिटेड : श्री अश्विनी लोहानी, सीएमडी
- पवन हंस लिमिटेड : श्री संजीव राजदान, सीएमडी

2.2 रिकार्ड प्रबंधन

नागर विमानन मंत्रालय के मौलिक कार्यों से संबंधित रिकार्ड की रिकार्ड प्रतिधारण अनुसूची सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अनुपालन में मंत्रालय की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

2.3 एकल उपयोग प्लास्टिक पर प्रतिबंध

एकल उपयोग प्लास्टिक को नागर विमानन मंत्रालय और उसके अनुषंगी कार्यालयों के परिसर में प्रतिबंधित कर दिया गया है।

2.4 स्वबच्छ भारत मिशन

नागर विमानन मंत्रालय द्वारा1 से 15 नवम्बर, 2020 तक स्वच्छता पखवाड़े का आयोजन किया गया। अभियान के दौरान पोस्टार/निबंध प्रतिस्पर्धा, बैनरों, विडियो क्लिपिंग आदि के जरिए जागरूकता फैलाने जैसी विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के भाग के रूप में, सचिव (नागर विमानन) द्वारा इस अवधि के दौरान कर्मचारियों को शपथ भी दिलाई गई।

2.5 लोक शिकायत निवारण तंत्र

केंद्रीयकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली (CPGRAMS), जो कि एक वेब–आधारित सार्वजनिक शिकायत प्रबंधन प्रणाली है, को प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग (DARPG) द्वारा प्रारंभ और विकसित किया गया था। 01.01.2008 से शिकायतों के त्वरित और प्रभावी निपटान के लिए यह प्रणाली मंत्रालय में लागू की गई है। वर्ष 2020 में, कुल 20260 सार्वजनिक शिकायत मामले ऑन–लाइन प्राप्त हुए, जिनमें से 19330 मामले, यानी लगभग

95%, CPGRAMS के माध्यम से निपटाए गए हैं। एक संयुक्त सचिव स्तर के अधिकारी को मंत्रालय में 'लोक शिकायत अधिकारी' के रूप में नामित किया गया है। मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में काम करने वाले सभी संगठनों के पास संबंधित नामित 'नोडल अधिकारियों' की अध्यक्षता वाली सार्वजनिक शिकायत निवारण मशीनरी भी है।

2.6 सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 नागरिकों को लोक प्राधिकरण के नियंत्रणाधीन सूचना तक विश्वस्तर पहुंच प्रदान करने के लिए आरंभ किया गया है। यह प्रत्येक लोक प्राधिकरण की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता तथा जवाबदेही और साथ ही साथ नागरिकों के अनुरोध का समय पर निपटान करने को भी बढ़ावा देता है।

अधिनियम को लागू करने के लिए इस मंत्रालय में 12 सीपीआईओ और 10 अपीलीय अधिकारियों को नामित किया गया है। सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के बारे में लोगों में बढ़ती जागरूकता के साथ, इस वर्ष ऑनलाइन / मेल के माध्यम से बड़ी संख्या में आवेदन / अपील प्राप्त हुए। वर्ष 2020 के दौरान कुल 2105 आवेदन और 74 अपील प्राप्त हुईं। इन आवेदनों और अपीलों को निर्धारित समय के भीतर निपटाने के लिए सभी प्रयास किए गए।

2.7 सतर्कता गतिविधियां

इस मंत्रालय के सतर्कता अनुभाग की अध्यक्षता केन्द्रीय सतर्कता आयोग के परामर्श से नियुक्त संयुक्त सचिव स्तर के मुख्य सतर्कता अधिकारी (सीवीओ) द्वारा की जाती है, जो इस मंत्रालय के सतर्कता संबंधी ढांचे में नोडल अधिकारी के रूप में कार्य करते हैं। इस मंत्रालय में सीवीओ की सहायता के लिए निदेशक, अवर सचिव और सतर्कता अनुभाग होता है। मंत्रालय का सतर्कता अनुभाग अन्य बातों के साथ–साथ इस मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन कार्यालयों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/स्वांयत्तशासी निकायों की सतर्कता संबंधी गतिविधियों के मॉनीटर और समन्वय करता है।

निरोधक सतर्कता को निरंतर प्राथमिकता दी जाती है जिसमें संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान पर प्रमुख ध्यान दिया जाता है। कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग और केन्द्रीय सतर्कता आयोग द्वारा इस संबंध में समय–समय पर जारी किए जाने वाले दिशा–निर्देशों/अनुदेशों का अनुपालन किया जाता है।

केंद्रीय सतर्कता आयोग के निर्देशों के अनुपालन में, 'सतर्कता जागरूकता सप्ताह' – 2020 इस मंत्रालय तथा अनुषंगी कार्यालयों के साथ–साथ इस मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण वाली सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों में 27 अक्टूबर (मंगलवार) से 2 नवंबर (सोमवार) 2019 तक मनाया गया, सचिव, नागर विमानन, ने सभी कर्मचारियों को 'शपथ' भी दिलवाया। इस मंत्रालय के कई कर्मचारियों ने शपथ ली और सीवीसी से ऑनलाइन प्रमाणपत्र प्राप्त किया।

2.8 अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण

मंत्रालय तथा इसके अधीनस्थ संगठनों की सेवाओं तथा पदों पर अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्यं पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण संबंधी संपर्क कार्य की देखरेख एक समर्पित प्रकोष्ठ द्वारा की जाती है। मंत्रालय के विभिन्न संगठनों में भी इसी प्रकार के प्रकोष्ठ कार्य करते हैं। आरक्षित वर्गों से संबंधित सरकारी आदेशों का समुचित कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए मंत्रालय के विभिन्न संगठनों द्वारा बनाए गए आरक्षण रोस्टरों का समय–समय पर निरीक्षण किया जाता है। सरकार द्वारा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के आरक्षण के संबंध में समय–समय पर जारी आदेशों/अनुदेशों को लागू कराए जाने के लिए सभी संगठनों के ध्यान में लाया जाता है। इस बारे में सभी आवधिक विवरणियां नियमित रूप से कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग तथा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय को भेजी जाती हैं। अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के कर्मचारियों/उनके संघों से प्राप्त अभ्यावेदनों/शिकायतों/ शिकायत याचिकाओं की जांच की जाती है तथा उन पर आवश्यकता अनुसार उपचारी कार्रवाई की जाती है।

2.9 वरिष्ठ नागरिक कल्याण

सामाजिक न्याय तथा अधिकारिता मंत्रालय द्वारा जारी तथा "वृद्ध व्यक्तियों से संबंधित राष्ट्रीय नीति" में यथा निर्दिष्ट दिशा–निर्देशों के अनुसार, सभी संबंधित संगठनों को वरिष्ठ नागरिकों के मामले में अविलम्ब', निष्पक्ष तथा मानवीय दृष्टिकोण से कार्रवाई करना सुनिश्चित करने के अनुदेश जारी किए गए हैं। निम्नलिखित के संबंध में समय–समय पर अनुदेश जारी किए गए हैंः–

- सभी एयरपोर्टों पर तथा एयरलाइन तक सुगम प्रवेश, आवाजाही तथा निकासी की सुविधा के लिए सभी प्रत्यक्ष बाधाओं को दूर करना;
- सुरक्षा प्रतिबंधित क्षेत्र में प्रयोग किए जा रहे फ्रिस्किंग बूथों में ढांचागत बदलाव लाए जाएं ताकि वृद्धों को सुरक्षा जांच के दौरान चढ़ना–उतरना न पड़े;
- इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए कि हवाई अड्डों पर यात्रियों के गाड़ी से उतरने के बाद, विशेषकर चेक–इन काउंटरों पर पहुंचने तक, हर प्रकार की सहायता/मदद दी जाए;
- एयरलाइनों के बुकिंग कार्यालयों तक पहुंचने में भी वृद्ध व्यक्तियों तथा जिन यात्रियों को, किसी प्रकार की सहायता की आवश्यकता हो, उनका विशेष रूप से ध्यान रखा जाए;
- एयरलाइनों में आरक्षण तथा सीटों के चयन में भी इन्हें वरीयता दी जाए;
- पति की मृत्यु हो जाने पर विधवाओं को अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति/देय सुविधाओं के मामलों को विशेष अग्रता देते हुए निपटाया जाए; तथा
- पेंशन, भविष्य निधि, उपदान एवं अन्य सेवानिवृत्ति लाभों को निपटाने में होने वाली किसी प्रकार की देरी के बारे में जवाबदेही नियत की जाए।

2.10 पर्यावरण संरक्षण

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के निदेशों को ध्यान में रखते हुए, इस मंत्रालय के अधीन सभी कार्यालयों को पर्यावरण संरक्षण के निर्देश दिए गए हैं।

3. नागर विमानन महानिदेशालय

3.1 प्रस्तावना

नागर विमानन महानिदेशालय नागर विमानन के क्षेत्र में वायुयान संशोधन अधिनियम, 2020 के अंतर्गत सांविधिक स्थिति प्राप्ते प्रमुख विनियामक निकाय है। नागर विमानन महानिदेशालय द्वारा अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन संगठन के साथ समन्वय किए जाते हैं तथा यह भारत/से/के/भीतर विमान परिवहन सेवाओ के संरक्षा विनियमन, सिविल विमान विनियमन, विमान संरक्षा एवं अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन संगठन द्वारा समय–समय पर जारी किए जाने वाले मानकों एवं अनुशंसित उत्तम व्यरवहारों के अनुसार उड़न–योग्यता मानकों के निर्धारण एवं प्रवर्तन के लिए उत्तररदायी है।

3.2 संगठन

नागर विमानन महानिदेशालय का मुख्यालय नई दिल्ली में है। इस संगठन के प्रमुख महानिदेशक, नागर विमानन हैं जिनकी सहायता के लिए संयुक्त महानिदेशक व उप–महानिदेशक हैं। महानिदेशक के नियंत्रणाधीन विभिन्न निदेशालय हैं, जो भिन्न–भिन्न कार्यों को करने में उनकी सहायता करते हैं।

3.3 कार्य

नागर विमानन महानिदेशालय का प्रमुख कार्य नागर विमानन संबंधी सभी विषयों का विनियमन करना है। इसके कुछ प्रमुख कार्य निम्न लिखित हैंय

- विदेशों के साथ द्विपक्षीय और बहुपक्षीय करारों और सरकार की नीतिगत उदघोषणाओं सहित वायुयान नियम, 1937 के उपबंधों के अनुसार भारत से/के लिए/ के भीतर विमान परिवहन सेवाओं का विनियमन;
- सिविल विमानों का रजिस्ट्रीकरण;
- भारत में रजिस्ट्रीजकृत सिविल वायुयानों के लिए उड़नयोग्य ता अपेक्षाओं को निर्धारित करना और ऐसे वायुयानों को उड़नयोग्यता प्रमाणपत्र की मंजूरी देना;
- पायलटों,वायुयान अनुरक्षण इंजीनियरों को लाइसेंस देना तथा उड़ानकर्मी दल मानकों की निगरानी करना;
- विमान क्षेत्रों व विमानवाहकों को लाइसेंस देना;
- नागर विमानन संबंधी विषयों पर सरकार को परामर्श देना;
- शिकागो अभिसमय और उसके उपबंधों तथा विमानन से संबंधित अन्य अंतरराष्ट्रीय अभिसमयों के उपबंधों को भारत में लागू करने की दृष्टि से वायुयान अधिनियम, 1934 और वायुयान नियम, 1937 व विमानन से संबंधित अन्य अधिनियमों के संशोधनों पर कार्रवाई करना;
- अंतरराष्ट्रीय नागर विमानन संगठन संबंधी कार्यों का समन्वय करना और अन्या एजेंसियों के साथ विचार–विमर्श करने के पश्चात राष्ट्रों के पत्रों का उत्तर भेजना;
- विमान दुर्घटनाओं एवं घटनाओं का अन्वेरषण करना तथा जांच न्यायालयों/समितियों को तकनीकी सहायता प्रदान करना;
- उड़ान/ग्लाइडिंग क्लबों की प्रशिक्षण गतिविधियों का पर्यवेक्षण करना; और
- वायुयान का टाइप प्रमाणन।

3.4 अंतरराष्ट्रीय संबंध

3.4.1 विमान सेवा करार

विश्वभर में व्याप्त कोविड–19 की स्थितियों के कारण 23 मार्च, 2020 से अंतर्राष्ट्रीय अनुसूचित यात्री विमान परिवहन सेवाएं स्थगित होने के कारण भारत सरकार द्वारा यात्री यातायात की सुगम आवाजाही के लिए अन्य देशों के साथ ''परिवहन बब्बल'' करार के नाम से सामान्यतः ज्ञात द्विपक्षीय अस्था ई विमान यात्रा व्यवस्थाएं की गई हैं। कैलेंडर वर्ष 2020 के दौरान अफगानिस्तान, बहरीन, बांग्लादेश, भूटान, कनाडा, इथोपिया, फ्रांस, जर्मनी, इराक, जापान, केन्या, कुवैत, मालदीव, नेपाल, नीदरलैंड, नाइजीरिया, ओमान, कतार, रवांडा, तंजानिया, यूक्रेन, यूएई, यूनाइटेड किंगडम तथा संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ 'परिवहन बब्बल' करार पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

3.4.2 विधायन

वैधानिक प्रावधानों को अंतरराष्ट्रीय मानकों के समकक्ष रखने तथा नागर विमानन के क्षेत्र में नवीनतम विकास के लिये, वायुयान (संशोधन) अधिनियम, 2020 का प्रवर्तन एवं प्रभावी क्रियान्वमयन के लिए वायुयान (संशोधन) अधिनियम, 2020 से अनुरूपता के लिए वायुयान नियमावली 1937 में कुछ संशोधन किए जाने की प्रक्रिया की जा रही है ।

3.5 विमान परिवहन

3.5.1 अनुसूचित प्रचालक

दो नए प्रचालकों, नामतः बिग चार्टर प्राइवेट लिमिटेड एवं एविएशन क्नेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर प्राइवेट लिमिटेड को देश में अनुसूचित विमान परिवहन सेवाओं के प्रचालन के लिए विमान प्रचालक प्रमाणपत्र जारी किए गए हैं ।

31 दिसम्बर, 2020 की स्थिति के अनुसार एअर इंडिया लिमिटेड, एलाइंस एयर और एअर इंडिया चार्टर्स लिमिडेट के अतिरिक्त (12) बारह निजी अनुसूचित/अनुसूचित कम्यूटर प्रचालक अर्थात स्पाइस जेट लिमिटेड, गो एयरलाइंस (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड, इंटरग्लोब एविएशन लिमिटेड (इंडिगो), एयर एशिया प्राइवेट लि., टाटा एस आई ए एयरलाइंस लि.

(विस्तारा), टर्बो मेघा एयरवेज प्रा. लि. (ट्रूजेट), बिग चार्टर प्राइवेट लिमिटेड, एविएशन कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रेक्चर डेवलपर प्राइवेट लिमिटेड, घोड़ावत इंटरप्राइजेज प्रा. लि. (स्टारएयर), हेरिटेज एविएशन प्रा. लि., पवन हंस लि., घरेलू क्षेत्र में उड़ानों की वृहद रेंज के साथ भारत के विभिन्न भागों में विमान सेवाओं का प्रचालन कर रहे थे। इसके अतिरिक्त, एक कार्गो एयरलाइन यथा ब्लूडार्ट एविएशन लि. भी है जो देश में अनुसूचित कार्गो सेवाएं प्रचालित कर रही है। इसके अतिरिक्त, स्पाइस जेट द्वारा भी बी 737 मालवाहक वायुयानों के साथ कार्गो संचालन प्रचालित किए गए थे।

नोट : जेट एयरवेज तथा जेट लाइट द्वारा अपने प्रचालन दिनांक 17.4.2019 से रोक दिए गए हैं।

3.5.2 अनुसूचित प्रचालकों (05.01.2021 को उपलब्ध डेटा के अनुसार) द्वारा वहन किए गए यात्री

घरेलू मार्गः

वर्ष 2020 (जनवरी–नवंबर) के दौरान अनुसूचित घरेलू एयर लाइनों ने 4.8 लाख अनुसूचित उड़ानें प्रचालित की जिनमें कुल 55.6 मिलियन यात्री वहन किए गए जबकि पिछले वर्ष 2019 (जनवरी–नवम्बर) के दौरान 9.6 लाख उड़ानें प्रचालित की गई जिनमें कुल 130.8 मिलियन यात्री वहन किए गए थे। पिछले वर्ष अर्थात 2019 (30 नवम्बर तक) की तुलना में, वर्ष 2020 में अनुसूचित घरेलू भारतीय वाहकों द्वारा वहन किए गए घरेलू यात्रियों के प्रतिशत में –57.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

अंतरराष्ट्रीय मार्गः

अनूसूचित भारतीय/विदेशी वाहकों द्वारा जनवरी से सितम्बर 2020 की अवधि के दौरान अंतर्राष्ट्रीय मार्ग पर 13.5 मिलियन यात्री वहन किए गए जबकि 2019 में इसी अवधि के दौरान 47.8 मिलियन यात्री वहन किए गए थे जिससे कुल –71.7% (वर्ष दर वर्ष) की वृद्धि हुई है।

जनवरी से सितंबर, 2020 के दौरान 13.5 मिलियन यात्रियों में से 5.6 मिलियन यात्री अनुसूचित भारतीय वाहकों द्वारा वहन किए गए जबकि 7.9 मिलियन यात्री अनुसूचित विदेशी वाहकों द्वारा वहन किए गए।

3.5.3 गैर अनुसूचित प्रचालक परमिट

जनवरी से दिसंबर 2020 के दौरान चार (4) नये गैरअनुसूचित प्रचालक परमिट प्रदान किए गए और 31 दिसंबर, 2020 की स्थिति के अनुसार, गैर–अनुसूचित प्रचालक परमिट धारक कंपनियों की कुल संख्यां 102 है जबकि 31.12.2019 को इनकी संख्या 100 थी।

3.5.4 पर्यटक चार्टर्स

वर्ष 2020 के वैमानिकी सूचना परिपत्र संख्या 03 द्वारा जारी किए गए उदारीकृत दिशा–निर्देशों के तहत भारत से आने– जाने के लिए समावेशी यात्रा पैकेज चार्टर उड़ानों का प्रचालन जारी रहा और जनवरी से मार्च, 2020 के दौरान 240 उड़ानें प्रचालित की गई जिनसे 46894 पर्यटक भारत आए। इसके अलावा, कोविड–19 के कारण लगाए गए यात्रा प्रतिबंधों को विचार में लेकर अप्रैल, 2020 के पश्चात आईटीपी चार्टर उड़ानों का प्रचालन नहीं किया गया था।

3.6 उड़नयोग्यता

उड़नयोग्यता निदेशालय, मुख्यालय द्वारा नीचे तालिका में सूचीबद्ध विभिन्न क्रियाकलाप किए गए हैं:–

क्र सं	कार्यकलाप	संख्या
1.	**विमान का पंजीकरण**	
	वर्ष 2020 में पंजीकृत विमानों की कुल संख्या	84
2.	**जारी/परिवर्तित किए गए एएमई लाईसेंस**	
	वर्ष 2020 में जारी किए गए एएमई लाईसेंसों की संख्या	546
	वर्ष 2020 में पृष्ठांकित किए गए कुल एएमई लाईसेंसों की संख्या	579
	वर्ष 2020 में नागर विमानन अपेक्षा 66 के अनुसरण में परिवर्तित एएमई लाईसेंस	03
3.	**वर्ष 2019 में अनुमोदित किए गए संगठन**	
	क) अनुरक्षण संगठन	
	i. घरेलू	06
	ii. विदेशी	10
	ख) टाइप प्रशिक्षण संगठन	
	i. घरेलू	01
	ii. विदेशी	शून्य
	ग) विमान अनुरक्षण संस्थान (मूल) . 147	02
	घ) नागर विमानन अपेक्षा– एम उप–भाग– एफ के अधीन अनुरक्षण संगठन	शून्य
	ङ) सतत उड़नयोग्यता प्रबंधन संगठन (उपभाग–जी)	11
	च) ईंधन स्नेहक एवं विशेष पेट्रोलियम उत्पाद संगठन	01
	छ) नागर विमानन अपेक्षा –21 उत्पादन संगठन	03
	ज) वर्ष 2020 में दूर की गई जन शिकायतें	133

3.7 विमानकर्मी दल प्रशिक्षण एवं लाइसेंसिंग

लाइसेंसिंग निदेशालय द्वारा सीपीएल/एटीपीएल/सीएचपीएल/पीपीएल/एफएटी लाइसेंस जारी करने / परिवर्तित करने तथा लाइसेंसों के नवीकरण / पृष्ठांकन से संबंधित कार्य किए गए है। दिनांक 1.1.2020 से 31.12.2020 की अवधि से संबंधित अपेक्षित सूचना नीचे प्रस्तुत की गई है:–

क्र.सं.	लाइसेंस का नाम	जारी किए गए लाइसेंसों की कुल संख्या
1.	वाणिज्यिक पायलट लाइसेंस (विमान / (हेलीकॉप्टर)	639
2.	विमान परिवहन पायलट लाइसेंस (विमान / (हेलीकॉप्टर)	444
3.	प्राइवेट पायलट लाइसेंस (विमान / (हेलीकॉप्टर)	75
4.	इंस्ट्रूमेंट रेटिंग (विमान / (हेलीकॉप्टर)	618
5.	उड़ान रेडियो टेलीफोन आपरेटर लाइसेंस [एफआरटीओएल तथा एफआरटीओएल (आर)]	1208
6.	उड़ान विमानकर्मी अस्थाई प्राधिकार (एफएटीए) (प्रारंभिक) + विस्तार)	5691
7.	उड़ान अनुदेशक रेटिंग (एफआईआर)	15
8.	सहायक उड़ान अनुदेशक रेटिंग (एएफआईआर)	49
9.	प्राइवेट लाइसेंस ग्लाइडर (पीएलजी) / प्राइवेट लाइसेंस माइक्रोलाइट (पीएलएम)	05

दिनांक 1.1.2020 से 31.12.2020 की अवधि के दौरान पृष्ठांकनों / नवीकरण की कुल संख्या नीचे प्रस्तुत की गई है:–

1.	बोइंग / एयरबस / अन्य (विमान पृष्ठांकन / लाइसेंसों का नवीकरण	1917

3.8 उड़ान मानक

उड़ान मानक निदेशालय द्वारा वर्ष 2019 में किए गए प्रमुख सुधारध्उपलब्धियों के बारे में :–

1. नागर विमानन महानिदेशालय के उड़ान मानक निदेशालय ने एक नई नीति तैयार की है व अपनाई है जिसमें एयरलाइन प्रचालक, विमानपत्तन प्रचालक और हवाई यातायात प्रबंधन ने चार (04) एयरलाइंस प्रचालकों नामतः एयर इंडिया, एयर एशिया, इंडिगो और स्पाइस जेट को हैदराबाद में बिना वैकल्पिक ईंधन लिए उतारने के लिए मार्ग के हवाई यातायात की सुविधा प्रदान करने के लिए सहमति दी है, जो एक नई नीति है। यह प्रमुख परियोजना 29 अप्रैल 2019 से 03 महीने की अवधि के लिए प्रारंभ की गई थी। इसका उद्देश्य ईंधन की लागत के साथ–साथ एयरलाइंस के प्रचालन की लागत में कमी करना था, लेकिन कुल मिलाकर, इससे पर्यावरण में कार्वनडाई ऑक्साइड उत्सर्जन में कमी आई है। प्रथम चरण सफल रहा और दूसरा चरण शीघ्र ही कार्यान्वित किया जाएगा।

2. नागर विमानन महानिदेशालय भारतीय प्रमाणीकरण प्रक्रिया सीएपी 7100 के अनुसार बी–787–9 टाइप के विमान के लिए सिंगापुर में बोईंग प्रशिक्षण सुविधा के लिए एक विदेशी अनुमोदित प्रशिक्षण संगठन (एटीओ) को अनुमोदन दिया गया है। इससे विमान के समय पर इन्डक्शन में सुविधा मिलेगी क्योंकि भारतीय प्रचालकों के पास प्रशिक्षण अवसंरचना के लिए अधिक विकल्प उपलब्ध होंगे। यह प्रथम अवसर होगा जब एक भारतीय विनियामक किसी विदेशी प्रशिक्षण सुविधा को प्रमाणित कर रहा है। उसी विदेशी एटीओ के बोईंग 777 टाइप के विमान के लिए अनुमोदन देने की प्रक्रिया प्रारंभ की जा चुकी है।

3. नागर विमानन महानिदेशालय भारत मैसर्स सीएई के एटीओ को अनुमोदन देने की प्रक्रिया में है, जो वर्तमान में डैनिश अथॉरिटी के अधीन है। यह अनुमोदन अंतरराष्ट्रीय नागर विमानन संगठन (आईसीएओ) के डॉक 9841 के प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा। यह नई पद्धति (अनुपालन के वैकल्पिक साधन) पद्धति द्वारा प्रारंभ करवाई गई है। यह पद्धति विदेशी अनुमोदित प्रशिक्षण संगठन (एटीओ) अनुमोदन की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करेगी।

3.9 एयरोड्राम मानक

एयरोड्राम मानक निदेशालय द्वारा एयरोड्राम / हेलीपोर्टों के निरीक्षण और लाइसेसिंग / प्राधिकार और एयरोड्रामों पर वायुयान प्रचालनों की निगरानी के साथ–साथ इस निदेशालय द्वारा अनुमोदित / लाइसेंस प्राप्त हवाई अड्डों एवं हेलीपोर्टों पर उपलब्ध सेवाओं के कार्यों की देखरेख भी की जाती है। वर्ष 2020 के दौरान, निदेशालय द्वारा किए गए क्रियाकलापों का विवरण नीचे प्रस्तुत किया गया हैः–

3.9.1 प्रारंभिक उपयोग के लिए लाइसेंस (जन उपयोग):–रूपसी हवाई अड्डा

नवीकरण (16):–केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बंगलुरु, हैदराबाद हवाई अड्डा बेगमपेट, पाक्योंग हवाईअड्डा, सीएसएमआई हवाई अड्डा मुंबई, आई जी आई हवाई अड्डा नई दिल्ली, झारसुगुडा हवाई अड्डा, कलबुर्गी हवाई अड्डा, नैनी–सैनी पिथौरागढ़ हवाई अड्डा, मुंद्रा हवाई अड्डा, कन्नूर हवाई अड्डा, वडोदरा हवाई अड्डा, इंदौर हवाई अड्डा, नैनी–सैनीपिथौरागढ़, उदयपुर हवाई अड्डा, तिरुचिरापल्ली हवाई अड्डा, बिलासपुर हवाई अड्डा

नवीकरण / विस्तार / प्रचालनात्मीक प्राधिकार जन–उपयोग (08):–आई.टीसी. गार्डेनिया रूफटॉप हेलीपैड, बिरलाग्राम हवाईअड्डा, ताज वेलिंगटन एम्यूज हेलीपैड, मंजरी हेलीपैड, इंफोसिस मैसूरु कैम्पस हेलीपैड, वेस्टिन रूफटॉप हेलीपैड ओबराय मुंबई, कांकरोली एयरफील्ड, होसुएरोड्रोम,

निगरानी जांच(84):–बेगमपेट हैदराबाद, सीएसआईए मुंबई, जगदलपुर, नांदेड़, कोलकाता, मुंद्रा, आईजीआईए नई दिल्ली, गुवाहाटी, केआईए बेंगलुरु, पाक्योंग, किशनगढ़, झारसुगुडा, भोपाल, कलबुर्गी, जबलपुर, रांची, खजुराहो, जयपुर, इंफाल, लद्दाख, अगरतला, नैनी–सैनी पिथौरागढ़, शिरडी, लीलाबाड़ी, कालीकट, देहरादून, सलेम, राजकोट, तिरुपति, बारापानी, हुबली, जमशेदपुर, बेलगाम, कुल्लुफभुंतर, हिसार, मैसूर, कोल्हापुर, लखनऊ, अमृतसर, जलगाँव, भावनगर, जिंदल विजयनगर, जुहू, लुधियाना, राजामुंदरी, पोरबंदर, वाराणसी, कांडला, अगात्ती, कूचबिहार, तूतीकोरिन, दुर्गापुर, पुदुचेरी, विजयवाड़ा, सूरत, बिलासपुर, तिरुचिरापल्ली, कांगड़ा, गया, मैंगलोर, शिमला, उदयपुर, लेंगपुई, कोचीन, तेजू, इंदौर, वडोदरा, रायपुर, पंतनगर, ओजएचएएल नासिक, पटना, नागपुर, आरजीआईए शमशाबाद, त्रिवेंद्रम, राउरकेला, औरंगाबाद, अहमदाबाद, कन्नूर, चेन्नई, दीमापुर, डिब्रुगढ़, भुवनेश्वर, मदुरै

एयरोड्राम मानक निदेशालय द्वारा वैश्विक महामारी कोविड–19 के दौरान वर्चुअल माध्यम से किया गया एयरोड्रामों का संरक्षा निगरानी ऑडिट।

कोविड–19 के काल के दौरान एयरोड्रामों की रिमोट / वर्चुअल निगरानी डेटा से प्राप्त दस्तावेज जांच एवं टेलीकांफ्रेंस / वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से एयरो ड्राम निगरानी जांच सूची के उपयोग से की गई है।

एनएसओपी अनुमोदन के अंतर्गत साबरमती नदी फ्रंट एवं सरदार पटेल प्रतिमा के लिए सीप्लेन प्रचालन करने का प्राधिकार।

विभिन्नि हवाई अड्डों के लिए अवसंरचना उन्नयनः

- राजमुंदरी हवाई अड्डा के संबंध में 3सी (आईएफआर गैर–परिशुद्धता) से 4 सी गैर–परिशुद्धता) के लिए एयरोड्रम संदर्भ कोड के अपग्रेडेशन का अनुमोदन।
- आरजीआई हवाई अड्डा, शम्सारबाद के संबंध में टैक्सीवेई,ई1,के1,बी1,बी3,बी4, बी5,बी6 केटीसीएल प्रावधान के साथ पटरी, टैक्सीवे बी (बी6 का पश्चिम) तथा कार्गो एप्रन के एस्फाईल्ट भाग के पुन/सतहीकरण का अनुमोदन (अवधारणा/डिजाइन एवं निष्पादन स्तर)
- एलबीएसआई, वाराणसी हवाई अड्डा में नॉन पीबीबी बे पर एवीडीजीएस प्रावधान का अनुमोदन। (अवधारणा/डिजाइन एवं निष्पादन स्तर)
- मैंगलोर हवाई अड्डा पर 3 अतिरिक्त विमान स्टैंड के लिए एप्रन के विस्तार की स्वीकृति।(कमीशनिंग स्तर)
- कोचीन अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा के रनवे 27 पर पर कैट –I सेकैट–III के लिए एजीएल सिस्टंम के उन्नडयन का अनुमोदन (कमीशनिंग स्तर)
- उदयपुर हवाई अड्डा पर न्यू एप्रन की स्वीकृति, लिंक टैक्सीवे (ईएंडएफ) और दूरस्थ बे के विस्तार का अनुमोदन (कमीशनिंग स्तर)।
- तूतीकोरन हवाई अड्डा के रनवे 28 के संबंध में एयरोड्रम लाइसेंस का 3सीवीएफआर से 3सीआईएफआई उन्नयन (प्रत्येक मौसम प्रचालनों के लिए)
- एयरोड्रम लाइसेंस में मैसूर हवाई अड्डा का नाम बदलकर मैसुरू हवाई अड्डा करने की स्वीकृति।
- सीएसएमआई हवाई अड्डा, मुंबई पर पुनः सतहीकरण का काम पूरा होने के बाद रनवे 09/27 को मंजूरी। (कमिशनिंग लेवल)
- कोयंबटूर हवाई अड्डा पर बे नंबर 1 और 2 पर पीबीबी और एवीडीजीएस के प्रतिस्थापन की स्वीकृति। (कमीशनिंग स्तर)
- सभी मौसम संचालन आईएफआर के तहत शिरडी हवाई अड्डा पर विमान संचालन के लिए मौजूदा प्राधिकरण के विस्तार को मंजूरी।
- राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, हैदराबाद ए9 तथा ए10 के मध्यक रनवे 09आर–27एल के लिए टैक्सी,वे ए10 के पूर्वी भाग में टैक्सीवे ए9 के पश्चिम की तरफ रेलवे गार्ड लाइटों के प्रतिस्थापिन के लिए स्वीकृति।
- सीएसएमआई हवाई अड्डा, मुंबई पर पुनः सतहीकरण का काम पूरा होने के बाद रनवे 09/27 को मंजूरी। (कमिशनिंग लेवल)
- सीसीएसआई हवाई अड्डा, लखनऊ में नए फायर स्टेशन (कैट–IX), सब फायर स्टेशन 9 कैट–IV), आपातकालीन चिकित्सा केंद्र और ईएंडएम कार्यशाला के निर्माण के लिए अनुमोदन (अवधारणा/ डिजाइन एवं निष्पादन स्तर)
- चेन्नई हवाई अड्डा पर रिमोट बे के लिए एवीडीजीएस के प्रावधान को मंजूरी। (अवधारणा/डिजाइन एवं निष्पादन स्तर)
- एसजीआरडीजेआई हवाई अड्डा, अमृतसर पर पार्किंग के लिए एवीडीजीएस के प्रावधान की मंजूरी (अवधारणा/डिजाइन एवं निष्पादन स्तर)
- झारसुगुड़ा हवाई अड्डा का नाम बदलकर वीर सुरेन्द्र साईं हवाई अड्डा किए जाने की स्वीकृति।
- जयपुर हवाई अड्डा पर एवीडीजीएस के प्रावधान को मंजूरी (कमीशनिंग स्तर)
- पंतनगर हवाई अड्डा पर रनवे, टैक्सीवे और एप्रन आदि के पुनः कारपेटिंग की स्वीकृति। (अवधारणा/डिजाइन एवं निष्पादन स्तर

अनुमोदन /अन्यः

- अगरतला हवाई अड्डा के दोनों रनवे पर पीएपीआई लाइट्स के प्रतिस्थापन की स्वीकृति (कमीशनिंग स्तर)
- राजामुंदरी हवाई अड्डा पर विद्युत कार्यों सहित विद्यमान टैक्सीवे के मौजूदा एप्रन को चौड़ा करने की मंजूरी। (कमीशनिंग स्तर)
- बीपीआई एयरपोर्ट भुवनेश्वर एयरपोर्ट पर सोलर 4एमडब्यूस पी (डीसी) ग्राउंड माउंटेड सोलर प्लांट को मंजूरी (अवधारणा /डिजाइन एवं निष्पादन स्तर)
- जयपुर एयरपोर्ट पर एडवांस विजुअल डॉकिंग सिस्टम (एवीडीजीएस) के प्रावधान को मंजूरी।(अवधारणा/डिजाइन एवं निष्पा्दन स्तर).
- रांची, अहमदाबाद और जयपुर हवाई अड्डा पर विमान पार्किंग के अस्थायी उपयोग की स्वीकृति।(अवधारणा / डिजाइन और तटस्थ विवरण)।
- दीमापुर हवाई अड्डे के विद्यमान एप्रन की सराउंडिंग में नाले के प्रावधान के लिए अनुमोदन
- इं.गां.अं. हवाईअड्डा पर नए समान्य विमानन एप्रन के लिए अनुमोदन (कमीशनिंग स्तर)
- देहरादून हवाई अड्डे पर फायरपिट के पुनः निर्माण के लिए अनुमोदन(अवधारणा/डिजाइन एवं निष्पादन स्तर)
- एलजीबीआई हवाई अड्डा, गुवाहाटी पर विद्यमान टैक्सी एवं एप्रन लाइटिंग सिस्टम में बदलाव के लिए अनुमोदन (अवधारणा/डिजाइन एवं निष्पादन स्तर)
- शिरडी हवाई अड्डे पर एप्रन, टैक्सीवे एवं सड़क पर चारदीवारी बनाने के लिए अनुमोदन (अवधारणा/डिजाइन एवं निष्पादन स्तर)
- हुब्बली हवाई अड्डे पर 8 एमडब्यूक्नेक्टिड, ग्राउंड माउंटिड पीवी सौर संयंत्र के डिजाइन, आपूर्ति, संस्थापन, परीक्षण एवं कमीशनिंग

(एसआईटीसी) के लिए अनुमोदन (अवधारणा/ डिजाइन एवं निष्पादन स्तर)

- हुबली हवाई अड्डे के रनवे 26 पर आईएलएस की कमीशनिंग के पश्चात पीएपीआई यूनिटों को शिफ्ट करने तथा रनवे 8 की पीएपीआई यूनिटों को बदलने के लिए अनुमोदन (अवधारणा/डिजाइन एवं निष्पादन स्तर)
- सलेम हवाई अड्डे पर स्टैंड बीआरवीआई सर्किट के प्रावधान को मंजूरी(कमीशनिंग स्तर).
- एलजीबीआई हवाई अड्डा, गुवाहाटी पर रनवे थ्रेशहोल्डज/ अंत सिरे में बदलाव की मंजूरी।(संकल्पना / डिजाइन और निष्पादन स्तर)
- हुबली हवाई अड्डे पर परिचालन क्षेत्र के अंदर वर्षाजल के निकास, समतल और समतलीकरण के लिए परिचालन क्षेत्र के विभाजन की स्वीकृति (संकल्पना / डिजाइन और निष्पादन स्तर)।
- कैम्पेनगोड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, बंगलुरु पर एमआरओ और उच्च–शक्ति इंजनरन–अपक्षेत्र के निर्माण की स्वीकृति। (संकल्पना / डिजाइन और निष्पादन स्तर)
- इं.गां.अं. हवाई अड्डे पर एप्रन–II में मौजूदा स्टैंडों की नम्बरिंग पुनः करने की स्वीकृति (निष्पादन और कमीशनिंग स्तर)।
- कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर रनवे एवं टैक्सी्वे का पुनः सतहीकरण करने की स्वीकृति।
- मैंगलोर हवाई अड्डे पर एचआईएस में आब्जेक्ट की उपस्थिति के लिए 31.3.2021 तक अस्थायी छूट के विस्तार को मंजूरी।
- शिमला हवाई अड्डे के रनवे 14 के टर्निंग पैड के निर्माण के संबंध में रनवे 14/32 की थ्रेशहोल्ड पर अंतसिरे की लाइट, कीट लाइट की व्यवस्था के लिए अनुमोदन (अवधारणा / डिजाइन और निष्पादन स्तर) ।
- सी –3 (आरईटी –3) के निर्माण को मंजूरी और चेन्नई एयरपोर्ट पर टैक्सीवे–सी और टैक्सीवे डी के बीच टैक्सीवे–बी का शिफ्ट किया गया हिस्सा।(कमिशनिंग स्तर)
- आरजीआई हवाई अड्डा, शमशाबाद, हैदराबाद पर फुटपाथ पुनर्वास / पुनःसतहीकरण कार्य के लिए टैक्सीवे ब्रावो –1और टैक्सीलेन ई को –1 (ई1) (एनपीस्टैंड सहित) कार्य उपरांत स्वीकृति (कमीशनिंग स्तर) काम करता है।
- कोयंबटूर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर टैक्सीवे और एप्रन के साथ विमान हैंगर (डीबीओएम आधार पर) के विकास की स्वीकृति।
- हुबली हवाई अड्डे पर रनवे के दोनों छोर पर अतिरिक्त पवन दिशासंकेतक (डब्ल्यूडीआई) के प्रावधान को मंजूरी।
- एलजीबीआई हवाई अड्डा, गुवाहाटी पर पीएपीआई इकाइयों के स्थानांतरण और प्रतिस्थापन की स्वीकृति।(संकल्पना / डिजाइन और निष्पादन स्तर)
- सलेम हवाई अड्डा फायरस्टेशन से रनवे तक सीधी पहुंच मार्ग के प्रावधान, फायर स्टेशन और परिधि सड़क को जोड़ने वाली सड़क और पर स्टेशन के आसपास हार्ड स्टैंड के लिए मंजूरी (कमीशनिंग स्तर)।
- कांडला हवाई अड्डे पर रनवे केंद्र लाइन के दोनों ओर 75 एम से परे परिचालन क्षेत्र में दीवार से दीवार के ग्रेडिंग कार्य की स्वीकृति (संकल्पना / डिजाइन और निष्पादन स्तर)।
- सीएसवी हवाई अड्डा, मुंबई (कमीशनिंग स्तर) पर रनवे 27 के लिए सिक्वेंज फ्लेशिंग लाइटस (एसएफएल) की स्वीकृति।
- हुबली हवाई अड्डे पर परिचालन क्षेत्र के सैग्रेशन की ग्रेडिंग लेवलिंग तथा ओपन स्टॉर्मवाटर ड्रेन के निर्माण की स्वीकृति।
- बीएम हवाई अड्डा रांची एप्रनI, (कमीशनिंग स्तर) के विस्तार की स्वीकृति।(कमीशनिंग स्तर)
- चेन्नैव हवाई अड्डे, टैक्सीवे–सी और टैक्सीवे–डी के बीच टैक्सीवे–बी का शिफ्ट किए गए भाग पर सी –1 (आरईटी –3) के निर्माण की स्वीकृति (कमीशनिंग स्तर)।
- त्रिवेंद्रम हवाई अड्डे पर नए फायर पिट के निर्माण की स्वीकृति (संकल्पना / डिजाइन और निष्पादन स्तर)
- राजामुंदरी हवाई अड्डे पर 11 विमानबे को समायोजित करने के लिए मौजूदा एप्रन लेआउट के पुनविन्यास की स्वीकृति। (संकल्पना / डिजाइन और निष्पादन स्तर)
- आईजीआई हवाई अड्डे पर टैक्सीवे डी1 को फिर से चालू करने की स्वीकृति (कमीशनिंग स्तर)
- आरजीआई हवाई अड्डे, शमशाबाद, हैदराबाद में पुनः सतहीकरण कार्यों के लिए टैक्सीवे ई के स्टैंडड 58 तथा 59 पर प्रचालन प्रारंभ करने के संबंध में पुनः सतहीकरण किए गए भाग की कार्योत्तर मंजूरी।
- एलएसबीआई एयरपोर्ट, वाराणसी पर आईटीसीके पीबीबी और एवीजीडीएस सहित तीसरे और चौथे पीबीबी के लिए रोटंडा और फिक्र्डईटी फिंगर की स्वीकृति। (कमीशनिंग स्तर)
- कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के रनवे27 के लिए उन्नत एजीएल प्रणाली की स्वीकृति।(कमीशनिंग स्तर)
- गया एयरपोर्ट पर रनवे 10/28 के दोनों छोर पर ब्लास्ट कटाव क्षेत्र के निर्माण की स्वीकृति (अवधारणा / डिजाइन और निष्पादन स्तर)
- एसवीपीआई हवाई अड्डा, अहमदाबाद में एप्रन –1टैक्सीलेन को पुनः डिजाइन करने की स्वीकृति (संकल्पना / डिजाइन और निष्पादन स्तर)
- जमशेदपुर में रनवे के पुनः सतहीकरण तथा आरईएसए के प्रावधान को निष्पादन स्तर की मंजूरी
- इं.गां.अं.हवाई अड्डे पर अस्थायी फायर स्टेशन–5 की स्वीकृति।(कमीशनिंग स्तर)
- राजमुंदरी हवाई अड्डे पर 11 एयरक्राफ्ट पार्किंग बे को समायोजित करने के लिए मौजूदा एप्रन लेआउट के पुनर्विन्यास की स्वीकृति। (संकल्पना/डिजाइन और निष्पादन स्तर)
- बीआईएएल केम्पेगौड़ा हवाई अड्डे पर टैक्सीयवे एन एवं टैक्सीसलेन एन एवं संबद्ध सुविधाओं के साथ–साथ शेष 11 विमान

पार्किंग स्टैंड के लिए टर्मिनल 2 एप्रन चरण –1 (उपचरण –2), के निर्माण की मंजूरी।(कमीशनिंग स्तर)

- सीआईएएल में स्टैंडलीड–इन लाइनों के मानकीकरण की स्वीकृति। (कमीशनिंग स्तर)
- विजयवाड़ा हवाई अड्डे पर विद्यमान रनवे 08–26 के विस्तामर तथा सुदृढीकरण के साथ साथ दूरस्थ, आरईएसए एवं सम्बद्ध कार्यों के निर्माण के लिए अनुमोदन (कमीशनिंग स्तर)
- एमबीबी हवाई अड्डे पर सीएफटी वाहनों के लिए रनवे की दोनों तरफ से क्रेश गेट को सम्पर्क करने वाली तथा रनवे से एनआईटीबी पर स्थित नए कूलिंग ऑफ पिट को जोड़ने वाली नई सड़क के निर्माण के लिए अनुमोदन (अवधारणा / डिजाइन एवं निष्पादन स्तर)
- कोचिन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर आरईटीसी5 एक्जिट टैक्सीवे तथा विद्यमान टैक्सीवे सी5 से सी7 के पुनः नामकरण के लिए अनुमोदन (कमीशनिंग स्तर)
- केआईए बंगलुरू के रनवे 09आर/27आर के लिए सीएटी –III बी का अनुमोदन (कमीशनिंग स्तर)
- सीआईएएल पर विमान स्टैंड की मानवचालित गाइडेंस लाइटों के लिए अनुमोदन (कमीशनिग स्तर)
- जयपुर हवाई अड्डे पर सब–फायर स्टेशन के निर्माण के लिए अनुमोदन (कमीशनिंग स्तर)
- एनएससीबीआई हवाई अड्डा कोलकाता के लिए टैक्सीवे के तथा सैकेंडरी रनवे के शुरूआती भाग तथा टैकसीवे के रिलेयिंग ऑफलेयर्स भाग पर मरम्मत कार्य के लिए अनुमोदन (अवधारणा / डिजाइन एवं निष्पादन स्तर)
- मदुरै हवाई अड्डे पर कोडसी टाइप विमान के लिए रनवे 09/27 के पुनः सतहीकरण एवं सम्बद्ध कार्यों के लिए अनुमोदन (अवधारणा/डिजाइन एवं निष्पादन स्तर)
- त्रिवेंद्रम हवाई अड्डे पर अतिरिक्त एप्रन एवं एनआईटबी के निकट जीएसई क्षेत्र के निर्माण के लिए अनुमोदन (कमीशनिंग स्तर)
- आरजीआई हवाई अड्डा, हैदराबाद– जीएचआईएएल के लिए रनवे पुनर्वास कार्यों के लिए सैकेंडरी रनवे 09एल – 27 आर से संबंधित अनुमोदन (कमीशनिंग स्तर)
- इं.गां.अं. हवाई अड्डे पर टैक्सीवे के नामकरण में संशोधन से संबंधित अनुमोदन (अवधारणा/डिजाइन एवं निष्पादन स्तर)
- बेलगाम हवाई अड्डे पर नए एप्रन के आस पास नाले के निर्माण के लिए अनुमोदन (संकल्पना / डिजाइन एवं निष्पादन स्तर)
- जमशेदपुर हवाई अड्डे के रनवे के पुनः सतहीकरण के लिए अनुमोदन (कमीशनिंग स्तर)
- कैम्पेगोड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, बीआईएएल पर पुर्नवास के पश्चात टैक्सीवेज एवं टैक्सीवे बी1 के मध्य टैक्सीवे, टैक्सीवे ए एवं बी के मध्य टैक्सीवे बी1 के भाग तथा टैक्सीवेज को स्थाई रूप से बंद करने के लिए अनुमोदन (कमीशनिंग स्तर)
- पांडिचेरी हवाई अड्डे पर हैंगर भवन के निर्माण तथा तटरक्षक के लिए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा आबंटित 8238 वर्गमीटर भूमि पर सीजीएई के प्रसार के लिए अनुमोदन (संकल्पना / डिजाइन एवं निष्पादन स्तर)
- सालेम हवाई अड्डे पर एप्रन फ्लड लाइटिंग के प्रावधान के लिए अनुमोदन (कमीशनिंग स्तर)

3.10 विमान संरक्षा

विमान सुरक्षा निदेशालय को निगरानी/विनियामक सुरक्षा ऑडिट एवं घटना अन्वेषणों को संचालित करते हुए सुरक्षा सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है तथा निदेशालय द्वारा निष्पादित गतिविधियां निम्नवत हैं:

की गई जांच प्रक्रियाएं

- डीजीसीए ने वायुयान नियम 2017 के नियम 13(1) के अधीन 13 मामलों में जाँच संस्थापित की है।
- क्षेत्रीय विमान सुरक्षा कार्यालय द्वारा एयरलाइनों के स्थायी जाँच बोर्ड की अपने प्रचालित विमानों की घटनाओं के मामले में घटनाओं की जाँच को निर्देशित किया गया है।
- 17 एयरप्राक्स (विमान के सामिप्य) घटनाओं की जाँच की गई।
- 1167 वन्यजीव हमलों की घटनाओं की जानकारी मिली है जिन्हें डेटाबेस में दर्ज किया गया है।
- विभिन्न विमान दुर्घटनाओं की जांच से उत्पन्न सुरक्षा सिफारिशों के साथ संबंधित एजेन्सियों के द्वारा इनके क्रियान्वयन का अनुगमन किया गया जिससे कि इस प्रकार की घटनाओं/दुर्घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो सके।

संचालित किये गये निगरानी/विनियामक सुरक्षा ऑडिट

- डीजीसीए द्वारा वार्षिक निगरानी कार्यक्रम तैयार किया जाता है जो कि डीजीसीए की वेबसाइट पर उपलब्ध है। वर्ष 2020 के दौरान10 विशेष संरक्षा ऑडिट तथा 01 विनियामक ऑडिट किया गया है।
- वर्ष के दौरान अनुसूचित एयरलाइनों एवं विभिन्न गैर–अनुसूचित एयरलाइनों तथा प्राइवेट प्रचालकों के संबंध में कुल 469 निगरानी जांच की गई हैं।
- इन जांचों में पाई गई विभिन्न अनियमितताओं की जानकारी प्रचालकों को दे दी गई हैं जिनके संबंध में उनके द्वारा प्रभावी सुधार उपाय किए जा रहे हैं।

जारी की गई नागर विमानन अपेक्षाएं/परिपत्र:

- ''उड़ान के दौरान यात्रियों को विमान में फ्लाइटमोड अथवा एयरप्लेन मोड में इंटरनेट सेवाएं उपयोग करने की अनुमति'' के लिए वायुयान नियमावली 1937 के नियम 29 ख में दिनांक 21.2. 2020 को संशोधन किए गए हैं।
- ''घटनाओं की अधिसूचना तथा उनकी जांच'' से संबंधित नागर विमानन अपेक्षाएं खंड 5 श्रृंखला सी भाग का अंक II संशोधन IV दिनांक 26.2.2020 को जारी कर दिया गया है।

- ''उड़ान में इलेक्ट्रिक उपकरणों के उपयोग के संरक्षा खतरों'' से संबंधित नागर विमानन अपेक्षाए खंड– 5, श्रृंखला X, भाग– I, अंक –II दिनांक 24.11.2020 को जारी की गई हैं।
- ''स्वैच्छिक संरक्षा रिपोर्टिंग सिस्टम'' पर विमान सूचना परिपत्र दिनांक 4.08.2020 को जारी किया गया है।
- ''डोरसीलफेलियर'' पर विमान संरक्षा परिपत्र दिनांक 10.06.2020 को जारी किया गया है।
- विमान संरक्षा प्रक्रिया मैनुअल का अंक III संशोधन I दिनांक 20.08. 2020 को जारी किया गया है।

भारत में राष्ट्रीय संरक्षा कार्यक्रम / संरक्षा प्रबंधन सिस्टम का कार्यान्वयन

- नागर विमानन महानिदेशालय के अधिकारियों ने अंतर्राष्ट्रीशय नागर विमानन संगठन (इकाओ) / ईएएसए द्वारा आयोजित निम्नलिखित सेमिनारों में प्रतिभागिता की है।
  1. दिनांक 17.9.2020 को संरक्षा निष्पादन सूचक एवं लक्ष्य
  2. दिनांक 24.9.2020 को संरक्षा डेटा संग्रहण एवं प्रक्रिया व्यवस्थाएं
  3. दिनांक 8.10.2020 को संरक्षा निष्पांदन मॉनीटरिंग एवं प्रबंधन
  4. दिनांक 11.11.2020 कोईयू–एसए हाईरिस्क वर्ग दुर्घटना आउटकम
- वार्षिक संरक्षा समीक्षा का चौथा संस्करण वर्ष 2020 में जारी किया गया है जिसमें संरक्षा डेटा के विश्लेषण एवं वर्ष 2018 में विश्व में घटित महत्वपूर्ण संरक्षा घटनाओं का विवरण है। इसे नागर विमानन महानिदेशालय की वेबसाइट पर भी प्रस्तुत किया गया है ।

अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में प्रस्तुत प्रपत्र :

बैंकाक, थाइलैंड में स्थित इकाओ के क्षेत्रीय कार्यालय की मेजबानी में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन संगठन के सम्मेंलनों के दौरान नागर विमानन महानिदेशालय द्वारा निम्नलिखित आधार पत्र प्रस्तुत किए गए हैं:–

1. 15वें एशिया प्रशांत क्षेत्रीय विमानन संरक्षा समूह (एपीआरएएसटी)के दौरान भारत द्वारा ''क्षेत्रीय स्तर पर सहकार्यता में वृद्धि – वार्षिक संरक्षा समीक्षा 2019'' का आधार पत्र संख्या 9 प्रस्तुत किया गया था।

बैठक में पत्र के सारसंक्षेप को नोट किया गया था तथा प्रतिभागी राष्ट्रों से एसएसपीएसपीआई सहित संरक्षा जोखिमों एवं हेलीकॉप्टर प्रचालनों के डेटा से संबंधित सूचना का सहभाजन करने का अनुरोध किया गया था।

2. 10वें क्षेत्रीय विमानन संरक्षा समूह – एशिया–प्रशांत (आरएएसजी –एपीएसी), के दौरान भारत द्वारा ''एफडीएम मॉनीटरिंग एवं मानदंडों / एफडीएम घटनाओं के मानकीकरण'' पर आधार पत्र संख्यॉ 25 प्रस्तुत किया गया था।

बैठक में अतिरेच मूल्यों में समानता तथा सुधार कार्रवाई एवं अतिरेच मूल्यों / एफडीएम घटनाओं का राष्ट्रीय संरक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत मानकीकरण किए जाने की स्वीयकृति के साथ पत्र के सारसंक्षेप को नोट किया गया था।

राष्ट्रीय संरक्षा कार्यक्रम (एसएसपी) परिपत्र :

- ''संरक्षा जोखिम प्रबंधन (एसआरएम) प्रलेखन'' के संशोधन 2 का एसएसपी परिपत्र 01 / 2012 दिनांक 29.9.2020 को जारी किया गया है।
- ''संरक्षा डेटा संग्रहण एवं प्रक्रिया सिस्टम (एसडीसीपीएस)'' के लिए एसएसपी परिपत्र 02 / 2020 दिनांक 31.08.2020 को जारी किया गया है।

3.11 वायुयान इंजीनियरी निदेशालय

1. नियम एवं शर्तों तथा एसटीसी की स्वीकृति

- विदेशी नागर विमानन प्राधिकरणों द्वारा प्रमाणित विमान, इंजनों तथा प्रोपैल्लरों सहित वैमानिक उत्पामदों के टाइप डिजाइन का मूल्यांकन किया गया है तथा भारत में इनके प्रचालन के डिजाइन दृष्टिकोण से 28 (अठाईस) टाइप स्वीकृतियां जारी की गई हैं।
- विदेशी नागर विमानन प्राधिकरणों द्वारा प्रमाणित संशोधित / एसटीसी के टाइप डिजाइन का मूल्यांकिन किया गया है तथा डिजाइन दृष्टिकोण से भारत में विमान प्रचालनों के लिए संशोधनों के समावेश हेतु कुल 52 (बावन) टाइप स्वीकृतियां जारी की गई हैं।

2. निम्नंलिखित आईटीएसओ मानक जारी किए गए हैं तथा इन्हें पब्लिक डोमेन पर जारी किया गया है जिससे कोई भी संगठन कम्पोएनेंट्स / आर्टिकल्सब का विकास कर सकता है।

- आईटीएसओ – सी 123सी (कॉकपिट वॉयस रिकार्डर उपकरण)
- आईटीएसओ – सी124सी (फ्लाइट डेटा रिकार्डर उपकरण)

3. 13 (तेरह) आरपीएएसमॉडल्सी के लिए अस्थाई स्वीकृति प्रदान की गई है।
4. भारतीय गुणवत्ता परिषद (क्यूससीआई) द्वारा नागर विमानन महानिदेशालय की निर्दिष्टि के अनुसार आरपीएएस के निर्माण के न्यूएनतम मानकों की अनुरूपता के लिए रिमोट चालित विमान व्यवस्था (आरपीएएस) के लिए प्रमाणन योजना निर्मित्त की गई है। इस प्रमाणन योजना का निर्माण भारतीय गुणवत्ता (परिषद तथा नागर विमानन महानिदेशालय के मध्य हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन के प्रावधानों के अनुसार किया गया है। तदनुसार, अपने आरपीएएस मॉडल के प्रमाणन की अपेक्षा करने वाले आरपीए निर्माता अब इसके लिए भारतीय गुणवत्ता परिषद से सम्पर्क कर सकते हैं।
5. मसौदा यूएएस नियमावली, 2020 की रूपरेखा के निर्माण के लिए नागर विमानन मंत्रालय को सहायता प्रदान की गई है।
6. अपेक्षाओं के अनुसार निम्नलिखित नागर विमानन अपेक्षाओं (सीएआर) के लिए संशोधन जारी किए गए हैं:–

- ''विमान इंजन उत्सर्जन प्रमाणन– मानक एवं प्रक्रियाए'' से संबंधित नागर विमानन अपेक्षाएं, खंड 6, श्रृंखला सी, भाग I
- ''वायुयान कार्बनडायोक्साइड उत्सर्जन प्रमाणन – मानक एवं प्रक्रियाएं'' से संबंधित नागर विमानन अपेक्षाएं, खंड 6, श्रृंखला सी, भाग III.
- ''वायुयान एवं सम्बद्ध उत्पादों एवं पुर्जो के प्रमाणन की प्रक्रिया'' से संबंधित नागर विमानन अपेक्षाएं 21.

7. अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन संगठन (इकाओ) को सीओआरएसआई के अंतर्गत वर्ष 2019 से संबंधित वार्षिक उत्सार्जन डेटा प्रस्तुत कर दिया गया है।

3.12 एयर स्पे्स एवं विमान दिक्कचालन सेवाएं

एयरस्पेस और विमान दिक्कचालन सेवा निदेशालय सक्षम और सुरक्षित विमान प्रचालनों के सुनिश्चय के लिए दिक्क चालन सेवाओं की विश्वसनीयता के उच्चतर स्तरों की प्राप्ति के उद्देश्य से निरंतर प्रयासरत रहता है तथा इस लक्ष्य की प्राप्ति निरीक्षण ऑडिट तथा सुदृढ़ रिपोर्टिंग की तंत्र व्यवस्था एवं विभिन्न हवाई अड्डा प्रचालकों, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, भारतीय मौसम विभाग इत्यादि अन्य अनेकों से प्राप्त सूचनाओं के एकीकरण की अधिसूचना व्यवस्था से की जाती है। दिनांक 16.12.2020 की स्थिति के अनुसार किए गए विस्तृनत क्रियाकलापों का विवरण नीचे प्रस्तुंत किया है :–

दिल्ली, गया, मुम्बई, नागपुर, राजकोट, कोलकाता, वाराणसी, कुल्लुमनाली भूंतर, बेलगावी, लेंगपुई, पोरबंदर, शिरडी, मंगलौर, कन्नूीर, कांडला, राजामुंदरी, हुबली हवाई अड्डों पर एटीएम सुविधाओं का निगरानी निरीक्षण किया गया है।

डिब्रुगढ़, कन्नुर, अगरतला, दीमापुर, मैसूर, औरंगाबाद, भूंतर, बारापानी, जमशेदपुर, रांची, देहरादून हवाई अड्डों पर सीएनएस सुविधाओं का निगरानी निरीक्षण किया गया है।

मदुरै,मोहनबाड़ी, उदयपुर, गया, कन्नुार, सूरत, शिर्दी, कोलकाता, पोरबंदर हवाई अड्डों पर एमईटी सुविधाओं का निगरानी निरीक्षण किया गया है।

मुम्बई हवाई अड्डे तथा दिल्ली हवाई अड्डे पर एयरोनॉटिक्लु नक्शों एवं चार्टों तथा एआईएस सेक्शन सुविधाओं का निगरानी निरीक्षण किया गया है।

बेगमपेत हवाई अड्डा, हैदराबाद में 09–15 मार्च, 2020 के दौरान विंग्स इंडिया 2020 एयरशो के आयोजन की अनुमति प्रदान की गई है।

खोज एवं बचाव से संबंधित नागर विमानन अपेक्षाएं, खंड 9 श्रृंखला एस भाग I में संशोधन करने की प्रक्रिया की जा रही है।

गगन प्रमाणन संख्या एएनएस 2015/1 का नवीकरण 19 जुलाई, 2020 से प्रभावी 24 माह की अवधि के लिए किया गया है।

पीएएनएस– प्रचालन

i) निम्नलिखित इंस्ट्रूहमेंट एप्रोच प्रक्रियाओं विज्ञप्ति के लिए अनुमोदन जारी किया गया है :

- आईएलएससीएटी I/II/III रनवे 09आरकेआईए बंगलूरू
- आईएलएससीएटी I/II/III रनवे 27 एलकेआईए बंगलूरू
- आरएनपीवाईरनवे 02 पाक्योंग हवाई अड्डा
- आरएनएवी / आईएलएसडब्यू्र रनवे 27 कोचिन हवाई अड्डा
- आरएनपीवाईरनवे 09 – लखनऊ हवाई अड्डा
- आरएनपीवाईरनवे 09 – जयपुर हवाई अड्डा
- आरएनपीवाईरनवे 14 – भुवनेश्वर हवाई अड्डा
- आरएनपीवाईरनवे 32 – भुवनेश्वर हवाई अड्डा
- आरएनपीवाईरनवे 28 – गया हवाई अड्डा
- आरएनपीवाईरनवे 27L केआईए बंगलूरू
- आरएनपीवाईरनवे 09R केआईए बंगलूरू
- आरएनपीवाईरनवे 25 – चेन्नै हवाई अड्डा
- आरएनपीवाईरनवे 07 – चेन्नै हवाई अड्डा
- आरएनपीवाईरनवे 12 – चेन्नै हवाई अड्डा
- आरएनपीवाईरनवे 30 – चेन्नै हवाई अड्डा
- आरएनपीवाईरनवे 27 – पोरबंदर हवाई अड्डा
- आरएनपीवाईरनवे 09 – पोरबंदर हवाई अड्डा
- आरएनपीवाईरनवे 27 – मुम्बदई हवाई अड्डा
- आरएनपीवाईरनवे 25– भावनगर हवाई अड्डा
- आरएनपीवाईरनवे 26– उदयपुर हवाई अड्डा
- आरएनपीवाईरनवे 23 – किशनगढ़ हवाई अड्डा
- आरएनपीवाईरनवे 05 – किशनगढ़ हवाई अड्डा
- आरएनपीवाईरनवे 10 – दरभंगा हवाई अड्डा
- आरएनपीवाईरनवे 28 – दरभंगा हवाई अड्डा
- आरएनपीवाईरनवे 27 – ओरंगाबाद हवाई अड्डा
- एनडीबीरनवे 04 सालेम हवाई अड्डा
- वीओआररनवे 32 – त्रिवेंद्रम हवाई अड्डा
- वीओआररनवे 14 – त्रिवेंद्रम हवाई अड्डा
- आरएनपीवाईरनवे 09 – मुम्बई हवाई अड्डा
- आरएनपीवाईरनवे 09 – बेगमपेत हवाई अड्डा ,हैदराबाद
- आरएनपीवाईरनवे 27 – बेगमपेत हवाईअड्डा , हैदराबाद
- आरएनपीवाईरनवे 09 – शिर्दी हवाई अड्डा
- आरएनपीवाईरनवे 27 – शिर्दी हवाई अड्डा
- आरएनपीवाईरनवे 01 – खजुराहो हवाई अड्डा
- आरएनपीवाईरनवे 19 – खजुराहो हवाई अड्डा

ii) अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन संगठन की अपेक्षाओं के अनुसार पीएएनएस प्रचालनों के लिए मसौदा नागर विमानन अपेक्षाएं तैयार की गई हैं। (प्रक्रियाधीन)

3.13 उड़ान प्रशिक्षण

(I) देश में वाणिज्यिक पायलट लाइसेंस (सीपीएल) धारकों की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए भारत में वर्तमान में 32 उड़ान प्रशिक्षण संगठन कार्यात्मक हैं।

(ii) 31.12.2020 की स्थिति के अनुसार 07 उड़ान प्रशिक्षण संगठनों में निगरानी / जांच की गई है।

(iii) 31.12.2020 की स्थिति के अनुसार एफआईआर / एएफआईआर जारी करने / नवीकरण करने के लिए उम्मीदवारों (169) की मौखिक परीक्षा की गई है।

3.14 प्रशासन

- 31.12.2020की स्थिति के अनुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, तथा अन्य पिछड़े वर्ग का प्रतिनिधित्वि निम्नासनुसार है :

संगठन का नाम	नियमित कर्मचारियों की कुल संख्याक	अनुसूचित जाति के कर्मचारियों की कुल संख्या	अनुसूचित जाति के कर्मचारियों का %	अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों की कुल संख्या	अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों का %	अन्य पिछड़े वर्ग के कर्मचारियों की कुल संख्या	अन्य पिछड़े वर्ग के कर्मचारियों का %
नागर विमानन महानिदेशालय के कार्यालय के सभी क्षेत्र	108	26	24.07%	09	8.33%	18	16.66%

- वर्ष 2020 के दौरान सीधी भर्ती के माध्यम से समूह 'क' में 43 अधिकारियों तथा पदोन्न्ति के माध्यम से समूह 'क' के लिए 23 नियुक्तियां की गई है।
- दिव्यांगजनों के आवागमन को सुविधाजनक बनाने के लिए डीजीसीए द्वारा एक व्हीलचेयर खरीदी गई है। दिव्यांगजनों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए कई स्थानों पर रैम्प बनाए गए हैं। इसके अलावा केवल दिव्यांगजनों के प्रयोग हेतु एक प्रसाधन कक्ष का निर्माण भी कराया गया है।
- नागर विमानन महानिदेशालय द्वारा कार्यालय को स्वच्छ और स्वस्थकर बनाने पर ध्यान केंद्रित कर के स्वच्छ भारत अभियान में योगदान दिया गया है। इस प्रक्रिया में, कुछ पुराने कार्यालय फर्नीचर / समाचार पत्र, जो स्थान की कमी के कारण बाहर पड़े हुए थे, का निपटान किया गया।
- कोविड–19 से रक्षण के लिए सेनिटाइजर डिस्पेंसर नागर विमानन मुख्यालय के साथ साथ आर.के. पुरम में स्थित सीईओ कार्यालय में भी उपलब्ध करवाए गए हैं। इसके अलावा, नागर विमानन महानिदेशालय मुख्यालय के कर्मचारियों को मॉस्ल भी उपलब्ध करवाए गए हैं।
- नागर विमानन महानिदेशालय में तकनीकी जनशक्ति से संबंधित एफएए तथा अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन संगठन द्वारा किए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय ऑडिट प्रेक्षणों से बचाव के लिए वर्ष 2020 के दौरान विभिन्न वर्गों के लिए अनुबंध आधार पर 12 उड़ान प्रचालन निरीक्षकों की सेवाएं प्राप्त की गई हैं। इसके अलावा, 10 उड़ान प्रचालन निरीक्षकों के चयन की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है तथा यह संभावना है कि वे जनवरी, 2021 में नागर विमानन महानिदेशालय में अपनी सेवाएं ग्रहण कर लेंगे।
- वैश्विक महामारी कोविड–19 की स्थिति को विचार में लेकर विभिन्न वर्गों के उड़ान प्रचालन निरीक्षकों का पारिश्रमिक प्रतिबंधित एवं विमानन उद्योग में दिए जाने वाले वेतन के अनुसार किया गया है। इस पुनः संरचना से सरकार का राजस्व भार कम हुआ है। इसके अलावा एफओई के पारिश्रमिक में एकरूपता स्थापित की गई है जिससे एफओआई की शिकायतों का समाधान संभव हो पाया है।
- एफओआई के लिए नियमों एवं शर्तों में भी संशोधन किए गए हैं तथा इसे अधिक सुस्पष्ट, सुदृढ़ एवं विधिक रूप से प्रबल बनाया गया है। नियम एवं शर्तों के प्रति किसी प्रकार की अस्पष्टता को अधिक स्पष्ट करने से इसमें एफओआई एवं नागर विमानन महानिदेशालय के लिए सुगम स्थितियां उत्पन्न की गई हैं।
- एफओआई के चयन की प्रक्रिया के लिए पहली पारदर्शी, यूजर–फ्रेंडली व्यवस्था के अंतर्गत आनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं जो कोविड–19 जैसी वैश्विक महामारी की स्थिति के दौरान काफी सुविधाजनक है एवं इससे समय एवं धन की बचत भी होती है। इसके अलावा ऑनलाइन प्राप्त होने वाले आवेदनों से चयन प्रक्रिया में मानव हस्ताक्षेप कम होता है जो कोविड –19 जैसी महामारी के कारण होने वाले संक्रमण से बचाव के लिए अत्यावश्यक है।
- विभिन्न वर्गों के लिए 5(पांच) पदों से संबंधित भर्ती नियमावली का प्रकाशन भारत के राजपत्र में किया गया है। (भर्ती नियमावली (आरआर) की रूपरेखा, भर्ती नियमावली में संशोधन/बदलाव – 03)
- नागर विमानन महानिदेशालय में दिनांक 13.3.2020 को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का आयोजन किया गया था। डा. मोना दहिया, डीएमएस (सीए) द्वारा इस अवसर पर स्तन कैंसर के प्रति जागरूकता के लिए प्रस्तुति दी गई। नागर विमानन महानिदेशालय की सभी महिला कर्मचारियों का बोन डेनसिटी परीक्षण बोंडटैक्नोयलॉजी के उपयोग से किया गया था।
- नागर विमानन महानिदेशालय में 1 नवम्बटर, 2020 से 15 नवम्बर, 2020 की अवधि को स्वच्छता पखवाड़े रूप में मनाया गया था तथा इसके दौरान निम्नलिखित क्रियाकलाप किए गए थे :–
  - शपथ ग्रहण समारोह

- सभी निदेशालयों / अनुभागों / क्षेत्रीय / उप–क्षेत्रीय कार्यालयों में श्रमदान
- सभी निदेशालयों / अनुभागों / क्षेत्रीय / उप–क्षेत्रीय कार्यालयों की फाइलों की छंटाई
- ई–कचरा प्रबंधन क्रियाकलापों के प्रति जागरूकता की उत्पत्ति
- समिति सदस्यों द्वारा निदेशालयों / डिवीजनों का निरीक्षण समिति सदस्यों द्वारा निदेशालयों / डिवीजनों का निरीक्षण
- सिंगल यूज प्लास्टिक / पॉलिथिन का उपयोग न करने के प्रति पैम्फलेट के माध्यम से जागरूकता का प्रसार
- हाउस कीपिंग स्टाफ को अपने स्वच्छता क्रियाकलापों के दौरान ग्लोव्स एवं मॉस्क का उपयोग करने के लिए संवेदित करना तथा उन्हें ग्लोव्स एवं मॉस्क का सही ढंग से निपटान करने के लिए प्रोत्साहित करना।
- निबंध प्रतियोगिता
- हाउस कीपिंग स्टाफ/गार्ड्स / मालियों / ड्राइवरों / टीसीएस कामगारों को स्वच्छता एवं स्वास्थ्यता (सामुदायिक स्वास्थ्य एवं वैयक्तिक स्वास्थ्य) के प्रति संवेदित करना एवं उन्हें सेनिटाइजर, मॉस्क एवं साबुन से युक्त किटें उपलब्ध करवाना। उनसे स्वच्छता के महत्व का प्रसार करने का अनुरोध भी किया गया है।

- नागर विमानन महानिदेशालय में 26 नवम्बर, 2020 को नागरिकों को सांविधिक मूल्यों एवं मौलिक कर्तव्यों के प्रति प्रोत्साहित करने के लिए संविधान दिवस का आयोजन किया गया था। भारत के संविधान को अंगीकार किए जाने के 70वें वर्ष को स्मृतिमय बनाने के लिए 26.11.2019 से 26.11.2020 की अवधि के एक वर्ष लम्बे कार्यक्रम का आयोजन किया गया था जिसमें भारतीय संविधान में संदृश मौलिक कर्तव्यों सहित नागरिक कर्तव्यों के प्रति जागरूकता अभियान के अंतर्गत माहवार क्रियाकलाप आयोजित किए गए थे।

3.15 सतर्कता

(i) सतर्कता के दृटिकोण से वर्ष के दौरान कोई अनुशासनिक मामला प्रस्तुत नहीं हुआ है। तथापि, वर्ष 2020–21 के दौरान अनुशासनात्मक सतर्कता से संबंधित 03 (तीन) मामले प्रक्रियाधीन थे। इनमें से एक मामले की जांच रिपोर्ट जांच अधिकारी द्वारा प्रस्तुत कर दी गई है तथा दो मामले जांच के विभिन्न चरणों में प्रक्रियाधीन हैं।

(ii) वर्ष 2020–2021 के दौरान निवारक सतर्कता के अंतर्गत नागर विमानन महानिदेशालय के मुख्य सतर्कता अधिकारी द्वारा उड़ान मानक निदेशालय (एफएसडी) का औचक निरीक्षण किया गया था। उड़ान मानक निदेशालय के क्रियाकलापों तथाअनुसरण की जा रही प्रक्रियाओं एवं व्यवहारों / प्रक्रियाओं का अध्ययन भी निरीक्षण के दौरान किया गया था तथा अधिक पारदर्शिता, बेहतर कार्यकुशलता एवं अनियमितताओं की संभावना को समाप्त करने से संबंधित अनुशंसाओं / प्रक्रियात्मक सुधारों की एक विस्तृंत रिपोर्ट उड़ान मानक निदेशालय को भेजी गई थी।

(iii) नागर विमानन निदेशालय एवं इसके क्षेत्रीय कार्यालयों में 27 अक्टूबर, 2020 से 02 नवम्बर, 2020 के दौरान सर्तकता जागरूकता सप्ताह का आयोजन किया गया था। इस सप्ताह के दौरान नागर विमानन महानिदेशालय मुख्यालय के सर्तकता प्रभाग द्वारा निबंध लेखन प्रतियोगिता, पोस्टर निर्माण एवं वाद–विवाद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। निवारक सर्तकता के अंतर्गत क्या करें और क्या न करें की एक सूची नागर विमानन महानिदेशालय के अधिकारियों / कर्मचारियों को ई–आफिस नोटिस बोर्ड के माध्यम से भेजी गई थी। इसके अलावा, सप्ताह के दौरान, केन्द्रीय सतर्कता आयोग द्वारा जारी महत्वपूर्ण् परिपत्र भी नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित किए गए थे।

(iv) नागर विमानन महानिदेशालय अपने क्रियाकलापों में पारदर्शिता तथा ऑटोमेशन के सुनिश्चय के लिए आई टी आधारित प्रौद्योगिकियों का उपयोग कर रहा है। नागर विमानन महानिदेशालय में अपने क्रियाकलापों में स्मार्ट कार्ड बॉयोमैट्रिक्स आधारित वैयक्तिक लाइसेंसिंग तथा आनलाइन फीस संग्रह सहित ई–ऑफिस एवं कागज मुक्त अवधारणा का उपयोग किया जा रहा है। ईजीसीए की उपयोज्यता नागर विमानन महानिदेशालय में सभी प्रक्रियाओं के लिए प्रारंभ की गई है। इस परियोजना में डीजीसीए की प्रक्रियाओं एवं क्रियाकलापों के आटोमेशन की संकल्पना की गई है। परियोजना के अंतर्गत विभिन्न साफ्टवेयर अनुप्रयोगों सहित प्रारंभ से अंत तक समाधान के लिए सूचनाओं के प्रसारण का एक पोर्टल एवं सुरक्षित वातावरण में आनलाइन एवं त्वरित सेवाएं प्रदान करने की संकल्पना की गई है। इस परियोजना का कार्यान्वयन चरणबद्ध स्वरूप में किया जा रहा है तथा पूरी तरह से कार्यान्वयन के पश्चात यह सूचना प्रौद्योगिकी अवसंरचना एवं सेवा डिलीवरी फ्रेमवर्क का सुदृढ़ आधार बन सकेगी। इससे नागर विमानन महानिदेशालय द्वारा प्रदान की जाने वाले सेवाओं के कौशल में संवर्धन एवं नागर विमानन महानिदेशालय के क्रियाकलापों में पारदर्शिता एवं उत्तमदेयता का सुनिश्चिय भी हो सकेगा। नागर विमानन महानिदेशालय की ईजीसीए परियोजना लगभग पूरी होने वाली है तथा परियोजना के कार्यान्वयन के पश्चात डीजीसीए की सभी सेवाओं का आटोमेशन हो जाएगा। प्रशिक्षण एवं लाइसेंसिंग निदेशालय, उड़ान प्रशिक्षण तथा चिकित्सा निदेशालय में यह पहले से कार्यात्मक कर दी गई है।

3.16 चिकित्सा सेवा निदेशालय (नागर विमानन)

चिकित्सा सेवा निदेशालय को चिकित्सा परीक्षा एवं अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन संगठन के अनुबंध–1 में की गई अनिवार्यता के अनुसार मूल्यांकन की क्रियाओं से सम्बद्ध सभी चिकित्सा मामलों से जुड़े सभी वर्गों के कार्मिकों को प्रारंभिक एवं आवर्ती प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए नागर विमानन महानिदेशालय के परामर्शदाता के दायित्व सौंपे गए हैं।

इस निदेशालय का प्रबंधन चिकित्सा मूल्यांकनकर्ताओं द्वारा किया जा रहा है जिसमें डीजीएमएस (एयर) जो एयरोस्पेस मेडिसिन विशेषज्ञ या एविएशन मेडिसन से संबंधित विषयो में प्रशिक्षित होते हैं और भारतीय वायुसेना की सक्रिय सेवा में हैं। चिकित्सा परीक्षक द्वारा की गई चिकित्सीय जांच के लिए चिकित्सा मूल्यांकन जारी करने का कार्य निदेशक/संयुक्त निदेशक, चिकित्सा सेवाएं (नागर विमानन) द्वारा किया जाता है।

यह निदेशालय वायुयान नियमावली, 1937 के नियम 39 ख और नियम 39 ग में निहित उपबंधो के अनुसार उड़ान कर्मीदल को चिकित्सा निर्धारण

सुनिश्चित करने के लिए माध्यम है तथा वर्ष 2020 के लिए (31 दिसम्बर, 2020 तक) गतिविधियों का सांख्यिकीय रिकार्ड निम्नानुसार है:–

क्र.सं	क्रियाकलाप का विवरण	योग
1.	कुल जारी योग्या चिकित्सा मूल्यांकन	21,700
2.	श्रेणी 1 की चिकित्सा परीक्षा के लिए जारी कुल अस्थाई अनफिट मामले जारी कुल अस्था ई अनफिट मामले	449
3.	श्रेणी 2 की चिकित्साय परीक्षा के लिए जारी कुल अस्थाई अनफिट मामले	192
4.	सिविल विमानकर्मी चिकित्सा परीक्षा के संबंध में जारी कुल शार्ट फाल्स / प्रेक्षण	1210
5.	कुल जारी स्थाई अनफिट मामले	35
6.	अपील प्रक्रिया किए गए कुल मामले	24
7.	कुल आरटी आई मामलों का निपटान	16
8.	जारी किए गए अनापत्ति प्रमाण–पत्र	4976
9.	कुल जन शिकायतों का निवारण	04
10.	नई तैयार की गई पीएमआर फाइलें	2013
11.	भारतीय वायु सेना के 5 बोर्डिंग केन्द्रों में की गई सिविल विमानकर्मी चिकित्सा परीक्षाएं	5038
12.	भारतीय वायुसेना के 17 चिकित्सा परीक्षा केन्द्रों में की गई सिविल विमानकर्मी चिकित्सा परीक्षाएं	1087
13.	नागर विमानन महानिदेशालय द्वारा सिविल विमानकर्मी चिकित्सा परीक्षाओं के संबंध में श्रेणी 1 की चिकित्सा परीक्षाएं	18609

2. वैश्विक महामारी कोविड–19 के परिप्रेक्ष्य में नागर विमानन महानिदेशालय द्वारा जारी जन–सूचनाएं / परिपत्र

(क) कोविड–19 तथा लाईसेंसों की वैधता, रेटिंग, कौशल परीक्षा, लाइसेंस जारी करने की परीक्षा, पायलट लाइसेंस के लाभों के उपयोग के लिए नवीकरण प्रक्रिया से संबंधित नागर विमानन महानिदेशालय की दिनांक 11 मई, 2020 की जन सूचना संख्या एवी11012/5/2018–डीटीएल–डीजीसीए डीजीसीए–180141/2020–डीटीएल–डीजीसीए

(ख) ईजीसीए प्लेरटफार्म पर नई सेवाओं को प्रारंभ करने से संबंधित 1 जुलाई, 2020 की नागर विमानन महानिदेशालय की जन सूचना संख्या डीजीसीए– 16026(2)/1/2018–डीएफटी

(ग) वैश्विक महामारी कोरोना के प्रसार के परिप्रेक्ष्य में भा.वा.से. के चिकित्सा परीक्षा केन्द्रों में चिकित्सा नियुक्तियों के पुनः अनुसूचीकरण एवं संक्षेपण के संबंध में नागर विमानन महानिदेशालय की दिनांक 6.6.2020 की जनसूचना संख्या एवी/22025/37/डीएमएस/एमईडी, दिनांक 9.6.2020 को नागर विमानन महानिदेशालय की वेबसाइट पर प्रसारित

(घ) वैश्विक महामारी कोरोना के प्रसार के परिप्रेक्ष्य में सीएफार्म 35 पर चिकित्सा फिटनेस के साथ उड़ान करने की वैधता के विस्तार के लिए नागर विमानन महानिदेशालय द्वारा जारी दिनांक 22 मई, 2020 की जन सूचना संख्या एवी22025/25/डीएमएस/एमईडी, नागर विमानन महानिदेशालय की वेबसाइट पर त्वनरित उपलब्ध

(ड.) कोविड 19 के लिए एयरोमेडिकल की स्थिति के लिए नागर विमानन महानिदेशालय द्वारा जारी दिनांक 22 जून 2020 की जनसूचना संख्यां डीजीसीए12023/1/2020–मेडिकल, नागर विमानन महानिदेशालय की वेबसाइट पर त्वरित उपलब्ध

(च) कोविड 19 के लिए एयरोमेडिकल की स्थिति के लिए नागर विमानन महानिदेशालय द्वारा जारी 18 दिसम्बर 2020 की संशोधित जन सूचना संख्या एवी22025/25ए/डीएमएस/एमईडी, नागर विमानन महानिदेशालय की वेबसाइट पर त्वरित उपलब्ध

(ज) वैश्विक महामारी कोरोना के प्रसार के परिप्रेक्ष्य में श्रेणी 1 सिविल विमानकर्मी चिकित्सा परीक्षा के संबंध में नागर विमानन महानिदेशालय द्वारा संशोधन के रूप में जारी दिनांक 2 दिसम्बर, 2020 (1 जनवरी, 2021 से प्रभावी) की जनसंख्या सूचना एवी/22025/37/डीएमएस/एमईडी', नागर विमानन महानिदेशालय की वेबसाइट पर त्वरित उपलब्ध

3. नागर विमानन महानिदेशालय द्वारा चिकित्सा परीक्षकों को पैनल बद्ध करना

(क) जनसूचना ना.वि.म. के श्रेणी 2 चिकित्सो परीक्षकों के रूप में सिविल डाक्टरों का नया पैनल /पुनः पैनल निर्माण, फरवरी, 2020 में।

(ख) जनसूचना ना.वि.म. के श्रेणी 1 तथा 2 चिकित्सा परीक्षकों के रूप में सिविल डाक्टरों का नया पैनल /पुनः पैनल निर्माण, 18 जून 2020

(ग) जनसूचना : ना.वि.म. के श्रेणी 1 के विद्यमान चिकित्सा परीक्षकों का नवीकरण, 25 सितम्बर, 2020 को जारी।

4. नागर विमानन महानिदेशालय द्वारा सिविल विमान कर्मी चिकित्सा जांच के लिए ई–जीसीए पोर्टल का शुभारंभ (साफ्टवेयर डेवलेपर टीम – टीम टीसीएस)

3.17 विमान यातायात नियंत्रक लाइसेंस प्रभाग

अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन संगठन द्वारा नवम्बर 2017 में किए गए ऑडिट में उठाए गए मुद्दों के अनुपालन के लिए नागर विमानन मंत्रालय ने विमान यातायात नियंत्रकों को भारत में लाइसेंस प्रदान करने का निर्णय लिया है तथा विमान यातायात नियंत्रकों के संरक्षा निगरानी सहित विनियामक के दायित्व नागर विमानन महानिदेशालय को सौंपे गए हैं।

तदनुसार, नागर विमानन महानिदेशालय में वर्ष 2018 में विमान यातायात नियंत्रक लाइसेंस विभाग की स्थापना वि.या.नि.ला. जारी करने, वि.या.नि.ला. प्रशिक्षण संस्थान स्थापित करने एवं अनुवर्ती निगरानी क्रियाकलापों के लिए भारत वि.या.नि.ला. के दायित्वों की देखरेख के लिए की गई है।

अवधि के दौरान किए गए क्रियाकलापों का संक्षिप्त विवरण नीचे दिया गया है :–

(i) वर्ष 2020 के दौरान 200 से अधिक विमान यातायात नियंत्रक लाइसेंस जारी किए गए हैं।

(ii) वर्ष 2020 के दौरान 150 से अधिक विद्यार्थी विमान यातायात नियंत्रक लाइसेंस जारी किए गए हैं।

(iii) नागर विमानन महानिदेशालय द्वारा वि.या.नि.ला. के संबंध में जारी रेटिंग पृष्ठांकन यथा एयरोड्राम नियंत्रण, एप्रोच नियंत्रण क्रियात्मकता, एप्रोच नियंत्रण निगरानी, क्षेत्र नियंत्रण क्रियात्मकता एवं सामुद्रिक नियंत्रण जारी किए गए हैं।

(iv) छह (6) विमानन अंग्रेजी भाषा प्रशिक्षण संगठन तथा निरीक्षण सेवा प्रदात्ताओं (एईएलटीओ / टीएसपी) को अनुमोदन प्रदान किए गए हैं।

(v) रायपुर, जयपुर, मुम्बई, अहमदाबाद, वाराणसी, चेन्नै, कोलकत्ता , नागपुर, शम्साईबाद, दिल्ली, कोचिन तथा त्रिवेंदम हवाई अड्डों के निगरानी निरिक्षण किए गए हैं।

(vi) सीएटीसी–प्रयागराज, एनआईएटीएम–गोंडिया तथा एचटीसी–हैदराबाद में स्थित विमान यातायात सेवा प्रशिक्षण संगठनों के निगरानी निरीक्षण किए गए हैं। पदधारकों को यथालागू स्वीकृतियां प्रदान की गई हैं।

(vii) अहमदाबाद, उदयपुर, नागपुर, औरंगाबाद, दीव, बंगलुरू, पोरबंदर, विजयवाड़ा, मुम्बई, डिब्रुगढ़, कोचिन तथा कन्नूर हवाई अड्डों पर वि.या.नि.ला. की प्रवीणता जांच के लिए निगरानी निरीक्षण किए गए हैं।

(viii) खंड 9, श्रृंखला–एल, भाग–VII के अंतर्गत नागर विमानन अपेक्षाएं प्रकाशित की गई हैं।

(ix) खंड 9, श्रृंखला–एल, भाग– III के अंतर्गत नागर विमानन अपेक्षाएं संशोधित की गई हैं।

3.18 प्रशिक्षण निदेशालय

नागर विमानन महानिदेशालय विमानन क्षेत्र में संरक्षा के सभी घटकों के लिए विनियामक है। विमानन उद्योग में संरक्षा के प्रति विनियामक के उत्तरदायित्व अनेक खंडों में विस्तारित हैं तथा तदनुसार, इसके लिए उच्चतर तकनीकी विशेषज्ञता एवं व्यवसायिक मानकों की अपेक्षा आवश्यक होती है।

वायुयान अधिनियम, 1934 तथा उसके अध्याधीन निर्मित्त नियमों का प्रभावी कार्यान्वयन करने के उद्देश्यों से नागर विमानन महानिदेशालय के अधिकारियों/कर्मचारियों को प्रशिक्षण प्रदान किए जाने की आवश्यकता की अनदेखी नहीं की जा सकती है।

प्रशिक्षण निदेशालय की स्थापना व्यावसायिक उत्कृष्टता, ज्ञान एवं विशेषज्ञता / कौशल के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए की गई है।

- वर्ष 2020 के दौरान प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा आयोजित किए गए प्रशिक्षण / किए गए क्रियाकलापो का विवरण नीचे प्रस्तुत किया गया हैः–
- नागर विमानन महानिदेशालय भारत के अधिकारियों को प्रशिक्षित करने तथा आईसीएओ यूएसओएपी सीएमए कार्यक्रम के लिए अनुगमन करने के सुनिश्चय के लिए विभिन्नों तकनीकी निदेशालयों से अधिकारियों का चयन किया गया है तथा उनके मामलों पर प्रक्रिया की गई है।
- सभी निदेशालयों के समावेश के साथ नागर विमानन महानिदेशालय वार्षिक प्रशिक्षण कार्यक्रम 2020 –21 का निर्माण एवं प्रकाशन किया गया है।
- ईएएसए के साथ सहकार्यता से एसएमएस प्रशिक्षण आयोजित किए गए हैं।
- मुख्य तकनीकी परामर्शदाता (सीटीए) सीओएससीएपी – दक्षिण एशिया के सहयोग से संरक्षा निष्पादन सूचक स्थापित करने के लिए कार्यशालाएं आयोजित की गई हैं।
- मुख्य तकनीकी परामर्शदाता (सीटीए) सीओएससीएपी – दक्षिण एशिया के सहयोग से एसएमएस निष्पादन मापन पाठ्यक्रम आयोजित किए गए हैं।
- एसएमएस की ऑडिटिंग के लिए आंतरिक प्रशिक्षण आयोजित किए गए हैं।
- मुख्य तकनीकी परामर्शदाता (सीटीए) सीओएससीएपी – दक्षिण एशिया के सहयोग से घटना / दुर्घटना जांच के लिए मानव संगठनात्मक कारक ''विषय पर 2 सप्ताह की अवधि के ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। इस पाठ्यक्रम में नागर विमानन महानिदेशालय एवं उद्योग से बड़ी संख्या में प्रतिभागिता की गई है।
- मुख्य तकनीकी परामर्शदाता (सीटीए) सीओएससीएपी – दक्षिण एशिया के सहयोग से ''ट्रेन–द–ट्रेनर'' ऑनलाइन पाठ्यक्रम आयोजित किया गया है। इस पाठ्यक्रम का उद्देश्य विषय विशेषज्ञों को अपने संबंधित क्षेत्र के लिए पाठ्यक्रम सामग्री के निर्माण का प्रशिक्षण देना तथा यह पाठ्यक्रम अन्य अधिकारियों को प्रदान करना है।

3.19 ड्रोन निदेशालय

1. भारत के माननीय प्रधानमंत्री द्वारा राष्ट्रीय पंचायत दिवस के अवसर पर अर्थात दिनांक 24 अप्रैल, 2020 को केन्द्रीय सेक्टर योजना के अंतर्गत स्वामित्व योजना का शुभारंभ किया गया है। इस योजना के कार्यान्वायन के लिए नोडल मंत्रालय पंचायती राज मंत्रालय है। राज्यों में इसके लिए नोडल विभाग के कार्य राजस्व विभाग / भूमि रिकार्ड विभाग को सौंपे गए हैं तथा वे राज्य पंचायती राज विभाग के सहयोग से इस योजना को आगे बढ़ा रहे हैं। ड्रोन प्रौद्योगिकी के उपयोग से जनगणना के कार्य के लिए उत्तरदायी भारत के सर्वेक्षक एसओआई– भारत के सर्वेक्षक (स्वामित्व योजना के तकनीकी भागीदार) योजना के तकनीकी भागीदार के कार्य कर रहे हैं।
2. दिनांक 12 नवम्बर, 2020 को भारतीय सर्वेक्षण विभाग द्वारा नागर विमानन महानिदेशालय को यह जानकारी दी गई कि भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा एक ई–मेल को विचार में लेकर डिजीटल स्काई पोर्टल की प्रचालनात्मकता एवं आगामी क्लीयरेंस के लिए केवल पोर्टल पर आवेदन करने का हवाला देते हुए वाराणसी (उत्तर प्रदेश) में ड्रोन उड़ान के कार्य पर रोक लगा दी गई है। नागर विमान महानिदेशालय के ड्रोन निदेशालय द्वारा इस मामले पर कार्रवाई करते हुए नागर विमानन महानिदेशालय के आदेश पर दिनांक 23.11.2020 तथा 24.11.2020 को वाराणसी हवाई अड्डे पर जांच एवं संरक्षा मूल्यांकन के कार्य किए गए। नागर विमानन महानिदेशलय के ड्रोन निदेशालय के प्रमुख की अध्यक्षता में संयुक्त निरीक्षण टीम द्वारा भूमि रिकार्ड (ग्राम आबादी) के मान चित्रण के लिए ड्रोन तकनीक के उपयोग तथा भारत की स्वामित्व योजना के अंतर्गत सम्पति कार्ड जारी करने के प्रति स्वामित्व

योजना के आड़े आनी वाली समस्या के निवारण के लिए दिनांक 25.11.2020 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी।

3. मैसर्स नेशनल कैपिटल रिजन ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन (एनसीआरटीसी), नई दिल्ली की जनगणना के लिए डेटा प्राप्त करने तथा दिल्ली–मेरठ आरआरटीएस कॉरीडोर के वेब–आधारित जीआईएस प्लेटफार्म के कार्यान्वयन से रिमोटचालित पायलट सिस्टम (आरपीएएस)/ड्रोन प्रौद्योगिकी का उपयोग करने मानक प्रचालन प्रक्रिया (एसओपी) स्वीकार की गई है। यह भारत में ड्रोन निदेशालय द्वारा प्रदान किया गया इस प्रकार का पहला अनुमोदन है।

4. प्रधानमंत्री केन्द्रीय सेक्टर योजना ''स्वामित्व'' के अंतर्गत मैसर्स भारत के सर्वेक्षक (एसओई) की मानक प्रचालन प्रक्रिया (एसओपी) निम्नलिखित राज्यों में ग्रामीण जनसंख्या वाले भूखंडों में सर्वेक्षण के लिए रिमोटचालित पायलट विमान सिस्टम (आरपीएएस)/ ड्रोन प्रौद्योगिकी का उपयोग करने के लिए प्रदान की गई हैः–

1) छत्तीसगढ़
2) तेलांगाना
3) बिहार
4) उड़ीसा
5) झारखंड
6) पंजाब
7) राजस्थान
8) आंध्रप्रदेश

5. प्रधानमंत्री केन्द्रीय सेक्टर योजना ''स्वामित्व'' के अंतर्गत छत्तींसगढ़, तेलांगाना, बिहार, उड़ीसा, झारखंड, पंजाब, राजस्थान एवं आंध्र प्रदेश राज्यों के ग्रामीण जनसंख्या के क्षेत्रों में भूखंडों के सर्वेक्षण के लिए रिमोटचालित पायलट विमान सिस्टम (आरपीएएस) के उपयोग के लिए नागर विमानन अपेक्षाएं, खंड 3, श्रृंखला–एक्स, भाग–I के संबंधित पैराग्राफ में छूट प्रदान की गई है।

6. मैसर्स नेशनल कैपिटल रिजन ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन (एनसीआरटीसी), नई दिल्ली द्वारा दिल्ली–मेरठ आरआरटीएस कॉरीडोर के उद्देश्य से डेटा प्राप्ति के लिए रिमोट चालित विमान सिस्टम (आरपीएएस) के उपयोग तथा वेब आधारित जीआईएस प्लेटफार्म के कार्यान्वयन के लिए नागर विमानन अपेक्षाएं खंड '3', श्रृंखला'–एक्स', भाग– । के प्रति छूट विस्तारित की गई है।

7. मैसर्स लोटैकवर्ल्ड। एविगेशन प्राइवेट लिमिटेड के आरपीएस मॉडल 'सर्वेबोट' को अस्थााई स्वीकृति प्रदान की गई है।

8. नागर विमानन महानिदेशालय के दिनांक 11 जून, 2020 के पत्र संख्या डीजीसीए 27046/69/2019–एईडी–डीजीसीए के अनुसरण में पैरा 12.3 (बी) {(1500 फुट (450 मीटर) से कम की क्लाउड सीमा के अलावा} के संबंध में नागर विमानन अपेक्षाएं खंड–3, श्रृंखला एक्स, भाग–I के प्रति भारत के सर्वेक्षक (एसओआई) को प्रधानमंत्री ''स्वामित्व'' योजना के अंतर्गत बड़े स्तर पर जनगणना के लिए रिमोट चालित विमान सिस्टम (आरपीएएस) का उपयोग करने की छूट प्रदान की गई है।

4. नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो

4.1 परिचय

नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो (ना०वि०सु०ब्यू०) नागर विमानन मंत्रालय का एक संबद्ध कार्यालय है। ना०वि०सु०ब्यू०० का उद्देश्य गैर कानूनी हस्तक्षेप के कृत्यों से नागर विमानन की सुरक्षा करना है। यह ब्यूरो, भारत को / से प्रचालित होने वाली नागर उड़ानों के संबंध में सुरक्षा हेतु मानकों का निर्धारण करने तथा नियमित निरीक्षणों तथा सुरक्षा ऑडिट्स के माध्यम से उनका अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी है ।

ना०वि०सु०ब्यू० का मुख्यालय नई दिल्ली में है । इसके शीर्ष अधिकारी महानिदेशक हैं, जो कि भारत के लिए राष्ट्रीय नागर विमानन सुरक्षा कार्यक्रम का विकास करने, रखरखाव करने, अद्यतन बनाने तथा कार्यान्वित करने एवं इस परिप्रेक्ष्यक में सभी अंतरराष्ट्रीय दायित्वों को पूरा करना सुनिश्चित करने के प्रयोजन से ''उचित प्राधिकारी'' हैं । यह ब्यूरो, विमानन सुरक्षा (एवसेक) मामलों में समन्वय करने, पर्यवेक्षण करने, निरीक्षण करने तथा कार्मिकों के प्रशिक्षण, एवसेक गुणवत्ता नियंत्रण कार्यक्रम के कार्यान्वयन तथा नागर विमानन को सुरक्षा प्रदान करने के लिए प्रौद्योगिकी का उन्नयन करने के संबंध में सभी संगत राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए एक विनियामक प्राधिकरण है।

वर्ष 2016 से पहले, इस ब्यूरो के आठ क्षेत्रीय कार्यालय अहमदाबाद, अमृतसर, चेन्नई, दिल्ली, गुवाहाटी, कोलकाता तथा मुंबई में स्थित थे जिनकी संख्या इम्फाल में क्षेत्रीय कार्यालय की स्थापना के पश्चात बढ़ कर नौ हो गई । वर्ष 2018 एवं 2019 में, बैंगलूरू, भोपाल, भुवनेश्वर, देहरादून, रांची, जयपुर, लखनऊ, पटना, रायपुर, श्रीनगर तथा तिरूवनन्तपुरम में ग्यारह नए क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित किए गए हैं । प्रत्येक क्षेत्रीय कार्यालय एक क्षेत्रीय निदेशक, ना०वि०सु०ब्यू० के अधीन होता है जो अपने क्षेत्राधिकार में आने वाले विमानपत्तनों के विनियमन, निगरानी तथा नियमित रूप से सुरक्षा निरीक्षणों तथा ऑडिट्स के लिए उत्तरदायी होते हैं ।

उपयुक्त ब्यूरो ने अपहरण तथा नागर विमानन प्रचालनों के प्रति गैर कानूनी हस्तक्षेप से उपजने वाली आपात स्थितियों से निपटने के लिए आपात योजनाएं तैयार की हैं । अन्य बातों के साथ साथ इसमें प्रत्येक विमानपत्तन पर एरोड्रम समिति की स्थापना किए जाने का प्रावधान है। किसी भी आपात स्थिति के घटित होने पर जैसे कि नागर विमानन को सुरक्षा का खतरा, आतंकवाद, अपहरण, विमान का गैर कानूनी कब्जा आदि, आपदा प्रबंधन प्रक्रियाओं को तुरन्त कार्यान्वित किया जाता है । बदलते सुरक्षा परिदृश्य में प्रचालनात्मक अपेक्षाओं पर विचार करते हुए, आपात योजना को उचित रूप से संशोधित किया गया है तथा सभी संबंधित पक्षों को परिचालित किया गया है । आपात योजना की कुशलता एवं संबंधित अभिकरणों की प्रचालनात्मक तैयारी का परीक्षण करने के प्रयोजन से, विमानपत्तनों पर मॉक अभ्यास नियमित रूप से करवाए जा रहे हैं ।

4.2 विमानपत्तनों पर सुरक्षा में सुधार के लिए की गई पहलें

4.2.1 **सुरक्षा पुनरीक्षण एवं अनापत्तिः** कई विकास कार्यों से संबंधित विभिन्न विमानपत्तनों के सुरक्षा पुनरीक्षण प्रस्ताव ना०वि०सु०ब्यू० मुख्यारय में प्राप्त हुए जिनकी जांच की गई तथा ना०वि०सु०ब्यू० मानकों तथा दिशानिर्देशों के अनुसार उन पर कार्यवाही की गई। कुल 209 पुनरीक्षण प्रस्तावों को अंततः चुना गया जिसके परिणामस्वरूप अवसंरचना से संबंधित कई नई गतिविधियां हुईं जिनके फलस्वरूप यात्री सुविधाओं के साथ साथ वाणिज्यिक गतिविधियों में बढ़ोत्तरी हुई । इनमें आर सी एस विमानपत्तन के मामले भी शामिल हैं ।

4.2.2 **कार्मिक शक्ति :** 20 विमानपत्तनों के पुनः सर्वेक्षण के अनुसार सुरक्षा कार्मिकों की संख्या बढ़ाए जाने के लिए प्रस्ताव इस मुख्यालय में प्राप्त हुए जिनकी जांच की गई और भागीदारों के साथ पुनः सर्वेक्षण की बैठक में भली भांति विचार विमर्श के बाद उन्हें अंतिम रूप दिया गया तथा तत्पश्चात संबंधित विभागों को प्रस्तुत किया गया । इसके परिणामस्वरूप भी उन्हीं विमानपत्तनों पर ही सुरक्षा तथा विमानन प्रचालन के स्तर में बढ़ोत्तरी हुई । इनमें आर सी एस विमानपत्तनों के मामले भी शामिल हैं ।

4.2.3 **सुरक्षा ऑडिट / निरीक्षणः** पूरे देश में विभिन्न विमानपत्तनों पर सुरक्षा पद्धति की प्रभावशीलता की जांच करने हेतु विमानपत्तनों के सुरक्षा ऑडिट तथा निरीक्षण किए गए। वर्ष 2020 में कुल 41 ऑडिट तथा 12 निरीक्षण किए गए ।

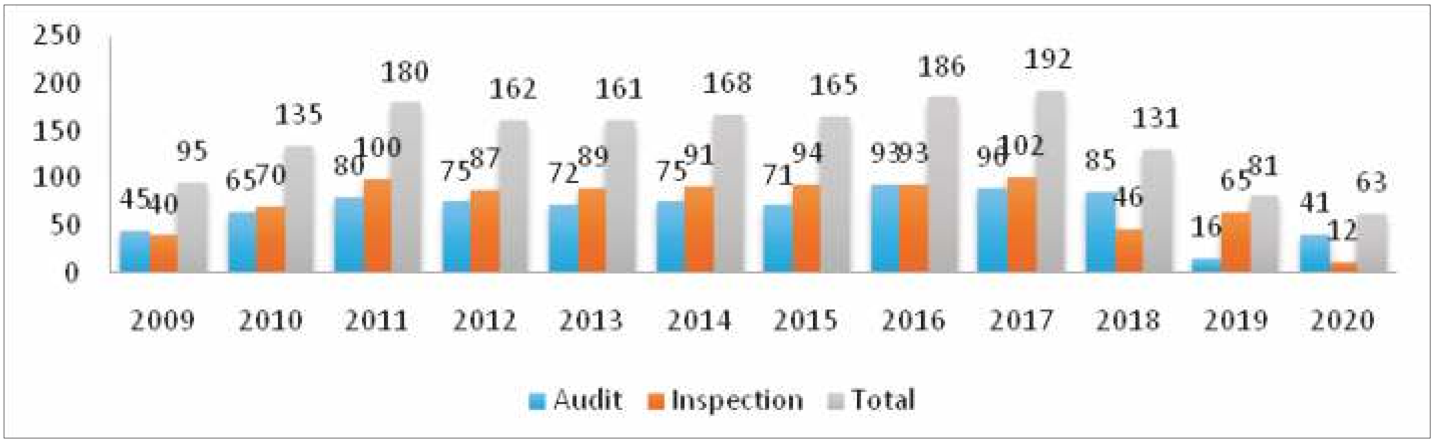

4.2.4 ऐरोड्रम सुरक्षा कार्यक्रमः विभिन्न विमानपत्तनों विभिन्न विमानपत्तन प्रचालकों से कुल 39 ऐरोड्रम सुरक्षा कार्यक्रम प्रस्ताव प्राप्त हुए जिनकी नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो के मानकों के अनुसार जांच की गई तथा तदनुसार उन्हें अनुमोदित किया गया।

4.2.5 विनियमों का प्रवर्तन विमानन सुरक्षा के विभिन्न पक्षों से संबंधित एवसेक आदेशों तथा एवसेक परिपत्रों के माध्यम से किया जाता है। इस संबंध में वर्ष 2020 में कुल 27 एवसेक आदेशों / परिपत्रों और उनके परिशिष्ठ/शोधपत्र जारी किए गए हैं। नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो के विनियम अंतरराष्ट्रीय नागर विमानन संगठन के सभी मानकों तथा सिफारिश किए गए चलनों, इसके नवीनतम संशोधनों सहित, के अनुसरण में हैं ।

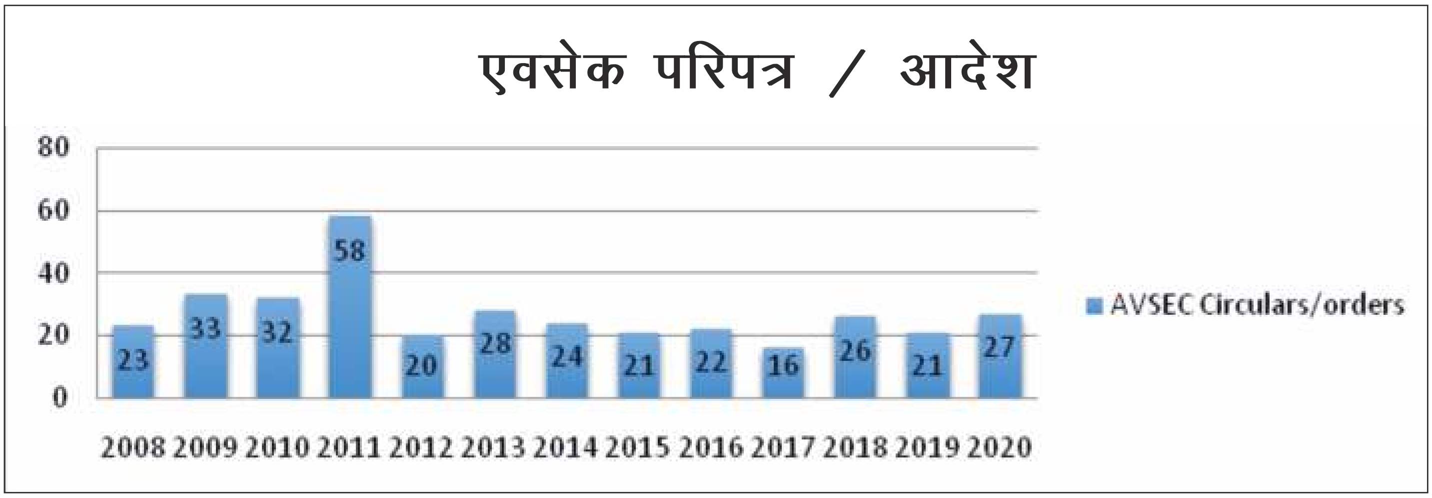

4.2.6 सुरक्षा कार्यक्रमः वर्ष 2020 में अनुमोदित सुरक्षा कार्यक्रमों का विवरण निम्नानुसार हैः–

क्रम सं.	विवरण	अनुमोदित
01	विमान प्रचालक सुरक्षा कार्यक्रम (अंतर्देशीय) {अनुसूचित}	02
02	विमान प्रचालक सुरक्षा कार्यक्रम (विदेशी) {अनुसूचित}	25
03	आर ए का सुरक्षा कार्यक्रम	04
04	जी एच ए का सुरक्षा कार्यक्रम	19
05	सहायक सेवा प्रदाताओं का सुरक्षा कार्यक्रम	54
06	गैर अनुसूचित प्रचालकों का सुरक्षा कार्यक्रम	54
07	गैर सरकारी प्रचालकों का सुरक्षा कार्यक्रम	15
08	केटरिंग का सुरक्षा कार्यक्रम	07
09	कंसेशनिएर का सुरक्षा कार्यक्रम	42
10	शिड्यूल कम्यूरटर ऑपरेटर	03
11	उड़ान प्रशिक्षण संगठन	06
12	ईंधन फार्म सुरक्षा कार्यक्रम	18
13	मेंटिनेंस रिपेयर एवं ओवरहॉलिंग	07

4.2.7 वर्ष 2020 के दौरान, 77 विमानपत्तनों पर अपहरण रोधी मॉक अभ्यास करवाए गए तथा 63 विमानपत्तनों पर बम ख़तरा समीक्षा समिति की बैठकों का आयोजन किया गया । इनके अतिरिक्त, 3 अपहरण रोधी आपात योजनाओं के प्रारूप तथा 03 बम जोखिम आपात योजनाओं को वर्ष 2020 के दौरान अनुमोदित किया गया।

4.2.8 विकसित पक्षों के साथ नए विमानपत्तन प्रवेश पास (ए ई पी), 2019 दिशानिर्देश परिचालित किए गए जो वर्ष 1996 एवं 2014 में जारी किए गए दिशानिर्देशों का अधिक्रमण करते हैं । बायोमीट्रिक पहुंच नियंत्रण पद्धति के साथ जुड़े नए ए ई पी दिशानिर्देशों से छद्मरूपण/जालसाजी की संभावनाओं में कमी आएगी और इससे प्रौद्योगिकी द्वारा कार्मिकों का स्थान ले लिए जाने से सुरक्षा कार्मिकों की संख्या में कमी आएगी ।

4.2.9 कपड़ों के नीचे शरीर पर छिपाए गए धातुई एवं गैर धातुई दोनों प्रकार की वस्तुओं का पता लगाने के लिए भारतीय विमानपत्तनों पर यात्रियों सहित व्यक्तियों की स्क्रीकनिंग के लिए बॉडी स्कैनर की एक मानक प्रचालनात्मक प्रक्रिया एवसेक परिपत्र सं. 05/2019 दिनांक 08/04/2019 के द्वारा लागू की गई है ।

4.2.10 नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो ने एवसेक आदेश सं. 02/2019 दिनांक 08/05/2019 के द्वारा नए अध्याय के साथ नागर वाणिज्यिक / सामान्य विमानन / हेलीकॉप्टर प्रचालन के ए ओ एस पी परिचालित किए हैं । प्राधिकृत एजेन्ट/ कस्टम हाउस एजेन्ट/ फ्रेट फार्वर्डर्स, सामान्य बिक्री एजेन्टों (जी एस ए), सामान्य बिक्री एवं सेवा एजेन्ट (जीएसएसए) तथा सभी उड़ान कंपनियों की प्रतिनिधित्व सेवा प्रदाताओं के लिए सुरक्षा कार्यक्रम एवसेक आदेश सं. 03/2019 दिनांक 08/11/2019 द्वारा परिचालित किए गए हैं । सामान्य विमानन प्रचालनों, चार्टर्ड विमान प्रचालनों तथा चुनाव प्रक्रिया के दौरान हेलीकॉप्टर प्रचालनों के लिए सुरक्षा प्रक्रिया भी नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो के परिपत्र सं 04/2019 दिनांक 15/03/2019 के माध्यम से जारी किया गया ।

4.2.11 2020 में, बी सी ए एस ने रेडियोलॉजिकल तथा न्यूक्लियर खतरों /आपातकालों से विमानपत्तनों को सुरक्षित रखने हेतु रेडियोलॉजिकल डिटैक्शन उपकरणों का संस्थापन तथा शुरूआत सुनिश्चित की है । ये उपकरण सभी 14 हवाई अड्डों (चरण–I) पर संस्थापित किए गए हैं। रेडियोलॉजिकल आपातकाल को रोकने हेतु भारतीय हवाई अड्डों पर रेडियोलॉजिकल डिटैक्शन उपकरण के प्रचालन हेतु मानक प्रचालन प्रक्रिया को एवसेक परिपत्र संख्याल –01/2020 दिनांक 07.02.2020 के तहत परिचालित किया गया है ।

4.2.12 बायोमीट्रिक ए ई पी पर आधारित केन्द्रीकृत पहुँच पद्धति को 20 नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो क्षेत्रीय कार्यालयों के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत पूरे भारत में कार्यान्वित किया गया है तथा वर्ष 2020 में 20,000 बायोमीट्रिक आधारित ए ई पी जारी किए गए ।

4.2.13 मूल आवश्यकताओं तथा तकनीकी विशेषताओं/ क्यू आर्स फॉर काउन्टर – ड्रोन तकनीक / ड्रोनों की निगरानी, डिटैक्शन तथा न्यूट्रलाइजेशन हेतु समाधान/ हवाई अड्डों हेतु यू ए वी एस को एवसेक परिपत्र संख्याक 02/2020 के रूप में समयावधि में जारी किया गया है ।

4.2.14 बढ़ते विमानन क्षेत्र के वर्तमान परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए हवाई अड्डा सुरक्षा को सुदृढ़ बनाने हेतु हवाई अड्डों पर आतंकरोधी आकस्मिक योजना (सी टी सी पी) संबंधी एस ओ पी को एवसेक आदेश संख्या 02/2020 दिनांक 28.05.2020 के तहत जारी किया गया है ।

4.3 विशेष आवश्यककताओं तथा चिकित्सा संबंधी समस्याओं वाले यात्रियों को विमानपत्तनों पर सुविधाएं

नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो ने विशेष आवश्यकताओं तथा चिकित्सा संबंधी समस्याओं वाले यात्रियों की जांच के लिए एवसेक परिपत्र सं. 04/2014 के दिनांक 03.10.2017 के परिशिष्ट के द्वारा अपनी मानक प्रचालन प्रक्रिया में संशोधन किया है । इसे जारी किया गया ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि देश के विभिन्न विमानपत्तनों से प्रस्थान के दौरान सुरक्षा मानकों से समझौता किए बिना नकली अंगों वाले यात्रियों को तलाशी के दौरान कोई असुविधा नहीं हो।

4.4 यात्रियों हेतु सुविधा

(i) **हैंड बैगेज टैग्स पर मोहर लगाने से छूट** : फिलहाल, हैंड बैगेज टैग्सौ पर मोहर लगाए जाने से 61 विमानपत्तनों पर छूट दे दी गई है । इससे यात्रियों की अपेक्षाकृत तेज निकासी संभव हो सकी है । बैगेज टैग पर मोहर लगाए जाने को समाप्त करना सभी प्रमुख विमानपत्तनों पर यात्रियों की सुविधा एवं सुरक्षा की लगातार समीक्षा का परिणाम है । यात्रियों के बोर्डिंग कार्ड तथा उनके हैंड बैगेज के टैग पर मोहर की जांच करने की प्रक्रिया यह सुनिश्चित करने के लिए चलन में थीं कि यात्रियों की तलाशी ले ली गई है तथा उनके सामान की सुरक्षा कर्मियों द्वारा जांच कर ली गई है ।

(ii) **ई–बोर्डिंग सुविधा:** विलंब तथा यात्रियों की असुविधा को कम करने के लिए हैदराबाद विमानपत्तसन पर ई–बोर्डिंग की सुविधा को अनुमोदित कर दिया गया है । अन्य विमानपत्तनों ने भी ई–बोर्डिंग को लागू करने के लिए इसी प्रकार के परीक्षण किए हैं । हैदराबाद विमानपत्तन ने केवल हाथ के सामान वाले यात्रियों के लिए एक्सप्रेस सुरक्षा जांच भी प्रारंभ कर ली है ।

(iii) **बार कोडिड बोर्डिंग पास में ई टिकट / वेब अथवा कियोस्क जांच** : इसका उद्देश्य एवसेक आदेश संख्या 05/2020 दिनांक 10–08–2020 के अनुरूप सुरक्षा से बिना कोई समझौता किए सभी हवाई अड्डों पर सभी चैक प्वाईंट्स पर सभी यात्रियों को निर्बाध, पेपरलैस तथा परेशानी मुक्त अनुभव देना है।

(iv) **कोविड 19 के कारण नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो द्वारा की गई कार्रवाई** : छूने / संपर्क से कोविड 19 संक्रमण को फैलने से रोकने हेतु उपचारी उपायों के रूप में नागर विमानन सुरक्षा

ब्यूरो द्वारा निम्नलिखित विषयों पर परिशिष्ट जारी किए गए :

I. यात्री स्क्रीनिंग हेतु एक विस्तृत मानक प्रचालन प्रक्रिया (एस ओ पी) जारी की गई ।

ii. विमान पर चढ़ने वाले यात्रियों को अपने हैंड बैगेज में अथवा व्यगक्तिगत रूप से 350 मि०ली० तक द्रव्य हैंड सैनीटाइजर ले जाने की अनुमति दी गई जो पहले 100 मि०ली० तक थी ।

iii. कैरी ऑन बैगेज स्क्रीनिंग हेतु प्रक्रिया निर्धारित की गई ।

4.5. व्यापार करने की आसानी

(i) **ऑनलाइन सुरक्षा अनापत्तिः** प्रक्रिया में और अधिक पारदर्शिता, जवाबदेही लाने तथा प्रक्रिया में लगने वाले समय में कमी लाने की दृष्टि से ऑनलाइन अनापत्ति पोर्टल, अर्थात ईसहज को विकसित कर लिए जाने के पश्चात विमानपत्तनों पर कार्यरत संस्थाओं की सुरक्षा अनापत्ति को साकार रूप से ऑनलाइन साधन में परिवर्तित कर दिया गया है । विभिन्न श्रेणियों जैसे कि कन्सेइशनिएर, केटरिंग, विनियमित एजेन्टों (आर ए), ग्राउंड हैंडलिंग एजेन्सी (जी एच ए) तथा सहायक सेवा प्रदाताओं से कुल 241 सुरक्षा अनापत्तियों को वर्ष 01.01.2020 से 31.12.2020 तक ई–सहज के माध्यम से संसाधित किया गया है।

इसके अलावा, महानिदेशक, नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो ने क्षेत्रीय निदेशकों, नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो को व्यापार करने की आसानी स्कीम के अंतर्गत संस्थानों को सुरक्षा कार्यक्रम के अनुमोदन तथा अंतिम अनुमति प्रदान करने की शक्ति प्रत्यायोजित की है ।

(ii) **व्यापार को बढ़ावा देना** : व्यक्तिगत मामले के आधार पर, विमानपत्तनों पर कार्य कर रही विभिन्न संस्थाओं को सुरक्षा अनापत्ति प्रदान किए जाने पर विचार करते समय,"व्यापार करने की आसानी" पर सरकार के फोकस को सुरक्षा पर समझौता किए बिना तथा इकाओ की अपेक्षाओं से भटके बिना ध्यान में रखा जाता है। "सैद्धांतिक/अनन्तिम अनुमोदन" के लिए प्रावधान किए गए हैं ताकि उनके व्यापारिक हितों पर प्रतिकूल असर नहीं पड़े ।

(iii) **बेहतर समन्वनयन** : विमानन ईकोसिस्टम में कार्य कर रहे भागीदारों के साथ बेहतर समन्वयन सुनिश्चित करने के लिए तथा अबाध कार्य करने में उनकी दैनिक समस्याओं का हल खोजने के लिए नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो मुख्यालय पर राष्ट्रीय स्तर की बैठकों का आयोजन किया गया तथा उनके निवरण हेतु सभी आवश्यक कदम उठाए गए।

(iv) मैनुअल प्रशिक्षण आवेदन आवेदन प्रक्रिया को ऑनलाइन प्रणाली से बदलने के उद्देश्य से ई–बीसीएएस परियोजना का प्रशिक्षण मॉड्यूल कार्यान्वित किया गया। सभी हितधारकों हेतु इस परियोजना का यह प्रशिक्षण माड्यूल नागर विमानन मंत्रालय के डैशबोर्ड पोर्टल पर उपलब्ध है । बी सी ए एस के गुणवत्ता नियंत्रण प्रभाग, प्रचालन प्रभाग, प्रशिक्षण तथा नीति प्रभागों की ऑनलाइन कार्य के लिए एक पहल है । इस परियोजना के सभी मॉड्यल के पूरा हो जाने के बाद विमानन क्षेत्र में कार्य कर रहे आवेदक बी सी ए एस को किए गए अपने आवेदनों की स्थिति जान पाएंगे ।

4.6. आधुनिकीकरण

(i) बी सी ए एस ने आधुनिकीकरण तथा ऑटोमेशन के लिए एक ई–गवर्नेंस योजना विकसित करने के लिए एन आई सी को कार्य सौंपा है । स्टाफ के सभी सदस्यों को आधारभूत प्रचालन के लिए प्रशिक्षित किया गया है। हिंदी एवं अंग्रेजी दोनों भाषाओं के दस्तावेज कंप्यूटर पर तैयार किए जा रहे हैं। जिससे डेटाबेस तथा इलैक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग का विकास तथा प्रशासन संभव हो पा रहा है ।

(ii) इंटरनेट तथा एनआइसी नेट तक तेज एवं आसान पहुँच संभव बनाने के लिए एन आई सी मुख्यालय से ब्यूरो तक आर एफ लिंक का उपयोग किया जा रहा है । ई मेल की सुविधा वरिष्ठ अधिकारियों को दी गई है । अंतरराष्ट्रीय डेटाबेसिस तथा विमानन सुरक्षा संगठनों की विभिन्न वेबसाइटों तक पहुँच संभव बनाए जाने के लिए इंटरनेट संपर्क उपलब्ध करवाया गया है।

(iii) नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो के सभी अधिकारियों को एक आधिकारिक ईमेल पहचान दी गई है जिसका उपयोग उनके द्वारा सभी प्रकार के पत्राचार के लिए किया जा रहा है । इसके परिणामस्वरूप समय तथा प्रयास की दृष्टि से अत्यधिक बचत हुई है । बी सी ए एस वेबसाइट को यात्रियों के लिए संगत जानकारी शामिल करते हुए प्रयोक्ता हितैषी तथा द्विभाषी बनाया गया है।

(iv) ऐरोड्रम एन्ट्रीपरमिट्स का अनुमोदन यांत्रिकृत बना दिया गया है।

(v) बायोमीट्रिक उपस्थिति प्रणाली के साथ साथ ई–आफिस पद्धति को नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो तथा इसके क्षेत्रीय कार्यालयों में पूर्ण रूप से लागू कर दिया गया है । सभी फाइलों / पावतियों को केवल इलैक्ट्रॉनिक माध्यम से ही संसाधित किया जा रहा है।

(vi) नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो ने वर्ष 2016 में जी ई एम को अपना लिया है और उस समय से सरकारी ख़रीद में पारदर्शिता, कुशलता तथा तेजी को बढ़ाए जाने के लिए जी ई एम पर उपलब्ध उत्पादों/सेवाओं की खरीद की जा रही है ।

(vii) **सभी क्षेत्रीय कार्यालयों में ई सहज का क्रियान्वयन** : सभी क्षेत्रीय कार्यालयों में 'ई सहज' का क्रियान्वयन तथा इसका बी सी ए एस मुख्यालय के साथ एकीकरण का कार्यान्वयन किया गया है और इससे सभी संस्थाओं को सुरक्षा अनुमति की प्रक्रियाओं में क्षमता, तीव्रता तथा समयबद्धता सुनिश्चित होगी । नागरिक विमानन सुरक्षा ब्यूरो द्वारा विभिन्न् संस्थाओं को ई सहज पोर्टल पर सुरक्षा अनुमति का निर्धारित आवेदन प्रपत्र संशोधित किया गया है क्योंकि संस्थानों तथा बी सी ए एस को पहले के आवेदन प्रपत्र के स्पष्ट न होने के कारण आवेदन करने में / आवेदन संसाधित करने में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा था । संशोधित परिपत्र के अधिष्ठापन के बाद संस्थाओं को

यह काफी प्रयोक्ता हितैषी लग रहा है तथा अपना आवेदन भरने में सुगम मार्गदर्शन प्राप्त हो रहा है। जिससे संसाधन समय में कमी आई है ।

4.7. नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो की पुनः संरचना/ सुदृढ़ीकरण

(i) नागर विमानन को सुदृढ़ बनाए जाने के लिए बी सी ए एस द्वारा पूरे देश में स्थापित 20 क्षेत्रीय कार्यालय कार्य कर रहे हैं । 61 कास्लोद कार्यालयों में से 34 पहले से ही कार्य कर रहे हैं ।

(ii) पुनःसंरचना के एक हिस्से के रूप में, विभिन्न श्रेणियों में 449 अतिरिक्त पदों को सृजित किया गया है । 31 दिसंबर, 2020 को मौजूद स्थिति के अनुसार, बी सी ए एस में 593 की संस्वीकृत संख्या, में से कुल 288 पद भरे गए हैं ।

4.8. एवसेक के लिए आर एंड डी डेटाबेस

बी सी ए एस निरीक्षण रिपोर्टों, अनुवर्ती कार्रवाई, फीडबैक रिपोर्टों, सुरक्षा ऑडिट रिपोर्टों, दुर्घटना जांच के विस्तृत दस्तावेजों आदि के विवरण का रखरखाव नेटवर्कड डेस्कट स्टेशन के माध्यम से सर्वर पर करता है ।आने वाले समय में ब्यूरो ई डी पी तथा आर एंड डी प्रयोजनों के लिए भरोसेमंद डेटाबेस एकत्रित करने का प्रस्ताव करता है ।

4.9. प्रदूषण नियंत्रण

सभी वाहनों के लिए प्रदूषण जांच सुनिश्चित की जाती है और बी सी ए एस के सभी वाहनों की विंडस्क्रीन पर प्रदूषण नियंत्रित प्रमाणपत्र स्पष्ट रूप से चिपकाया जाता है। बी सी ए एस के सभी कार्यालय भवन कर्मचारियों के स्वयं अपनी पहलकदमियों और प्रदूषण मुक्त वातावरण के लिए किए जाने वाले प्रयासों में योगदान के माध्यम से साफ एवं हरित कार्य वातावरण सुनिश्चित करते हैं । बी सी ए एस सुनिश्चित करता है कि सभी नए वाहन "भारत–IV/ VI"प्रमाणित हों । ब्यूरो अपने कर्मचारियों को "धुम्रपान–मुक्त वातावरण"उपलब्ध करवाता है।

4.10 महिला कल्याण

महिला कर्मचारियों की समस्याओं पर, जब और जैसे ही रिपोर्ट मिलने पर तुरन्त ध्यान दिया जाता है और इस विषय पर सरकार की नीति की विनिर्दिष्ट अपेक्षाओं को ध्यान में रखते हुए उसका समाधान किया जाता है। कार्यस्थल पर यौन प्रताड़ना की शिकायतों की जांच के लिए मंत्रालय में एक शिकायत समिति का गठन किया गया है ।

4.11. प्रशिक्षण

(i) नागर विमानन सुरक्षा ब्यू रो ने 29 ए एस टी आई को अनुमोदन दिया है और इनमें सुरक्षा तथा गैर सुरक्षा कर्मियों हेतु एवसेक प्रशिक्षण आयोजित किए जा रहे हैं ।

(ii) एन आई ई एल आई टी के माध्यम से दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद, चेन्नई, बैंगलूरू तथा कोचीन में एवसेक बेसिक ऑनलाइन परिक्षाएं आयोजित की जा रही हैं । तथापि, आवश्यकता अनुरूप अन्य शहरों, जहां एन आई ई एल आई टी के साथ ऑनलाइन परीक्षा आयोजित करने की सुविधा उपलब्ध है, में भी परीक्षा आयोजित की जा रही है ।

(iii) नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो अपने दिल्ली , मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद, कोलकाता, अमृतसर, गुवाहाटी, बैंगलूरू तथा अहमदाबाद क्षेत्रीय कार्यालयों पर स्क्रीनर्स का परीक्षण एवं प्रमाणन (स्टैंड अलोन) आयोजित कर रहा है । दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, बैंगलूरू तथा कोचीन स्थित नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो क्षेत्रीय कार्यालयों पर स्क्रीनर्स का परीक्षण एवं प्रमाणन (आई एल एच बी एस) आयोजित हो रहा है ।

(iv) एन आई ईएल आई टी के समन्वय से एवसेक बेसिक ऑनलाइन परीक्षा आयोजित की जा रही है और नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो द्वारा द्विभाषी प्रश्न पत्र तैयार किया जाता है और इसके अलावा विमानन कार्मिकों द्वारा राजभाषा हिंदी का प्रयोग बढ़ाने के मद्देनजर स्क्रीनर्स परीक्षण एवं प्रमाणन (स्टैंड अलोन) का द्विभाषी प्रश्न पत्र भी तैयार किया जाता है ।

(v) ए एस टी सी, आई ए ए कैंपस, नई दिल्ली में आयोजित हो रहे एवसेक पाठ्यक्रमों हेतु सभी हितधारकों से नामांकन ई–बी सी ए एस (प्रशिक्षण माड्यूल)में प्राप्त किए जा रहे हैं ।

(vi) वर्ष 2020 के दौरान विमानन क्षेत्र में सुरक्षा कार्मिकों के लिए बी सी ए एस द्वारा आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम का विवरण नीचे उल्लिखित है :–

क्रम सं०	एवसेक पाठ्यक्रम का नाम	पाठ्यक्रम की अवधि	बैचों की संख्या	उपस्थित अभ्यर्थियों की संख्या	उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की संख्या
1	एकदिवसीय जागरूकता प्रशिक्षण	01	1938	73092	73092
2	विमानन सुरक्षा प्रवेश पाठ्यक्रम	05	73	1109	1032
3	विमानन सुरक्षा बेसिक पाठ्यक्रम	13	125	3072	1675
4	विमानन सुरक्षा बेसिक पुनश्चर्या पाठ्यक्रम	03	461	5150	4784
5	स्क्रीनर्स का परीक्षण एवं प्रमाणन (स्टैंड अलोन)	02	189	5510	2949
6	इनलाइन होल्ड बैगेज स्क्रीनर्स परीक्षण एवं प्रमाणन	02	25	822	625

7	विमानन सुरक्षा केबिन क्रू पाठ्यक्रम	06	77	1252	1208
9	विमानन सुरक्षा अनुदेशक पाठ्यक्रम	07	4	57	26
10	विमानन सुरक्षा अनुदेशक पुनश्र्चर्या पाठ्यक्रम	02	5	73	57
11	विमानन सुरक्षा ऑडिटर पाठ्यक्रम	07	2	45	32
12	विमानन सुरक्षा ऑडिटर पुनश्र्चर्या पाठ्यक्रम	02	2	41	34
15	पर्यवेक्षक, डी एफ टी (यू के) हेतु पर्यवेक्षक एवं प्रचालनात्मक ई०टी०डी०	04	3	60	60
17	विमानन सुरक्षा इकाओ राष्ट्रीय निरीक्षक पाठ्यक्रम	07	1	15	13
18	डी एफ टी (यू के) द्वारा प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण पाठ्यक्रम	05	3	60	60
		योग	**2980**	**90358**	**85647**

वर्ष 2020 में आयोजित एवसेक पाठ्यक्रमों में प्रतिभागी

एवसेक जागरूकता प्रशिक्षण – 01 दिन : 73,092

एवसेक प्रशिक्षण (विभिन्न पाठ्यक्रम) 02–12 दिन :17,266

कुल जोड़ : 90,358

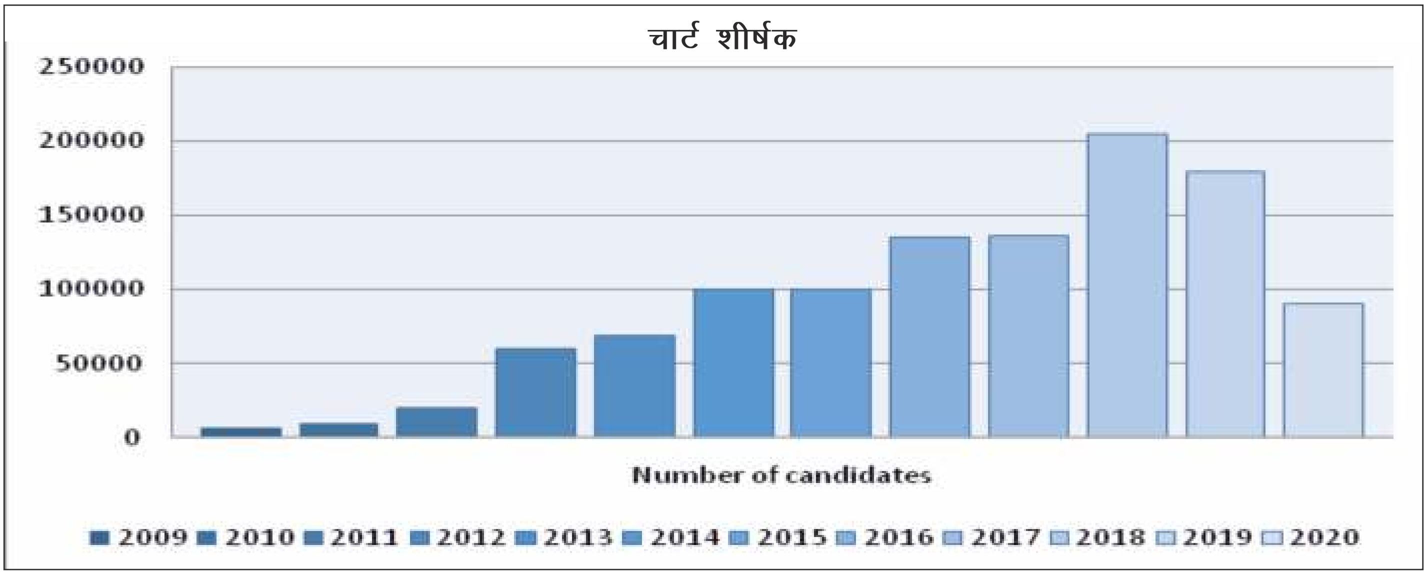

4.12. राजभाषा कार्यान्वयन

राजभाषा नीति के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए बीसीएएस ने एवसेक स्क्रीनर की परीक्षा को द्विभाषी रूप में आयोजित करने का निर्णय लिया है ताकि हिंदी का उपयोग विमानन क्षेत्र के साथ साथ भारत में अवस्थित क्षेत्रीय कार्यालयों में भी बढ़े । यह सुनिश्चित करने के लिए कि हिंदी का उत्तरोत्तर उपयोग किया जाए, क्षेत्रीय कार्यालयों में निरीक्षण किए गए और इसके अलावा मुख्यालय तथा क्षेत्रीय कार्यालयों में अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए कार्यशालाएं भी आयोजित की गईं ।

4.13. अनु.जा./अनु.ज.जा. तथा अ.पि.व. का प्रतिनिधित्वत

यह ब्यूरो इस विषय पर निर्धारित सरकारी नीतियों का पालन करता है और जैसा कि सरकार द्वारा तय किया गया है उप निदेशक स्तर का एक अधिकारी अनु.जा./अनु.ज.जा. तथा अ.पि.व. के लिए संपर्क अधिकारी के रूप में नियुक्त. किया गया है ।

4.14. स्टॉफ शिकायत एकक

सरकारी निर्देशों के अनुपालन में इस ब्यूरो में कार्य कर रहे अधिकारियों / कर्मचारियों की शिकायतों के निवारण के लिए एक स्टॉफ शिकायत एकक कार्य करता है जिसमें संयुक्त निदेशक (प्रशासन) स्टॉफ शिकायत अधिकारी के रूप में कार्य करते हैं । बीसीएएस कर्मचारियों की शिकायतों, यदि कोई हो तो, पर तुरन्त ध्यान दिया जाता है ।

4.15. लोक शिकायत निवारण

I. वर्ष 2020 के दौरान एक वेब आधारित ऑनलाइन प्रणाली, सी पीजीआरएएम के माध्यम से कुल 78 शिकायतों का निवारण किया गया ।

ii. वर्ष 2020 के दौरान एयरसेवा डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से कुल 80 शिकायतों का निवारण किया गया ।

5. रेल संरक्षा आयोग

5.1. संक्षिप्त इतिहास

ब्रिटिश काल के दौरान, रेलवे का निर्माण एवं परिचालन प्राइवेट कम्पनियों को सौंपा गया था। उन पर प्रभावी नियंत्रण करने के लिए भारत सरकार के अधीन परामर्शी इंजीनियर्स नियुक्त किए गए थे। जब सरकार के अधीन रेलवे का निर्माण आया, परामर्शी इंजीनियर्स सरकारी निरीक्षक के रूप में पद नामित किए गए। सन् 1883 में उनकी स्थिति सांविधिक मान्यता की थी। सरंक्षा नियंत्रण प्राधिकार की शक्ति रेलवे बोर्ड के पास रही और निरीक्षणालय उनके अधीन रखा गया था।

सन् 1939 में बिहटा आपदा के संबंध में गठित पैसिफिक लोकोमोटिव समिति ने सिफारिश की, कि रेल निरीक्षणालय को रेलवे बोर्ड से पृथक किया जाना चाहिए और यह पृथक्करण इस सिद्धांत पर किया जाए कि रेल के निरीक्षण के लिए उत्तरदायी पदधारी रेल का प्रशासन करने वाले प्राधिकारी से स्वतंत्र हों, जैसा कि भारत सरकार अधिनियम, 1935 की धारा 181(3) में व्यवस्था की गई है। इस सिफारिश को सन् 1939 में विधान मण्डल द्वारा और सन् 1940 में राज्य परिषद द्वारा अनुमोदित कर दिया गया था। तत्पश्चात सरकार ने इस सिफारिश पर अपनी स्वीकृति प्रदान की थी। तदनुसार मई 1941 में, रेल निरीक्षणालय को रेलवे बोर्ड से पृथक कर दिया गया था। मुख्य सरकारी रेल निरीक्षक (मु.स.रे.नि.) का पद सृजित किया गया जिसके माध्यम से सरकारी रेल निरीक्षक (स. रे.नि.)सरकार को रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं। रेल निरीक्षणालय को उस समय संचार विभाग और अब नागर विमानन मंत्रालय (ना.वि.मं.) के अधीन रखा गया था ।

दिनांक 01.11.1961 को मुख्य सरकारी रेल निरीक्षक का पदनाम रेल संरक्षा आयुक्त (रे.स.आ.) और सरकारी रेल निरीक्षक का पदनाम अतिरिक्त रेल संरक्षा आयुक्त (अ.रे.स.आ.) कर दिया गया।

जून, 1979 से रेल संरक्षा आयुक्त का पदनाम मुख्य रेल संरक्षा आयुक्त (मु.रे.सं.आ.) और अतिरिक्त रेल संरक्षा आयुक्त का पदनाम रेल संरक्षा आयुक्त में कर दिया गया।

रेल संरक्षा आयुक्तों की नियुक्ति आज भी भारतीय रेलवे (आई.आर.) के अधिकारियों में से की जाती है, किन्तु वे रेलवे में वापस नहीं जाते हैं और वे नागर विमानन मंत्रालय के अधीन रेल संरक्षा आयोग में समायोजित हो जाते है।

5.2 संगठन परिचय –

मुख्य रेल संरक्षा आयुक्त (मु.रे.सं.आ.) का कार्यालय लखनऊ में स्थित है और नागर विमानन मंत्रालय (ना.वि.मं.) का भाग है। उन सभी मामलों में जो आयुक्तों से संबंधित हैं, के लिए वह केन्द्र सरकार के लिए प्रधान तकनीकी सलाहकार के रूप में कार्य करते हैं।

विभिन्न क्षेत्रीय रेलवे के कार्यों को देखने के लिए देशभर में विभिन्न स्थानों पर 09 रेल संरक्षा आयुक्त (सी.आर.एस.) और 01 मेट्रो रेल संरक्षा आयुक्त (सी.एम.आर.एस.) स्थित हैं। आयुक्तों के कार्यालय, परिमण्डल कार्यालय कहलाते हैं। प्रत्येक परिमण्डल कार्यालय में 9 से 11 कार्यालय स्टाफ होते है, जिसमें वरिष्ठ निजी सचिव (1), कार्यालय अधीक्षक (1), प्रवर लिपिक (2), अवर लिपिक (2) और मल्टी टास्किंग स्टाफ हैं।

प्रत्येक परिमण्डल के लिए उप रेल संरक्षा आयुक्त (उप.रे.सं.आ.) का एक पद स्वीकृत है और वे भारतीय रेलवे (आई.आर.) के विभिन्न विभागों से आते हैं। वर्तमान में –

- सिविल इंजीनियरिंग से पूर्वोत्तर परिमंडल, दक्षिण मध्य परिमंडल और दक्षिण पूर्व परिमंडल में,
- विद्युत इंजीनियरिंग से मध्य परिमंडल में, और
- सिगनल एवं दूरसंचार (सिग. एवं दूर.) इंजीनियरिंग से उत्तर परिमंडल, पूर्व परिमंडल, पू.सी. परिमंडल, पश्चिम परिमंडल और दक्षिण परिमंडल में उप रेल संरक्षा आयुक्त हैं।
- उपरोक्त के अलावा मेट्रो रेल संरक्षा आयुक्त की सहायता के लिए एक पद उप मेट्रो रेल संरक्षा आयुक्त का है।

मुख्य रेल संरक्षा आयुक्त कार्यालय में दो विंग हैं अर्थात रेल संरक्षा विंग और तकनीकी विंग।

रेल सरक्षा विंग में मुख्य रेल संरक्षा आयुक्त को दैनिक सरकारी कार्यों के साथ–साथ रेल मंत्रालय और नागर विमानन मंत्रालय से सम्पर्क बनाये रखने में सहायता के लिए एक उपायुक्त (सामान्य) हैं। इसमें वरिष्ठ निजी सचिव (1), अनुभाग अधिकारी (1), सहायक अनुभाग अधिकारी (5), वैयक्तिक सहायक (1), प्रवर लिपिक (1), अवर लिपिक (1) और मल्टी टास्किंग स्टाफ हैं।

तकनीकी विंग में मु.रे.सं.आ. और रे.सं. आयुक्तों को तकनीकी मामलों में आवश्कतानुसार सहायता करने के लिए लखनऊ मुख्यालय पर विभिन्न विभागों (यांत्रिक, सिग्नल दूरसंचार, विद्युत, परिचालन) के 4 उप रेल संरक्षा आयुक्त है। यह रेल संरक्षा आयोग के लिए प्रबुद्व मंडल तथा संस्थानीय स्मृति/शक्ति के रूप में कार्य करता है। तकनीकी विंग कार्यालय में आवश्यक स्टॉतफ/अधिकारी नियुक्त की जाती है जैसे एक सहायक निदेशक (राजभाषा), हिन्दी अनुवादक (1), आशुलिपिक (2), तकनीकी सहायक (2), अवर लिपिक (2), स्टाफ कार ड्राइवर (1) और मल्टी टास्किंग स्टाफ (4) हैं।

उप रेल संरक्षा आयुक्त सांविधिक प्राधिकारी नहीं हैं। वे रेलवे से प्रतिनियुक्ति के आधार पर आते हैं और प्रतिनियुक्ति अवधि पूरी करने के बाद रेलवे में वापस चले जाते हैं।

5.3. कर्तव्य और उत्तरदायित्व

रेल अधिनियम, 1989 के अध्याय तीन, धारा 6 में दिए गए रेल संरक्षा आयुक्त (रे.सं.आ.) के कर्तव्य निम्नलिखित हैं

(क) नई रेलों का निरीक्षण यह निर्धारित करने के लिए करना कि क्या ये रेल लाइनें यात्रियों के सार्वजनिक परिवहन के लिए खोले जाने के उपयुक्त हैं तथा जैसा कि इस अधिनियम के द्वारा या अधीन अपेक्षित हैं, केन्द्र सरकार को इस विषय में रिपोर्ट देना

(ख) केन्द्र सरकार के निर्देशानुसार किसी रेलवे अथवा उस पर प्रयोग होने वाले किसी चल स्टाक का आवधिक अथवा अन्य निरीक्षण करना

(ग) रेलवे पर किसी भी दुर्घटना के कारणों की इस अधिनियम के अधीन जाँच करना

(घ) इस अधिनियम के अधीन या उनको सौंपे गए अन्य कर्तव्यों का निष्पादन।

5.4. मुख्य रेल संरक्षा आयुक्त के कार्य

मुख्य रेल संरक्षा आयुक्त, रेल संरक्षा से सम्बन्धित सभी मामलों में, अधिकारियों की भर्ती, तैनाती एवं पदोन्नति, बजट एवं व्यय इत्यादि के बारे में केन्द्र सरकार को सलाह देता है। मुख्य आयुक्त निम्नलिखित कार्य करते हैं:–

(क) रेल संरक्षा आयुक्तों द्वारा नई लाइनों की निरीक्षण रिपोर्टों, वर्तमान लाइनों का दोहरीकरण, आमान परिवर्तन कार्य और रेलवे लाइन का विद्युतीकरण को मु.रे.स.आ. कार्यालय द्वारा केन्द्र सरकार की स्वीकृति प्राप्त करने हेतु रेलवे बोर्ड को अग्रसारित की जाती है।

(ख) दुर्घटनाओं की सांविधिक जांचों (प्रारम्भिक और अंतिम) की प्रथम तीन रिपोर्टों, जो नए नियुक्त हुए आयुक्तों द्वारा की गई, की रेलवे बोर्ड को अग्रसारित करने से पहले जांच के लिए मु.रे.स.आ. को भेजी जाती है।

(ग) आयुक्त की सिफारिशों के साथ प्राप्त आई. आर. एस. ओ. डी. के लिए अतिलंघन की माफी से संबंधित रेलवे के प्रस्तावों की स्क्रूटनी की जाती और यदि सही पाया जाता है तब मु.रे.स.आ. की टिप्पणियों के साथ रेलवे बोर्ड को अग्रसारित की जाती है।

(घ) आर. डी. एस. ओ. से प्राप्त नए चल स्टाक की शुरूआत और मौजूदा चल स्टाक की गति में वृद्धि के सम्बन्ध में रेलवे के प्रस्तावों की जाँच की जाती और यदि यह सही पाया जाता है, तो उपयुक्त शर्तों के साथ रेलवे बोर्ड को भेज दिया जाता है।

(ड.) चल स्टाक के मामलें में आई. आर. एस. ओ. डी. के लिए अतिलंघन के माफी के लिए अन्य कोई समान मामला भी मुख्य रेल संरक्षा आयुक्त के सिफारिश पर रेलवे बोर्ड द्वारा स्वीकृत किया जाता है।

(च) रेलवे बोर्ड के सामान्य नियमों के संशोधन के लिए, रेलवे को खोलने के लिए नियम, आयामों की अनुसूची इत्यादि के प्रस्तावों की जांच आयुक्तों के परामर्श में की जाती है और रेलवे बोर्ड को आयोग के विचारों को भेजा जाता है, जैसा कि संदर्भित है और

(छ) रेल संरक्षा आयुक्तों के क्रियाकलापों पर वार्षिक रिपोर्ट तैयार करना।

(ज) रेल संरक्षा से सम्बन्धित केन्द्र सरकार द्वारा सौपे गए कोई अन्य कार्य/कर्तव्य।

5.5. रेल संरक्षा आयुक्त के कार्य

(क) नई लाइनों के खोलने का प्राधिकारः

रेल अधिनियम 1989, की धारा 6, मेट्रो रेलवे अधिनियम, 2002 और खोलने के नियम, 2000 के अनुसार भारतीय रेलवे/मेट्रो रेलवे नई रेलवे लाइन खोलने, वर्तमान लाइनों के दोहरीकरण, आमान परिवर्तन कार्यों, रेलवे लाइन के विद्युतीकरण के संबंध में संबंधित रेल संरक्षा आयुक्त से संस्वीकृति लेने के लिए आवेदन के साथ पहुंचते हैं।

खोलने के नियम में शर्तें हैं कि जब आयुक्त को रेल के निरीक्षण के संदर्भ में रेलवे लाइन या रेलवे लाइन के खण्ड को खोलने के लिए प्रस्तावित किया जाता है तो उस तारीख से एक माह पूर्व के अंदर आयुक्त को सभी संगत दस्तावेज प्रस्तुत करने होगें।

आवेदन प्राप्त होने पर रेल संरक्षा आयोग आवेदन की जांच करेगा और यदि सब कुछ ठीक है तो निरीक्षण की तारीख निश्चित की जाती और रेलवे को सूचित की जाती है। निश्चित तारीख पर सम्बन्धित मंडल के मं.रे.प्र. द्वारा नेतृत्व के मंडल अधिकारी और क्षेत्रीय रेलवे मुख्यालय के साथ–साथ रेल संरक्षा आयुक्त अपनी टीम के साथ निरीक्षण करता है।

निरीक्षण के बाद, यदि आयुक्त नई रेलवे लाइन की यात्रियों की संरक्षा से संबंधित उपयुक्तता से संतुष्ट है तो नई रेलवे लाइन को खोलने की स्वीकृति देने के लिए उन्हें निश्चित और निरीक्षण रिपोर्टों को भी मुख्य रेल संरक्षा आयुक्त के माध्यम से केन्द्र सरकार को भेजता है।

यदि रेल संरक्षा आयुक्त यात्रियों की संरक्षा से संतुष्ट नहीं है, वह निरीक्षण रिपोर्ट के साथ कार्य में विभिन्न कमियों को बताते हुए यात्रियों की संरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए भेजता है। यह रेल संरक्षा आयुक्त का विवेक है कि वह रेलवे द्वारा पाई गई

कमियों के लिए यात्रियों को परिवहन हेतु खोलने से पहले खण्ड को दुबारा निरीक्षण करे या कमियों को दूर करने के बाद खोलने के लिए केन्द्र सरकार को प्राधिकृत करने के लिए भेजता है।

(ख) लघु कार्यों के निष्पादन की स्वीकृति

चालू लाइन पर गाड़ियों की संरक्षा को प्रभावित करने वाले सरंचनीय कार्यों जैसे अतिरिक्त पुलों का प्रावधान, पुनर्निर्माण या वर्तमान पुलों की रिगर्डिंग, स्टेशन यार्डों की रिमोडलिंग, सिगनलिंग की रूपान्तरण को रे.स.आ. से स्वीकृत लेने के बाद ही रेलवे द्वारा किया जा सकता है।

उपरोक्त प्रावधानों के अनुसार, क्षेत्रीय रेलवे समस्त संलग्नकों जैसे संयुक्त संरक्षा प्रमाण पत्र, रेलपथ प्रमाण पत्र, पुल प्रमाण पत्र, अनु.अभि. एवं मा. संगठन गति प्रमाण पत्र, रेलवे बोर्ड की प्रथम संस्वीकृति, आयामों की अनुसूची के अतिलघंनों के लिए बोर्ड की छूट इत्यादि के साथ विभिन्न कार्यों के आवेदन देता है। ऐसे आवेदन के प्राप्त होने के बाद, रे.स.आ. विभिन्न मैनुअल के प्रावधानों के अनुसार उनकी जांच करता है और यदि सही पाता है, उसके लिए संस्वीकृति देता है।

(ग) नए चल स्टाक के प्रांरभ और वर्तमान चल स्टाक की गति में वृद्धि

रेल मंत्रालय ने राजपत्र अधिसूचना संख्या–698 दिनांक 01 अक्टूबर, 2018 के अनुसार यात्रियों के सार्वजनिक परिवहन हेतु रेलवे को खोलने के नियम, 2000 में संशोधन किया है और इस प्रक्रिया को संशोधित किया है। वर्तमान प्रक्रिया के अनुसार, (नियम–28) आर. डी. एस. ओ. दोनो के लिए मुख्य रेल संरक्षा आयुक्त को भेजता है

(क) नये चल स्टाक के प्रारम्भ और

(ख) मौजूदा चल स्टाक की गति में वृद्धि के लिए।

मु.रे.स.आ. प्रस्ताव की जांच करने के बाद यदि सही पाता है तो नये चल स्टाक को चलाने या मौजूदा चल स्टाक की गति को बढ़ाने की मंजूरी के लिए, रेल मंत्रालय के साथ या बिना किसी शर्त के उसकी सिफारिश करता है।

(घ) रेलवे बोर्ड ने अधिकतम, न्यूनतम एवं संस्तुति की गई आयामों की अनुसूची (संशोधित 2004) भारत के सभी रेलवे पर 1676 एम.एम. गेज का अनुपालन हेतु जारी किया है। भारतीय रेलवे के आयामों की अनुसूची (आई. आर. एस. ओ. डी.) (संशोधित 2004) की अनुसूची–1 में दिए गए इन आयामों को दो भागों में बांटा गया है वर्तमान कार्यों और नए कार्यों के लिए। इन आयामों को भारतीय रेलवे पर सभी 1676 एम.एम. गेज पर लागू है जब तक कि नए कार्यों में निष्पादन के आई.आर.एस.ओ.डी. के द्वारा किए गए अतिलंघनों को रे.स.आ. / मु.रे.स.आ. के माध्यम से रेलवे बोर्ड से संस्वीकृति प्राप्त नहीं होती।

01 अक्टूबर, 2018 से पहले, आयामों की अनुसूची में किसी अतिलंघन के लिए प्रस्ताव रे.स.आ. को प्रस्तुत किया जाता था। तब सुरक्षा के दृष्टिकोण से रे.सं.आ. द्वारा इसकी छानबीन की जाती थी। जांच करने के पश्चात, रे.सं.आ. अतिलंघन के छूट के लिए प्रस्ताव मु.रे.सं.आ. को भेजा जाता था। दोबारा मु.रे.स.आ. कार्यालय में प्रस्ताव की जांच की जाती थी और मु.रे.सं.आ. की सिफारिश के आधार पर रेलवे बोर्ड अतिलंघन की छूट पर संस्वीकृति देता था।

हालांकि,रेल मंत्रालय ने राजपत्र अधिसूचना संख्या–698 दिनांक 01 अक्टूबर, 2018 के अनुसार सार्वजनिक परिवहन हेतु रेलवे को खोलने के नियम, 2000 में संशोधन किया है और पैरा–22ए के अनुसार इस प्रक्रिया को संशोधित किया है। वर्तमान प्रक्रिया के अनुसार, अनूसूची के लिए किसी भी अतिलंघन के लिए प्रस्ताव रे.सं.आ. को प्रस्तुत किया जाता है जो तब सुरक्षा के दृष्टिकोण से रे.सं.आ. द्वारा जांच की जाती है। प्रस्ताव की जांच करने के पश्चात, यदि रे.सं.आ. संतुष्ट है कि रेल के संचालन के लिए अतिलंघन सुरक्षित है, तो वह शर्त के साथ या उसके बिना अतिलंघन माफी देता है। यदि प्रस्तावित अतिलंघन आई.आर. एस.ओ.डी. की अनुसूची–2 में परिभाषित सीमाओं से परे है तो पूर्ववर्ती पैरा में उल्लिखित नियमों के इस संशोधन से पहले की प्रक्रिया अर्थात दिनांक 01 अक्टूबर, 2018 से पहले का पालन किया जाता है।

(ड़) कोई परेषण (कनसाइनमेंट) आई.आर.एस.ओ.डी. , 2004 के मानकों के अनुसार नहीं करता उसे अत्याधिक आयाम परेषण (ओ.डी.सी.) माना जाएगा। भारतीय रेलवे पर ओ.डी.सी. के चलन हेतु सक्षम अधिकारी की अलग से स्वीकृति आवश्यक है। रेलवे ओ.डी.सी. के चलन हेतु आवदेन संबंधित रे.स.आ. को देता है, यदि रे.सं.आ. की स्वीकृति आवश्यक है। इसे रे.स.आ. कार्यालय में जांचा जाता है और यदि सही पाया जाता है, तब रे. स.आ. द्वारा संबंधित क्षेत्रीय रेलवे में ओ.डी.सी. के चलन हेतु स्वीकृति प्रदान की जाती है।

(च) रेलवे की कार्यप्रणाली से अवगत रहने के लिए चालू लाइनों का निरीक्षण करना, और

(छ) गंभीर रेल दुर्घटनाओं की जाँच और अन्य रेल दुर्घटनाओं की रेलवे द्वारा की गई जाँचों की रिपोर्टों की समीक्षा।

5.6. क्रियाकलाप / उपलब्धियां

वर्ष 2018–19 तथा 2019–20 के दौरान मुख्य क्रियाकलापों का सार इस प्रकार है:–

मुख्य क्रियाकलाप	2018–19	2019–20 (21.03.2020 तक)*	प्रतिशत में बदलाव
निरीक्षित और प्राधिकृत की गई लाइनें(कि.मी.)			
अतिरिक्त लाइने / दोहरीकरण	1286	1464	13.84 प्रतिशत
नई लाइनें	475	360	–24.2 प्रतिशत
आमान परिवर्तन	597	408	–31.66 प्रतिशत
विद्युतीकरण	5276	4378	–17.02 प्रतिशत
लघु निर्माण कार्यों के लिए संस्वीकृत किए गए आवेदनों की संख्या	4803	6462	34.51 प्रतिशत
चल स्टाक के स्वीकृत / अग्रेसित मामलों की संख्या''	192	35	– 81.77 प्रतिशत

* वित्तीय वर्ष 2019–20 में, समस्त भारत में कोविड–2019 लाकडाउन के कारण दिनांक 21.03 2020 के बाद सांवधिक निरीक्षण नहीं हो सके।

** रेलवे ने अक्टूबर, 2018 में खोलने के नियमों में संशोधन किया है जहां चल स्टाक की स्वीकृति की शक्ति क्षेत्रीय रेलवे में सम्बन्धित महाप्रबन्धक को दी गई थी। इसलिए चल स्टाक के मामलें तुलनात्मक बहुत कम है।

5.7. हिन्दी के प्रयोग की प्रगति

आयोग के परिमण्डल कार्यालयों में अधिकतम पत्राचार हिंदी में किया गया है। इसके परिणामस्वरूप मुख्य रेल संरक्षा आयुक्त के निरन्तर प्रयासों के बाद 'क', 'ख', 'ग' क्षेत्र में स्थित परिमण्डल कार्यालय द्वारा हिन्दी में क्रमशः 100 प्रतिशत, 100 प्रतिशत एवं 94.20 प्रतिशत का उत्साह जनक लक्ष्य प्राप्त किया है। आयोग ने 16 सितम्बर, 2020 को अपनी हिंदी गृह पत्रिका 'सुरुचि' 2020 का प्रकाशन किया जिसकी नागर विमानन मंत्रालय के स्टाफ और अधिकारियों ने विस्तृत रूप से सराहना की गई है। वर्ष 2020 में हिंदी में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए दक्षिण परिमण्डल को प्रथम स्थान के लिए राजभाषा शील्ड प्रदान किया गया। द्वितीय और तृतीय स्थान के लिए क्रमशः दक्षिण मध्य परिमंडल एवं पश्चिम परिमण्डल को पुरस्कार प्रदान किया गया।

5.8. स्वच्छता एवं प्रदूषण नियंत्रण

रेल संरक्षा आयोग के सभी कार्यालयों में प्रदूषण नियंत्रण के सभी संभावित कदम उठाए जा रहे हैं। कार्यालय परिसर को सदैव स्वच्छ व सुव्यवस्थित रखा जाता है। कार्यालय परिसरों में धूम्रपान पूर्णरूप से निषेध है। वातावरण को स्वच्छ एवं हरा भरा बनाने के लिए पौधे लगाये गये है। अधिकारियों एवं कर्मचारियों के वाहन पूर्ण रूप से प्रदूषण मुक्त हैं।

5.9. लिंग बजटीय आंकड़ा सहित महिला कल्याण

रेल संरक्षा आयोग के कार्यालय सामान्यतः रेलवे कार्यालय परिसरों में स्थित हैं और वे सुविधांए जो वहाँ दी जाती हैं जैसे प्रसाधन, शिशु–पालन और टिफन रूम इत्यादि, आयोग के महिला कर्मचारियों को भी प्राप्त हैं। महिला कर्मचारी रेलवे के महिला कल्याण संगठन की महिला समिति में प्रतिभागी भी हैं। जहाँ तक संभव है भारत सरकार द्वारा समय–समय पर महिला कर्मचारियों के कल्याण पर जारी अनुदेशों को क्रियान्वित किया जाता है।

5.10. लोक शिकायत निवारण मशीनरी

सामान्यतः रेल संरक्षा आयोग में आम लोगों से संबंधित कार्य नहीं किए जाते हैं तथापि सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 का पूर्णतः पालन किया जा रहा है। इसके अलावा, रेल संरक्षा आयोग अन्य मंत्रालय द्वारा हस्तांरित या केन्द्रीकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली (सी. पी. जी. आर. ए. एम. एस.) पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों का निवारण करता है। रेल संरक्षा आयोग शिकायतों का तुरंत निस्तारण करने के लिए ई–आफिस स्तर पर भी कार्य करता है।

5.11 उत्तर पूर्व में विकास के लिए चलायी जा रही गतिविधियों से संबंधित मुद्दे

रेल संरक्षा आयोग स्वयं किसी कार्य का निष्पादन नहीं करता। इसकी भूमिका निरीक्षणकर्ता एवं जाँचकर्ता की है।

5.12. 31.03.2019 की स्थिति के अनुसार रेल संरक्षा आयोग में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के कर्मचारियों का प्रतिनिधित्वः

संगठन का नाम	कुल कर्मचारी	अनुसूचित जाति कर्मचारी		अनुसूचित जनजाति कर्मचारी		अन्य पिछड़ा वर्ग कर्मचारी	
		कुल सं.	प्रतिशत	कुल सं.	प्रतिशत	कुल सं.	प्रतिशत
रेल संरक्षा आयोग	80	19	23.75	4	5	9	11.25

5.13. वरिष्ठ नागरिकों का कल्याण

रे. सं. आ. वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण के लिए भारत सरकार के निर्देश के अनुसार कार्य करता है। इसके अलावा, रे.सं.आ. ने दो सेवानिवृत्ति कर्मचारियों को संविदा आधार पर पुनर्नियोजन किया है।

5.14. विकलांग व्यक्तियों के लिए सुविधाएं

रे.सं.आ., भारत सरकार एवं नागर विमानन मंत्रालय के अनुदेशों के अनुसार विकलांग व्यक्तियों को सुविधाएं देता है।

5.15. सतर्कता संबंधी क्रियाकलापः

रे. सं. आ. अपने प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन परिमण्डलों के सतर्कता संबंधी क्रियाकलापों की निगरानी और समन्वय करते हैं।

5.16. नागरिक चार्टर

रे. सं. आ. अपने प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन परिमण्डलों के सतर्कता संबंधी क्रियाकलापों की निगरानी और समन्वय करते हैं। हालांकि आर.टी.आई. के अन्तर्गत नागरिकों की शिकायतों के निस्तारण के लिए आयोग के संगठन में ब्यौरा दिया गया है।

6. विमान दुर्घटना अन्वेषण ब्यूरो

6.1. संस्थान एवं उनके कार्य

1. अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन संगठन द्वारा जारी किए गए 'मानक एवं संस्तुत आचरण' के दिशा निर्देशों के अनुसरण में एवं अन्वेषण कार्यों की विनियामक कार्यों से स्वाधीनता सुनिश्चित करने हेतु, भारत सरकार ने भारतीय नागर विमानन महानिदेशालय से स्वतंत्र एक नए ब्यूरो के संस्थापन का निर्णय लिया है।

2. भारतीय परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए, विमान (दुर्घटना एवं घटना) नियम 2012 बनाए गए और इसकी सूचना दिनांक 05.07.2012 को जारी किए गए राजपत्र अधिसूचना के माध्यम से दी गई। इन निर्मित नियमों के अनुसरण में एवं दुर्घटनाओं, गंभीर घटनाओं और घटनाओं की जांच के उद्देश्य से, भारत सरकार ने दिनांक 30.07.2012 को नागर विमानन मंत्रालय में एक नए ब्यूरो की स्थापना की, जिसे विमान दुर्घटना अन्वेषण ब्यूरो का नाम दिया गया।

3. अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन संगठन के अनुलग्नक 13 के अनुसरण में, 2012 में अधिसूचित नियमों का 2017 में संशोधन किया गया एवं विमान दुर्घटना अन्वेषण ब्यूरो को नागर विमानन मंत्रालय का संलग्न कार्यालय बना दिया गया। तदनुसार, चूंकि विमान दुर्घटना अन्वेषण ब्यूरो किसी न्यायिक निकाय या सरकारी प्राधिकरण के पूर्व सहमति के बिना हर सुसंगत सबूत अविलम्बित एवं अनियंत्रित रूप से प्राप्त करने में सक्षम हो गया है, अब सभी अन्वेषण कार्य संशोधित विमान (दुर्घटना एवं घटना) नियम 2017 के अनुसार किए जा रहे हैं।

4. संगठन में विमान दुर्घटना अन्वेषण की प्रक्रिया से परिचित पर्याप्त अधिकारियों के नियोजन हेतु नियुक्ति नियमों का गठन प्रगति पर है।

5. अनुलग्नक 13 के अंतर्गत, विमान दुर्घटना अन्वेषण ब्यूरो से यह अपेक्षित है कि वह अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन संगठन की ओर भारत के कर्तव्यों को पूरा करे एवं विभिन्न कार्यों का निर्वहन करें, जैसे किः–

   i. विमान (दुर्घटना एवं घटना) नियम 2017 के अंतर्गत, विमान दुर्घटना अन्वेषण ब्यूरो के महानिदेशक द्वारा प्राधिकृत किसी भी व्यक्ति या व्यक्तियों से प्रारंभिक रिपोर्ट प्राप्त करना।

   ii. घटनाओं का वर्गीकरण करना एवं अन्वेषण की व्यवस्था करना। इसी के साथ, औपचारिक अन्वेषण/अन्वेषण के मामले में केन्द्रीय सरकार की सहायता करना।

   iii. आवश्यकता अनुसार, अन्वेषण एवं अन्वेषण से जुड़े प्रशासनिक कार्यों को सुकर बनाना।

   iv. विमान दुर्घटना अन्वेषण ब्यूरो को प्राप्त हुए अन्वेषण के रिपोर्टों का प्रसंस्करण करना, जिसमें विमान दुर्घटना अन्वेषण ब्यूरो के महानिदेशक द्वारा स्वीकृत रिपोर्ट भी शामिल है, एवं उसे विमान दुर्घटना अन्वेषण ब्यूरो के महानिदेशक के माध्यम से, जैसे ठीक समझा जाए वैसे, सार्वजनिक रूप से प्रस्तुत करना। दुर्घटना में शामिल विमान का वजन 5,700 किलोग्राम से अधिक होने पर विमान दुर्घटना अन्वेषण ब्यूरो या, नियम 14 के उप–नियम (2) के अंतर्गत, केन्द्रीय सरकार द्वारा साझा किए गए अंतिम रिपोर्ट को राष्ट्र एवं अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन संगठन को अग्रेषित करना।

   v. समय समय पर आयोजित सुरक्षा अध्ययन के आधार पर सुरक्षा सुझाव तैयार करना, जिसमें बेहतर सुरक्षा हेतु नए प्रौद्योगिकी का समावेशन भी शामिल है।

   vi. वास्तविक या संभावित सुरक्षा कमियों पर उपलब्ध सूचना के कारगर विश्लेषण के लिए दुर्घटना एवं गंभीर घटनाओं के डेटाबेस की स्थापना और अनुरक्षण करना।

   vii. समय–समय पर होने वाले संशोधनों के अनुसार अनुलग्नक 13 के अंतर्गत केन्द्रीय सरकार का दिनांक 07 दिसंबर,1944 को शिकागो में हस्ताक्षरित अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन से संबंधित अभिसमय के तहत कर्तव्यों का प्रसंस्करण करना।

   viii. नागर विमानन महानिदेशालय और अन्य विनियामक प्राधिकरणों को अनुवर्तन हेतु अन्वेषण रिपोर्ट एवं सुरक्षा अध्ययन में भेजे गए सुझावों को अग्रेषित करना एवं अनुपालन रिपोर्ट प्राप्त करना।

6.2 दुर्घटना/गंभीर घटनाओं की अन्वेषण

1. 01 जनवरी 2020 से 31 दिसम्बर 2020 तक पूरे किए गए अन्वेषण रिपोर्ट

- विमान दुर्घटना अन्वेषण ब्यूरो के महानिदेशक द्वारा कुल 08 दुर्घटना रिपोर्ट एवं 22 गंभीर घटना रिपोर्ट स्वीकार किए गए हैं। अन्वेषण के अंतिम रिपोर्ट सार्वजनिक रूप से जारी कर दिए गए है एवं वह विमान दुर्घटना अन्वेषण ब्यूरो के वेबसाइट (www.aaib.gov.in)पर उपलब्ध हैं।
- इसी के साथ, 02 गंभीर घटनाओं की अन्वेषण पूरी हो चुकी है और इनके अन्वेषण की अंतिम रिपोर्ट का प्रारूप अधिकृत प्रतिनिधि को टिप्पणी के लिए अग्रेषित की जा चुकी है।

2. 01 जनवरी 2020 से 31 दिसम्बर 2020 तक जारी अन्वेषण के आदेश

- विमान (दुर्घटना एवं घटना) नियम 2017 के नियम 11 के अंतर्गत, विमान दुर्घटना अन्वेषण ब्यूरो के महानिदेशक द्वारा कुल 07 दुर्घटनाओं, 10 गंभीर घटनाओं एवं 01 घटना के अन्वेषण का आदेश प्राप्त हुआ है। अन्वेषण के आदेश विमान दुर्घटना

अन्वेषण ब्यूरो के वेबसाइट (www.aaib.gov.in) पर उपलब्ध हैं।

- 2020 में हुए उपर्युक्त घटनाओं में से विमान दुर्घटना अन्वेषण ब्यूरो के महानिदेशक ने 06 गंभीर घटनाओं की अंतिम रिपोर्ट स्वीकार की हैं। अन्वेषण की अंतिम रिपोर्ट विमान दुर्घटना अन्वेषण ब्यूरो के वेबसाइट (www.aaib.gov.in) पर उपलब्ध हैं।

6.3. विविध

- सभी स्वीकृत रिपोर्टों के अन्वेषण समिति/अन्वेषण कर्ता प्रभारी द्वारा निर्मित सुरक्षा सुझावों को नागर विमानन महानिदेशालय के अनुमोदन के लिए अग्रेषित किया गया।
- विमान (दुर्घटना एवं घटना) नियम 2017 में प्रस्तावित संशोधन।
- विमान दुर्घटना अन्वेषण ब्यूरो के कार्यालय द्वारा स्वच्छता पखवाड़े का आयोजन किया गया।
- विमान दुर्घटना अन्वेषण ब्यूरो के कार्यालय द्वारा हिन्दी पखवाड़े का आयोजन भी किया गया।

7. इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी

7.1. प्रस्तावना

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी (इग्रुआ), नागर विमानन मंत्रालय, भारत सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण के अध्याधीन देश में एकमात्र राष्ट्रीय उड़ान प्रशिक्षण संस्थान है। इग्रुआ की स्थापना सितम्बर, 1986 में रायबरेली, उत्तर प्रदेश के निकट अमेठी जिले के फुरसतगंज में, देश के वाणिज्यिक पॉयलटों के उड़ान मानकों तथा स्थल प्रशिक्षण के परिमाण में सुधार लाने के उद्देश्य से की गई थी।

अपनी स्थापना के पिछले तीन दशकों के दौरान इग्रुआ द्वारा देश के लिए उत्तम पायलट तैयार किए गए हैं जिससे भारतीय विमानन उद्योग के विकास में एक बहुत बड़ा योगदान दिया जा सका है।

7.2. संगठन संरचना

इग्रुआ सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के अंतर्गत पंजीकृत स्वायत्त निकाय है। इग्रुआ सोसायटी का संचालन नागर विमानन मंत्रालय के पदेन सचिव की अध्यक्षता में शासी परिषद द्वारा किया जाता है।

अकादमी के प्रमुख निदेशक हैं तथा उन्हें विभाग / अनुभाग प्रमुखों की सहायता प्राप्त है। इग्रुआ के संचालन का नियंत्रण भारत सरकार द्वारा नागर विमानन मंत्रालय के माध्यम से किया जाता है।

7.3. लक्ष्य

इग्रुआ का प्रधान लक्ष्य एयरोनॉटिक्स विज्ञान एवं नागर विमानन को राष्ट्रीय हित में प्रौन्नत करना तथा विकास करना और साथ ही समान प्रकार की सेवाएं विदेशी नागरिकों को भी प्रदान करना है। इस प्रक्रिया के अंतर्गत, अकादमी समकालीन अंतर्राष्ट्रीय मानकों के स्तर के अनुरूप एयरलाइन सम्बद्ध उड़ान प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों का आयोजन करती है। प्रस्तवित विविध पाठ्यक्रम एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम निम्नलिखित हैं:

क) फिक्सड विंग विमान के संबंध में प्रारंभ से लेकर वाणिज्यिक पायलट लाइसेंस पाठ्यक्रम तक। उपकरण रेटिंग तथा मल्टी इंजन पृष्ठांकन, इस पाठ्यक्रम के अंतर्गत आते हैं।

ख) तीन वर्षीय स्नातक कार्यक्रम जिसके तहत छत्रपति साहुजी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर के माध्यम से बी.एससी (विमानन) डिग्री प्रदान की जाती है।

ग) डीए 42 विमान पर सीआरएम एवं मल्टी क्रू कंवर्जन पाठ्यक्रम

घ) उड़ान प्रशिक्षण संस्थानों के प्रमाणित उड़ान अनुदेशकों तथा पायलट अनुदेशकों के लिए पुनश्चर्या पाठ्यक्रम ।

ङ) नौसेना एवं तट रक्षक को उड़ान प्रशिक्षण प्रदान करना।

च) उड़ान प्रशिक्षण संस्थानों के प्रमाणित उड़ान अनुदेशकों तथा पायलट अनुदेशकों के लिए पुनश्चर्या पाठ्यक्रम ।

छ) सहायक उड़ान अनुदेशक रेटिंग (क) तथा उड़ान अनुदेशक रेटिंग (क) के लिए पाठ्यक्रम।

ज) इग्रुआ के भूतपूर्व विद्यार्थियों का लाइसेंस के नवीकरण के लिए अपेक्षाओं के आधार पर कौशल परीक्षण।

झ) बाह्य विमानन एजेंसियों को उनकी पायलट चयन एवं साक्षात्कार प्रक्रिया के लिए सिमुलेटर प्रशिक्षण तथा जांच एवं अन्य सुविधाएं प्रदान करना।

ञ) एयरोनॉटिक्लत एवं विमान अनुरक्षण इंजीनियरिंग के डिप्लोमा धारकों को विमान पर व्यावहारिक प्रशिक्षण।

इग्रुआ द्वारा इस कैलेंडर वर्ष के लिए निम्नलिखित अतिरिक्त पाठ्यक्रम प्रारंभ करने की संकल्पना भी की गई है:–

क) पायलट उम्मीदवारों के लिए अंग्रेजी भाषा प्रवीणता पाठ्यक्रम के लिए प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना करना।

ख) रिमोट पायलट चालित विमान सिस्टम के उपयोग से सामान्यत "ड्रोन प्रशिक्षण" के नाम से ज्ञात रिमोट पायलट प्रशिक्षण।

ग) "प्रशिक्षकों को प्रशिक्षण" अर्थात एक ऐसे प्रशिक्षण पाठ्यक्रम का आयोजन जिसके अंतर्गत नागर विमानन महानिदेशालय द्वारा अनुमोदित एफटीओ के प्रशिक्षकों को रिमोट पायलट चालित विमान के लिए प्रशिक्षण दिया जाना है।

घ) विमान अनुरक्षण इंजीनियर (एएमई) बनने के आकांक्षी विद्यार्थियों के लिए पाठ्यक्रम।

ङ) नागर विमानन महानिदेशालय की पीपीएल/सीपीएल तथा एटीपीएल परीक्षाओं को उत्तीर्ण करने के लिए विद्यार्थियों स्थल प्रशिक्षण प्रदान करना।

7.4. अवसंरचना

(क) सार संक्षेप :

अकादमी उत्कृष्ट प्रशिक्षण विमान, विजुअल सुविधा से युक्त एफएनपीटी तथा सीपीटी के रूप में आधुनिक सिमुलेटरों, प्रभावी स्थल प्रशिक्षण के लिए अत्यायधुनिक ऑडियो विजुअल प्रशिक्षण उपकरणों तथा अन्य सुविधाओं से सुसज्जित है। विमानन एवं उड़ान प्रशिक्षण के क्षेत्र में दीर्घ अनुभव प्राप्त योग्य उड़ान एवं स्थल अनुदेशकों की सेवाएं प्राप्त की जाती हैं। इग्रुआ का उद्देश्य न केवल उड़ान प्रशिक्षण प्रदान करना है अपितु ऐसे पायलट भी तैयार करना है जो वैमानिकी के क्षेत्र में प्रभावी व्यवस्थापक की भूमिका का निर्वाह भी कर सकें। अकादमी से उड़ान प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले ऐसे अपेक्षित मानकों से समृद्ध होते हैं जिनसे वे एयरलाइनों के कॉकपिट में सरलतापूर्वक अपने कर्तव्यों का निर्वाह करते हुए विमान प्रचालन कर पाते हैं।

अकादमी की अवसंरचना अतुलनीय है जिससे प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त कर चुके विद्यार्थियों का कायाकल्प एक ऐसे आत्मविश्वासी वाणिज्यिक पायलट के रूप में हो पाता है जिसे प्रत्येक एयरलाइन अपने साथ जोड़ना चाहती है। यहां तीन होस्टल (महिलाओं के लिए एक अलग होस्टल सहित) स्थापित हैं जिनमें 248 पुरूष एवं 40 महिला विद्यार्थी द्विभागिता आधार पर निवास कर सकते हैं। इग्रुआ परिसर में

कर्मचारियों के लिए आवास परिसर भी है। प्रचालनात्मक क्षेत्र में समानांतर टैक्सी ट्रैक, डिस्पर्सल क्षेत्र तथा तीन हैंगरों सहित 6080 फुट रनवे है। संपूर्ण क्षेत्र पीएपीआई सहित रात्रि उड़ान सुविधाओं से सुसज्जित है। इग्रुआ के एयरफील्ड में अपना एनएवी तथा वीओआर/डीएमई एवं आईएलएस के संदर्भ में अवतरण सुविधाएं उपलब्ध हैं। यहां अग्नि शमन सेवाएं, विमानन ईंधन स्टेशन तथा विमान यातायात नियंत्रण स्थापित किया गया है। अबाधित प्रशिक्षणों के लिए इग्रुआ में एक समर्पित एयर स्पेस निर्धारित किया गया है। इग्रुआ एक ऐसे उत्कृष्ट परिवेश में अपने क्रियाकलाप कर रहा है जहां गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए इसका स्वयं का अपना एक एयरफील्ड एवं प्रचालन सुविधाएं उपलब्ध हैं।

(ख) विमान बेड़ाः

अकादमी के पास कैलेंडर वर्ष 2020 के अंत में 20 विमानों का बेड़ा है। उड़ान प्रशिक्षण के लिए उपयोग में लाए जाने वाले विमानों के प्रकार का विवरण नीचे दिया गया हैः—

(i) पांच ट्रिनीडैड टीबी—20 विमान हैं। टीबी 20 विमान परिवर्ती पिच प्रोल्लिर, रिट्रेक्टेमबल, अंडर कैरिज युक्त तेरह डीए'40 विमान जो ग्लास काकपिट से सुसज्जित हैं।

(ii) पिस्टन एकल इंजन विमान है जो आधुनिक दिक्कचालन सुविधाओं से सुसज्जित है।

(iii) तीन जिलिन जेड242एल विमान हैं। ये अंडर कैरिज युक्त पिस्टन एकल इंजन विमान है जो आधुनिक दिक्कचालन सुविधाओं से सुसज्जित है।

(iv) दो डीए42 विमान हैं। प्रशिक्षण का अन्तिम चरण इस विमान पर किया जाता है। यह दो इंजन वाला विमान है। विमान आधुनिक एवं परिष्कृत रेडियो और दिक्कचालन उपस्करों से सुसज्जित है।

उपर्युक्त विमान का उपयोग प्रशिक्षुओं को प्रदान किए जाने वाले उड़ान प्रशिक्षण में लाइन ओरियेंटिड उड़ान प्रशिक्षण के लिए किया जाता है। इग्रुआ के विद्यार्थी मल्टी—इंजन पृष्ठांकन एवं अपने वाणिज्यिक पायलट लाइसेंस पर इंस्ट्रूमेंट रेटिंग के साथ स्नातक हैं।

7.5. प्रशिक्षण चरण :

क) स्थल प्रशिक्षण

अकादमी में आगमन के पश्चात विद्यार्थियों का प्रथम चरण में आधारभूत विमानन विज्ञान विषयों के अंतर्गत स्थल प्रशिक्षण एवं विमान से संबद्ध जैडएलआईएन, टीबी—20विमान, डीए40 तथा डीए42 विमान, जिसे वे फ्लाई करना चाहते हैं, से संबंधित विषयों के प्रशिक्षण से प्रारंभ होता है।

विमानन विषय के अंतर्गत स्थल प्रशिक्षण के लिए 570 घंटों के कक्षा वक्तव्य हैं। (वाणिज्यिक पायलट लाइसेंस के लिए 410 घंटे तथा एटीपीएल पाठ्यक्रम के लिए 160 घंटे)

लाइन ओरियंटिड उड़ान प्रशिक्षण (एलओएफटी) के लिए यह प्रबल आधार होता है जिसको अंगीकार करके पायलट प्रशिक्षु विमानन उद्योग की आवश्यकताओं के अनुरूप तैयार हो पाते हैं।

आडियो विजुअल साधन

प्रभावी स्थल प्रशिक्षण के लिए अकादमी के पास आधुनिक आडियो — विजुअल साधन उपलब्ध हैं जिनमें कई वीडियो प्रशिक्षण फिल्में और स्लाइडें, विभिन्न प्रकार के विमानों के अवयवों के कार्यशील एवं योजनाबद्ध माडल तथा कम्प्यूटर आधरित प्रशिक्षण (सीबीटी) का प्रशिक्षण की व्यवस्था है।

ख) उड़ान पूर्व स्थल प्रशिक्षण (पीएफजीटी)

उड़ान पूर्व स्थल प्रशिक्षण (पीएफजीटी) अनुभवी उड़ान अनुदेशकों द्वारा दिया जाता है। इसके साथ—साथ प्रत्येक सिमुलेटर अथवा विमान पर उड़ान से पूर्व एवं पश्चात महत्वपूर्ण मुद्दों पर ब्रीफिंग व डिब्रीफिंग दी जाती है।

ग) सिमुलेटर प्रशिक्षण

एकल इंजिन प्रशिक्षण 180 डिग्री व्यू फिल्ड वाले विजुअल सिस्टम से युक्त दो डायमण्ड डीए40 फ्लाइट सिमुलेटर पर दिया जाता है। अकादमी के पास प्रारम्भिक उड़ान प्रशिक्षण एवं इन्स्ट्रूमेन्ट रेटिंग हेतु दो एकल इंजिन टीबी—20 दृश्यप्रणाली युक्त सिमुलेटर भी उपलब्ध हैं।

बहुइंजिन प्रशिक्षण हेतु 180 डिग्री विजुअल फील्ड व्यू से युक्त डायमण्ड डीए42 फ्लाइट सिमुलेटर उपलब्ध है।

घ) सिमुलेटर / उड़ान प्रशिक्षण पाठ्यक्रम

एकल इंजन विमान के लिएः

- 20.00 घंटेः एफ.एन.टी.पी पर सिमुलेटर प्रशिक्षण
- टीबी—20/डीए—40/ज़िलिन विमानों पर 185:00 घण्टों का उड़ान प्रशिक्षण ।

मल्टी इंजन विमान के लिए :

वाणिज्यिक पायलट लाइसेंस के साथ स्नातक प्रशिक्षणार्थियों को मल्टी इंजिन रेटिंग पृष्ठांकन के साथ डायमंड डीए42 विमान पर इन्सट्रूमेन्ट रेटिंग प्रदान की जाती है। इसके अलावा, प्रशिक्षणार्थी इस विमान पर 15:00 घण्टों का प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं।

7.6. कर्मी संसाधन प्रबंधन (सीआरएम) तथा मल्टी कर्मी कंवर्जन पाठ्यक्रम (एमसीसी)

स्थल एवं वायु प्रशिक्षण के अतिरिक्त प्रशिक्षणार्थियो को सीआरएम का एक कैप्सुल पाठ्यक्रम प्रशिक्षण दिया जाता है । वाणिज्यिक पायलट लाइसेंस प्रशिक्षण पूर्ण होने के उपरांत दो सप्ताह का एम सी सी पाठ्यक्रम प्रशिक्षण भी दिया जाता है । इस अतिरिक्त पाठ्यक्रम से वे एयरलाइनों में आमेलन के लिए तैयार हो पाते हैं।

7.7 प्रमुख उपलब्धियां

क) विस्तार क्रियाकलाप : अपने पंख विस्तारित करके स्वायत्तता की ओर कदम आगे बढ़ाने के लिए इग्रुआ द्वारा विभिन्न नए प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रारंभ किए गए हैं। संकल्पित पाठ्यक्रमों का वर्णन नीचे प्रस्तुत हैः—

(i) इग्रुआ एवं बाह्य बाजार के वाणिज्यिक पायलट लाइसेंस धारकों के लिए अंग्रेजी भाषा प्रवीणता के पाठ्यक्रम का आयोजन।

(ii) रिमोट पायलट चालित विमान सिस्टम के उपयोग से सामान्य ''ड्रोन प्रशिक्षण'' के नाम से ज्ञात रिमोट पायलट प्रशिक्षण।

(iii) ''प्रशिक्षकों को प्रशिक्षण'' अर्थात एक ऐसे प्रशिक्षण पाठ्यक्रम का आयोजन जिसके अंतर्गत नागर विमानन महानिदेशालय द्वारा अनुमोदित एफटीओ के प्रशिक्षकों को रिमोट पायलट चालित विमान के लिए प्रशिक्षण दिया जाना है।

(iv) भारतीय नागर विमानन उद्योग की वृद्धिशील पायलटों की मांग की पूर्ति को विचार में लेकर अधिक संख्या में वाणिज्यिक पायलट लाइसेंस धारकों को तैयार करने के लिए इग्रुआ द्वारा कर्नाटक में स्थित कालाबुर्गी हवाईअड्डे को उड़ान प्रशिक्षण प्रचालनों के लिए सेटेलाइट बेस बनाने के उद्देश्य से व्यवहार्यता अध्ययन किए गए हैं।

(v) रनवे की दशा अत्यंत खराब होने एवं उड़ान प्रशिक्षण प्रचालनों के लिए घातक होने को विचार में लेकर वर्ष 2020 के दौरान, लगभग 15 पंद्रह वर्षों के पश्चात, फुरसतगंज एयरफील्ड के रनवे का पुनः सतहीकरण किया गया है। तथापि, प्रशिक्षण क्रियाकलापों की निरंतरता के सुनिश्चय के लिए गोंदिया, महाराष्ट्र में स्थित सेटेलाइट बेस से अबाधित उड़ान प्रशिक्षण क्रियाकलाप संचालित किए जाते रहे हैं।

(vi) नागर विमानन महानिदेशालय की पीपीएल/सीपीएल तथा एटीपीएल परीक्षाओं को उत्तीर्ण करने के लिए विद्यार्थियों को स्थल प्रशिक्षण प्रदान करना।

(vii) इग्रुआ द्वारा तैयार किए जाने वाले पायलटों की तरह ही वैश्विक मानकों के अनुरूप विमान अनुरक्षण इंजीनियर तैयार करने के लिए विमान अनुरक्षण इंजीनियरिंग विद्यालय की शुरूआत करना।

ख) महत्वपूर्ण आयोजनः

(i) **हवाई चौपालः** इग्रुआ द्वारा फरवरी, 2020 में ''हवाई चौपाल'' नाम से एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। यह भारतीय विमानन उद्योग द्वारा अपेक्षित विभिन्न व्यवसायिकों की वृद्धि कार्यबल मांग की पूर्ति के लिए फुरसतगंज में स्थापित प्रशिक्षण अवसंरचना की स्थल पर प्रदर्शनी के उद्देश्य से एक संवादात्मक सत्र के रूप में आयोजित एक कार्यक्रम था। इस ''चौपाल' में एयरलाइन उद्योग, जीएमआर से अनेक प्रतिनिधियों तथा सरकारी अधिकारियों द्वारा प्रतिभागिता की गई थी।

(ii) **स्थापना दिवसः** इग्रुआ द्वारा सचिव, नागर विमानन मंत्रालय की अध्यक्षता में दिनांक 7 नवम्बर, 2020 को अपने ''स्थापना दिवस'' का आयोजन किया गया। इस समारोह को ''ड्रोन प्रशिक्षण'' तथा ''ईएलपी प्रशिक्षण एवं परीक्षण केन्द्र'' के उद्घाटन दिवस के रूप में आयोजित किया गया था। श्रीमती हरप्रीत ए डी सिंह, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, एलायंस एयर द्वारा 'वेबीनार' की मेजबानी की गई तथा इग्रुआ के पूर्व निदेशक एवं इग्रुआ के पूर्व विद्यार्थियों ने इस अवसर पर प्रतिभागिता की एवं भारतीय विमानन उद्योग के लिए दक्ष पायलट तैयार करने की प्रक्रिया में इग्रुआ की सक्रिय भूमिका के संबंध विचार विनिमय किया गया।

7.8. निष्पादित कार्य

क) **उच्चतर उड़ान आउटपुटः** इग्रुआ द्वारा विमानन उद्योग की बढ़ती हुई आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए स्नातकों की संख्या की तुलना में अपनी वार्षिक उड़ान मात्रा में निरंतर संवर्धन किया जा रहा है। दिनांक 1.1.2020 से 31.12.2020 की अवधि के दौरान कोविड–19 वैश्विक महामारी एवं पूर्ण लॉकडाउन के बावजूद भी इग्रुआ में 11641.05 घंटों की उड़ान पूरी की गई है। विचाराधीन अवधि के दौरान कुल 43 कैडेट उत्तीर्ण घोषित किए गए हैं।

ख) **उन्नत उड़ान संरक्षाः** उड़ान संरक्षा के प्रति किसी प्रकार अवरोध के बिना उड़ान परिमाण में महत्वपूर्ण सुधार किए गए हैं। दुर्घटना/परिघटना दर में पिछले दस वर्ष में 81% की गिरावट आई है।

ग) **वाणिज्यिक पायलट लाइसेंस प्रशिक्षण के लिए नए नामांकनः** पॉयलट के कार्य के प्रति विकासपरक परिवर्तन, विशेषतः ग्रामीण भारत में, उत्पन्न हो रहे हैं। अब से पूर्व, केवल शहरी भारत से ही बहुत ही लोगों में पायलट बनने की महत्वकांक्षा होती थी। इग्रुआ में प्रवेश प्राप्ति के लिए भारतीय युवाओं के आवेदनों की संख्या से उनमें व्याप्त महत्कांक्षाओं को आंका जा सकता है। इस वर्ष इग्रुआ में प्रवेश के लिए 996 आवेदन प्राप्त। हुए हैं। वर्ष 2019 के दौरान कुल 53 विद्यार्थियों को प्रवेश दिया गया है।

घ) **प्रभावपूर्ण जनशक्ति प्रबंधनः** पिछले दस वर्ष के दौरान इग्रुआ की जनशक्ति 300 से घटकर 232 हो गई है जो कि प्रतिवर्ष की दर से 6.8% गिरावट है और ऐसा इन परिस्थितियों में हुआ जब पिछले वर्ष के दौरान समग्र संगठनात्मक क्रियाकलापों में अत्यधिक बढ़ोतरी हुई है तथा उड़ान घंटे लगभग दोगुणा हो गए हैं। सेवानिवृत्त / मृत कर्मचारियों के स्थाइ पर राजस्व में कमी लाए जाने के मितव्ययी उपाय करते हुए कोई नियुक्ति नहीं की गई है। इसके स्थान पर जनशक्ति की प्रभावी व्यवस्था कार्मिकों को ठेके अथवा पुनःनियुक्ति, ऑटोमेशन, कार्य सहभाजन इत्यदि के माध्यम से किया गया है।

ङ) **आर्थिक सहायता के प्रति कम आश्रिता :** अकादमी द्वारा प्रत्येक संभव प्रयासों से गैर–अनिवार्य व्ययों को कम करके, भोजन व्यवस्था एवं होस्टल, मोटर परिवहन, जनरल स्टोर, बिजली, सिविल अनुरक्षण इत्यादि जैसे विभिन्न क्षेत्रों में संसाधनों का प्रभावी एवं इष्टतम उपयोग करके, संव्यवहार के माध्यम से सांविधिक अनिवार्य व्ययों को कम करके अपने व्ययों में कमी आई है।

बाह्य प्रशिक्षुओं यथा भारतीय तट रक्षक, उड़ान अकादमियों, उड़ान प्रशिक्षण एडेलेड, विस्तारा इत्यादि से राजस्व की उत्पति की गई है। अकादमी द्वारा अपनी प्रशिक्षण फीस बढ़ाकर 45.00 लाख रूपए की गई है जिससे आर्थिक सहायता के प्रति आश्रिता में कमी हुई है।

7.9. स्वच्छ भारत एवं पर्यावरण संरक्षण :

क) नगर ठोस अपशिष्ट (एमएसडब्यूं) प्रबंधन :

इग्रुआ में विधिवत स्थाटपित नगर ठोस अपशिष्ट व्यवस्था

स्थापित है। सूखे अपशिष्ट, पॉलिथिन, प्लास्टिक बोतलों, टूटे गिलासों, पैकिंग सामग्री, मरम्मत / निर्माण के कचरे, सूखे पत्तों, अस्पताल अपशिष्ट, के अलावा लगभग 500 किलोग्राम बॉयो–डिग्रेडेबल रसोई अपशिष्ट प्रतिदिन गृहों, मैस किचन, भोजनालयों से एकत्र किया जाता है। इस अपशिष्ट का स्रोत के स्थल पर ही विलगन करके दो कचरे डिब्बों में डाला जाता है जिनमें से एक बॉयो–डिग्रेडेबल (गीले) अपशिष्टक तथा दूसरा पॉलिथिन, प्लास्टिक बोतलें, पैकिंग सामग्री, कागज इत्यादि जैसे सूखे अपशिष्ट) के लिए है। बॉयो–डिग्रेडेबल अपशिष्ट को वर्मिकल्चर के माध्यम से उपयोगी बनाया जाता है तथा सूखे अपशिष्ट का वैज्ञानिक विधि से निपटान कर दिया जाता है। परिसर में सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग प्रतिबंधित किया गया है।

ख) अपशिष्ट जल निपटान :

इग्रुआ में जल संसाधनों से उत्पन्नः होने वाले किसी प्रकार के प्रदूषण की रोकथाम के सुनिश्चय के लिए अंडरग्राउंड जल निकासी व्यावस्था एवं आधुनिक मल उपचार संयंत्र स्थापित है ।

ग) सौर जल हीटर :

विद्यार्थियों के लिए गर्म पानी की आवश्यकता की पूर्ति के लिए ईंधन की खपत में कमी लाए जाने के उपाय के तौर पर होस्टलों की छत पर सौर पैनल स्थापित किए गए हैं।

घ) अवार्ड :

अभियान के प्रति प्रभावशाली योगदान प्रदान करने के लिए इग्रुआ को स्वच्छ भारत अभियान – 2020 के लिए प्रथम पुरस्कार प्रदान किया गया है।

7.10. प्रदूषण नियंत्रण :

इग्रुआ में किसी प्रकार के ऐसे निर्माण / उत्पादन नहीं किए जाते हैं जिनसे धुंए का उत्स र्जन, अवशेष, औद्योगिक अपशिष्ट इत्यादि उत्पन्नं होकर वायु, जल, मृदा, प्रकाश अथवा ध्वनि प्रदूषण उत्पिन्न हो सके। तथापि, वाहन इंजनों से उत्पान्न होने वाले धुंए से बचाव के लिए उन्हें उचित ढंग से अनुरक्षित करके, ठोस कचरे को जलाकर, लैंडफिल, कम्पोज इत्यादि के माध्यम से नष्ट किया जाता है। अकादमी के फोरस्टेकशन द्वारा अग्रसक्रिय होकर हरित वातावरण के निर्माण में सहयोग दिया जाता है।

7.11. नागरिक चार्टर

इग्रुआ का नागरिक चार्टर तैयार कर लिया गया है तथा यह इग्रुआ की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है। नागरिक www.igrua.gov.in पर इसे देख सकते है। नागरिक केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी (पीआईओ) श्री संदीप पुरी और प्रथम अपीलीय अधिकारी (निदेशक, इग्रुआ) को आवेदन प्रस्तुत करके सूचना अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत सूचना प्राप्त कर सकते हैं।

7.12. महिला कल्यानण

इग्रुआ में कार्यरत बारह महिलाओं (1 नियमित व 11 संविदारत) से संबंधित कल्याण संबंधित कार्य सामान्य प्रशासनिक चैनलों के माध्यम से किए जाते है। अकादमी में तीन सदस्योंत की एक समिति गठित की गई है जो अकादमी में कार्यस्थिल पर महिलाओं के प्रति यौन उत्पीड़न सम्बन्धी शिकायतों की देखरेख एवं समाधान के कार्य करती है।

7.13. लोक शिकायत निवारण व्यवस्था में सुधार के लिए किए गए उपाय

अकादमी की कार्य प्रणाली इस प्रकार की है जिसमें लोक शिकायतों की प्राप्ति लगभग नहीं होती है। तथापि, लोक शिकायतों के निवारण हेतु संस्थान में एक अधिकारी, प्रबन्धक मानव संसाधन के माध्यम से यथा समय निस्तारण किये जाने की व्यवस्था की गई है। लोक शिकायतों की प्रबंधक मानव संसाधन द्वारा नियमित निगरानी की जाती है।

7.14. सतर्कताः

सतर्कता निवारक उपायों को उत्तम बनाने के लिए एअर इंडिया लिमिटेड के मुख्य सतर्कता अधिकारी को अकादमी की सतर्कता क्रियाकलापों की देखरेख का अतिरिक्त कार्य सौंपा गया है। कर्मचारियों में भ्रष्टाचार से संबंधित अपने कार्य एवं सामान्य जीवन की प्रक्रियाओं में संलिप्त न होने की प्रति जागरूकता की उत्पति के प्रयास किए गए हैं।

7.15. राजभाषा नीति का कार्यान्वायन

राजभाषा अधिनियम और राजभाषा नियम के विभिन्न प्रावधानो का कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए अकादमी लगातार आवश्यक कदम उठाती रही है। कर्मचारियों को हिन्दी, देवनागरी टाइपिंग इत्यादि का प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। कार्यालयीन कार्यों में हिन्दी के प्रयोग को प्रोत्साहित एवं प्रभावी उपयोग करने के लिए कर्मचारियों को प्रोत्साहन प्रदान किये गये है। कम्यूटरों में हिन्दी के प्रयोग कार्यालयीन पत्र व्यवहार हिन्दी में करने की व्यवस्था की गई है। इग्रुआ द्वारा प्रत्येक वर्ष ''क्षितिज'' नाम से एक हिन्दी पत्रिका का नियमित प्रकाशन भी किया जा रहा है।

7.16. खेल सुविधाएं

इग्रुआ में इनडोर और आउटडोर खेलों यथा स्क्वाश, बैडमिन्टन, बास्केटबाल, वालीबाल, फुटबाल, टेबल टेनिस, पूल टेबल एवम बहु–जिम उपकरणो से सुसज्जित जिम की व्यवस्था है। इसके अलावा विश्वविद्यालय परिसर में कर्मचारियों के स्वास्थकर लाभ के लिए स्विमिंग पुल की सुविधा भी स्थाापित है। प्रत्येक वर्ष विद्यार्थियों के लिए वार्षिक खेल समारोह आयोजित किए जाते हैं।

7.17. सांस्कृतिक क्रियाकलाप

इग्रुआ में विभिन्नं सांस्कृतिक कार्यक्रमों एवं समारोहों के आयोजन के लिए वातानुकूलित सभागृह स्थापित है। जिसमें सांस्कृतिक कार्यक्रमों एवं सम्बद्ध क्रियाकलापों के प्रति उड़ान विद्यार्थियों में अत्यधिक उत्साह जागृत हुआ है। इग्रुआ में ''पूर्ण उल्लास'' के साथ प्रत्येक वर्ष स्थापना दिवस के अवसर पर सांस्कतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं।

7.18. दिव्यांगजन अधिनियम,1995 का कार्यान्वयन

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा जारी दिव्यांग व्यक्तियों से सम्बंधित दिशानिर्देश अकादमी में लागू हैं और दिव्यांग व्यक्तियों को उसका यथासंभव लाभ प्रदान किया जाता है।

7.19. पूर्वोत्तर क्षेत्र में विकास क्रियाकलापों से संबंधित मामले:

इग्रुआ एक स्वायत्त निकाय है तथा इसका मुख्यालय फुरसतगंज, अमेठी (जिला), उत्तर प्रदेश में स्थित है तथा इस प्रकार ऐसे कोई मामले नहीं हैं।

7.20. अनुजाति/जनजाति / अन्य पिछड़े वर्ग का प्रतिनिधित्व

वर्ष 1996 के पश्चात से किसी प्रकार की नियमित भर्ती नहीं की गई है। 31.12.2020 की स्थिति के अनुसार अ.जा./अ.जजा./अ.पि.व. के प्रतिनिधित्व की स्थिति नीचे तालिका में दर्शाई गई है:–

संगठन का नाम	कर्मचारियों की कुल संख्या	अ.जा. कर्मचारियों की कुल संख्या	%	अ.ज.जा. कर्मचारियों की कुल संख्या	%	अ.पि.व. कर्मचारियों की कुल संख्या	%
1	2	3	4	5	6	7	8
इग्रुआ	117	23	19.65	1	0.85	51	43.58

7.21. वरिष्ठ नागरिक कल्याण

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा जारी दिशानिर्देशो के अनुसार तथा वृद्ध व्यक्तियों की राष्ट्रीय नीति में की गई संकल्पना के अनुसार सभी संबंधितों को वृद्ध व्यक्तियों के प्रति उचित और तत्पर व्यवहार का सुनिश्चय करने के निर्देश जारी किए गए हैं।

7.22. फीस संरचना

प्रारंभिक से मल्टी इंजन पृष्ठांकन सहित वाणिज्यिक पायलट लाइसेंस का प्रशिक्षण शुल्क 45.00 लाख रुपए है तथा आवास भोजन के लिए प्रभार लिए जाते हैं (लगभग 12,000 रुपए प्रतिमाह)

7.23. भावी योजनाएं

- विद्यार्थियों के प्रवेश की वर्तमान 70–75 प्रति वर्ष की संख्या को बढ़ाकर 150 करना।
- पुराने विमान बेड़े के स्थान पर एटीएफ का उपयोग करने वाले डीजल इंजन युक्त नए विमान को बेड़े में शामिल करना।
- विमान अनुरक्षण इंजीनियरिंग विद्यालय की स्थापना करना।

8. भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण

8.1. प्रस्तावना

श्री नरेश चंद्र समिति की रिपोर्ट की सिफारिशों के परिणामस्वरूप, भारत सरकार ने भारतीय विमानपत्तसन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण (ऐरा) की स्थापना की। यह भारतीय विमानपत्तमन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 2008 के तहत गठित सांविधिक निकाय है, इसकी स्थापना सरकार की दिनांक 12.05.2009 की अधिसूचना संख्यां जीएसआर 317 (ई) द्वारा की गई। इसका प्रधान कार्यालय नई दिल्ली में है।

8.2. संगठनात्मक स्वरूप

प्राधिकरण का संगठनात्मक स्वरूप नीचे दर्शाया गया है:

ऐरा के स्टाफ में विमानन क्षेत्र, वित्त क्षेत्र आदि में अनुभव प्राप्त विभिन्न केंद्रीय, राज्य सेवाओं और विभागों/संगठनों से प्रतिनियुक्ति पर आए अधिकारी/कर्मचारी हैं।

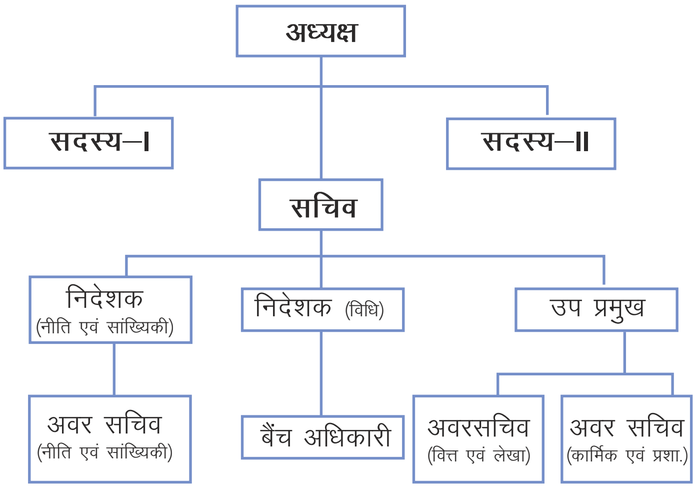

8.3. विनियम का दायरा

अधिनियम में निर्धारित किए अनुसार प्राधिकरण के मुख्य कार्य निम्नानुसार हैं:

- वैमानिक सेवाओं के लिए टैरिफ निर्धारित करना
- प्रमुख हवाई अड्डों के संबंध में विकास शुल्क की राशि निर्धारित करना
- वायुयान अधिनियम, 1934 (1934 का 22) के तहत बनाए गए वायुयान नियम, 1937 के नियम 88 के तहत वसूले जाने वाले पीएसएफ की राशि निर्धारित करना
- सेवा की गुणवत्ता, निरंतरता और विश्वसनीयता से संबंधित ऐसे निर्धारित निष्पादन मानकों को मॉनीटर करना, जो केन्द्रीय सरकार या इस संबंध में उसके द्वारा प्राधिकृत किसी प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं।

2. हाल ही में पुराने ऐरा अधिनियम, 2008 के स्थान पर ऐरा (संशोधन) अधिनियम 2019 बनाया गया है, जो दिनांक 2 6.09.2019 की राजपत्र अधिसूचना द्वारा लागू हुआ है। इसमें ''प्रमुख हवाई अड्डों'' की परिभाषा को निम्नानुसार संशोधित किया गया है:

''.....ऐसा कोई भी हवाई अड्डा, जहां से हर वर्ष साढ़े तीन मिलियन से अधिक यात्री यात्रा करते हैं या जो हवाई अड्डा इतनी यात्रा के लिए निर्दिष्ट है या अन्य कोई भी ऐसा हवाई अड्डा, जिसके बारे में केंद्र सरकार अधिसूचना द्वारा प्रमुख हवाईअड्डे के रूप में उल्लेख करे।''

इस समय भारत में 24 प्रमुख हवाई अड्डे हैं, अर्थात :–

1. इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा, दिल्ली
2. छत्रपति शिवाजी महाराज अंतरराष्ट्रीहय हवाईअड्डा, मुम्बई
3. कैपेंगोड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा, बैंगलुरू
4. राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा, हैदराबाद
5. कोचीन अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा, कोच्चि
6. चंडीगढ़ अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा, चंडीगढ़
7. चेन्नै अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा, चेन्नै
8. नेताजी सुभाष चन्द्र बोस अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा, कोलकाता
9. सरदार वल्लसभभाई पटेल अंतरराष्ट्री्य हवाईअड्डा, अहमदाबाद
10. त्रिवेन्द्रम अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा, तिरुवनन्तपुरम
11. चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा, लखनऊ
12. जयपुर अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा, जयपुर
13. लोकप्रिय गोपीनाथ बारदोलोई अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा, गुवाहाटी
14. कालीकट अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा, कोझीकोड
15. गोवा अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा, गोवा
16. पुणे अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा, पुणे
17. जय प्रकाश नारायण अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा, पटना
18. गुरू राम दास जी अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा, अमृतसर
19. लाल बहादुर शास्त्री अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा, वाराणसी
20. बीजू पटनायक अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा, भुवनेश्ववर

21. स्वामी विवेकानंद हवाईअड्डा, रायपुर
22. तिरूचिरापल्ली अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा, तिरूचिरापल्ली
23. मंगलौर अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा, मंगलूरू
24. कन्नूर अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा लिमिटेड, कन्नूर

3. दिनांक 01 जनवरी, 2020 से 31 दिसम्बर, 2020 के दौरान भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण (ऐरा) ने हवाईअड्डों के विनियमन और वैमानिक सेवाओं के लिए अपनी पद्धति के आधार पर निम्नलिखित आदेश जारी किए:

क्र. सं.	आदेश संख्यां	विषय	जारी करने की तारीख
हवाईअड्डा टैरिफ आदेश			
01	आदेश संख्यां 34/2019–20	द्वितीय नियंत्रण अवधि (01.04.2016 –31.03.2021) के लिए राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा (एचवाईडी) शम्शाबाद, हैदराबाद के संबंध में वैमानिक टैरिफों के निर्धारण के मामले में।	27.03.2020
02	आदेश संख्यां 54/2020–21	प्रथम नियंत्रण अवधि (01.04.2020 से 31.03.2025) के लिए स्वामी विवेकानंद हवाई अड्डा, रायपुर (आरपीआर)के लिए वैमानिक टैरिफों के निर्धारण के मामले में।	18.12.2020
03	आदेश संख्यां 55/2020–21	प्रथम नियंत्रण अवधि (01.04.2020 से 31.03.2025) के लिए तिरूचिरापल्ली अंतरराष्ट्रीमय हवाईअड्डा (टीआरजेड),के संबंध में वैमानिक टैरिफों के निर्धारण के संबंध में।	22.12.2020
04	आदेश संख्यां 56/2020–21	प्रथम नियंत्रण अवधि (01.04.2019 से 31.03.2024) के लिए श्री गुरू रामदासजी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा (एटीक्यू), अमृतसर के लिए वैमानिक टैरिफों के निर्धारण के संबंध में।	24.12.2020
05	आदेश संख्यां 57/2020–21	तृतीय नियंत्रण अवधि (01.04.2019 से 31.03.2024) के लिए इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, दिल्ली (डीईएल)के लिए वैमानिक टैरिफों के निर्धारण के मामले में।	30.12.2020
06	आदेश संख्यां 59/2020–21	प्रथम नियंत्रण अवधि (01.04.2019 से 31.03.2024) के लिए लाल बहादुर शास्त्री अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा (वीएनएस), वाराणसी के लिए वैमानिक टैरिफों के निर्धारण के मामले में।	31.12.2020
ईंधन थ्रूपुट प्रभार (एफटीसी के बदले प्रतिकर)			
07	आदेश संख्यां 05/2020–21	कैंपेगोड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, बैंगलुरू में ईंधन थ्रूपूट प्रभारों के बदले में प्रतिकर के प्रावधान के मामले में।	19.05.2020
08	आदेश संख्यां 06/2020–21	कोचीन अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर ईंधन थ्रूपूट प्रभारों के बदले में प्रतिकर के प्रावधान के मामले में।	19.05.2020
09	आदेश संख्यां 07/2020–21	छत्रपति शिवाजी महाराज अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा, मुम्बई में ईंधन थ्रूपूट प्रभारों के बदले में प्रतिकर के प्रावधान के मामले में।	19.05.2020
10	आदेश संख्यां 10/2020–21	एएआई गोवा हवाई अड्डे (सिविल एन्कलेव) पर ईंधन थ्रूपूट प्रभारों के बदले में प्रतिकर के प्रावधान के मामले में।	12.06.2020
11	आदेश संख्यां 11/2020–21	एएआई पुणे हवाई अड्डे (सिविल एन्कलेव) पर ईंधन थ्रूपूट प्रभारों के बदले में प्रतिकर के प्रावधान के मामले में।	12.06.2020
12	आदेश संख्यां 12/2020–21	एएआई विशाखापट्टनम हवाई अड्डे (सिविल एन्कलेव) पर ईंधन थ्रूपूट प्रभारों के बदले में प्रतिकर के प्रावधान के मामले में।	12.06.2020
13	आदेश संख्यां 17/2020–21	सरदार वल्लभभाई पटेल अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, अहमदाबाद में ईंधन थ्रूपूट प्रभारों के बदले में प्रतिकर के प्रावधान के मामले में।	01.07.2020

14	आदेश संख्यां 18/2020–21	जयपुर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, जयपुर में ईंधन थ्रूपूट प्रभारों के बदले में प्रतिकर के प्रावधान के मामले में।	01.07.2020
15	आदेश संख्या 20/2020–21	लोकप्रिय गोपीनाथ बारदोलोइ (एलजीबी) अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, गुवाहाटी में ईंधन थ्रूपूट प्रभारों के बदले में प्रतिकर के प्रावधान के मामले में।	01.07.2020
16	आदेश संख्या 21/2020–21	कालीकट अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, कालीकट (सीआईए) में ईंधन थ्रूपूट प्रभारों के बदले में प्रतिकर के प्रावधान के मामले में।	01.07.2020
17	आदेश संख्या 22/2020–21	चेन्नै अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, चेन्नै में ईंधन थ्रूपूट प्रभारों के बदले में प्रतिकर के प्रावधान के मामले में।	02.07.2020
18	आदेश संख्या 23/2020–21	नेताजी सुभाष चन्द्र बोस अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा (एनएससीबीआई), कोलकाता में ईंधन थ्रूपूट प्रभारों के बदले में प्रतिकर के प्रावधान के मामले में।	02.07.2020
19	आदेश संख्या 24/2020–21	चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, अमौसी, लखनऊ (सीसीएसआईए) में ईंधन थ्रूपूट प्रभारों के बदले में प्रतिकर के प्रावधान के मामले में।	02.07.2020
20	आदेश संख्या 25/2020–21	त्रिवेन्द्रम अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, तिरूवनन्तपुरम (टीवीएम) में ईंधन थ्रूपूट प्रभारों के बदले में प्रतिकर के प्रावधान के मामले में।	02.07.2020
21	आदेश संख्या 26/2020–21	बीजू पटनायक अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा (बीबीआई), भुवनेश्वर में ईंधन थ्रूपूट प्रभारों के बदले में प्रतिकर के प्रावधान के मामले में।	09.07.2020
22	आदेश संख्या 27/2020–21	कोयम्बटूर हवाईअड्डे पर ईंधन थ्रूपूट प्रभारों के बदले में प्रतिकर के प्रावधान के मामले में।	09.07.2020
23	आदेश संख्या 28/2020–21	देवी अहिल्याबाई होल्कर हवाई अड्डा (आईडीआर), इन्दौर में ईंधन थ्रूपूट प्रभारों के बदले में प्रतिकर के प्रावधान के मामले में।	09.07.2020
24	आदेश संख्या 29/2020–21	जयप्रकाश नारायण अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा (पीएटी), पटना में ईंधन थ्रूपूट प्रभारों के बदले में प्रतिकर के प्रावधान के मामले में।	09.07.2020
25	आदेश संख्या 32/2020–21	डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, नागपुर में ईंधन थ्रूपूट प्रभारों के बदले में प्रतिकर के प्रावधान के मामले में।	21.08.2020
26	आदेश संख्या 33/2020–21	चंडीगढ़ अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा लिमिटेड (सिविल एन्कलेव) में ईंधन थ्रूपूट प्रभारों के बदले में प्रतिकर के प्रावधान के मामले में।	27.08.2020
स्वतंत्र सेवा प्रदाता (ग्राउंड हैंडलिंग)			
27	आदेश संख्या 21/2019–20	मैसर्स ग्लोब ग्राउंड इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के संबंध में द्वितीय नियंत्रण अवधि के वित्त वर्ष 2019–20 और वित्त वर्ष 2020–21 के लिए केम्पगोड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, बैंगलुरू में ग्रांउड हैंडलिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए वार्षिक टैरिफ प्रस्तागव (एटीपी) के मामले में।	17.01.2020
28	आदेश संख्या 22/2019–20	मैसर्स एयर इंडिया एसएटीएस एयरपोर्ट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड (एआईएसएटीएस) के संबंध में द्वितीय नियंत्रण अवधि वित्त वर्ष 2016–17 से 2020–21 के लिए (वित्त वर्ष 2019–20 और वित्त वर्ष 2020–21) के लिए त्रिवेन्द्रम अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर ग्रांउड हैंडलिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए वार्षिक टैरिफ प्रस्ताव के मामले में।	10.02.2020

29	आदेश संख्यां 23/2019–20	मैसर्स एयर इंडिया एयर ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड (एआईएटीएसएस) के संबंध में द्वितीय नियंत्रण अवधि के वित्त वर्ष 2019–20 और वित्त वर्ष 2020–21 के लिए अमृतसर, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, गोवा, जयपुर, पटना, पुणे वाराणसी और लखनऊ अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डों पर ग्राउंड हैंडलिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए बहुवर्षीय टैरिफ प्रस्ताव (एमवाईटीपी) और वार्षिक टैरिफ प्रस्ताव (एटीपी) के मामले में।	14.02.2020
30	आदेश संख्या 24/2019–20	मैसर्स सैलेबी एनएएस, एयरपोर्ट सर्विसेज इंड़िया प्राइवेट लिमिटेड के संबंध में द्वितीय नियंत्रण अवधि (01.04.2016 से 31.03.2021 तक) के लिए सीएसएमआई हवाई अड्डा, मुम्बई में ग्राउंड हैंडलिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए बहुवर्षीय टैरिफ प्रस्ताव (एमवाईटीपी) और वार्षिक टैरिफ प्रस्ताव (एटीपी) (टी4 और टी5) के मामले में।	17.02.2020
31	आदेश संख्या 25/2019–20	मैसर्स एयर इंडिया एसएटीएस एयरपोर्ट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड (एआईएसएटीएस) के संबंध में द्वितीय नियंत्रण अवधि (वित्त वर्ष 2016–17 से वित्त वर्ष 2020–21) (वित्त वर्ष 2019–20 और वित्त वर्ष 2020–21) के लिए राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, हैदराबाद में ग्राउंड हैंडलिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए वार्षिक टैरिफ प्रस्ताव के मामले में।	18.02.2020
32	आदेश संख्यां 29/2019–20	मैसर्स ग्लोवब ग्राउंड इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के संबंध में द्वितीय नियंत्रण अवधि के चौथे और पांचवें टैरिफ वर्ष (वित्तत वर्ष 2019–20 और वित्त वर्ष 2020–21) के लिए हैदराबाद स्थित राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर ग्राउंड हैंडलिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए बहुवर्षीय और वार्षिक टैरिफ प्रस्ताव के मामले में।	13.03.2020
33	आदेश संख्यां 03/2020–21	मैसर्स सैलेबी एयरपोर्ट सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के संबंध में राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा, हैदराबाद में ग्राउंड हैंडलिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए द्वितीय नियंत्रण अवधि के चौथे और पांचवें टैरिफ वर्ष (वित्त वर्ष 2019–20 और 2020–21) के लिए बहुवर्षीय टैरिफ प्रस्ताव और वार्षिक टैरिफ प्रस्ताव के मामले में।	13.05.2020
34	आदेश संख्यां 08/2020–21	मैसर्स एयर इंडिया एसएटीएस एयरपोर्ट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड (एआईएसएटीएस) के संबंध में कैंपेगोड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा (केआईए), बैंगलुरू में कॉर्गो हैंडलिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए द्वितीय नियंत्रण अवधि (वित्त वर्ष 2016–17 से वित्त वर्ष 2020–21) के लिए वित्त वर्ष 2019–20 और वित्त वर्ष 2020–21 के लिए वार्षिक टैरिफ प्रस्ताव के मामले में।	28.05.2020
स्वतंत्र सेवा प्रदाता (कार्गो)			
35	आदेश संख्या 26/2019–20	मैसर्स केरल स्टेट इंडस्ट्रियल एंटरप्राइजेज लिमिटेड (केएसआईइएल) के संबंध में द्वितीय नियंत्रण अवधि (01.04.2016 से 31.03.2021) के चौथे और पांचवें टैरिफ वर्ष (01.04.2019 से 31.03.2020 और 01.04.2020 से 31.03.2021) के लिए त्रिवेन्द्रम अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर कार्गो हैंडलिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए वार्षिक टैरिफ प्रस्ताव के मामले में।	19.02.2020
36	आदेश संख्या 27/2019–20	जीएमआर एयर कार्गो एंड एयरोस्पेस इंजीनियरिंग लिमिटेड (पूर्व में हैदराबाद मैनजीस एयर कार्गो प्राइवेट लिमिटेड के रूप में ज्ञात के प्रभाग मैसर्स जीएमआर हैदराबाद एयर कार्गो के संबंध में चौथे और पांचवें टैरिफ वर्ष (वित्त 2019–20 और 2020–21) के लिए हैदराबाद स्थित राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय (आरजीआई) हवाई अड्डे पर कार्गो हैंडलिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए वार्षिक टैरिफ प्रस्ताव के मामले में।	25.2.2020
37	आदेश संख्या 32/2019–20	मैसर्स एयर इंडिया एसएटीएस एयरपोर्ट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड (एआईएसएटीएस) के संबंध में कैंपेगोड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा (केआईए), बैंगलुरू में कॉर्गो हैंडलिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए वित्त वर्ष (2019–20) चौथे टैरिफ वर्ष और वित्त वर्ष (2020–21) पांचवें टैरिफ वर्ष के लिए वार्षिक टैरिफ प्रस्ताव (एटीपी) के मामले में।	20.03.2020

38	आदेश संख्या 01/2020–21	मैसर्स केरला स्टेट इंडस्ट्रीयल इंटरप्राइजेज लिमिटेड (केएसआईईएल) की द्वितीय नियंत्रण अवधि (01.04.2016 से 31.03.2021) के चौथे और पांचवें टैरिफ वर्ष (01.04.2019 से 31.03.2020 और 01.04.2020 से 31.03.2021) के लिए वार्षिक टैरिफ प्रस्ताव के मामले में।	03.04.2020
39	आदेश संख्या 02/2020–21	मैसर्स देहली कार्गो सर्विस सेन्टर प्राइवेट लिमिटेड (डीसीएससी) के संबंध में इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा, नई दिल्ली में वित्त वर्ष 2020–21 के लिए दिनांक 04.10.2018 के आदेश संख्या 22/2018–19 के माध्यम से ऐरा द्वारा निर्धारित टैरिफ के विनियमितीकरण के लिए अनुमोदन।	06.05.2020
40	आदेश संख्या 16/2020–21	चैन्ने अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, चैन्ने के संबंध में प्रथम नियंत्रण अवधि (01.04.2019 से 31.03.2024) के लिए कार्गो हैंडलिंग और कूरियर कार्गो हैंडलिंग सेवा प्रदान करने के लिए एएआई कार्गो लाजिस्टिक्स एंड एलायड सर्विसेस कंपनी लिमिटेड (एएआईसीएलएएस) के लिए टैरिफों के निर्धारण के मामले में।	29.06.2020
41	आदेश संख्या 34/2020–21	प्रथम नियंत्रण अवधि (वित्त वर्ष 2019–20 से वित्त वर्ष 2023–24) के लिए जयप्रकाश नारायण अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, पटना में कार्गो सेवाएं प्रदान करने के लिए एएआई कार्गो लाजिस्टिक्स एंड अलायड सर्विस कंपनी लिमिटेड के लिए टैरिफों के निर्धारण के मामले में।	01.09.2020
42	आदेश संख्या 35/2020–21	प्रथम नियंत्रण अवधि (वित्त वर्ष 2019–20 से वित्त वर्ष 2023–24) के लिए पुणे अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर कार्गो हैंडलिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए एएआई कार्गो लाजिस्टिक्स एंड अलायड सर्विस कंपनी लिमिटेड के लिए टैरिफों के निर्धारण के मामले में।	01.09.2020
43	आदेश संख्या 36/2020–21	प्रथम नियंत्रण अवधि (वित्त वर्ष 2019–20 से वित्त वर्ष 2023–24) के लिए श्री गुरू रामदासजी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, अमृतसर में कार्गो हैंडलिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए एएआई कार्गो लाजिस्टिक्स एंड अलायड सर्विस कंपनी लिमिटेड के लिए टैरिफों के निर्धारण के मामले में।	01.09.2020
44	आदेश संख्या 37/2020–21	प्रथम नियंत्रण अवधि (वित्त वर्ष 2019–20 से वित्त वर्ष 2023–24) के लिए बीजू पटनायक अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा (बीबीआई), भूवनेश्वर में कार्गो हैंडलिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए एएआई कार्गो लाजिस्टिक्स एंड अलायड सर्विस कंपनी लिमिटेड के लिए टैरिफों के निर्धारण के मामले में।	01.09.2020
45	आदेश संख्या 38/2020–21	प्रथम नियंत्रण अवधि (वित्त वर्ष 2019–20 से वित्त वर्ष 2023–24) के लिए गोवा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर कार्गो हैंडलिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए एएआई कार्गो लाजिस्टिक्स एंड अलायड सर्विस कंपनी लिमिटेड के लिए टैरिफों के निर्धारण के मामले में।	01.09.2020
46	आदेश संख्या 39/2020–21	प्रथम नियंत्रण अवधि (वित्त वर्ष 2019–20 से वित्त वर्ष 2023–24) के लिए लोकप्रिय गोपीनाथ बारदोलाइ (एलजीबी) अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, गुवाहाटी में कार्गो हैंडलिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए एएआई कार्गो लाजिस्टिक्स एंड अलायड सर्विस कंपनी लिमिटेड के लिए टैरिफों के निर्धारण के मामले में।	01.09.2020
47	आदेश संख्या 40/2020–21	प्रथम नियंत्रण अवधि (वित्त वर्ष 2019–20 से वित्त वर्ष 2023–24) के लिए जयपुर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, जयपुर में कार्गो हैंडलिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए एएआई कार्गो लाजिस्टिक्स एंड अलायड सर्विस कंपनी लिमिटेड के लिए टैरिफों के निर्धारण के मामले में।	01.09.2020
48	आदेश संख्या 41/2020–21	प्रथम नियंत्रण अवधि (वित्त वर्ष 2019–20 से वित्त वर्ष 2023–24) के लिए चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, लखनऊ में कार्गो हैंडलिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए एएआई कार्गो लाजिस्टिक्स एंड अलायड सर्विस कंपनी लिमिटेड के लिए टैरिफों के निर्धारण के मामले में।	01.09.2020

49	आदेश संख्या 42/2020–21	प्रथम नियंत्रण अवधि (वित्त वर्ष 2019–20 से वित्त वर्ष 2023–24) के लिए त्रिवेन्द्रम अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर कार्गो हैंडलिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए एआई कार्गो लाजिस्टिक्स एंड अलायड सर्विस कंपनी लिमिटेड के लिए टैरिफों के निर्धारण के मामले में।	01.09.2020
50	आदेश संख्या 43/2020–21	प्रथम नियंत्रण अवधि (वित्त वर्ष 2019–20 से वित्त वर्ष 2023–24) के लिए लाल बहादुर शास्त्री अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, वाराणसी में कार्गो हैंडलिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए एआई कार्गो लाजिस्टिक्स एंड अलायड सर्विस कंपनी लिमिटेड के लिए टैरिफों के निर्धारण के मामले में।	01.09.2020
51	आदेश संख्या 45/2020–21	प्रथम नियंत्रण अवधि (वित्त वर्ष 2019–20 से वित्त वर्ष 2023–24) के लिए मंगलौर अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे पर कार्गो हैंडलिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए एआई कार्गो लाजिस्टिक्स एंड अलायड सर्विस कंपनी लिमिटेड के लिए टैरिफों के निर्धारण के मामले में।	17.09.2020
52	आदेश संख्या 60/2020–21	एआई कार्गो लाजिस्टिक्स एंड अलायड सर्विसेस कंपनी लिमिटेड (एआईसीएलएएस) के लिए नेताजी सुभाष चन्द्र बोस अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा (एनएससीबी), कोलकाता में 01.04.2019 से 31.03.2024 तक की प्रथम नियंत्रण अवधि के लिए कार्गो हैंडलिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए टैरिफ के निर्धारण के मामले में।	31.12.2020
अवधि बढ़ाने की अंतरिम व्यवस्था			
53	आदेश संख्यां 20/2019–20	कॉर्गो सुविधा, ग्राउंड हैंडलिंग और विमान में ईंधन की आपूर्ति करने वाले स्वतंत्र सेवा प्रदाताओं द्वारा प्रदान की जाने वाली वैमानिक सेवाओं के आर्थिक विनियमन के मामले में द्वितीय नियंत्रण अवधि के लिए 31.12.2019 के बाद मौजूदा टैरिफ की वसूली को जारी रखने की अंतरिम व्यवस्था।	03.01.2020
54	आदेश संख्यां 28/2019–20	हवाईअड्डा प्रचालकों द्वारा प्रदान की जाने वाली वैमानिक सेवाओं के आर्थिक विनियमन संबंधी दिनांक 25.03.2019 के आदेश संख्या 48ध्2018–19 के मामले में। प्रथम नियंत्रण अवधि के लिए 30.09.2019 के बाद मौजूदा टैरिफों की वसूली जारी रखने के लिए अंतरिम व्यवस्था।	26.02.2020
55	आदेश संख्यां 30/2019–20	मुम्बई अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा प्राइवेट लिमिटेड (मायल) द्वारा प्रदान की जाने वाली वैमानिक सेवाओं के आर्थिक विनियमन संबंधी दिनांक 30.09.2019 के आदेश संख्या 10ध्2019–20 के मामले में। तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए 31.03.2020 के बाद मौजूदा टैरिफों की वसूली जारी रखने के लिए अंतरिम व्यवस्था।	20.03.2020
56	आदेश संख्या 31/2019–20	दिल्ली अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा प्राइवेट लिमिटेड (डायल) द्वारा प्रदान की जाने वाली वैमानिक सेवाओं के आर्थिक विनियमन संबंधी दिनांक 30.09.2019 के आदेश संख्या 09ध्2019–20 के मामले में। तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए 31.03.2020 के बाद मौजूदा टैरिफों की वसूली जारी रखने के लिए अंतरिम व्यवस्था।	20.03.2020
57	आदेश संख्यां 33/2019–20	दिनांक 26.09.2019 के आदेश संख्या 08/2019–20 और दिनांक 03.01.2020 के आदेश संख्या 20/2019–20 के बाद कार्गो सुविधा, ग्राउंड हैंडलिंग और विमानों में ईंधन की आपूर्ति करने वाले हवाई अड्डा प्रचालकों/स्वतंत्र सेवा प्रदाताओं द्वारा प्रदान की जाने वाली वैमानिक सेवाओं के आर्थिक विनियमन के मामले में– मौजूदा टैरिफों की वसूली जारी रखने की अंतरिम व्यवस्था।	24.03.2020

58	आदेश संख्या 04/2020–21	कॉर्गो सुविधा, ग्राउंड हैंडलिंग और विमान में ईंधन की आपूर्ति करने वाले स्वतंत्र सेवा प्रदाताओं द्वारा प्रदान की जाने वाली वैमानिक सेवाओं के आर्थिक विनियमन संबंधी दिनांक 24.03.2020 के आदेश संख्या 33/2019–20 के मामले में– प्रथम नियंत्रण अवधि के लिए मौजूदा टैरिफों की वसूली को जारी रखने के लिए अंतरिम व्यवस्था।	13.05.2020
59	आदेश संख्या 09/2020–21	कॉर्गो सुविधा, ग्राउंड हैंडलिंग और विमान में ईंधन की आपूर्ति करने वाले स्वतंत्र सेवा प्रदाताओं द्वारा प्रदान की जाने वाली वैमानिक सेवाओं के आर्थिक विनियमन संबंधी दिनांक 03.01.2020 के आदेश संख्या 20/2019–20 के मामले में– द्वितीय नियंत्रण अवधि के लिए 30.06.2020 के बाद मौजूदा टैरिफों की वसूली जारी रखने के लिए अंतरिम व्यवस्था।	01.06.2020
60	आदेश संख्या 13/2020–21	दिल्ली अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा प्राइवेट लिमिटेड (डायल) द्वारा प्रदान की जाने वाली वैमानिक सेवाओं के आर्थिक विनियमन संबंधी दिनांक 20.03.2020 के आदेश संख्या 31/2019–20 के मामले में। तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए 30.06.2020 के बाद मौजूदा टैरिफों की वसूली जारी रखने के लिए अंतरिम व्यवस्था।	18.06.2020
61	आदेश संख्या 14/2020–21	हवाईअड्डा प्रचालकों द्वारा प्रदान की जाने वाली वैमानिक सेवाओं के आर्थिक विनियमन संबंधी दिनांक 26.02.2020 के आदेश संख्या 28/2019–20 के मामले में। प्रथम नियंत्रण अवधि के लिए 30.06.2020 के बाद मौजूदा टैरिफों की वसूली जारी रखने के लिए अंतरिम व्यवस्था।	18.06.2020
62	आदेश संख्यां 15/2020–21	द्वितीय नियंत्रण अवधि के पांचवें टैरिफ वर्ष के लिए 31.07.2020 के बाद मौजूदा टैरिफों की वसूली जारी रखने के लिए इंडियन ऑयल स्काईटैंकिंग प्राइवेट लिमिटेड (आईओएसएल) द्वारा दिल्ली हवाईअड्डे पर प्रदान की जाने वाली इंटोप्लेन सेवाओं के विनियमन संबंधी दिनांक 19.09.2018 के आदेश संख्या 19/2018–19 के मामले में।	25.06.2020
63	आदेश संख्या 19/2020–21	द्वितीय नियंत्रण अवधि के पांचवें टैरिफ वर्ष के लिए 31.07.2020 के बाद मौजूदा टैरिफों की वसूली जारी रखने के लिए भारत स्टार्स सर्विसेस (देहली) प्राइवेट लिमिटेड द्वारा दिल्ली हवाईअड्डे पर प्रदान की जाने वाली इंटोप्लेन सेवाओं के विनियमन संबंधी दिनांक 27.09.2018 के आदेश संख्या 20/2018–19 के मामले में।	01.07.2020
64	आदेश संख्यां 30/2020–21	मैसर्स सीएससी को अंतरराष्ट्रीय कूरियर कार्गो (अंतरिम आधार पर) के संचालन के लिए टैरिफ के अनुमोदन के मामले में।	31.07.2020
65	आदेश संख्या 31/2020–21	कार्गो सुविधा वाले वैमानिक सेवा प्रदाता के आर्थिक विनियमन संबंधी दिनांक 26.09.2019 के आदेश संख्या 08/2019–20 के मामले में– द्वितीय नियंत्रण अवधि (अहमदाबाद में जीएसईसी, कार्गो) के लिए 31.03.2020 के बाद मौजूदा टैरिफों की वसूली जारी रखने के लिए अंतरिम व्यवस्था।	13.08.2020
66	आदेश संख्या 44/2020–21	कन्नूर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा लिमिटेड (कायल) द्वारा किए जाने वाले कार्गो प्रचालनों के आर्थिक विनियमन के मामले में– कार्गो सेवाओं के लिए तदर्थ टैरिफ आदेश	03.09.2020
67	आदेश संख्या 46/2020–21	कार्गो सुविधा, ग्राउंड हैंडलिंग और विमान में ईंधन की आपूर्ति करने वाले हवाईअड्डा प्रचालकों और स्वतंत्र सेवा प्रदाताओं द्वारा प्रदान की जाने वाली वैमानिक सेवाओं के आर्थिक विनियमन संबंधी दिनांक 20 मार्च, 2020 के आदेश संख्या 30/2019–20, दिनांक 18 जून, 2020 के 13/2020–21, दिनांक 18 जून, 2020 के 14/2019–20, दिनांक 24.03.2020 के 33/2019–19 और दिनांक 18.12.2018 के 36/2018–19 के मामले में– संगत नियंत्रण अवधि के लिए 30.09.2020 के बाद मौजूदा टैरिफों की वसूली जारी रखने के लिए अंतरिम व्यवस्था।	29.09.2020

68	आदेश संख्या 47 / 2020–21	मुम्बई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा प्राइवेट लिमिटेड (मायल) पर ईंधन थ्रूपूट प्रभारों के बदले में प्रतिकर के प्रावधान संबंधी दिनांक 19.05.2020 के आदेश संख्या 07 / 2020–21 के मामले में– 30.09.2020 के बाद मौजूदा' प्रति लैंडिंग तदर्थ प्रभार'' की वसूली जारी रखने के लिए अंतरिम व्यवस्था	08.10.2020
69	आदेश संख्या 48 / 2020–21	हवाई अड्डा प्रचालक, अदानी मंगलुरू अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा लिमिटेड द्वारा प्रदान की जाने वाली वैमानिक सेवाओं के आर्थिक विनियमन संबंधी दिनांक 29.09.2020 के आदेश संख्या 46 / 2020–21 द्वारा मंगलुरू अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के संबंध में 31.10.2020 से 31.03.2021 तक या प्रथम नियंत्रण अवधि के लिए टैरिफों का निर्धारण होने तक, जो भी पहले हो, मौजूदा टैरिफों की वसूली जारी रखने के लिए अंतरिम व्यवस्था के मामले में।	29.10.2020
70	आदेश संख्या 49 / 2020–21	02.11.2020 से 31.03.2021 तक हवाई अड्डा प्रचालक द्वारा प्रदान की जाने वाली वैमानिक सेवाओं के आर्थिक विनियमन संबंधी दिनांक 16.02.2018 के आदेश संख्या 37 / 2018–19 और दिनांक 02.07.2020 के आदेश संख्या 24 / 2020–21 द्वारा चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय (सीसीएसआई) हवाई अड्डा, लखनऊ के संबंध में मौजूदा टैरिफों की वसूली जारी रखने की व्यवस्था के मामले में।	29.10.2020
71	आदेश संख्या 50 / 2020–21	छत्रपति शिवाजी महाराज अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा (सीएसएमआईए), मुम्बई में कूरियर कॉर्गो सेवाओं संबंधी दिनांक 31.07.2020 के आदेश संख्या 30 / 2020–21 द्वारा मैसर्स सीएससी के संबंध में 31.10.2020 के बाद मौजूदा टैरिफों की वसूली जारी रखने की अंतरिम व्यवस्था के मामले में।	29.10.2020
72	आदेश संख्या 51 / 2020–20	चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय (सीसीएसआई) हवाई अड्डा, लखनऊ में कॉर्गो हैंडलिंग सेवाओं के लिए अदानी लखनऊ अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा लिमिटेड (एएलआईएएल) के संबंध में मौजूदा टैरिफों की वसूली जारी रखने की व्यवस्था के मामले में	04.11.2020
73	आदेश संख्या 52 / 2020–21	हवाईअड्डा प्रचालक, अदानी अहमदाबाद अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा लिमिटेड (एएआईएएल) द्वारा प्रदान की जाने वाली वैमानिक सेवाओं के आर्थिक विनियमन संबंधी दिनांक 23.07.2018 के आदेश संख्या 14 / 2018–19, दिनांक 01.07.2020 के आदेश संख्या 17 / 2020–21 और दिनांक 14.11.2018 के आदेश संख्या 27 / 2018–19 द्वारा सरदार वल्लभभाई पटेल अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा (एसवीपीआईए), अहमदाबाद के संबंध में 07.11.2020 से 31.03.2021 तक मौजूदा टैरिफों (वैमानिक प्रभार और अंतरदेशीय कार्गो हैंडलिंग प्रभार) की वसूली जारी रखने की व्यवस्था के मामले में।	06.11.2020
74	आदेश संख्या 53 / 2020–21	छत्रपति शिवाजी महाराज अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा (सीएसएमआईए), मुम्बई में कूरियर कॉर्गो सेवाओं संबंधी दिनांक 29.10.2020 के आदेश संख्या 50 / 2020–21 द्वारा मैसर्स कार्गो सर्विस सेन्टर (सीएससी) के संबंध में 30.11.2020 के बाद मौजूदा टैरिफों की वसूली जारी रखने की अंतरिम व्यवस्था के मामले में।	27.11.2020
75	आदेश संख्या 58 / 2020–21	कार्गो सुविधा, ग्राउंड हैंडलिंग और विमान में ईंधन की आपूर्ति करने वाले हवाई अड्डा प्रचालकों / स्वतंत्र सेवा प्रदाताओं द्वारा प्रदान की जाने वाली वैमानिक सेवाओं के आर्थिक विनियमन संबंधी दिनांक 29.09.2020 के आदेश संख्या 46 / 2020–21 और दिनांक 27.11.2020 के आदेश संख्या 53 / 2020–21 के मामले में दृसंगत नियंत्रण अवधि के लिए 31.12.2020 के बाद मौजूदा टैरिफों की वसूली जारी रखने की अंतरिम व्यवस्था।	30.12.2020

8.4. राजभाषा नीति

सरकार की राजभाषा नीति के कार्यान्वनयन के लिए भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण (ऐरा) द्वारा सभी प्रयास किए गए। ऐरा में हिंदी में काम करने के लिए अनुकूल वातावरण बनाने के लिए 14 से 30 सितम्बर, 2019 तक हिन्दी पखवाड़े का आयोजन किया गया। हिन्दी पखवाड़े के दौरान हिंदी कविता, हिंदी में लेखन आदि को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। इन प्रतियोगिताओं में अधिकारियों/कर्मचारियों ने बहुत उत्साहपूर्वक भाग लिया। विजेता प्रतिभागियों को नगद पुरस्कार और प्रमाण पत्र प्रदान किए गए। दिनांक 01.01.2020 से 31.12.2020 के दौरान अधिकारियों/कर्मचारियों की सुविधा के लिए दो हिंदी कार्यशालाओं का आयोजन किया गया। इन कार्यशालाओं में 22 अधिकारियों/कर्मचारियों ने सक्रिय रूप से भाग लिया।

वर्ष के दौरान ऐरा की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की दो तिमाही बैठकें आयोजित की गईं। ये बैठकें प्राधिकरण के अध्यक्ष की अध्यक्षता में समिति के सभी सदस्यों के साथ आयोजित की गईं। प्राधिकरण में भारत सरकार की हिंदी प्रोत्साहन योजना लागू की गई है ताकि अधिकारियों/कर्मचारियों को अधिक से अधिक कार्य हिन्दी में किए जाने के लिए प्रेरित किया जा सके।

प्राधिकरण द्वारा राजभाषा हिंदी के कार्य को बढ़ाने के लिए किए गए प्रयासों के लिए प्राधिकरण को वर्ष 2019–20 के लिए नागर विमानन मंत्रालय द्वारा दिनांक 01.10.2020 को द्वितीय पुरस्कार के रूप में शील्ड प्रदान की गई।

संसदीय राजभाषा समिति की दूसरी उपसमिति ने 29.10.2020 को ऐरा का निरीक्षण किया और राजभाषा हिंदी का कार्य संतोषजनक पाया।

8.5. वित्तीय निष्पादन

भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण (ऐरा)अधिनियम की धारा 34 के अनुसार केन्द्र सरकार से सहायता अनुदान के रूप में निधियां प्राप्त की जाती हैं। बजट आकलन 2020–21 में वेतन शीर्ष के अतंर्गत 3.48 करोड़ रुपए और गैर वेतन शीर्ष के अंतर्गत 6.00 करोड़ रुपए आबंटित किए गए।

22.12.2020 तक जारी की गई निधियां और किए गए खर्च का ब्यौरा इस प्रकार हैः–

(रू.लाख में)

शीर्ष	2019–20 की अप्रयुक्त राशि	बजट आकलन (बीई) 2020–21	अन्य साधनों से प्राप्त आय	नागर विमानन मंत्रालय द्वारा 22.12.2020 तक जारी की गई निधि	कुल निधि	प्राधिकरण द्वारा 22.12.2020 तक खर्च की गई राशि	22.12.2020 को शेष राशि
	(क)	(ख)	(ग)	(घ)	(घ=क+ग)	(ड.)	(च)
वेतन	91.53	348.00	0.36	300.00	391.89	341.35	50.54
गैर वेतन	83.28	600.00	0.13	300.00	383.41	382.21	01.20

8.6. महिला कल्याण जिसमें जैन्डसर बजटीय डॉटा शामिल है

इस कार्यालय में 12 महिला कर्मचारी हैं जिनमें प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त, भारतीय विमानपत्तलन प्राधिकरण से लोन पर तैनात तथा बाहरी स्रोत (ऑउट–सोर्स) से भरे गए स्टाफ के रूप में कार्यरत महिलाएं भी शामिल हैं। महिलाओं के कल्याण के लिए पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं।

8.7. जन शिकायत निवारण प्रक्रिया में सुधार के लिए की गई कार्रवाई

ऐरा कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के जन शिकायत पोर्टल में पंजीकृत है और इसे अलग क्रिडेन्शल दिए गए हैं। शिकायतों की नियमित रूप से जांच की जाती है और जब भी जन शिकायत प्राप्त होती है इसका जवाब निर्धारित समय सीमा के भीतर दिया जाता है। इसके अतिरिक्त भारतीय विमानपत्त न आर्थिक विनियामक प्राधिकरण (ऐरा) में जन शिकायत के लिए उप प्रमुख (उप–सचिव स्तरर के अधिकारी) को नोडल अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया।

8.8. प्रदूषण नियंत्रण

भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण नागर विमानन मंत्रालय के अधीन सांविधिक निकाय है जो भारत के प्रमुख हवाईअड्डों के टैरिफ निर्धारण का कार्य करता है और किसी भी प्रकार के प्रदूषण उत्पन्न करने वाले कार्य में संलिप्त नहीं है।

8.9. अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग का प्रतिनिधित्व (दिनांक 31.12.2020 की स्थिति के अनुसार)

ऐरा के भर्ती नियमों में अधिकारियों और कर्मचारियों की भर्ती करने संबंधी भर्ती नियमों में केवल प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति की अनुमित दी गई है, इसलिए ऐरा में भर्ती के लिए आरक्षण नीति लागू नहीं है। तथापि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्यम पिछड़ा वर्ग श्रेणियों के कर्मचारी ऐरा में काम कर रहे हैं। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के कर्मचारियों के कल्याहण के लिए उप प्रमुख, नोडल अधिकारी के रूप में नियुक्त है।

8.10. पूर्वोतर में किए गए विकास संबंधी कार्यकलापों से जुड़े मुद्दे

भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण नागर विमानन मंत्रालय के अधीन आने वाला सांविधिक निकाय है जिसे भारत के प्रमुख हवाईअड्डों के संबंध में टैरिफ निर्धारण का उत्तरदायित्व सौंपा गया है।

इस प्रकार पूर्वोत्तर में विकास से संबंधित कार्यकलाप करना इस प्राधिकरण का उद्देश्य नहीं है।

8.11. वरिष्ठ नागरिकों का कल्यांण

भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण नागर विमानन मंत्रालय के अधीन आने वाला सांविधिक निकाय है जिसे भारत के प्रमुख हवाईअड्डों के संबंध में टैरिफ निर्धारण का उत्तकदायित्व सौंपा गया है। इस प्रकार वरिष्ठ नागरिकों की कल्याण योजनाएं चलाना इस प्राधिकरण का कार्य नहीं है।

8.12. दिव्यांगों को सुविधाएं

ऐरा के अधिकारी/कर्मचारी प्रतिनियुक्ति पर और भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण/एयर इंडिया से लोन आधार पर तैनात हैं, और वर्तमान में ऐरा में कार्यरत कोई भी व्यक्ति दिव्यांग नहीं है। ऐरा वेबसाइट www.aera.gov.in दिव्यांगों के लिए सुविधाजनक है।

8.13. सतर्कता विभाग के कार्यकलापों और उपलब्धियों संबंधी ब्यौरा

रिपोर्ट की अवधि में ऐरा के कर्मचारियों के विरूद्ध कोई सतर्कता मामला शुरू नहीं किया गया है।

8.14. स्वच्छ भारत

प्राधिकरण में 1 से 15 नवम्बर, 2020 तक स्वच्छता पखवाड़ा मनाया गया। पखवाड़े के दौरान निम्नलिखित कार्य किए गए:

(i) स्वच्छता पखवाड़ा संबंधी बैनर लगाना।

(ii) ऐरा के सभी कार्मिकों ने स्वच्छता के लिए प्रतिज्ञा ली और अपशिष्ट को अलग–अलग किया।

(iii) सभी अधिकारियों/कर्मचारियों ने अपने–अपने कार्यस्थल और दराजों की सफाई की।

(iv) अधिकारिया/कर्मचारियों द्वारा छत, पानी की टंकी सहित कार्यालय परिसर में और उसके आसपास के क्षेत्र की सफाई करने के लिए ''श्रमदान'' किया गया।

(v) कार्यालय में पोस्टर प्रतियोगिता आयोजित की गई जिसका विषय था ''कार्यालय में स्वच्छता बनाए रखना''।

(vi) संबंधित तकनीकी स्टाफ द्वारा तकनीकी उपकरणों अर्थात लिफ्ट, एसी और सर्वर कक्ष आदि की सफाई की गई।

(vii) अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा कार्यालय परिसर से हटाए जाने के लिए अपेक्षित पुराने फर्नीचर और बेकार सामान को छांटा गया।

(viii) कार्यालय में वाद–विवाद प्रतियोगिता और वार्ता आयोजित की गई, जिसका विषय था ''कार्यालय में प्लास्टिक के प्रयोग पर प्रतिबंध लगाना।'' साथ ही स्वच्छता पर वृत्तचित्र दिखाया गया।

(ix) ठेकेदार/विक्रेताओं द्वारा ऐरा में ''सफाई कर्मियों को संवेदनशील बनाना'' विषय पर कार्यशाला भी आयोजित की गई और सफाई कर्मियों को मास्क, दस्ताने आदि जैसे निजी सुरक्षा उपकरण वितरित किए गए।

8.15. विविध गतिविधियां/पहल:

(i) जनवरी, 2020 में प्राधिकरण में सुरक्षा कर्मियों सहित भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण (ऐरा) के पदाधिकारियों के लिए अग्नि सुरक्षा जागरूकता पर कार्यशाला का आयोजन किया गया।

(ii) कागजी कार्य की मात्रा कम करने और प्रभावी तथा पारदर्शी प्रक्रिया के लिए ऐरा ने सभी सरकारी कार्य ई–ऑफिस में शुरू कर दिया है।

(iii) प्राधिकरण में 27.10.2020 से 02.11.2020 तक सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया गया।

(iv) 02.11.2020 को "How to Eliminate Corruption from the Society/''समाज में भ्रष्टाचार कैसे खत्म किया जाए।'' पर वाद–विवाद का आयोजन किया गया। प्रतिभागियों को प्रोत्साहित करने के लिए विजेताओं को पुरस्कार/मानदेय भी दिया गया।

(v) भारतीय संविधान में निर्धारित किए अनुसार मूल कर्तव्यों सहित नागरिकों के कर्तव्यों पर केंद्रित जागरूकता अभियान के लिए 26.11.2019 से 26.11.2020 तक विभिन्न कार्यकलाप किए गए। ऐरा ने मूल कर्तव्यों पर जागरूकता अभियान चलाने के लिए प्रभावी कार्यान्वयन के लिए मासिक गतिविधियां आयोजित कीं।

(vi) राष्ट्रीय एकीकरण दिवस और सद्भावना दिवस भी मनाए गए।

9. राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय

9.1 प्रस्तावना

राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय (आरजीएनएयू), नागर विमानन मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण वाला एक केन्द्रीय विश्वविद्यालय है, जिसकी स्थापना फुरसतगंज, रायबरेली, जिला अमेठी, उत्तर प्रदेश में राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय अधिनियम, 2013 नामक संसद के अधिनियम द्वारा की गई है।

विश्वविद्यालय की परिकल्पना भारत में विमानन उद्योग के संवर्धन हेतु अग्रणी एवं उत्कृष्ट अनुसंधान उपलब्ध कराकर विमानन परिवेश में प्रीमियर उच्चतर शिक्षण संस्थान के रूप में की गई है। संसद के अधिनियम ने नागर विमानन के क्षेत्र में डिप्लोमा, स्नातक उपाधि और स्नातकोत्तर उपाधि देने के लिए विश्वविद्यालय को अधिकार प्रदान किया है।

9.2 उद्देश्य

राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय (आरजीएनएयू) का उद्देश्य विमानन उद्योग के सभी उप–क्षेत्रों के प्रचालनों एवं प्रबंधनों में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए उद्योग और शिक्षा के सम्मेलन से विमानन अध्ययन, शिक्षण, प्रशिक्षण, अनुसंधान और विस्तार कार्य को सुलभ बनाना व इन क्षेत्रों को संवर्धित करना है।

विश्व विद्यालय का प्रयोजन वर्तमान में और भावी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए भारतीय विमानन उद्योग के भीतर कौशल की कमी को पुरा करने के लिए यथापेक्षित अनेक पाठ्यक्रम उपलब्ध कराना है। आरजीएनयू की चरणबद्ध तरीके से स्नातक कार्यक्रम, स्नातकोत्तर कार्यक्रम, स्नातकोत्तर डिप्लोमा कार्यक्रम, पीएचडी कार्यक्रम तथा प्रमाणन (Certification) कार्यक्रम उपलब्ध करने की महत्वकांक्षी योजना है।

9.3 अत्याधुनिक अवसंरचना

विश्वविद्यालय का बुनियादी ढांचा, अर्थात शैक्षणिक, प्रशासनिक, आवासीय, छात्रावास, कंप्यूटर प्रयोगशालाओं और अन्य संबद्ध बुनियादी सुविधाओं में निम्नलिखित शामिल हैं: –

- उच्च प्रौद्योगिकी वाला आईटी अवसंरचना और स्मार्ट क्लास तकनीकी वाला 1.2 लाख वर्ग फुट का शैक्षिक ब्लॉक।
- डिजिटल पुस्तकालय हेतु समर्पित प्रावधानों सहित दो पुस्तकालय।
- वीडियों कांफ्रेंसिंग की सुविधा सहित प्रत्येक 200 सीटों की क्षमता वाले दो सेमिनार हॉल।
- विद्यार्थियों के लिए कैंटीन, चिकित्सा कक्ष तथा कॉमन रूम।
- निर्धारित पहुंच मार्ग और कार पार्किंग जैसी सुविधाएं।
- भूमिगत जल टैंक, यूपीपीसीएल से 33 केवीए समर्पित ऊर्जा आपूर्ति और 100% पावर बैकअप।
- 576 विद्यार्थियों के लिए मनोरंजन एवं जिम सुविधाओं सहित वाई–फाई सक्षम हॉस्टल आवास व्यवस्था।

अबतक, विश्वविद्यालय के अनेक प्राधिकरणों जैसे कार्यपालक परिषद, न्यायालय, शैक्षिक परिषद, वित्तीय समिति का गठन किया गया है और इन प्राधिकरणों की बैठकों का सफलतापूर्वक आयोजन किया जा रहा

ओपन एयर थियेटर

संगोष्ठी हॉल

हॉस्टल ब्लॉक

है। विश्वविद्यालय के अन्य प्राधिकरण जैसे संबद्धीकरण और मान्यता बोर्ड, स्कूल बोर्ड आदि के गठन की प्रक्रिया चल रही है।

9.4 प्रमुख गतिविधियां

9.4.1 हवाईअड्डा प्रचालनों में स्नासतकोत्तर डिप्लोमा (अकादमिक वर्ष 2019–20)

विश्वविद्यालय अपने पहले शैक्षणिक कार्यक्रम के लिए कक्षा प्रशिक्षण अर्थात् हवाई अड्डे के संचालन (पीजीडीएओ) में स्नातकोत्तर डिप्लोमा सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है, और छात्रों को पाठ्यक्रम के भाग के रूप में 06 महीने की इंटर्नशिप के लिए दिल्ली और हैदराबाद अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डों पर भेजा गया है। प्रशिक्षण का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों में विशेष कार्य ज्ञान प्रदान करना है और छात्रों को हवाई अड्डे के संचालन के हर हिस्से की मुख्य संरचना और कार्यप्रणाली से परिचित कराना है। यह उन्हें भविष्य के पहलुओं में एक विमानन पेशेवर के रूप में अपने कौशल में संवर्धन करने के अवसर प्रदान करता है।

पीजीडीएओ कार्यक्रम के दूसरे बैच ने 23 छात्रों के साथ समय–समय पर जारी किए गए कोविड–19 के लिए एहतियाती उपायों पर सरकारी दिशानिर्देशों के अनुपालन में 04 नवंबर, 2020 को शुरू किया है। प्रारंभ में, चार सप्ताह की कक्षाएं ऑनलाइन आयोजित की गई थीं, जिसमें आरजीएनएयू छात्रावास ब्लॉक में 14 दिनों तक छात्रों को अलग रखने का प्रावधान शामिल है। इसके बाद, 10 दिसंबर, 2020 को कोविड–19 मानदंडों जैसे कि सामाजिक दूरी, फेस मास्क, प्रवेश बिंदुओं पर तापमान की जांच आदि का पालन करते हुए कक्षाएं शुरू की गईं।

वर्ष 2020 के दौरान, विश्वविद्यालय ने दो अकादमिक कार्यक्रम आरंभ किए, यथा बेसिक फायर फाइटिंग कोर्स (बीएफएफसी) और विमानन सेवाओं तथा एयर कार्गो में प्रबंधन अध्ययन स्नातक (बीएमएस)।

9.4.2 विमानन सेवाओं तथा एयर कार्गो में प्रबंधन अध्ययन स्नातक (बीएमएस)(2020–23) बैच

विश्वविद्यालय ने लॉजिस्टिक्स सेक्टर स्किल काउंसिल (एलएससी) के साथ मिलकर 32 छात्रों के साथ मिलकर अपना तीसरा अकादमिक और पहला स्नातक कार्यक्रम यानी बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज इन एविएशन सर्विसेज और एयर कार्गो (बीएमएस) लॉन्च किया है।

बीएमएस लॉजिस्टिक्स इंडस्ट्री में विभिन्न स्तरों पर लाभकारी रोजगार के लिए पर्याप्त कौशल विकसित करने के मुख्य उद्देश्य के साथ तीन साल की डिग्री प्रोग्राम से युक्त एक प्रशिक्षुता कार्यक्रम है। आरंभिक दो वर्ष कक्षा प्रशिक्षण और एविएशन/एयर कार्गो कंपनियों में लगभग एक वर्ष के 9,000/ मासिक वजीफे के साथ प्रशिक्षु प्रशिक्षण का एक वर्ष होगा।

9.4.3. बेसिक फायर फाइटिंग कोर्स (मार्च, 2020 – अगस्त, 2020 और दिसम्बर, 2020 – जून, 2021)

बेसिक फायर फाइटर्स कोर्स (बीएफएफसी) कुशल श्रमशक्ति का उत्पादन करने के उद्देश्य से 06 महीने का सर्टिफिकेट प्रोग्राम है जो विमान के बचाव और अग्निशमन दोनों विमानों की आपात स्थिति के साथ–साथ हवाई अड्डों पर आग के निर्माण के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानकों और अनुशंसित परिपाटियों के साथ मौलिक कर्तव्यों का पालन करने में सक्षम होगा।

विश्वविद्यालय बीएफएफसी कैडेटों को संरचनात्मक आग, तकनीकी बचाव और खतरनाक सामग्री (हजमत) की घटनाओं के शमन के बुनियादी कौशल के साथ प्रशिक्षित करता है। इसमें आरजीएनएयू फुरसतगंज के सिद्धांत और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी के भौतिक प्रशिक्षण का मिश्रण शामिल है।

बीएफएफसी का पहला बैच 16 मार्च, 2020 को 19 कैडेटों के साथ शुरू हुआ था। पहला बैच 30 सितंबर 2020 को निकला है।

दिसंबर 2020 में, यूनिवर्सिटी में 16 कैडेट्स के साथ बेसिक फायर फाइटर्स कोर्स का दूसरा बैच भी शुरू किया गया है। प्रारंभिक सप्ताह के लिए प्रशिक्षण का वितरण ऑनलाइन मोड के माध्यम से किया गया था और बाद की कक्षाओं को छात्रों की आरटी–पीसीआर परीक्षण रिपोर्ट नेगेटिव प्राप्त होने के बाद भौतिक रूप से आयोजित किया गया था।

9.4.4 विश्वविद्यालय को विमानन क्षेत्र के लिए एक प्रमुख अनुसंधान केंद्र के रूप में विकसित करने और पाठ्यक्रमों की उद्योग प्रासंगिकता सुनिश्चित करने के लिए, विश्वविद्यालय ने कई कोलैबोरेशन किए हैं। रोल्स–रॉयस ने भारतीय विमानन उद्योग हेतु आवश्यक भावी दक्षताओं के निर्माण के लिए राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय के साथ एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं। समझौता ज्ञापन (एमओयू)में प्रस्तुत किया गया है कि कैसे रोल्स रॉयस पाठ्यक्रम को विकसित करने में विश्वविद्यालय को सहयोग प्रदान करेगा और अतिथि व्याख्यानों के लिए अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञ उपलब्धो कराएगा। रोल्स रॉयस भारत में रोल्स रॉयस स्थलों के योग्य छात्रों को इंटर्नशिप उपलब्ध कराएगा।

9.4.5. विश्वविद्यालय ने बर्ड ग्रुप और एमआरओ एसोसिएशन ऑफ इंडिया के साथ समझौता ज्ञापनों पर भी हस्ताक्षर किए हैं। इस प्रकार की भागीदारी विश्वविद्यालय के संकाय और छात्रों को भारत में विश्व स्तर की विमानन शिक्षा उपलब्धि करने के लिए वैश्विक तकनीकी विशेषज्ञों की पहुंच को सुलभ बनाकर विमानन उद्योग के लिए आवश्यक सर्वाधिक उपयुक्त कौशल विकसित करने में मदद करेगी।

9.4.6 भारत के विमानन उद्योग के लिए मानव संसाधन संभावना को मजबूत करने के लिए अंतरराष्ट्रीय विमान परिवहन संघ (आयटा) ने नागर विमानन मंत्रालय (एमओसीए) और राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय (आरजीएनएयू)के साथ एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं। समझौते के तहत, हस्ताक्षरकर्ता संस्थान भारत में प्रशिक्षण के लिए मौजूदा अवसंरचना का लाभ प्राप्त करने के लिए विमानन विषयों में व्यावसायिक प्रशिक्षण की पहुंच का विस्तार करेंगे।

9.4.7 विश्वविद्यालय ने विमानन और एयरोस्पेस उद्योग में मानव संसाधन के पूल के विकास के लिए एचएएल के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए थे। विश्वविद्यालय प्रमुख संस्थानों के साथ मिलकर अपना चौथा शैक्षणिक पाठ्यक्रम यथा विमानन प्रबंधन में एमबीए आरंभ करने की योजना बना रहा है।

9.4.8 इस उद्देश्य के साथ, विश्वविद्यालय पूरे देश में विभिन्न संस्थानों जैसे आईआईटी मुंबई, आईआईटी कानपुर आदि के साथ विभिन्न स्नातक और स्नातकोत्तर कार्यक्रमों के संचालन के लिए इन संस्थानों के साथ सहयोग करने की संभावना का पता लगाने हेतु चर्चा कर रहा है।

9.4.9 विश्वविद्यालय भारत और विदेश में विभिन्न संस्थानों और विश्वविद्यालयों के साथ सहयोग के अवसरों का पता लगा रहा है ताकि छात्रों और पेशेवरों को विमानन क्षेत्र पर बेहतर शैक्षिक और व्यावहारिक ज्ञान मिल सके। विश्वविद्यालय का लक्ष्य शिक्षण के लिए अनुकूल वातावरण उपलब्ध कराना और व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास करना है।

9.5 शैक्षिक / सांस्कृतिक / खेल आयोजन

9.5.1 दिनांक 28 फरवरी, 2020को 'हवाई चौपाल' नामक एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें छात्रों ने विमानन विशेषज्ञों द्वारा साझा किए गए विमानन उद्योग के मूल्यवान नैतिकता और अनुभवों का ग्रहण किया था। विशेषज्ञों में एयर एशिया इंडिया के सीईओ और एमडी श्री सुनील भास्करण, श्री थॉमस हॉफ एंडरसन, भूतपूर्व सीओओ, बैंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड और श्री साजित टी.सी, बोर्ड निदेशक, केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, बेंगलुरु शामिल हैं।

9.5.2 विमानन विशेषज्ञों ने आरजीएनएयू का दौरा किया और छात्रों को अतिथि व्याख्यान दिए तथा भारत में विमानन क्षेत्र के विशाल अवसरों और विभिन्न पहलुओं के बारे में जानकारी दी। उन्होंने छात्रों को उनके संगठनों में भावी अवसरों का आश्वासन भी दिया।

9.5.3 विश्वविद्यालय ने फरवरी, 2020 के दौरान पहले इन–हाउस स्पोर्ट्स एंड कल्चरल फेस्टिवल 'उड़ान 2020' का उद्घाटन किया। इस आयोजन के दौरान विभिन्न खेलों का आयोजन किया गया, जिसमें क्रिकेट, वॉलीबॉल, रंगोली प्रतियोगिता, चित्रकला, लोक नृत्य और सांस्कृतिक कार्यक्रम, आदि शामिल थे।

9.5.4 इग्नुआ के प्रशिक्षु पायलटों को इस कार्यक्रम में भाग लेने आरजीएनएयू के छात्रों के साथ मैत्रीपूर्ण मैच खेलने के लिए आमंत्रित किया गया। समापन समारोह के समय, आरजीएनएयू और इग्नुआ के अधिकारियों द्वारा विजेताओं को अनेक पुरस्कार प्रदान किए गए।

9.5.5 विश्वविद्यालय ने सितंबर 2020 माह में दिनांक 01 सितंबर 2020 से 30 सितंबर 2020 तक हिन्दी माह का आयोजन किया है। आरजीएनएयू के कर्मचारियों और छात्रों के बीच कई प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया और इन प्रतियोगिताओं में निबंध लेखन, सुलेख प्रतियोगिता, टिप्पण और प्रारूपण प्रतियोगिता, भाषण प्रतियोगिता, वाद–विवाद प्रतियोगिता आदि शामिल हैं। इस आयोजन का उद्देश्य कार्मिकों को व्यक्तिगत और व्यवसायिक दृष्टिकोण से हिंदी भाषा के महत्व को संवर्धन करना है।

9.6 प्रदूषण नियंत्रण

चारदीवारी के निकट, पार्किंग तथा अकादमिक एवं आवासीय ब्लॉक के निकट स्थित अन्यव हरित क्षेत्रों में वृक्षारोपण का एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था जिसके अंतर्गत 50 से अधिक वृक्षों का रोपण किया गया।

परिसर के निर्माण के दौरान प्रदूषण का स्तर न्यूनतम करने के लिए प्रत्येक संभव उपाय किए गए थे। राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय के निर्माणाधीन परिसर में अनेक वृक्षों का रोपण किया जा रहा है जिससे प्रदूषण का प्रभाव न्यूनतम हो सकेगा।

राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय के परिसर को पर्यावरण हितैषी बनाने के लिए प्रदूषण नियंत्रण एवं पर्यावरण संरक्षण के संबंध में गृहा (GRIHA) काउंसिल द्वारा दिए गए दिशानिर्देशों का पालन किया जा रहा है। राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय के अकादमिक

एवं आवासीय भवनों की छत पर सौर संयंत्रों की स्थापना पहले ही की जा चुकी है।

वायु प्रदूषण के प्रभाव को नियंत्रित करने के लिए विश्वविद्यालय का परिसर क्षेत्र धुम्रपान मुक्त है। इसके अलावा, विश्वविद्यालय परिसर में प्लास्टिक के सिंगल उपयोग को प्रतिबंधित किया गया है।

भविष्य में भी, बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण द्वारा तथा आरजेएनएयू कैंपस में हरियाली क्षेत्र को विकसित करते हुए प्रदूषण के दुष्प्रभाव को न्यूनतम करने के प्रयास किए जाएंगे।

9.7 लैंगिक बजट डेटा सहित महिला कल्यानण

विश्वविद्यालय परिसर (अकादमिक एवं आवासीय परिसर) में कन्या विद्यार्थियों एवं महिला कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए "कार्यस्थल पर महिलाओं के लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध तथा प्रतितोष) अधिनियम, 2013" के प्रावधानों के अंतर्गत एक आंतरिक शिकायत समिति का गठन किया गया है। आंतरिक शिकायत समिति के प्रमुख क्रियाकलापों में विश्व विद्यालय परिसर में लैंगिक उत्पीड़न एवं लैंगिक न्याक के मूलभूत सिद्धांतों के प्रति किसी प्रकार के उल्लंघन को संज्ञान में लेकर उनके प्रति उचित कार्रवाई करना है। छात्राओं की संरक्षा एवं सुरक्षा को ध्यान में रखकर होस्टल को महिला एवं पुरूष होस्टल क्षेत्र के रूप में दो भागों में विभाजित किया गया है।

9.8 लोक शिकायत निवारण व्यवस्था में सुधार के लिए किए गए उपाय

विश्वविद्यालय का प्रचालन इस पक्ष से सीधे संबंधित नहीं हैं। तथापि, विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार को लोक शिकायत अधिकारी के रूप में नामित किया गया है, जो लोक शिकायतों से संबंधित मामलों को देखते हैं। विश्वविद्यालय द्वारा सूचना अधिकार के अंतर्गत प्राप्त प्रश्नों का समय पर निपटान सुनिश्चित करने के लिए उन्हें सीपीआईओ के रूप में भी नामित किया गया है। अभी तक विश्वविद्यालय द्वारा कोई सार्वजनिक शिकायत आदि प्राप्त नहीं हुई है। समीक्षा बैठकों के दौरान रजिस्ट्रार द्वारा इस पक्ष की निरंतर निगरानी की जाती है।

9.9 31.12.2020 को अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़े वर्गों का प्रतिनिधित्व

वर्तमान में, आरजीएनएयू में केवल एक नियमित कर्मचारी हैं जहां अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़े वर्ग के लिए प्रस्तुतिकरण के प्रावधान लागू नहीं होते हैं। आरजीएनएयू शिक्षण और गैर–शिक्षण श्रेणियों में निचले और मध्यम स्तर के अधिकारियों के लिए भर्ती नियम तैयार करने की प्रक्रिया में है। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़े वर्गों को रोजगार में आरक्षण देने संबंधी भारत सरकार के नियमों का इन पदों पर नियुक्ति के समय सख्ती से पालन किया जाएगा।

9.10 पूर्वोत्तर क्षेत्र में की गई विकास गतिविधियों से संबंधित मामले

यह विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है, इसलिए, यह देश के पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास से इसका कोई सरोकार नहीं है। तथापि, इस पहलू पर, विश्वविद्यालय द्वारा भविष्य में चलाए जाने वाले अनेक पाठ्यक्रमों में छात्रों/प्रशिक्षुओं के प्रवेश के समय विचार किया जाएगा।

9.11 वरिष्ठ नागरिकों का कल्याण

विश्वविद्यालय की वर्तमान एवं भविष्य की गतिविधियां इस विशेष पहलू से संबंधित नहीं हैं।

9.12 दिव्यांग व्यक्तियों को सुविधाएं

दिव्यांग व्यक्तियों के आसानी से आवागमन के लिए, शैक्षणिक भवन में रैंप प्रदान किए गए हैं। आरजीएनएयू के शैक्षणिक भवन में शारीरिक अक्षमता वाले व्यक्तियों द्वारा आसान उपयोग के लिए अलग शौचालय भी बनाए गए हैं। दृष्टिहीन व्यक्तियों की सहायता के लिए अकादमिक भवन के सभी क्षेत्रों में पर्याप्त प्रकाश व्यवस्था की गई है। साथ ही, विश्वविद्यालय के छात्रावास और आवासीय ब्लॉकों में लिफ्टों का प्रावधान किया गया है।

9.13 सतर्कता विभाग की संबंधित गतिविधियों तथा उपलब्धियों का विवरण

वर्तमान में, विश्वविद्यालय में मात्र एक नियमित कर्मचारी है जो कि वित्त अधिकारी है। वर्तमान में, कार्यकारी रजिस्ट्रार, वित्त अधिकारी के माध्यम से सतर्कता से संबंधित मामलों को देख रहे हैं जिसके अंतर्गत यह वित्त अधिकारी, सतर्कता अधिकारी के तौर पर कार्य कर रहा है।

9.14 नागरिक चार्टर

पर्याप्त संख्या में कर्मचारियों के द्वारा विश्वविद्यालय में शामिल होने पर सिटिजन चार्टर तैयार किया जाएगा।

9.15 सामाजिक कल्याण गतिविधियां

ज्ञान सृजन और साझाकरण के केंद्र के तौर पर विश्वविद्यालय एक स्थायी कल को सुनिश्चित करते हुए संसार की समस्याओं को सुलझाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। अनेक अवसरों पर विश्वविद्यालय कैंपस में स्थानीय गाँव अर्थात तारौना के प्राथमिक विद्यालय के छात्रों की भेंट आयोजित की गई हैं जहां वे विश्वविद्यालय के अनेक कार्यों से परिचित हुए और विमानन क्षेत्र के प्रति प्रेरित हुए।

पदों की भिन्नता के बावजूद, विश्वविद्यालय के कर्मचारियों तथा छात्रों के मध्य एकजुटता विकसित करने के लिए, समय–समय पर कुछ सामान्य कल्याणकारी कार्यक्रमों जैसे कि विश्वकर्मा पूजा, क्रिसमस

ईव सैलीब्रेशन, दीपावली सैलीब्रेशन आदि का आयोजन किया गया। इन कार्यक्रमों का आयोजन "विविधता में एकता" की धारणा पर बल देने के लिए किया गया था।

विश्वविद्यालय के अनेक पाठ्यक्रमों के लिए छात्रों का नामांकन करते समय, भावी उम्मीदवारों को देशभर के अनेक बैंकों से लोन सुविधा का लाभ उठाने हेतु सहायता प्रदान की गई।

10. भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण

10.1 परिचय

भारतीय विमानपत्तपन प्राधिकरण (भा.वि.प्रा.) 1 अप्रैल 1995 को अस्तित्व में आया । भा.वि.प्रा. को भारतीय विमानपत्तन अधिनियम, 1994 के तहत सांविधिक प्राधिकरण के रूप में गठित किया गया है । इसका गठन पूर्ववर्ती अंतर्राष्ट्रीय भारतीय विमानपत्तन और राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण का विलय करके देश में हवाई अड्डों पर हवाई यातायात सेवाओं, यात्री टर्मिनलों, प्रचालनात्म क क्षेत्रों एवं कार्गो सुविधाओं के एकीकृत विकास, विस्तार और आधुनिकीकरण के कार्यों में गति लाने के प्रयोजन से किया गया था ।

137 हवाई अड्डे	23 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे	81 अन्त र्देशीय हवाई अड्डे	10 सीमा शुल्क हवाई अड्डे	23 डिफेंस एयरफील्ड्स में सिविल एन्क्लेव

प्राधिकरण के प्रमुख कार्य निम्नलिखित हैं:

- इकाओ द्वारा स्वीकृत देश की भैगोलिक सीमाओं से परे भारतीय वायु क्षेत्र (विशेष यूजर वायु क्षेत्र को छोड़कर) का नियंत्रण एवं प्रबंधन ।
- संचार, दिक्चालन और निगरानी सुविधाओं का प्रावधान ।
- धावनपथों, एप्रनों, टैक्सीपथों आदि का विस्तार व सुदृढ़ीकरण तथा प्रचलनात्मक क्षेत्र में विमानों व वाहन यातायात के लिए ग्राउंड आधारित लैंडिंग तथा मुवमेंट नियंत्रण सुविधाओं का प्रावधान ।
- यात्री टर्मिनलों का डिजाइन, विकास, प्रचालन और रख–रखाव।
- अंतर्राष्ट्रीय और अन्तर्देशीय हवाई अड्डों पर कार्गो टर्मिनलों का विकास एवं प्रबंधन ।
- यात्री टर्मिनलों में यात्री सुविधाओं और सूचना प्रणालियों का प्रावधान।

10.2 प्रदूषण नियंत्रण

ऊर्जा संरक्षण के उपाय:

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (भा.वि.प्रा.) पर्यावरण / संसाधनों के संरक्षण और समाज, समुदाय और इको–प्रणाली पर प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिए प्रतिबद्धता को पूरा करने हेतु सरकार के निर्देश और इकाओ पहल के अनुरूप सभी आवश्यक कार्यक्रमों और एसओपी के माध्यम से लगातार प्रयास कर रहा है और इस प्रकार जलवायु परिवर्तन के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना (एनएपीसीसी) में अपना योगदान दे रहा है । भा.वि.प्रा. ने मुख्य रूप से निम्नलिखित कदम उठाए हैं:

- **हवाई अड्डों पर सौर ऊर्जा पीवी प्लांट की स्थापना** :– भा. वि.प्रा. द्वारा रूफ टॉप और ग्राउंड माउंटेड सोलर पावर प्लांट की स्थापना और संचालन करके हरित ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए वैकल्पिक समाधानों की खोज कर ऊर्जा संरक्षण पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। **भा.वि.प्रा. ने अपने विभिन्न हवाई अड्डों पर लगभग 44.37 मेगावाट क्षमता के सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना की है** और 12 मेगावाट की सौर मुक्त पहुंच (ओपन एक्सेस) के माध्यम से खरीदी जा रही है। लगभग 16.26 मेगावाट क्षमता के सौर ऊर्जा संयंत्रों के लिए कार्य प्रगति पर है। भा.वि.प्रा. ने 480 लाख यूनिट पैदा की है और 2.26 लाख यूनिट को मुक्त पहुंच (ओपन एक्सेस) के माध्यम से सोर्स किया है, जिससे वर्ष 2020 में 29 करोड़ रु० का लाभ हुआ है । इसके परिणामस्वरूप प्रति वर्ष कार्बन उत्सर्जन में 57,900 **tCO_2** की कमी हुई है।

इसके अलावा, भा.वि.प्रा. ने सोलर पावर प्लांपट स्थापित करने और चरणबद्ध रूप में मुक्त पहुंच (ओपन एक्सेस) के माध्यम से सोलर पावर खरीद कर 100% हरित–विद्युत शक्ति से युक्त हवाई अड्डे बनाने के लिए एनवीवीएन (एनटीपीसी विद्युत व्यापार निगम), जो कि एनटीपीसी लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है, के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं ।

भा.वि.प्रा. और एनवीवीएन संयुक्त रूप से सार्वजनिक चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण कर इलेक्ट्रिक वाहनों अपनाने के लिए भारत सरकार के सहयोग की पहल की दिशा में भी काम करेंगे और हवाई अड्डों पर इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को प्रोत्साहित करेंगे । विभिन्न हवाई अड्डों पर सिटी साइड और एयरसाइड इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने की योजना विकसित की जाएगी और इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशनों के लिए प्रावधान किया जाएगा ।

हवाई अड्डों पर ऊर्जा लेखापरीक्षा:

ऊर्जा मंत्रालय द्वारा जारी ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 के अनुसार, विशेषज्ञ एजेंसियों द्वारा नियमित ऊर्जा लेखापरीक्षा के माध्यम से पहचान किए गए अल्पावधि और दीर्घकालिक उपायों के अंतर्गत विभिन्न ऊर्जा बचत उपायों को निरंतर अपनाया जा रहा है। पिछली लेखापरीक्षा के कार्यान्वयन उपायों की प्रभावशीलता का आकलन करने के लिए 03 वर्षों के बाद अनिवार्य रूप से की जाने वाली समीक्षा लेखापरीक्षा के कार्य को 33 हवाईअड्डों पर पहले ही पूरा कर लिया गया है। इसके अलावा, 11 हवाई अड्डे पर यह कार्य वर्ष 2020 में पूरा हो गया है ।

राष्ट्रीय एलईडी कार्यक्रम (उजाला – सभी के लिए किफायती एल ई डी द्वारा उन्नंत ज्योति):

भा.वि.प्रा. पारंपरिक लाईट उपस्क रों को एलईडी फिटिंग के साथ

प्रतिस्थापन कर इस कार्य को पहले ही पूरा कर चुका है। चरण–I में, 23 हवाई अड्डे पर लगभग 16 करोड़ रुपये के व्यय के साथ इस कार्य को पूरा कर लिया गया है । चरण–II में, 62 हवाई अड्डों पर भारत सरकार के राष्ट्रीय एलईडी कार्यक्रम को लागू करने वाली मैसर्स ईईएसएल– नोडल एजेंसी द्वारा 24.41 करोड़ रुपये के व्यय से कार्य किया गया है । 52 हवाई अड्डों पर प्रतिस्थापन का कार्य पहले ही पूरा हो चुका है। इसके अलावा, वर्ष 2020 में 06 हवाई अड्डों पर कार्य पूरा हो गया है और 04 हवाई अड्डों पर कार्य प्रगति पर है ।

एसीआई – हवाई अड्डा कार्बन प्रत्यायन (एसीए) प्रमाणनः

भा.वि.प्रा. ने एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल (एसीआई) द्वारा शुरू किए गए हवाई अड्डा कार्बन प्रत्यायन कार्यक्रम में स्वैच्छिक रूप से भाग लिया और कार्बन प्रबंधन योजना तैयार करके 04 हवाई अड्डों (कोलकाता, त्रिवेंद्रम, भुवनेश्वर और वाराणसी) के लिए दिसंबर 2019 के दौरान स्तर –2 का प्रत्यायन (अर्थात ष्कार्बन उत्सर्जन में कमी) हासिल किया है और प्रत्यक्ष ग्रीन हाउस गैसों (जीएचजी) उत्सर्जन को कम करना, जो अपने हवाई अड्डों पर कार्बन पदचिह्नों को कम करके पर्यावरण के दायित्वों की पूर्ति के लिए भा.वि.प्रा. की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। प्रमाणन दिसम्बर, 21 तक मान्य है।

10.3 लोक शिकायत निवारण मशीनरी में सुधार के लिए उठाए गए कदम

यात्रियों को सुविधाजनक और बाधा मुक्त हवाई यात्रा का अनुभव के लिए नागर विमानन मंत्रालय द्वारा 2016 में एयर सेवा की पहल शुरू की गई।

एयर सेवा प्लेटफॉर्म विभिन्न विमानन हितधारकों जैसे हवाई अड्डों, एयरलाइनों, डीजीसीए, बीसीएएस आदि को हवाई यात्रियों की शिकायतों के निवारण के लिए एक कॉमन प्लेटफार्म उपलब्ध कराता है । अतः विमानन क्षेत्र में विभिन्न हितधारकों को एक साथ जोड़ता है, ताकि हवाई यात्रा के दौरान हवाई यात्री को जिनके साथ भी बातचीत करनी हो, वे कर सकते हैं ।

यह इंटरैक्टिव वेब पोर्टल (irsewa.gov.in) और एंड्रॉइड तथा आईओएस प्लेटफॉर्म दोनों के लिए एक मोबाइल ऐप के माध्यम से काम करता है, जिसमें शिकायत निवारण के लिए एक मैकेनिज्मब, फ्लाइट स्टेट्स की चेकिंग / शेड्यूल की जानकारी, एयरपोर्ट सूचना और एफएक्यू शामिल हैं ।

एयर सेवा में शिकायतों की बढ़ोत्तरी, हितधारकों के बीच शिकायतों का अंतरण, नोडल अधिकारी के लिए मोबाइल ऐप, हवाईअड्डों का चयन करने के लिए मैप तथा भविष्य में रिलीज करने के लिए डैशबोर्ड जैसी अतिरिक्त सुविधाओं के फीचर्स लाने की योजना है ।

10.4 डिजिटल पहल

10.4.1डिजियात्रा

विकास अनुमानों, यात्री की यात्रा पर इसका सीधा प्रभाव, इंफ्रास्ट्रक्चर की लागत और यात्री प्रक्रियाओं की गति और दक्षता पर प्रभाव को ध्यान में रखते हुए, बेहतर तथा लागत प्रभावी समाधानों के लिए नवाचार तथा प्रौद्योगिकी हेतु पारंपरिक स्थिति से परे "अधिक यात्रियों का प्रबंधन करने के लिए एक बड़े हवाई अड्डे का निर्माण" करने के लिए नागर विमानन मंत्रालय ने भारत में अन्तर्देशीय हवाई यात्रा का पुनः अनुमान लगाते हुए महत्वपूर्ण पहल शुरू की है ।

"इस दिशा में महत्वपूर्ण पहल में से एक "डिजियात्रा" है, जो भारत में प्रत्येक अन्तर्देशीय हवाई यात्री को एक निर्बाध, बाधा मुक्त और पेपरलेस यात्रा अनुभव देने का इरादे से शुरू की गई है। अत्याधुनिक पहचान प्रबंधन और 'फेस रिकग्निशन' प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए, इसका उद्देश्य टर्मिनल प्रवेश द्वार, चेक–इन / बैग ड्रॉप, सुरक्षा जांच और बोर्डिंग गेट से हवाई अड्डे के विभिन्न चेक पॉइंट पर यात्री प्रक्रियाओं को सरल बनाना है।

डिजि यात्रा के साथ, यात्रियों को अब हवाई अड्डे के कई चेक पॉइंट पर अपने टिकट / बोर्डिंग पास और अपना भौतिक पहचान पत्र दिखाने की आवश्यकता नहीं होगी। इससे कतारों में प्रतीक्षा समय में कमी होगी, संसाधन समय में तेजी आएगी और प्रक्रियाएं सरल होंगी ।

10.4.2 डिजिटल स्काई

इस परियोजना का उद्देश्य डीजीसीए सीएआर 1.0 के डिजिटल रूप से प्रवर्तन द्वारा भारत में ड्रोन इको–प्रणाली को सक्षम करने के लिए एक आईटी प्लेटफॉर्म विकसित करना है।

डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म स्वीकृत उड़ान योजनाओं से विचलन की जांच के लिए ड्रोन, उड़ान योजना, रीयल टाइम ट्रैकिंग, संघर्ष प्रबंधन और उड़ान लॉग विश्लेषण के पंजीकरण को सक्षम करने के लिए एक ही मंच पर विभिन्न एजेंसियों को एक साथ लाने की सुविधाएँ प्रदान करेगा ।सिस्टम को ड्रोन उड़ाने की अनुमति न होने, ड्रोन उड़ाने के लिए क्रमशरू नियंत्रित अनुमति और ड्रोन उड़ान के लिए स्वीकृत जोन के संबंध में भारतीय हवाई क्षेत्र को लाल, पीले और हरे रंग के जोन में विभाजित करने की परिकल्पना की गई है । सिस्टम एक विशेष वायु क्षेत्र में उड़ान भरने वाले ड्रोन को अनुमति देने या अस्वीकार करने के लिए गतिशील आवश्यकता को संबोधित करने के लिए आवश्यकताओं के अनुसार क्षेत्रों को जोड़ने / अपडेट करने की अनुमति देगा । यह भी योजना बनाई गई है कि प्रणाली ड्रोन से वास्तविक समय की टेलीमेट्री जानकारी को कैप्चर करने में सक्षम होगी और ड्रोन उड़ानों के प्रतिकूल प्रबंधन के लिए इनपुट भी प्रदान करेगी।

10.5दिनांक 31.12.2020 के अनुसार अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग का प्रतिनिधित्व

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण में अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग की जनशक्ति निम्नानुसार है :

कर्मचारियों की कुल संख्या	अ.जा. कर्मचारियों की कुल संख्या	अ.जा. कर्मचारियों का %	अ.ज.जा. कर्मचारियों की कुल संख्या	अ.ज.जा. कर्मचारियों का %	अ.पि.व. कर्मचारियों की कुल संख्या	अ.पि.व. कर्मचारियों का %
16941	3575	21.10	1401	8.27	4153	24.51

10.6 उत्तर–पूर्व में की गई विकासात्मक गतिविधियों से संबंधित मुद्दे

1. कैलेंडर वर्ष 2020 के दौरान पूरी की गई पूंजीगत योजनाएँ

(राशि करोड़ रु. में)

परियोजना स्थल	विवरण	पूर्ण करने की तारीख	पूर्ण लागत
अगरतला	**बेसिक स्ट्रिप सहित संरक्षा इन्फ्रास्ट्रक्चर का उन्नयन ।** अगरतला हवाईअड्डे पर प्रचालन बाउंडरी वॉल, प्रॉपर्टी वॉल, वॉच टावर, पेरीमीटर रोड और स्टोर्म वॉटर ड्रेन का निर्माण	14.12.2020	38.41

2. कैलेंडर वर्ष 2020 के तहत प्रगतिमान पूंजीगत योजनाएँ

(राशि करोड़ रु. में)

परियोजना स्थल	विवरण	वास्तविक प्रगति	पीडीसी	स्वीकृत लागत
अगरतला	अगरतला हवाईअड्डे पर नए एकीकृत टर्मिनल भवन का निर्माण और संबन्धित कार्य	97%	31.03.2021	338.94
	अगरतला हवाईअड्डा, अगरतला (त्रिपुरा) पर भा.वि.प्रा. कर्मचारियों के लिए एएआई कॉलोनी में आवासीय क्वार्टरों का निर्माण	86%	31.03.2021	19.12
	हैंगर का निर्माण	97%	31.03.2021	34.16
बारापानी	रनवे का विस्तार और सुदृढ़ीकरण एवं संबद्ध कार्य	50%	31.03.2021	34.00
डिब्रुगढ़	हैंगर का निर्माण	43%	31.12.2021	21.70
	प्रचालन क्षेत्र में मौजूदा ओपन ड्रेन का विखंडन एवं उसी स्थान पर नए कवर्ड ड्रेन का निर्माण	30%	31.03.2021	23.35
	एटीसी टावर और तकनीकी ब्लॉक का निर्माण	2.75%	12.03.2022	44.29
दीमापुर	दीमापुर हवाईअड्डे पर आइसोलेशन बे के साथ लिंक टैक्सीवे के निर्माण सहित रनवे, टॅक्सीवे और एप्रन का सुदृढ़ीकरण	96.10%	31.03.2021	43.22
गुवाहाटी	गुवाहाटी हवाईअड्डे पर नए टर्मिनल भवन, नियंत्रण टावर, हैंगर, अग्निशमन स्टेशन, कार पार्क, सबस्टेशन, कार्गो और अनुषंगी भवनों का निर्माण	41%	31.03.2022	859.86
इम्फाल	इम्फाल हवाईअड्डे पर अंतरराष्ट्रीय कार्गो टर्मिनल का निर्माण	43%	31.12.2021	15.93
	इम्फाल हवाईअड्डे पर हैंगर, संबद्ध एप्रन एवं लिंक टैक्सीवे का निर्माण	49%	31.12.2021	35.90
इटानगर	होलोंगी हवाईअड्डे पर नए ग्रीनफील्ड हवाईअड्डे का निर्माण			
	प्रचालन क्षेत्र में रनवे, एप्रन का विकास एवं संबद्ध कार्य	3%	31.12.2022	416.00
सिलचर	सिविल एनक्लेव, सिलचर हवाईअड्डे पर एप्रन का विस्तार और नए लिंक टैक्सीवे का निर्माण	12.50%	17.02.2022	14.89
तेजू	तेजू हवाईअड्डे पर टर्मिनल भवन का निर्माण और संबद्ध कार्य (शेष कार्य)	67%	30.06.2021	53.95

3. कैलेंडर वर्ष 2020 के तहतयोजना स्तर पर परियोजनाएं

(राशि करोड़ रु. में)

परियोजना स्थल	विवरण	लागत	स्थिति	अभ्युक्तियाँ
इम्फाल	एप्रन बे सहित नए टर्मिनल भवन का निर्माण	727.48	दिनांक 30.09.2019 को निविदा आमंत्रित की गई। लिफाफा – I और II खोला गया और वित्तीय बोली 06.10.2020 को खोली गई। पीआईबी अनुमोदन सहित सबसे कम बोली लगाने वाले की स्वीकृति के लिए फाइल प्रस्तुत की गई है ।	शुरू होने की संभावित तिथि – मार्च 2021 कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि – फरवरी 2024
इटानगर	टर्मिनल भवन, कार पार्किंग, तकनीकी ब्लॉक, आवासीय क्वार्टर, विद्युत एवं यांत्रिक कार्यशाला, मेडिकल सेंटर का निर्माण और शेष सिटी–साइड का विकास	202.00	निविदा रद्द कर दी गई है क्योंकि कोई भी बोलीदाता एनआईटी मानदंडों को पूरा नहीं कर पाया । दिनांक 11.08.2020 को एनआईटी फिर से आमंत्रित की गई। वित्तीय बोली खोली गई । मामले को वित्तीय स्वीकृति हेतु एवं सीए द्वारा स्वीकृत करने के लिए अग्रेषित किया गया। कार्य अवार्ड करने की संभावित तिथि जनवरी, 2021 है। पीडीसी दिसम्बर, 2022 है।	शुरू होने की संभावित तिथि – फरवरी, 2021. कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि – दिसम्बर,2022.

10.7 विभिन्न क्षेत्रों में विकास परियोजनाओं के लिए फोटोशॉप

1. अगरतला हवाईअड्डा

New Integrated Terminal Building at Agartala Airport

प्रचालन बाउंडरी वॉल का निर्माण

हेंगर आवासीय क्वाटरों का निर्माण

2.बारापानी हवाईअड्डा

बारापानी रनवे का विस्तार और सुदृढ़ीकरण एवं संबद्ध कार्य

3. दीमापुर हवाईअड्डा

कार्य का नाम : दीमापुर हवाईअड्डे पर आइसोलेशन बे के साथ लिंक टैक्सीवे के निर्माण सहित रनवे, टैक्सीवे और एप्रन का सुदृढ़ीकरण

4. **डिब्रुगढ़ हवाईअड्डा**

कार्य का नाम : डिब्रुगढ़ हवाईअड्डे पर प्रचालन क्षेत्र में मौजूदा ओपन ड्रेन का विखंडन एवं उसी स्थान पर नए कवर्ड ड्रेन का निर्माण
एजेंसी : मैसर्स पबस्कॉन

आरसीसी कार्य जारी है

कार्य का नाम : डिब्रुगढ़ हवाईअड्डे पर एटीसी टावर सह तकनीकी ब्लॉक का निर्माण
एजेंसी : मैसर्स बद्री राय एण्ड कॉ.

एटीसी साइट पर सुदृढ़ीकरण आवरण

हैंगर

5. गुवाहाटी हवाईअड्डा

नए टर्मिनल भवन का निर्माण

6. इम्फाल हवाईअड्डा

इंफाल– अंतर्राष्ट्रीय कार्गो टर्मिनल का निर्माण

इम्फाल – हैंगर का निर्माण

7. तेजू हवाईअड्डा

8. इटानगर हवाईअड्डा (होलंगी)

साइट पर एक्सकेवेटर और रोलर्स का आगमन

साइट की साफ सफाई का कार्य प्रगति पर

मृदा अन्वेषण कार्य सम्पन्न

10-7 दिव्यांगों के लिए सुविधाएंः

i. **रैम्पः** टर्मिनल बिल्डिंग के प्रवेश द्वार और सिटी साइड एरिया में आरामदायक ढलान के लिए एंटी–स्किड फ्लोरिंग वाले सुगम रैम्प लगाए गए।

ii- **द्वारः** सुगम पहुँच के लिए प्रवेश द्वार पर सेंसर लगे दरवाजे/मैंड द्वार का प्रावधान है। व्हील चेयर यात्रियों की सुगम पहुँच के लिए द्वार के दरवाजे काफी चौड़े बनाए गए है।

iii. **शौचालयः** दिव्यांग व्यक्तियों के लिए उपयुक्त संकेतक के साथ विशेष रूप से डिजाइन किए पृथक शौचालय का प्रावधान किया गया है।

iv- **एलीवेटर्स** : सबसे बड़े आकार की व्हील चेयर के लिए दरवाजे के खुलने को ध्यान में रखते हुए ब्रेल प्रतीकों और श्रवण संकेतों वाले लिफ्ट को टर्मिनल बिल्डिंग के सभी स्तरों तक पहुँचने के लिए प्रावधान किया गया।

v- **एरोब्रिज** : जहां कहीं भी एरोब्रिज हैं, वहाँ व्हील चेयर पर आए शारीरिक रूप से अक्षम यात्रियों को आरामदायक रूप से विमान में बैठाने और उतारने की सुविधा के लिए सुगम ढलान और एंटी–स्किड फर्श का प्रावधान किया गया।

vi- **व्हीलचेयरः** एयरपोर्ट मैनेजर और एयरलाइंस से मांग के आधार पर व्हीलचेयर उपलब्ध कराई जाती है।

vii. **कार पार्किंग** : विभिन्न हवाईअड्डों पर प्रस्थान और आगमन टर्मिनलों के सिटी साइड की ओर साइनेज के साथ आरक्षित पार्किंग स्थान प्रदान किए गए हैं। कार पार्किंग क्षेत्र में 3.6 मीटर X 5.0 मीटर कार पार्क स्थान के स्लॉट विशेष रूप से दिव्यांगों के लिए निर्दिष्ट हैं।

viii. सुगम मार्ग : टर्मिनल बिल्डिंग के सामने 5 मीटर से 10 मीटर चौड़े कर्ब दिए गए हैं, जो की सीधे रैम्प से जुड़े हुए हैं। कर्ब साइड से यात्री टैक्सी/कार में सवार हो सकते हैं। व्हील चेयर की आसान पहुंच के लिए फुटपाथ में विशेष कट और ढलान दिए गए है। कुछ हवाईअड्डों पर, दृष्टिबाधित व्यक्तियों के लिए जेब्रा क्रॉसिंग की सतह पर नक्काशी प्रदान की गई है।

ix. **टैक्टाइलः** एलाइटिंग पॉइंट्स से लेकर मेट्रो हवाईअड्डों के प्रवेश गलियारे तक दृष्टिबाधित यात्रियों के लिए हवाईअड्डों पर टैक्टाइल उपलब्ध कराए गए है।

10.8 भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा 'सुगम्य भारत अभियान' के अंतर्गत सभी के लिए सुलभ हवाईअड्डे बनाने हेतु 1 जनवरी, 2020 से 31 दिसंबर, 2020 तक की गई पहल

- सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण मंत्रालय द्वारा साझा किए गए सामान्य दिशानिर्देशों के अनुसार हवाईअड्डों को सुगम बनाने हेतु 10 सुगमता विशेषताओं को भाविप्रा के हवाईअड्डों के साथ साझा किया गया है, जिसमें शामिल हैं:

1. सुगम मार्ग / पहुँच
2. सुगम पार्किंग
3. भवन के लिए सुगम प्रवेश
4. सुलभ रिसेप्शन (हेल्पडेस्क)
5. सुगम कोरीडोर/टैक्टाइल फ्लोरिंग
6. सुगम लिफ्ट
7. हेंडरेल सहित सीढ़ियाँ (मुख्य यात्री आवागमन क्षेत्र)
8. सुगम शौचालय
9. सुगम पेयजल सुविधा
10. संकेतक (साइनेज)

- सभी एएआई हवाईअड्डों में सुगमता विशेषताओं को समाविष्ट किया जा रहा हैं।
- 54 हवाईअड्डों के लिए डेटा पहले ही एआईसी के एमआईएस पोर्टल पर अपलोड किया जा चुका है और अन्य हवाईअड्डों का डेटा अपलोड किया जा रहा है।
- वर्तमान में अहमदाबाद, जयपुर, कालीकट, कोलकाता, त्रिवेंद्रम, त्रिची और चेन्नई जैसे 07 एएआई हवाईअड्डों पर ग्राउंड हैंडलिंग एजेंसियों के माध्यम से एम्बुलिफ्ट सुविधा हैं। एएआई के 35 हवाईअड्डों में पहले से ही एयरोब्रिज की सुविधा है।
- भाविप्रा ने दिव्यांग यात्रियों के निर्बाध अंतरण को सुनिश्चित करने के लिए कोड या उससे ऊपर विमान प्रचालन वाले तथा एयरोब्रिज सुविधा से रहित 20 हवाईअड्डों पर एंबुलिफ्ट की खरीद प्रक्रिया शुरू की है। 20 एंबुलिफ्ट की खरीद के लिए निविदा आमंत्रित की गईं तथा 10 नवंबर, 2020 को तकनीकी निविदा खोली गई। जनवरी, 2021 तक निविदा को अंतिम रूप दिया जाएगा तथा परियोजना के पूरा होने की अपेक्षित तिथि दिसंबर, 2021 होगी।
- एएआई विमानपत्तन निदेशकों और अन्य एएआई कार्मिकों के साथ 10 मदों वाले दिशानिर्देश और अपेक्षित मानकों को स्पष्ट करने वाली नियमित संवेदीकरण कार्यशालाओं का आयोजन कर रहा है।
- एएआई भारतीय विमानन अकादमी में कर्मचारियों को आईसीएओ एसटीपी (ईसीएओ एसटीपी)– कम गतिशीलता वाले यात्री, विषय पर आईसीएओ (आईसीएओ) ट्रेन एयर प्लस कार्यक्रम के तहत बनाए गए विशेष मानकीकृत प्रशिक्षण पैकेज में भी प्रशिक्षित करता है।
- हेल्प डेस्क पर कार्मिकों को सभी दिव्यांगजनों के साथ कुशलतापूर्वक संवाद करने के लिए प्रशिक्षण दिया जा रहा है,

जिसमें श्रवण बाधित और मूक (बधिर और गूंगा) व्यक्तियों के लिए सांकेतिक भाषा पर प्रशिक्षण शामिल है।

- राइट्स ऑफ पीपल विद डिसएबिलिटीज एक्ट (RPwD) अधिनियम 2016 के अनुसार, नागर विमानन मंत्रालय द्वारा सुगमता मानकों / दिशानिर्देशों को अधिसूचित किया जाना अपेक्षित है। इस संबंध में, भारत में सुगम हवाईअड्डों के लिए दिशानिर्देश, जिसमें 10 सुगमता विशेषताओं सहित सुगम हवाईअड्डों की अवसंरचना को शामिल करते हुए सभी ब्यौरे हैं, एएआई द्वारा तैयार कर नाविमं को अग्रेषित किया गया है। इसके अलावा, नाविमं ने सलाह दी है कि नागर विमानन मंत्रालय के दिशानिर्देशों को व्यापक बनाने के लिए एयरलाइंस और बीसीएएस से संबंधित बिंदुओं को भी शामिल किया जाए।

- अवसंरचना, सुरक्षा सेवाओं और एयरलाइनों की सभी सुगमता विशेषताओं के समावेश वाली व्यापक विवरण–पुस्तिका नाविमं द्वारा डिपार्टमेन्ट ऑफ इम्पावरमेंट पर्सन विद डिसएबिलिटीज(DEPwD) को वेटिंग के लिए भेजी जाएगी, इसके पश्चात इसे प्रकाशित किया जाएगा।

10.9 सतर्कता विभाग की गतिविधियों और उपलब्धियों से संबंधित विवरण

1. **निवारक सतर्कता (प्रशिक्षण गतिविधियाँ / प्रणालीगत सुधार / निरीक्षण)**

   सतर्कता विभाग सभी एएआई कार्मिकों के लिए देश भर में प्रशिक्षण सह कार्यशालाएं आयोजित कर रहा है। इसके अलावा नए कार्यपालकों के लिए इंडक्शन लेवल ट्रेनिंग आयोजित करता है, जिसमें विजिलेंस एडमिनिस्ट्रेशन / फंक्शंस के बुनियादी मॉड्यूल शामिल होते हैं। वर्ष 2020 में, कुल 846 प्रतिभागियों को शामिल करते हुए 7 प्रशिक्षण कार्यशालाएँ आयोजित की गईं। इन कार्यशालाओं को वर्चुअल मोड के माध्यम से आयोजित किया जा रहा है।

2. **प्रणालीगत सुधारः सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के कार्य के संवेदनशील क्षेत्रों में पारदर्शिता, एकरूपता लाने और प्रक्रियाओं और पद्धतियों को कारगर बनाने हेतु, प्रणालीगत सुधार के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए थेः –**

   1. जीसीसी क्लॉज 10 सीसी के अनुसार निविदा दस्तावेज में वृद्धि की गुंजाइश से परामर्श भाग को बाहर करने के संबंध में प्रणालीगत सुधार जारी ।
   2. निविदा प्रसंस्करण शुल्क और ईएमडी के संग्रह / वापसी / निपटान हेतु सीपीपी पोर्टल पर भुगतान गेटवे एकीकरण के लिए प्रणालीगत सुधार 05.10.2020 को जारी किया किया गया।
   3. 07.10.2020 को साइट पर विशेष उपकरणों के परीक्षण और कमीशन हेतु प्रणालीगत सुधार जारी किया गया।

      इससे पहले, उन मामलों में भी एस्केलेशन क्लॉज लागू किया जा रहा था, जहां सीमेंट, स्टील जैसी सामग्री की वास्तविक कीमत आधार मूल्य से कम थी। अब इस कमी को भरने के लिए सभी इंजीनियरिंग कॉन्ट्रैक्ट्स में एक अनिवार्य क्लॉज शामिल किया गया है।

3. **सतर्कता निरीक्षण (आवधिक और सीटीई प्रकार):** कोविड–19 महामारी के प्रकोप के कारण, तथा दौरे और यात्रा पर विभिन्न निवारक उपायों और प्रतिबंध के मद्देनजर, स्थानीय स्तर पर निरीक्षण करने के निर्देश जारी किए गए हैं। अब तक 16 आवधिक निरीक्षण और सीटीई प्रकार के निरीक्षण, उद्योग के भ्रष्टाचार उन्मुख क्षेत्रों, जैसे निविदाओं, विद्युत कार्यों, सिविल कार्यों, निर्माण, आईटी कार्यों, सामान्य प्रशासन और वाणिज्यिक विभाग में किए गए हैं। निवारक सतर्कता के एक भाग के रूप में सीटीई प्रकार के और आवधिक निरीक्षण में 105.86 लाख की वसूली की गई।

4. **आईटी उपयोग सीमा और लिवरेजिंग प्रौद्योगिकी और एनीमेशन के ई–गवर्नेंस उपयोग, जिसमें खरीद / भर्ती, सर्विस डिलीवरी, बिक्री और निपटान आदि शामिल हैं:**

   सतर्कता विभाग ने विभिन्न तकनीकों जैसे सीपीपी (CPP) पोर्टल पर ई–टेंडरिंग, GeM पोर्टल के माध्यम से खरीद, ई–नीलामी, ई–भुगतान, ई–सतर्कता मंजूरी और ई–ऑफिस और ई–मेल आदि के उपयोग पर जोर दिया और डिजिटल प्रौद्योगिकी के उपयोग पर आईटी निदेशालय से तिमाही आधार पर आवधिक रिपोर्ट मंगवाई गई। संगठन में चल रहे आईटी आधारित अनुप्रयोगों के लिए सूचना प्रणाली ऑडिट नियमित रूप से किया जाता है।

   आंतरिक लेखापरीक्षा रिपोर्ट, सीएजी (CAG) ऑडिट रिपोर्ट, अनुपालन ऑडिट रिपोर्ट आदि की नियमित आधार पर जांच की जा रही है। इस तरह की छानबीन के आधार पर, एक मामले में विस्तृत जांच की गई थी, जिसमें चूक हुई थी और चूक करने वाले अधिकारियों के खिलाफ दंड की सिफारिश की गई थी।

5. **सतर्कता जागरूकता सप्ताह –2020:** सीवीसी द्वारा जारी किए गए दिशानिर्देशों के अनुसार भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण में 27, अक्टूबर से 2 नवंबर, 2020 तक थीम ''सतर्क भारत – समृद्ध भारत" पर सतर्कता जागरूकता सप्ताह–2020 मनाया गया । सप्ताह भर के समारोह में 27 राज्यों और 08 केंद्र शासित प्रदेशों में 131 हवाई अड्डों / कार्यालयों में लगभग 12 लाख लोग शामिल थे। इसमें लगभग 35,000 कर्मचारी, हितधारक / ग्राहक, स्कूली बच्चे और कॉलेज के छात्रों और नागरिकों ने विभिन्न गतिविधियों/उपायों से सक्रिय रूप से भाग लिया। इस सप्ताह के दौरान 25,145 व्यक्तियों ने सत्यनिष्ठा की शपथ (सामान्य और ई–प्रतिज्ञा) ली, जिसमें 13

राज्यों में 131 हवाईअड्डों / कार्यालयों में तैनात 13,482 कर्मचारी/हितधारक शामिल हैं। 2,451 प्रतिभागियों के साथ संगठन के भीतर कुल 88 कार्यशालाओं / संवेदीकरण कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। 27 राज्यों और 05 केंद्र शासित प्रदेशों के 102 हवाई अड्डों / कार्यालयों में सतर्कता जागरूकता, नैतिक मूल्यों, नैतिकता आदि से संबंधित विषयों पर विभिन्न प्रतियोगिताओं जैसे निबंध प्रतियोगिता, वाद–विवाद प्रतियोगिता, स्लोगन लेखन, ड्राइंग प्रतियोगिता, भाषण प्रतियोगिता, प्रश्नोत्तरी, संभाषण, चित्रकला प्रतियोगिता, पोस्टर मेकिंग आदि आयोजित किए गए, जिनमें 2329 कर्मचारियों और उनके परिजनों ने भाग लिया।

6. **अखंडता (इंटीग्रिटी)क्लब:** भाविप्रा ने अब तक 27 राज्यों और 08 केंद्र शासित प्रदेशों में 41 अखंडता (इंटीग्रिटी) क्लबों की स्थापना की है, जिनमें लगभग 2500 छात्र सक्रिय सदस्य बने हैं। इन अखंडता (इंटीग्रिटी) क्लबों में विभिन्न गतिविधियों का संचालन किया गया, जिनमें सतर्कता जागरूकता सप्ताह–2020 के दौरान 2131 छात्रों ने भाग लिया।

7. **दंडात्मक सतर्कता:** जांच, विभागीय जांच के लिए उठाए गए मामलों की स्थिति, जिन मामलों में जुर्माना लगाया गया था, से संबन्धित आकड़े निम्नानुसार है:

जांच के लिए उठाए गए कुल मामले	14
निलंबन के तहत अधिकारियों की कुल संख्या	02
कुल मामले जिनमें कोई बड़ा जुर्माना नहीं लगाया गया था	20
कुल मामले जिनमें मामूली जुर्माना लगाया गया था	50

विनियमों और प्रक्रियाओं को लागू करने के लिए सतर्कता विभाग द्वारा प्रवर्तनशील कदम उठाए जा रहे हैं,ताकि संगठन शीघ्र और कुशल सेवा के माध्यम से देश के आर्थिक और सामाजिक विकास में शानदार ऊंचाइयों तक पहुंच सके।

10.10 विशिष्टताएं:

1. **वित्तीय वर्ष 2020–21 के लिए एएआई का अनंतिम वित्तीय प्रदर्शन**

वित्तीय विशिष्टताएं (अनंतिम)

(रुपए करोड़ में)

विवरण	राशि
राजस्व	4755.44
व्यय	9078.98
कर पूर्व लाभ	(–) 4323.54
कर पश्चात लाभ	(–) 4323.54
लाभांश	554.48
लाभांश पर कर	शून्य

राजस्व विशिष्टताएं (अनंतिम)

(रुपए करोड़ में)

विवरण	**राशि**
वायु दिक्चालन सेवाएँ	1544.65
वैमानिक हवाईअड्डा सेवाएँ	1527.86
गैर–वैमानिक हवाईअड्डा सेवाएँ	876.75
एयरपोर्ट लीज राजस्व	473.12
अन्य आय	333.06
कुल राजस्व	4755.44

व्यय विशिष्टताएँ (अनंतिम)

(रुपए करोड़ में)

विवरण	**राशि**
कर्मचारी हित लाभ व्यय	4396.03
परिचालन खर्च	1894.42
प्रशासनिक और अन्य व्यय	888.53
वित्तपोषण प्रभार	100.00
मूल्यह्रास	1800.00
सुरक्षा व्यय	0.00
कुल खर्च	9078.98

वित्तीय वर्ष 2020–21 के लिए राजकोषीय अंशदान (अनंतिम)

(रुपए करोड़ में)

लाभांश	**लाभांश कर**	**गारंटी शुल्क**	**आयकर**	**जीएसटी**	**शुल्क**
138.57	0.00	2.16	375.00	673.03	1188.76

नोट:

1. वित्तीय वर्ष 2020–21 के अनुमानित राजस्व में अप्रैल, 2020 से दिसंबर, 2020 तक की अवधि के लिए रु. 473.12 की राशि लीज राजस्व के लिए शामिल है।
2. निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग (क्प्।ड) के दिशानिर्देशों के आधार पर वित्तीय वर्ष 2020–21 के लिए शुद्ध मूल्य के 5% की दर से लाभांश पर काम किया गया है, यद्यपि इससे भाविप्रा को वित्तीय वर्ष 2020–21 के लिए नुकसान में होगा। उल्लेखनीय है कि भाविप्रा ने पहले ही नाविमं से कोविड– 19 के प्रतिकूल प्रभाव के कारण अपने वित्तीयों पर वित्तीय वर्ष 2020–21 के लिए किसी भी लाभांश के भुगतान से छूट देने का अनुरोध प्रस्तुत किया है।
3. राजकोष को अंशदान हेतु वित्तीय वर्ष 2019–20 में रु 138.57 के अंतिम लाभांश का वित्तीय वर्ष 2020–21 में भुगतान हेतु विचार किया गया है। वित्त वर्ष 2020–21 के लिए अंतरिम लाभांश को भाविप्रा के वित्तीयों पर कोविड प्रभाव के कारण

विचाराधीन नहीं माना गया, और इस संबंध में छूट के लिए नाविमं से अनुरोध भी किया गया था।

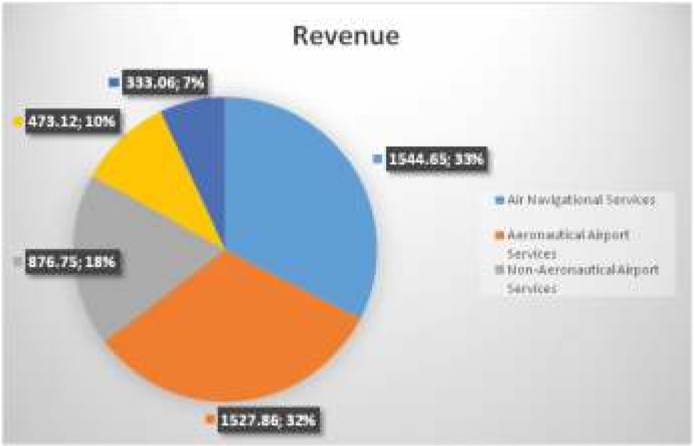

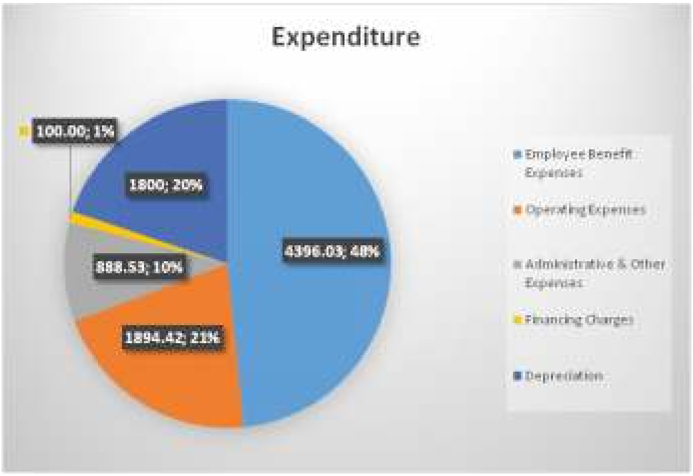

10.11 एयरो – योजना

10.11.1 भारत में सीप्लेन प्रचालन

नागर विमानन मंत्रालय ने पहले ही प्रतिष्ठित उडान परियोजना के तहत भारत में सीप्लेन प्रचालन शुरू करने के लिए जल निकायों के पास पर्यटन / धार्मिक स्थलों की पहचान करने के लिए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को निर्देश दिया है। तदनुसार,भाविप्रा ने कई राज्यों से सीप्लेन प्रचालन के लिए पूर्व–व्यवहार्यता अध्ययन करने के लिए संभावित जलाशयों की पहचान करने का अनुरोध किया है। अध्ययन करने के लिए भाविप्रा , डीजीसीए और स्पाइसजेट के अधिकारियों के साथ एक बहु–विभागीय टीम बनाई गई थी।

2018 से , राज्य सरकार या केंद्रशासित प्रदेश के अनुरोध पर जल एयरोड्रम के विकास के लिए कुल 10 राज्य / केन्द्र शासित प्रदेशके 31 स्थानों पर निम्न तालिका के अनुसार पूर्व–व्यवहार्यता अध्ययन किए गए ।

क्रम सं	राज्य	पूर्व–व्यवहार्यता अध्ययन के स्थान
1.	ओडिशा	1. बरकुल,चिल्का झील 2. रंभा ,चिल्का झील 3. सतपदा , चिल्का झील,
2.	गुजरात	4. सरदार सरोवर बांध (स्टैच्यू ऑफ यूनिटी) 5. साबरमती नदीतट, अहमदाबाद 6. शत्रुंजय बांध 7. ताप्ती नदी,सूरत 8. धरोई बांध
3.	असम	9. उजान बाहबारी ब्रिज, मानस नेशनल पार्क 10. कहेतामापुल, मानस नेशनल पार्क 11. उजान बाजार घाट, गुवाहाटी 12. कमलाबाड़ी घाट, माजुली 13. सेलेक घाट, सुबनसिरी नदी, माजुली 14. बोकाधाट फेरी घाट, काजीरंगा 15. उमरंगो, दीमा हसाओ
4.	मेघालय	16. उमियाम (बारापानी) झील
5.	उत्तराखंड	17. टिहरी बांध जलाशय
6.	तेलंगाना	18. नागार्जुन सागर बांध 19. हुसैन सागर झील
7.	आंध्र प्रदेश	20. प्रकाशम बांध
8.	महाराष्ट्र	21. खिंडसी बांध 22. ईराई बांध 23. पेंच जलाशय
9.	लक्षद्वीप	24. अगात्ती द्वीप 25. कदमत द्वीप 26. करती द्वीप 27. बंगारम द्वीप
10.	अंदमान एवं निकोबार द्वीप	28. स्वराज द्वीप(हॉव लॉक द्वीप) 29. शहीद द्वीप (नील द्वीप) 30. लोंग द्वीप 31. हट बे द्वीप

उपर्युक्त पूर्व–व्यवहार्यता अध्ययन में से , वर्तमान में 2021–22 तक आरसीएस उडान योजना के तहत निम्नलिखित 12 जल एयरोड्रोमों का विकास किया जा रहा है क्योंकि उडान 3.0 ,3.1.एवं 4.0 के तहत एयरोड्रोम से और तक रूट प्रदान किया गया है।

क्रम सं	राज्य	उडान 3.0,3.1 एवं 4.0 के तहत जिन जल एयरोड्रोम का विकास किया जा रहा है।
1.	गुजरात	1. सरदार सरोवर बांध (स्टैच्यू ऑफ यूनिटी) – 3.0 2. साबरमती नदीतट, अहमदाबाद – 3.0 3. शत्रुंजय बांध – 3.0
2.	अंडमान एवं निकोबार द्वीप	4. स्वराज द्वीप (हैवलॉक द्वीप) – 3.1 5. शहीद द्वीप (नील द्वीप) – 3.1 6. लॉन्ग द्वीप – 3.1
3.	असम	7. गुवाहाटी नदीतट – 3.0 8. उमरंगो, दीमा हसाओ – 3.0
4.	तेलंगाना	9. नागार्जुना सागर बांध – 3.0
5.	आंध्र प्रदेश	10. प्रकाशम बांध – 3.1
6.	लक्षद्वीप	11. कवरत्ती द्वीप – 4.0 12. मिनिकोय द्वीप – 4.0

उडान3.0, 3.1 एवं 4.0 के तहत उपर्युक्त जल एयरोड्रोम के लिए निम्नलिखित रूट प्रदान किए गए है।

क्रम सं	जल एयरोड्रोम (से)	लक्ष्य (तक)	एयरलाईन प्रचालक
1.	सरदार सरोवर बांध (स्टैच्यू ऑफ यूनिटी)	साबरमती नदीतट, सूरत	
2.	साबरमती नदीतट	शत्रुंजय बांध स्टैच्यू ऑफ यूनिटी	
3.	शत्रुंजय बांध	साबरमती नदीतट	
4.	स्वराज द्वीप		
5.	शहीद द्वीप	पोर्ट ब्लेयर	स्पाइस जेट
6.	लॉन्ग द्वीप		
7.	गुवाहाटी नदीतट	जोरहाट शिलांग उमरंगो	
8.	उमरंगो	गुवाहाटी नदी तट	
9.	नागार्जुना सागर	हैदराबाद विजयवाड़ा	टरबो विमानन
10.	प्रकाशम बांध	हैदराबाद	
11.	मिनिकोय	अगात्ती	स्पाइस जेट
12.	कवरत्ती	अगात्ती	

रूट आवंटन की सफल बोली के लिए अतिरिक्त 02 जल एयरोड्रोम (अंडमान एवं निकोबार द्वीपों में और उत्तराखंड के टिहरी बांध में हटबे) प्रतीक्षारत है।

इन जल एयरोड्रोमों का विकास राज्य सरकार द्वारा भाविप्रा के साथ परामर्श से किया जाएगा और पूंजीगत व्यय उड़ान योजना के तहत वहन किया जाएगा । भाविप्रा ने पहले ही सूचीबद्ध 12 जल एयरोड्रोमों में से 10 के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट और पर्यावरण मंजूरी की तैयारी के लिए एक सलाहकार नियुक्त किया है।

जैसा कि नियमित संचालन के लिए इन एयरोड्रोम को विकसित करने के लिए काम चल रहा है, पांच वाटर एयरोड्रोम (गुजरात में 2 और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में) को गैर–अनुसूचित ऑपरेटर परमिट (एनएसओओपी) के संचालन के लिए फास्ट ट्रैक आधार पर विकास के लिए चुना गया था।

इस परियोजना के तहत पहला सीप्लेन प्रचालन का उद्घाटन माननीय प्रधान मंत्री द्वारा 31 अक्टूबर 2020 को साबरमती रिवरफ्रंट – स्टैच्यू ऑफ यूनिटी रूट के लिए किया गया था। मार्च 2021 में अंडमान एवं निकोबार द्वीप पर 3 जगहों पर परिचालन शुरू होगा।

- **समझौता ज्ञापन और संयुक्त उद्यम का विवरण**

➢ उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में मौजूदा राज्य सरकार के हवाई अड्डे को संचालित करने के लिए भाविप्रा और उत्तर प्रदेश के बीच दिनांक 05.03.2019 को एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। दिनांक 24.06.2020 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा कुशीनगर हवाईअड्डा को अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित किया गया था।

➢ नागचला ,मंडी में ग्रीनफील्ड हवाईअड्डा के लिए दिनांक 15.01.2020 को हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार और भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।

10.11.2 एटीएम – सर्वेक्षण

1. कोविड –19 महामारी के बावजूद 02 जल एयरोड्रोमों सहित कुल 27 हवाई अड्डों का सर्वेक्षण किया गया।
2. कुल 27 हवाई अड्डों में से 13 आरसीएस हवाई अड्डों में, ओएलएस सर्वेक्षण संबंधी कार्य रिकॉर्ड निर्धारित समय के भीतर किया गया, जिसमें 06 असेवित और 03 अल्पसेवित आरसीएस हवाई अड्डे शामिल हैं।
3. भारत में पहली बार साबरमती नदीतट और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी दोनों जल एयरोड्रोमों का सफलतापूर्वक प्रचालन और माननीय

प्रधानमंत्री द्वारा समयबद्ध रूप से दिनांक 31.08.2020 को उद्घाटन किया गया।

10.11.3 बीडीयू निदेशालय

14 जुलाई 2020: नागर विमानन के क्षेत्र में सहयोग के लिए भाविप्रा और बीईएल के बीच समझौता ज्ञापन।

एक ऐतिहासिक घटनाक्रम के रूप में, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (भाविप्रा) और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (बीईएल) जो रक्षा मंत्रालय के तहत एक नवरत्न पीएसयू है, और जो डिजाइन और व्यावसायिक इलेक्ट्रॉनिक्स के निर्माण में अग्रणी है, ने एक अतिव्यापी एमओयू साझा किया है। यह एशिया प्रशांत क्षेत्र सहित वैश्विक स्तर पर उभरते हवाई अड्डों के कारोबार को संबोधित करने के लिए दोनों संगठनों के लिए सहयोगात्मक विकास और समर्थन के लिए एक मंच प्रदान करेगा।

इस तरह के सहयोग को आगे बढ़ाने में, भाविप्रा एक विकास भागीदार की भूमिका में, भारत के बाहर प्रतिष्ठित एमईए परियोजनाओं के निष्पादन को सक्षम करने के लिए अपनी विशेषज्ञता के क्षेत्र में बीईएल को सहायता प्रदान करेगा। दोनों पार्टियां नागर विमानन के क्षेत्र में मैसर्स बीईएल द्वारा नियंत्रित की जा रही वर्तमान और भविष्य की परियोजनाओं में एक दूसरे के साथ निकट सहयोग में काम करेंगे।

06 नवंबर 2020: भाविप्रा और सीएचआईएएल ने स्काइबुक्स 360 प्रणाली के कार्यान्वयन के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए।

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (भाविप्रा) ने स्काइबुक्स 360 प्रदान करने के लिए चंडीगढ़ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे (सीएचआईएएल) के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं जोकि चालान और लेखा के लिए एक

व्यापक ई–व्यापार समाधान है। स्काइबुक्स 360 हवाई अड्डों के प्रबंधन के लिए भाविप्रा (भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण) का एक प्रमुख उत्पाद है जो हवाई अड्डों पर सेवा में सुधार, लागत में कमी, सुरक्षा का प्रबंधन और दक्षता में वृद्धि करता है।

स्काइबुक्स 360 हवाई अड्डा ऑपरेटरों के लिए एकीकृत ई–बिजनेस समाधान प्रदान करने के लिए एक अनूठी प्रणाली है। यह इंटरैक्टिव डैश बोर्ड रिपोर्टिंग के साथ, एक ही मंच पर विमानन से संबंधित सभी जटिल प्रक्रियाओं के संयोजन के साथ चालान, वित्तीय प्रबंधन, लेखा सेवाओं और रिपोर्टिंग के लिए एक व्यापक समाधान है। इसके अलावा, यह परिष्कृत सेवा वेब आधारित हो सकती है, जिसका अर्थ है कि शून्य डाउन समय के साथबिना किसी भारी आईटी कार्यान्वयन के, त्वरित और सटीक लेखांकन और वास्तविक समय के आधार पर विविध व्यावसायिक और वित्तीय प्रबंधन आवश्यकताओं की रिपोर्टिंग सुनिश्चित करना। स्काइबुक्स 360 एक अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग मानक (आईएफआरएस) अनुरूप उपकरण है।

11 अगस्त 2020: एकीकृत विमानन हब हिसार एयरपोर्ट–विकास चरण 2 के लिए परियोजना निगरानी परामर्श।

हरियाणा सरकार हिसार में अंतर्राष्ट्रीय विमानन हब परियोजना का कार्य कर रही है। आईएएच हिसार भाविप्रा द्वारा समर्थित अपनी तरह का अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हब है। इस परियोजना के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) पहले ही पूरी हो चुकी है और हरियाणा राज्य में पहली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा परियोजना के लिए भाविप्रा को परियोजना प्रबंधन परामर्श (पीएमसी) प्रदान किया गया है।

09 सितंबर 2020: हनीमाधू एयरपोर्ट का विकास

मालदीव में हनीमाधू हवाई अड्डे के विकास के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट सितंबर–नवंबर 2020 के महीने में भाविप्रा द्वारा पूरी की गई थी। हनीमाधू परियोजना भारत और मालदीव के बीच संपर्क के लिए रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण परियोजना है।

नवंबर – दिसंबर 2020: एफटीओ और एमआरओ शुल्क का युक्तिकरण

माननीय प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर भारत के सपने और एनसीएपी – 2016 के अनुरूप भाविप्रा हवाई अड्डों पर एफटीओ और एमआरओ की स्थापना को प्रोत्साहित करने के लिए प्रभारों को युक्तिसंगत बनाया गया। भारत में एफटीओ और एमआरओ के लिए वैश्विक केंद्र बनने की बहुत संभावनाएं हैं और इसके पास बढ़ती घरेलू और वैश्विक मांग को संबोधित करने के लिए आवश्यक संसाधन हैं। प्रभारों के युक्तिकरण से विश्व स्तरीय एफटीओ और एमआरओ की स्थापना के लिए आवश्यक बुनियादी ढाँचे के प्रावधान को प्रोत्साहन मिलेगा। भाविप्रा के हवाई अड्डों पर एफटीओ की स्थापना का प्रस्ताव पहले ही आमंत्रित किया जा चुका है और इसने उद्योग से काफी रूचि आकर्षित की है।

10.11.4. सीएपी निदेशालय

1. **भाविप्रा के वायु यातायात नियंत्रकों का लाइसेंस:**
    - जारी किए गए वायु यातायात नियंत्रक लाइसेंस (एटीसीओएल) की कुल संख्या – **2633**
    - छात्र वायु यातायात नियंत्रक लाइसेंस (एसएटीसीओएल) की कुल संख्या – **149**
2. **एटीसी रेटिंग एंडोर्समेंट:**
    - रेटिंग एंडोर्समेंट की कुल संख्या– **619**
3. **प्रशिक्षक और परीक्षक की प्राधिकृति:**
    - प्रशिक्षक– **680**
    - परीक्षक– **495**
4. **विमान नियम 1973 के नियम 97 3 (i) के तहत नव स्थापित एटीसी यूनिट (आरसीएस एयरपोर्ट) पर रेटिंग के एंडोर्समेंट के बिना एटीसी ड्यूटी को पूरा करने के लिए डीजीसीए से प्राप्त प्राधिकार :**
    - जगदलपुर हवाई अड्डा – 18 सितंबर, 2020 से प्रभावी
    - कुशीनगर हवाई अड्डा– 5 अक्टूबर, 2020 से प्रभावी
    - रूपसी हवाई अड्डा – 28 अक्टूबर, 2020 से प्रभावी
5. **विमान नियम, 1937 के नियम 97 3 (ii) के तहत रेटिंग इकाई के एंडोर्समेंट के बिना अस्थायी एटीसी ड्यूटी का पालन करने के लिए डीजीसीए से प्राप्त प्राधिकार:**
    - कालबुर्गी हवाई अड्डा
    - नांदेड़ हवाई अड्डा
    - शिरडी हवाई अड्डा
6. **भाविप्रा की विमानन अंग्रेजी भाषा प्रशिक्षण संगठनों / परीक्षण सेवा प्रदाताओं (एईएलटीओ / टीएसपी) के लिए डीजीसीए से प्राप्त स्वीकृति :**

    एईएलटीओ / टीएसपी की कुल संख्या – 6
    - नई दिल्ली
    - कोलकाता
    - चेन्नई
    - मुंबई
    - सीएटीसी इलाहाबाद
    - गुवाहाटी

10.11.5. सीएनएस पी– II

➢ वित्तीय वर्ष 2020–21 में दिसंबर 2020 तक वायु यातायात की सुरक्षा और परिचालन दक्षता बढ़ाने के लिए कुल रु. 257.83 करोड़ का व्यय किया गया ।

➢ भाविप्रा ने दिसंबर 2020 के महीने में बीकानेर में एक नया एमएसएसआर स्थापित किया है।

क) **स्टैंड–अलोन मोनो–पल्स सेकेंडरी सर्विलांस रडार:** मोनो–पल्स सेकेंडरी सर्विलांस रडार (एसएसआर) एयर ट्रैफिक कंट्रोल (एटीसी) में उपयोग की जाने वाली एक रडार प्रणाली है जो रेडियो सिग्नलों की पहचान किए गए प्रतिबिंबों का उपयोग करते हुए लक्ष्यों के असर और दूरी को मापती है।

ख) **लाभ:**

a. यह सुविधा एयर ट्रैफिक कंट्रोल के लिए निगरानी आधारित मार्गस्थ सेवाएं प्रदान करती है।

b. ट्रैफिक कॉरिडोर की ट्रैफिक हैंडलिंग क्षमता बढ़ाई गई।

c. मोड एस स्तर –2 एमएसएसआर के साथ, मोड–एस एड्रैस जैसी विशिष्ट जानकारी प्राप्त करने के लिए विमान के साथ सीधे संवाद करना संभव है। गति, हेडिंग आदि।

➢ भाविप्रा ने नागपुर, वाराणसी, जयपुर और बेंगलुरु (दूसरा राडार) हवाई अड्डे के लिए एमएसएसआर के साथ लगे हुए 4–नग एएसआर का प्रापण किया है।

क) **मोनो–पल्स सर्विलांस रडार (एमएसएसआर) के साथ विन्यस्त एयरपोर्ट सर्विलांस रडार (एएसआर)** : प्राइमरी रडार एक एयरक्राफ्ट–डिटेक्शन सिस्टम है जो रेंज, रेडियल और एयरक्राफ्ट की गति को निर्धारित करने के लिए रेडियो तरंगों का उपयोग करता है। जब इसके द्वितीयक रडार से टकराया जाता है, तो सिस्टम विमान की पहचान, ऊंचाई, आदि जैसी अतिरिक्त जानकारी प्रदान करता है।

ख) लाभ

a. यह प्रणाली वायु यातायात नियंत्रण के लिए निगरानी आधारित दृष्टिकोण प्रदान करती है।

b. एयरपोर्ट्स की ट्रैफिक हैंडलिंग क्षमता बढ़ाता है।

c. एस स्तर –2 मोड एमएसएसआर के साथ, मोड–एस पते जैसी विशिष्ट जानकारी प्राप्त करने के लिए विमान के साथ सीधे संवाद करना संभव है। गति, हेडिंग आदि।

➢ भारतीय वायु क्षेत्र में विमान निगरानी क्षमता बढ़ाने के लिए भाविप्रा ने चार और एडीएस–बी स्थापित किए हैं।

क) ऑटोमैटिक डिपेंडेंट सर्विलांस–ब्रॉडकास्ट सिस्टम (एडीएस–बी): यह एक निगरानी तकनीक है जिसमें एक विमान सैटेलाइट नेविगेशन या अन्य सेंसर के माध्यम से अपनी स्थिति निर्धारित करता है और समय–समय पर इसे प्रसारित करता है, जिससे इसे ट्रैक किया जा सकता है।

➢ सीएनएस–योजना–I निदेशालय ने 20 आईएलएस उपकरणों की खरीद की है, इन खरीदे गए उपस्करों की इन–हाउस स्थापना और परीक्षण प्रगति पर है।

क) आईएलएस एक ग्राउंड आधारित इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो एक विमान के पास सटीक लैंडिंग और लैंडिंग के लिए सटीक मार्गदर्शन प्रदान करता है।

ख) लाभः

क) कोहरे, बारिश और बर्फ के कारण कम दृश्यता की स्थिति में समय पर संचालन सुनिश्चित करता है।

ख) हवाईअड्डों पर निर्बाध लैंडिंग और टेक–ऑफ जिससे देरी के कारण या अन्य हवाईअड्डों पर मोड़ने के कारण विमान में देरी और ईंधन जलना कम हो जाता है।

ग) दृश्यता कम होने से विमानों का डायवर्जन कम हो जाएगा।

➢ इस वर्ष में डॉपलर वेरी हाई फ्रीक्वेंसी ओमनी रेंज (डीवीओआर) के कुल 20 नग खरीदे गए हैं और इन उपकरणों की इन–हाउस स्थापना प्रगति पर है।

क) **डीवीओआरएक** मानक अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन संगठन (आईसीएओ) ग्राउंड आधारित रेडियो **नेविगेशनल** सहायता है जो एन–रूट, टर्मिनल और इंस्ट्रूमेंट एप्रोच / प्रस्थान प्रक्रियाओं के लिए वायु यातायात नियंत्रण मार्गों को परिभाषित करने के लिए विमान को असरकारी जानकारी प्रदान करता है।

➢ इस वर्ष में कुल 17 डीएमई की खरीद की गई है और इन उपकरणों की इन–हाउस स्थापना प्रगति पर है।

क) **डिस्टेंस मेजरमेंट इक्विपमेंट (डीएमई)** एक रेडियो नेविगेशन तकनीक है, जो एक विमान और एक ग्राउंड स्टेशन के बीच तिरछी सीमा (दूरी) को मापता है।

➢ 585 में से सीआरडीएस में वीएचएफ टीएक्स / आरएक्स उपकरण के कुल 390 प्राप्त हुए।

क) **बहुत उच्च आवृत्ति ट्रांसमीटर और रिसीवर की आपूतिः** –पायलट और वायु यातायात नियंत्रक के बीच वायु से जमीन संपर्क के लिए बहुत उच्च आवृत्ति ट्रांसमीटर रिसीवर का उपयोग।

➢ एचएफ आरएक्स (48) के एसआईटीसी के लिए मेसर्स आर एंड एस जर्मनी को एसआईटीसी कार्य दिया गया है।

क) **हाई फ्रिक्वेंसी रिसीवर का एसआईटीसी** : – लंबी दूरी वायु से जमीनी संपर्क के लिए उच्च आवृति ट्रांसमीटर रिसीवर का उपयोग।

➢ आगे की स्थापना के लिए साइट पर कुल 48 नग वीसीसीएस सिस्टम प्राप्त हुआ।

क) **वॉयस कंट्रोल एंड कम्युनिकेशन सिस्टम की एसआईटीसीः** –वायु यातायात प्रबंधन के लिए उपयोग किए जाने वाले विभिन्न वॉयस कम्युनिकेशन सिस्टम जैसे वीएचएफ टीएक्स/आरएक्स, टेलीफोन, और अन्य एटीसी संचार को वीसीसीएस नियंत्रित करता है और एक साथ जोड़ता है। यह कई इंटरफेस के लिए एक इंटरनेटवर्क वाली चेन और बैकबोन भी प्रदान करता है, जो एक साथ रखे गए सभी इंटरफेस के लिए एक एक्सचेंज के रूप में कार्य करता है।

➢ **सीएटीसी, एनआईएटीएएम और हैदराबाद एफएसटीडी की एसआईटीसी (अनुमानित लागतः 49.21 करोड़ रुपये):** भाविप्रा ने सीएटीसी प्रयागराज, एनआईएटीएएम गोंदिया और हैदराबाद में एफएसटीडी के एसआईटीसी के लिए निविदा मूल्यांकन प्रक्रिया पूरी कर ली है, जल्द ही अनुबंध दिया जा रहा है।

➢ **सीएटीसी प्रयागराज, एचटीसी हैदराबाद और एनआईएटीएएम गोंदिया के लिए प्रक्रियात्मक अप्रोच और क्षेत्र नियंत्रण सिमुलेटर की एसआईटीसी (अनुमानित लागतः 113.56 करोड़):** भाविप्रा ने सीएटीसी प्रयागराज, एचटीसी हैदराबाद और एनआईएटीएएम गोंदिया में प्रक्रियात्मक अप्रोच और क्षेत्र नियंत्रण सिमुलेटर की एसआईटीसी के लिए निविदा मूल्यांकन प्रक्रिया पूरी कर ली है, जल्द ही अनुबंध दिया जा रहा है।

➢ **ए–एसएमजीसीएस के साथ एटीसी ऑटोमेशन सिस्टम की एसआईटीसीः** भाविप्रा द्वारा नवी मुंबई और मोपा (गोवा) हवाई अड्डे पर ए–एसएमजीसीएस के साथ नए एटीसी ऑटोमेशन सिस्टम को लागू करने के लिए निविदा जारी की गई है और हैदराबाद, बैंगलोर और मुंबई हवाईअड्डे में एएसएमजीसीएस के साथ पुराने एटीसी ऑटोमेशन सिस्टम को बदलने की योजना है।

➤ **भविष्य की पहलें :**

क) निम्नलिखित प्रस्तावित परियोजनाओं के लिए मेक इन इंडिया नीति के तहत जारी की गई रुचि

क) **रिमोट एटीसी टॉवरः** भाविप्रा नजदीकी हवाई अड्डों के हवाई यातायात को नियंत्रित करने के लिए भावनगर हवाई अड्डे पर रिमोट एटीसी टॉवर स्थापित करने की योजना बना रहा है

- रिमोट और वर्चुअल टॉवर (आरवीटी) एक नई अवधारणा है जहां हवाई अड्डे पर वायु यातायात सेवा को दूरस्थ स्थान पर और फिर स्थानीय नियंत्रण टॉवर से संभाला जाता है।
- **लाभः**—रिमोट टॉवर सॉल्यूशंस हवाई अड्डे के कार्यों को डिजिटल और एकीकृत करके हवाई यातायात नियंत्रण के लिए एक बेहतर एप्रोच और डेटा प्रदान करते हैं

ख) भाविप्रा नवी मुंबई पर (03), गोवा हवाई अड्डे पर (01) नई एएसआर–एमएसएसआर को लागू करने की योजना बना रहा है और बेंगलौर और हैदराबाद हवाई अड्डे पर पुराने एएसआर–एमएसएसआरको बदलने की योजना भी बना रहा है।

ग) **598 वीएचएफटीएक्स / आरएक्स की आपूर्ति : –** भाविप्रा कुल 598 वीएचएफ टीएक्स / आरएक्स खरीदने की योजना बना रहा है।

घ) **एनडीबी की आपूर्ति** : – 24 एनडीबी. एनडीबीएक भू आधारित इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जोकि हवाई अड्डे पर विमान की एप्रोचिंग तथा लैंडिग को होमिंग गाइडेंस प्रदान करता है।

ङ) **आईएलएसकी आपूर्तिः** 24 आईएलएसप्रणाली। आईएलएसएक भू आधारित इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो एप्रोचिंग एवं लैंडिग कर रहे विमान को सटीक मार्गदर्शन प्रदान करता है।

च) **डीवीओआर की आपूर्तिः** – 19 डीवीओआर प्रणाली। डीवीओआर एक मानक अंतरराष्ट्रीय नागर विमानन संगठन (इकाओ) भू आधारित रेडियो दिक्कचालन सुविधा है जो एन–रूट, टर्मिनल और इंस्ट्रूमेंट एप्रोच / प्रस्थान प्रक्रियाओं के लिए वायु यातायात नियंत्रण मार्गों को निर्धारित करने के लिए विमान को सूचना प्रदान करता है।

छ) **डीएमई की आपूर्ति** : 42 एलपी / एचपी डीएमई। दूरी मापक उपस्कर (डीएमई) एक रेडियो दिक्चालन तकनीक है, जो एक विमान और एक ग्राउंड स्टेशन के बीच तिरछी सीमा (दूरी) को मापता है।

ज) **एआरएसआर–एमएसएसआरकी एसआईटीसीः** 02 एआरएसआर–एमएसएसआर। प्राइमरी रडार एक एयरक्राफ्ट–डिटेक्शन प्रणाली है जो रेडियो तरंगों का उपयोग रेंज, रेडियल और एयरक्राफ्ट की गति को निर्धारित करने के लिए करता है। जब इसका आकार सेकेन्डरी रडार से स्थातपन किया जाता है, तो यह प्रणाली विमान–पहचान, ऊंचाई आदि जैसी अतिरिक्त जानकारी के साथ एन–रूट निगरानी प्रदान करती है।

झ) **एएसआर–एमएसएसआरकी एसआईटीसी** : 06 एएसआर– एमएसएसआर । प्राइमरी रडार एक एयरक्राफ्ट–डिटेक्शन प्रणाली है जो रेडियो तरंगों का उपयोग रेंज, रेडियल और एयरक्राफ्ट की गति को निर्धारित करने के लिए करता है। जब इसका द्वितीयक रडार से स्थापना जाता है, तो प्रणाली विमान की पहचान, ऊंचाई, आदि जैसी अतिरिक्त जानकारी के साथ हवाई अड्डे के एप्रोच की निगरानी प्रदान करती है।

ञ) **एएसएमजीसीएसकी एसआईटीसीः** चेन्नई कोलकाता के लिए । एएसएमजीसीएस प्रचालन क्षेत्र में आपरेट कर रहे विमानों और अन्य वाहनों की निगरानी और सुरक्षित प्रबंधन के लिए एयरपोर्ट सर्फेस ग्राउंड कंट्रोल प्रणाली है।

ट) **भारत में विभिन्न हवाई अड्डों के लिए एटीएम स्वचालन प्रणाली की एसआईटीसीके लिए तकनीकी प्रस्तावः** भारत में विभिन्न हवाई अड्डों हेतु ।

ठ) **पैन इंडिया एएमएचएसकी एसआईटीसी** : पैन इंडिया हेतु।

ड) **भू–आधारित आवर्धन (ओटोमेशन) की एसआईटीसी प्रणाली (जीबीएएस)** : राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा हैदराबाद ।

ढ) डीवीआर की आपूर्ति

ण) डीएटीआईएस की आपूर्ति

त) एचएफ ट्रांसमीटर, एचएफ ब्रॉड बैंड एंटीना और संबंधित एक्सेसरीज की आपूर्ति, प्रतिष्ठापन, परीक्षण और चालू करना (एसआईटीसी)।

थ) एचएफ ट्रांसमीटर, एचएफ ब्रॉड बैंड एंटीना और संबंधित एक्सेसरीज की आपूर्ति, प्रतिष्ठा्न, परीक्षण और चालू करना (एसआईटीसी)

द) आईपी आधारित वीसीसीएस प्रणाली की आपूर्ति, प्रतिष्ठापन, परीक्षण और आरंभ।

ध) आईपी आधारित वीएचएफ ट्रांसमीटर और वीएचएफ रिसीवर, वीएचएफ एंटीना और संबंधित एक्सेसरीज की आपूर्ति।

न) एटीसी ऑटोमेशन सिस्टम (46)

10.10.6 एटीएम–डीओएएस

<table>
<tr><td rowspan="6">ऊंचाई मंजूरी के लिए एनओसी</td><td colspan="6">1 जनवरी 2020 से 31 दिसंबर 2020 तक एनओसी के मामलों का सारांश</td></tr>
<tr><td>क्षेत्र/एनओसी एयरपोर्ट</td><td>अनापत्ति प्रमाण पत्र</td><td>इमारत</td><td>एसएसीएफएमस्त</td><td>पी/डब्ल्यू/एफ</td><td>कुल मामले</td></tr>
<tr><td rowspan="4">सभी क्षेत्रों का डेटा</td><td>जारी की गई एनओसी</td><td>4976</td><td>22015</td><td>1139</td><td>28130</td></tr>
<tr><td>ऑटो सेटल की गई एनओसी</td><td>1762</td><td>24069</td><td>303</td><td>26134</td></tr>
<tr><td>निरस्त की गई एनओसी।</td><td>211</td><td>396</td><td>1 1</td><td>618</td></tr>
<tr><td>कुल</td><td>6949</td><td>46480</td><td>1453</td><td>54882</td></tr>
<tr><td>सिमुलेशन अध्ययन</td><td colspan="6">जनवरी 2020 से दिसंबर 2020 तक की अवधि के लिए एयरपोर्ट ऑपरेटर की परियोजनाओं से संबंधित कुल 29 सीएनएस सिमुलेशन अध्ययन मामलों को विमानन संरक्षा विभाग/सीएनएस (ओएम) द्वारा संसाधित किया गया है ।</td></tr>
<tr><td>व्यापार करने में सुगमता (ईओडीबी)</td><td colspan="6">• 16 यूएलबी एकीकरण की समीक्षा और प्रचालन किया जा रहा है, जहां सिस्टम हैंड–शेक पूरा हो चुका है,।
• एनओसीएएस के साथ 19 अन्य यूएलबी के एकीकरण के लिए अनुरोध प्रगति के विभिन्न चरणों में हैं।</td></tr>
<tr><td>कलर कोडित जोनिंग नक्शेन (सीसीजेडएम)</td><td colspan="6">• विभिन्न आरसीएस हवाई अड्डों के लिए सीसीजेडएम सहित कुल 92 कलर कोडिंड जोनिंग नक्शेड (सीसीजेडएम) अब तक प्रकाशित किए गए हैं और शहरी स्थानीय निकायों को सीसीजेडएम अनुमोदित ऊँचाई से कम ऊँचाई निकासी जारी करने के लिए प्रदान किए गए हैं।</td></tr>
<tr><td>विमानक्षेत्र सुरक्षा के लिए भाविप्रा हवाई अड्डों पर क्षमता का निर्माण।</td><td colspan="6">• फील्ड स्टेशनों और एफपीडी अनुभाग में तैनात 18 जीआईएस एनालिस्ट–सह–सर्वेयर के अलावा, 15 और जीआईएस एनालिस्ट–सह–सर्वेयर को काम पर रखने की प्रक्रिया जारी है।</td></tr>
<tr><td>अपीलीय समिति के माध्यम से अपील के मामले</td><td colspan="6">• 61 वैमानिकी अध्ययन के 61 और
• 9 परिरक्षण मामलों को 1 जनवरी 2020 31 के लिए दिसंबर 2020 तक संसोधित किया जाएगा।</td></tr>
<tr><td>एनओसीएएस उन्नयन</td><td colspan="6">• 20 हवाई अड्डों काविमानक्षेत्र डाटा अद्यतन,
• 21 हवाई अड्डों रनवे प्रोफाइल को शामिल किया गया हैं,
• विस्थापित / प्रस्तावित रनवे से 19 हवाई अड्डे अपेक्षित ओएलएस सतह का निर्माण किया गया है।
• 2 हवाई अड्डो का महापरियोजना का अद्यतीकरण।
• एनओसीएसी वेबसाइट के लिए नया यूआई आरंभ किया गया, अब मोबाइल पर भी इसके एप्लिकेशन का प्रयोग किया जा सकता है, एनओसीएएस वेबसाइट का मुख्य पृष्ठ बहुभाषी है।
• पुराने क्लाउड इन्फ्रा से नए क्लाउड इंफ्रा में एनओसीएएस का बदलाव और दो पर्यावरण स्टे जिंग और लाइव सर्वर का सृजन।
• एनओसीएएस की सुरक्षा बढ़ाने के लिए एसएसएल को लागू करना।
• एनओसीएएस में वैमानिकी अध्ययन मॉड्यूल विकसित किया जा रहा है।
• 38 हवाई अड्डे जिनके लिए डीजीसीए कार के अनुसार मूल पट्टी अपडेट की गई।
• 34 हवाई अड्डे जिनके लिए आईएएल प्रक्रियाओं को अद्यतन / शामिल किया गया है।
• 42 हवाई अड्डे जिनके लिए सीएनएस सुविधाओं को अद्यतन / शामिल किया गया है।
• 14 एआरपी बिंदुओं में सीएनएस बाह्य सुविधाओं (एनओसीएएस आईडी निर्माण और ऑटो निपटान मामलों के लिए) की रक्षा करना शामिल है।</td></tr>
<tr><td>विमानक्षेत्र सुरक्षा कार्यशालाएं</td><td colspan="6">• 'विमानक्षेत्र सुरक्षा' पर कुल 7 कार्यशालाएं आयोजित की गईं, जिनमें से सभी 5 क्षेत्रों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 5 कार्यशालाएं आयोजित की गईं, जिसमें भाविप्रा, निजी हवाई अड्डे के संचालक, शहरी स्थानीय निकाय और जिला प्राधिकरणों के 350 से अधिक अधिकारी संबंधित हैंको संवेदी / प्रशिक्षित किया गया है।</td></tr>
<tr><td>विमानक्षेत्र सुरक्षा परिपत्र (एडीएसएसी) की सुरक्षा</td><td colspan="6">• विमानक्षेत्र सुरक्षा से संबंधित विभिन्न प्रक्रियाओं का विवरण देते हुए 2020 में 9 एडीएसएसी जारी किए गए थे।</td></tr>
</table>

10.10.7 सीपीएमएस

1. संभाला गया यातायात (2020 बनाम 2019)

वर्ष 2020 के दौरान पिछले तीन वर्षों की तुलना में सभी तीन क्षेत्रों विमान आवागमन, यात्री और माल ढुलाई में सभी भारतीय हवाई अड्डों पर यातायात में कमी आई है। वर्ष के दौरान विमान की कुल आवाजाही, यात्री और माल ढुलाई में क्रमशः 48.8%, 59.1% और 28.6% की कमी आई है।

वर्ष के दौरान संभाले गए ट्रैफिक का विवरण और पिछले वर्ष की तुलना नीचे दी गई हैः

विवरण	2020	2019	परिवर्तन का%
विमान आवागमन (संख्या में)			
अंतरराष्ट्रीय	185071	446882	–58.6
घरेलू	1151342	2161464	–46.7
संपूर्ण	**1336413**	**2608346**	**–48.8**
यात्री (संख्या में)			
अंतरराष्ट्रीय	19849675	70031751	–71.7
घरेलू	123092726	279282564	–55.9
संपूर्ण	**142942401**	**349314315**	**–59.1**
माल–ढुलाई (संख्या में)			
अंतरराष्ट्रीय	1514837	2074890	–27.0
घरेलू	934496	1357507	–31.2
संपूर्ण	**2449333**	**3432397**	**–28.6**

नोटः –2020 के लिए यातायात का आंकड़ा अनंतिम है।

2. समझौता ज्ञापन

सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई) और उच्चाधिकार प्राप्त समिति ने वित्तीय वर्ष 2018–19 के लिए 68.25 के समग्र स्कोर के साथ 'अच्छा' पर एमओयू मापदंडों पर भाविप्रा के प्रदर्शन को मंजूरी दी है।

3. वार्षिक एएसक्यू पुरस्कार 2019:

हवाईअड्डा सेवा गुणवत्ता (एएसक्यू) विश्व प्रसिद्ध और विश्व स्तर पर स्थापित वैश्विक बेंचमार्किंग प्रोग्राम है जो यात्रियों की संतुष्टि को मापता है, जबकि वे एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल (एसीआई) द्वारा संचालित हवाई अड्डे से यात्रा कर रहे होते हैं।

हवाई अड्डा संचालकों का एक वैश्विक गैर–लाभकारी संगठन एसीआई, एक स्वतंत्र एजेंसी है जो हवाई अड्डे की अंतरराष्ट्रीय गुणवत्ता को चिह्नित करने के लिए अपने सहभागीकार्यक्रम के माध्यम से हवाई अड्डे की सेवा गुणवत्ता (एएसक्यूए) सर्वेक्षण के रूप में जाना जाता है जिसमें 34 प्रमुख सेवा क्षेत्रों को शामिल किया गया है जिसमें 8 प्रमुख श्रेणियां शामिल हैं जैसे पहुँच, चेक–इन, सुरक्षा, हवाई अड्डे की सुविधा, भोजन और पेय, खुदरा इत्यादि। एसीआई–एएसक्यूच सर्वेक्षण उत्तरी अमेरिका, लैटिन अमेरिका और कैरिबियन, अफ्रीका, यूरोप, मध्य पूर्व और एशिया प्रशांत के लगभग 356 हवाई अड्डों पर किया जाता है । एएसक्यू सर्वेक्षण के परिणामों की निगरानी एईआरए, नीति आयोग और नागर विमानन मंत्रालय द्वारा भी की जाती है ।

2019 के दौरान, 25 भाविप्रा हवाई अड्डों पर एएसक्यू सर्वेक्षण किया गया था। अपने हवाई अड्डों पर सेवाओं और यात्री सुविधाओं में सुधार के लिए भाविप्रा के निरंतर प्रयासों ने भाविप्रा को दुनिया के सर्वश्रेष्ठ सेवा प्रदाता के बीच रखा है। वार्षिक एएसक्यू अवार्ड्स 2019 में 4 भाविप्रा हवाई अड्डों ने विभिन्न श्रेणियों में 10 एएसक्यू पुरस्कार जीते हैं। 2018 में वर्ष 2019 के लिए भाविप्रा हवाई अड्डों की एएसक्यू रेटिंग परिशिष्ट –।में दी गई है ।

वार्षिक एएसक्यू अवार्ड 2019को विजेता भाविप्रा हवाईअड्डों की सूची।

क्र. सं.	हवाई अड्डे का नाम	पुरस्कार की श्रेणी
1	चंडीगढ़	आकार और क्षेत्र द्वारा सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा (प्रति वर्ष 2 से 5 मिलियन यात्री)
2		सर्वश्रेष्ठ पर्यावरण और प्रति वर्ष (2 से 5 मिलियन यात्री)
3		आकार द्वारा ग्राहक सेवा द्वारा सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा (प्रति वर्ष 2 से 5 मिलियन यात्री)
4		आकार और आधारभूत संरचना द्वारा सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा (प्रति वर्ष 2 से 5 मिलियन यात्री)
5	मंगलौर	आकार और क्षेत्र द्वारा सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा (प्रति वर्ष 2 से 5 मिलियन यात्री)
	तिरुवनंतपुरम	आकार और क्षेत्र द्वारा सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा (प्रति वर्ष 2 से 5 मिलियन यात्री)
7	लखनऊ	आकार और क्षेत्र द्वारा सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा (प्रति वर्ष 5 से 15 मिलियन यात्री)
8		सर्वश्रेष्ठ पर्यावरण औरमाहौल में सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा (5 से 15 मिलियन यात्री)
9		आकार में ग्राहक सेवा द्वारा सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा (प्रति वर्ष 5 से 15 मिलियन यात्री)
10		आकार और आधारभूत संरचना द्वारा सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा (प्रति वर्ष 5 से 15 मिलियन यात्री)

अनुबंध–I

क्रम स०	हवाई अड्डे का नाम	2019		2018		2018 की तुलना में 2019 की रेटिंग में अंतर
		एएसक्यू रेटिंग	रैंक	एएसक्यू	रैंक रेटिंग	
1	चंडीगढ़	4.97	16	4.90	25	0.07
2	तिरुवनंतपुरम	4.86	40	4.86	33	0.00
3	लखनऊ	4.86	41	4.86	32	0.00
4	अहमदाबाद	4.86	43	4.77	45	0.09
5	मंगलौर	4.84	46	4.87	31	–0.03
6	इंदौर	4.81	48	4.80	41	0.01
7	वाराणसी	4.80	49	4.77	46	0.03
8	कालीकट	4.78	55	4.74	49	0.04
9	पुणे	4.71	61	4.71	55	0.00
10	कोलकाता	4.71	62	4.79	44	–0.08
11	अमृतसर	4.70	63	4.61	70	0.09
12	भुवनेश्वर	4.68	66	4.73	52	–0.05
13	रांची	4.66	72	–	–	–
14	गोवा	4.65	73	4.63	67	0.02
15	रायपुर	4.63	75	–	–	–
16	जयपुर	4.58	81	4.57	74	0.01
17	चेन्नई	4.58	82	4.65	63	–0.07
18	त्रिची	4.52	87	–	–	–
19	गुवाहाटी	4.50	93	4.64	66	–0.14
20	विजाग	4.49	95	4.38	111	0.11
21	कोयंबत्तूर	4.39	121	4.59	72	–0.20
22	श्रीनगर	4.36	131	4.68	61	–0.32
23	पटना	4.26	162	4.41	101	–0.15
24	बागडोगरा	4.14	213	3.70	320	0.44
25	पोर्ट ब्लेयर	3.96	290	–	–	–
	एएआई हवाई अड्डों का औसत	4.61		4.65		–0.04
	विश्व औसत	4.24		4.21		0.03

10.11 कार्यनीतिक पहल एकक (एसआईयू)

1. पूरे भारत में हवाई अड्डे के विकास और प्रचालन के लिए राष्ट्रीय रणनीति और मॉडल रियायत समझौते (एन एस एंड एम सी ए) के फोर्मूलेशन के तहत,ग्रीनफील्ड मॉडल रियायत संरचना का मसौदा परामर्श के लिए विभिन्न हितधारकों के साथ साझा किया गया था तथा हितधारकों के फीडबैक को संकलित किया गया है और अंतिम रूप देने के लिए मॉडल रियायत समझौते के मसौदे के साथ ना वि मं को प्रस्तुत किया गया है।

   ब्राउनफील्ड हवाई अड्डों के संबंध में, ब्राउनफील्ड मॉडल रियायत संरचना मसौदा और रियायत समझौते पर विचार के लिए मसौदाना वि मं को प्रस्तुत किया गया है और इसे अंतिम रूप दिया जा रहा है।

2. पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप (पीपीपी) की 50 वर्ष की रियायती अवधि के लिए भाविप्रा के 03 हवाई अड्डों अर्थात अहमदाबाद, लखनऊ और मंगलुरु को उच्चतम बोली लगाने वाले यानि मैसर्स अडानी एंटरप्राइजेज लिमिटेड को पट्टे पर देने के लिए 03.07.2019 को केंद्रीय मंत्रिमंडल की स्वीकृति प्राप्त हुई। भाविप्रा और कंसेशनर्स अर्थात अडानी मंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (एएमआईएएल), अडानी अहमदाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (एएआईएएल) और अडानी लखनऊ इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (एएलआईएएल) ने 14. 02.2020 को कंसेशन अग्रीमेंट को निष्पादित किया है। कंसेशनर्स ने क्रमशः 31.10.2020, 02.11.2020 और 07.11.2020 को मंगलुरु, लखनऊ और अहमदाबाद हवाई अड्डों पर अपना कब्जा ले लिया है।19.08.2020 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने शेष 03 हवाई अड्डों जयपुर, गुवाहाटी और त्रिवेंद्रम को पट्टे पर देने की स्वीकृति प्रदान की जिसे भारत सरकार द्वारा 25.08.2020 को अवगत कराया गया था। तदनुसार, सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) के माध्यम से 50 साल की रियायती अवधि के लिए इन हवाई अड्डों के लिए 01.09.2020 को उच्चतम बोली लगाने वाले अर्थात मैसर्स अडानी एंटरप्राइजेज लिमिटेड को लेटर्स ऑफ अवार्ड जारी किए गए जो सुरक्षा मंजूरी के लिए लंबित थे, जो 11.12.2020 को प्राप्त हुए । 19 जनवरी 2021 को रियायत समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

3. भाविप्रा बोर्ड ने 05.09.2019 को आयोजित बोर्ड की बैठक में पीपीपी के माध्यम से अमृतसर, भुवनेश्वर, इंदौर, रायपुर, त्रिची और वाराणसी जैसे 06 और हवाई अड्डों के प्रचालन, प्रबंधन और विकास के लिए प्रस्ताव की सिफारिश की है। 06 में से प्रत्येक चुनिंदा हवाई अड्डे के साथ छोटे अलाभकारी हवाई अड्डों के क्लब करने के प्रस्ताव की जांच की जा रही है।

4. एसआईयू की पहल के आधार पर, कलबुर्गी हवाई अड्डे को भाविप्रा द्वारा अधिग्रहित किया गया था और इस संबंध में 24.08. 2019 को कर्नाटक सरकार और भाविप्रा के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे।

5. एस आई यू की पहल के आधार पर,कलबुर्गी हवाई अड्डे को भाविप्रा द्वारा अधिग्रहित किया गया था और इस संबंध में एक संयुक्त उद्यम कंपनी की स्थापना करके विभिन्न हवाई जहाजों और जल एयरोड्रमों के विकास के लिए कर्नाटक सरकार के साथ हुई चर्चा के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे जिसमें भाविप्रा की 51% हिस्सेदारी होगी और शेष 49% कर्नाटक सरकार के पास होगी।

6. नागर विमानन विकास की कहानी में राज्य की मुख्य भूमिका सुनिश्चित करने के लिए हलवारा हवाई अड्डे हेतु पंजाब सरकार, डालमगढ़ और देवगढ़ हवाई अड्डों हेतु झारखंड राज्य सरकार के साथ भाविप्रा द्वारा एक संयुक्त उद्यम करार किया गया।

7. 15.01.2020 को हिमाचल प्रदेश सरकार (हि प्र) के साथ एक जेवी कंपनी के माध्यम से मंडी के पास नागचला में एक ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे की स्थापना के लिए हस्ताक्षर किए गए, जिसमें भाविप्रा 51ः हिस्सेदारी रखेगा और शेष 49ः हिमाचल प्रदेश सरकार (हि प्र) के पास रहेगा ।.

10.12 प्रशिक्षण सेल, निगमित मुख्यालय

प्रशिक्षण सेल,निगमित मुख्यालय ने भाविप्रा कर्मचारियों के क्षमता विकास को पूरा करने के लिए विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए। वित्त वर्ष 2020–21 में आयोजित गतिविधियों का एक स्नैपशॉट (31 दिसंबर, 2020 तक) नीचे दिया गया हैः

श्रेणी	**कार्यक्रमों की सं**	**प्रशिक्षित कार्मिकों की सं**
निगमित मुख्यालय प्रशिक्षण केंद्र	23	646
ओपन हाउस प्रशिक्षण	20	119
कस्टमाइज्ड प्रशिक्षण (पैन इंडिया)	10	1716
विदेशी दौरे	2	6
नई भर्तियों के लिए इंडक्शन–लेवल ओरिएंटेशन ट्रेनिंग	4	120
नई भर्तियों के लिए विभाग विशिष्ट प्रशिक्षण	4	95
कुल	**63**	**2702**

वित्त वर्ष 2020–21 के दौरान, कोविड स्थिति और यात्रा पर प्रतिबंध के कारण, कार्यक्रम मुख्य रूप से वर्चुअल / ऑनलाइन मोड में आयोजित किए गए थे। कुछ मुख्य आकर्षण नीचे दिए गए हैंः

1. निगमित मुख्यालय प्रशिक्षण केंद्र में प्रशिक्षण

ऑनलाइन प्रशिक्षण लॉकडाउन चरण में काफी पहले शुरू किए गए थे। ई–ऑफिस, पीएमएस, जीईएम खरीद, नोटिंग / प्रारूपण आदि पर इनपुट देकर दिन–प्रतिदिन के कर्मचारियों के कौशल को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया गया था। दिसंबर 2020 में, लर्न एचआर श्रृंखला शुरू की गई है जिसका उद्देश्य विभिन्न एचआर डोमेन में एचआर अधिकारियों के ज्ञान को बढ़ाना है, ताकि उन्हें नौकरी रोटेशन और कैरियर की प्रगति के लिए तैयार किया जा सके। महामारी की अवधि के दौरान, ब्रह्म कुमारियों के माध्यम से तनाव प्रबंधन पर भाविप्रा अस्पतालों और सत्रों के माध्यम से मानार्थ स्वास्थ्य सत्र आयोजित करके स्वास्थ्य और कर्मचारियों के कल्याण पर बहुत ध्यान केंद्रित किया गया था।

2. ओपन–हाउस कार्यक्रमों में भागीदारी

हालांकि यात्रा प्रतिबंधों के कारण वार्षिक प्रशिक्षण कैलेंडर के माध्यम से ओपन–हाउस कार्यक्रमों में भागीदारी को एक वर्ष की अवधि के लिए टाल दिया गया है, भाविप्रा के कर्मचारियों ने सम्मेलनों / प्रशिक्षणों में भाग लिया है जो वर्चुअल मोड में आयोजित किए गए हैं।

3. नई भर्तियों के लिए प्रेरण प्रशिक्षण

कार्यकारी स्तर (ई 1, ई 3 और ई 6) पर नई भर्तियों की सुविधा के लिए, इंडक्शन–लेवल ओरिएंटेशन ट्रेनिंग कार्यक्रम 2 सप्ताह के लिए ऑनलाइन मोड में फिर से शुरू कर दिए गए हैं, जबकि शेष 2–सप्ताह के प्रशिक्षण ध्‍ आउटबाउंड प्रशिक्षण परिसर में फेस टू फेस फिर से शुरू किए जाएंगे ।

4. नई भर्तियों के लिए विशिष्ट विभाग कार्यक्रम

नई भूमिकाओं के लिए उनकी भूमिका और जिम्मेदारियों, प्रणालियों और प्रक्रियाओं को समझने हेतु निर्बाध सीखने की सुविधा के लिए, आई ए ए के साथ समन्वय में विभाग विशिष्ट कार्यक्रमों को भी वर्चुअल मोड में शुरू किया गया था।

5. विदेशी दौरे

अंतरराष्ट्रीय यात्रा को फिर से शुरू करने के बाद, भाविप्रा कर्मचारियों को विदेश में आयोजित बैठकों और प्रशिक्षणों के लिए नामित किया जा रहा है।

6. माइक्रो–लर्निंग

माइक्रो–लर्निंग पर एक नई पहल 'इग्नाइट' शुरू की गई है, जिसके तहत नागर विमानन क्षेत्र, प्रबंधन अवधारणाओं, नवीनतम शर्तों और रुझानों से संबंधित प्रासंगिक इनपुट को एक पाक्षिक पत्र के माध्यम से कर्मचारियों के बीच प्रसारित किया जा रहा है। पत्र में कर्मचारियों के बीच रुचि पैदा करने के लिए वरिष्ठ प्रबंधन और आवधिक क्विज से प्रेरक उद्धरण भी शामिल हैं।

7. हवाई अड्डा प्रबंधन व्यावसायिक प्रत्यायन कार्यक्रम (एएमपीएपी)–2019–20 बैच

भाविप्रा के 12 अधिकारियों ने वर्चुअल मोड में एएमपीएपी पाठ्यक्रम के अपने अंतिम मॉड्यूल को पूरा किया और नवंबर 2020 में स्नातक किया।

8. प्रशिक्षुओं की नियुक्ति

भाविप्रा ने समय–समय पर एम एस डी ई और एम एम एच आर डी द्वारा जारी दिशा–निर्देशों के अनुरूप, सभी स्थानों पर प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षण प्रदान करके अपनी सामाजिक जिम्मेदारी को पूरा करना जारी रखा। 2020–21 के लिए, लगभग 900 प्रशिक्षुओं (जनशक्ति का लगभग 3:) का लक्ष्य रखा गया है।

9. इंटर्नशिप

लॉकडाउन चरण के दौरान छात्रों को इंटर्नशिप प्रशिक्षण प्रदान करने के अनुरोध को ध्यान में रखते हुए, जून 2020 से ऑनलाइन इंटर्नशिप शुरू की गई थी। दिसंबर 2020 तक कुल 27 छात्रों ने ऑनलाइन / फेस–टू–फेस इंटर्नशिप की है।

10. एचआरएम एमओयू मापदण्डों 2019–20 की उपलब्धि

प्रशिक्षण सेल से संबंधित एचआरएम एमओयू मापदंडों का सफलतापूर्वक समय सीमा के भीतर अच्छी तरह से पूरा किया गयाः

क) पीपल केपेबिलिटी मैचयोरिटी मॉडल में परिपक्वता के अगले स्तर को प्राप्त करना

ख) प्रतिष्ठित भारतीय संस्थानों में कम से कम एक सप्ताह का प्रशिक्षण प्रदान करके प्रतिभा प्रबंधन और कैरियर की प्रगति को जारी रखना

ग) ऑनलाइन लर्निंग पर ध्यान केंद्रित करने के साथ तकनीकी और प्रबंधकीय क्षेत्रों में क्षमता विकास

11. नेतृत्व विकास कार्यक्रम

शीर्ष विकास संस्थानों जैसे आई आई एम बैंगलोर, आई आई एम इंदौर, आई आई एम लखनऊ और एम डी आई गुड़गांव के साथ हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन के माध्यम से नेतृत्व विकास पर जोर पिछले वर्षों की भांति जारी है। इस वर्ष यात्रा प्रतिबंधों और आवासीय प्रशिक्षणों के निलंबन के कारण, भाविप्रा कर्मचारियों के बीच निरंतर नेतृत्व विकास की सुविधा के लिए सभी उल्लिखित संस्थानों के साथ समझौता ज्ञापनों को बढ़ाया गया है। इसके अलावा, पैरा–मिलिट्री ट्रेनिंग माहौल में कर्मचारियों को लीडरशिप, फेलोशिप और टीमवर्क से बाहर निकालने के लिए, भाविप्रा ने अपने कर्मचारियों को ना वि मं के साथ समन्वय में सी आई एस एफ द्वारा संचालित लीडरशिप डेवलपमेंट वर्कशॉप (ओ पी–प्रबल) के लिए नामित किया है।

12. उत्तरी क्षेत्र में की गई विकास गतिविधियाँ

कैलेंडर वर्ष 2020 के दौरान पूर्ण हुई प्रमुख पूंजीगत योजनाएं।

(राशि करोड़ रुपये में)

परियोजना स्थल	विवरण	पूरा करने की तिथि	पूर्ण लागत
जयपुर	जयपुर अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे, जयपुर में मौजूदा टर्मिनल भवन का विस्तार / आशोधन।	फरवरी 2020	36.01
लखनऊ	सीसीएसआई हवाई अड्डे लखनऊ पर ए 330–200 प्रकार के एयरक्राफ्ट की पार्किंग के लिए मौजूदा आइसोलेशन बे का विस्तार ।	मार्च 2020	13.10
खजुराहो	खजुराहो एयरपोर्ट पर मौजूदा रनवे की री–कारपेटिंग	सितंबर 2020	14.20
देहरादून	देहरादून एयरपोर्ट पर अतिरिक्त पार्किंग बे का निर्माण	नवंबर 2020	18.95
चंडीगढ़	चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर कोड 4 सी प्रकार के 5 विमानो के लिए एप्रन का निर्माण।	दिसंबर 2020	15.89
फुर्सतगंज	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी, फुर्सतगंज में रनवे की रिकारपेटिंग, टैक्सीवे और अन्य संबद्ध कार्य ।	दिसंबर 2020	12.88

कैलेंडर वर्ष 2020 के दौरान प्रगति पर प्रमुख पूंजीगत योजनाएँ

(राशि करोड़ रुपये में)

परियोजना स्थल	विवरण	वास्तविक प्रगति	पीडीसी	स्वीकृत लागत
आदमपुर	आदमपुर में सिविल एन्क्लेव की स्थापना एसएचः टर्मिनल भवन का निर्माण	37%	जून 2021	114.85
	आदमपुर में सिविल एन्क्लेव की स्थापना **एसएचः** एप्रन का निर्माण, टैक्सी ट्रैक और संबद्ध कार्य।	50%	मार्च 2021	
अमृतसर	एसजीआरडीजे अंतराष्ट्रीय हवाई अड्डा अमृतसर पर 10 कोड 4 सी प्रकार के विमान (अर्थात् अतिरिक्त पार्किंग बे) के लिए एप्रन का विस्तार।	52%	मार्च 2021	96.15
बरेली	बरेली में सिविल एन्क्लेव का विकास। **एसएचः** टर्मिनल बिल्डिंग का निर्माण	99.99%	जनवरी 2021	41.96
चित्रकूट	चित्रकूट में हवाई अड्डे का विकास	73%	जून 2021	31.10
देहरादून	देहरादून हवाई अड्डे पर नए एकीकृत टर्मिनल भवन का निर्माण	65%	दिसंबर, 2021	456 .86
	देहरादून हवाई अड्डे पर नए एकीकृत टर्मिनल भवन का निर्माण। **एसएचः** सीटी – ईडीएस के साथ बैगेज हैंडलिंग प्रणाली का प्रावधान	40%	मार्च 2021	
	रनवे और टैक्सीवे का सुदृढ़ीकरण	11%	अक्टूबर 2021	25.67
जयपुर	टैंगो टैक्सी से नाला तक समानांतर टैक्सी ट्रैक का निर्माण । (चरण – I) जयपुर में	98%	जनवरी 2021	30.90
	जयपुर एयरपोर्ट पर अतिरिक्त पार्किंग बे का निर्माण	98%	मार्च 2021	110.00
	जयपुर हवाई अड्डे पर अंतरराष्ट्रीय प्रचालन के लिए पुराने टर्मिनल (टी –1) भवन का नवीनीकरण, रेट्रोफिट और नवीनीकरण	88%	मार्च 2021	67.20
	जयपुर हवाई अड्डे पर सीए में कार्गो कॉम्प्लेक्स और एप्रन का निर्माण	97%	जनवरी, 2021	22.80
जम्मू	जम्मू हवाई अड्डे पर रनवे का विस्तार और सुदृढ़ीकरण।	75%	मार्च 2021	77.00
जोधपुर	जोधपुर हवाई अड्डे पर नए एप्रन और लिंक टैक्सी का निर्माण	93%	जनवरी 2021	21.64
कानपुर	कानपुर (चकेरी) हवाई अड्डे का विकास	20%	सितंबर 2021	167.87
खजुराहो	खजुराहो हवाई अड्डे पर एटीसी कॉम्प्लेक्स /अग्निशमन स्टेकशन / एमटी कार्यशाला का निर्माण	78%	मार्च, 2021	35.00
	खजुराहो हवाई अड्डे पर रनवे की बेसिक पट्टी की चौड़ाई बढाना और ग्रेडिंग का निर्माण चारदीवारी सड़क और तूफान के पानी के निकासी के लिए नाली का निर्माण	45%	मार्च 2021	33.77
लेह	लेह हवाई अड्डे पर नए घरेलू टर्मिनल भवन और संबंधित कार्यों का निर्माण	30.11%	दिसंबर 2022	480.33

परियोजना स्थल	विवरण	वास्तविक प्रगति	पीडीसी	स्वीकृत लागत
लखनऊ	सीसीएसआई हवाई अड्डा, लखनऊ में अग्निशमन स्टेशन श्रेणी IX, आपातकालीन चिकित्सा केंद्र और संबद्ध कार्य का निर्माण । (पीपीपी मोड के तहत अडानी को हवाई अड्डा सौंपा गया।)	84%	दिसंबर 2020	30.88
	सीसीएसआई हवाई अड्डे पर 08 कोड 4 सी प्रकार के विमान के लिए एप्रन के साथ दो लिंक टैक्सी वे का निर्माण। (अर्थात् अतिरिक्त पार्किंग बे)। (पीपीपी मोड के तहत अडानी को हवाई अड्डा सौंपा गया।)	35%	सितंबर 2021	70.44
	लखनऊ हवाई अड्डे पर नए एकीकृत टर्मिनल भवन का निर्माण । (पीपीपी मोड के तहत अडानी को हवाई अड्डा सौंपा गया ।)	44%	मार्च 2022	1383.00
मुझरपुर	मुझरपुर में हवाई अड्डे का विकास	35%	जून 2021	31.10
सफदरजंग	सफदरजंग हवाई अड्डे पर डीजीसीए, बीसीएएस, एएआईबी, ऐरा एवं एएआई (जमा कार्य) का संयुक्त प्रचालन परिसर का निर्माण।	55%	मार्च 2021	303.80
शिमला	शिमला हवाई अड्डे पर बेसिक पट्टी की बहाली	77%	2021 दिसंबर	124.22
वाराणसी	नए एटीसी टॉवर सह तकनीकी ब्लॉक का निर्माण	97%	मार्च, 2021	18.28

कैलेंडर वर्ष 2020 के दौरान योजना के तहत परियोजनाएं

(राशि रुपये करोड़ में)

परियोजना स्थल	विवरण	लागत	स्थिति	टिप्पणियां
आगरा	न्यू सिविल एन्क्लेव का विकास	398.14	रद्द करना पड़ा।	निविदाएं आमंत्रित की गई थी, इसे रद्द किया गया, न्यायालय में निष्ककर्ष के लिए मामला लंबित है और एमओईएफ से ईआईए क्लिआयरेंस लिया गया है।
अमृतसर	अमृतसर हवाई अड्डे पर टी/डब्लू–ई से रनवे –16 तक समानांतर टैक्सी ट्रेक (पीटीटी) और पर भारतीय वायुसेना संरचना का पुनर्वास कार्य	98 .00	योजना के स्तर	प्रारंभ की संभावित तिथि – अप्रैल 2021 पूर्ण होने की की संभावित तिथि – जून 2022
	अमृतसर हवाई अड्डे पर एकीकृत यात्री टर्मिनल भवन का विस्तार	243.28		अध्यक्ष महोदय द्वारा योजना रदद की।
इलाहाबाद	इलाहाबाद में नए अग्निशमन प्रशिक्षण अकादमी का निर्माण।	250.00	निविदा खोली गई।	प्रारंभ होने की संभावित तिथि – जनवरी 2021 पूरी होने की संभावित तिथि – फरवरी 2023
हलवारा	सिविल एन्क्लेव हलवारा हवाई अड्डे का विकास	300.00	योजना स्तर पर	प्रारंभ की संभावित तिथि – मार्च 2021 पूर्ण होने की संभावित तिथि – अगस्त 2023
जयपुर	एकीकृत टर्मिनल भवन का निर्माण।	1441	लंबित।	पीपीपी माध्यम से।
जोधपुर	जोधपुर एयरपोर्ट पर नया टर्मिनल भवन।	400.00	योजना स्तर पर	प्रारंभ करने की संभावित तिथि – अप्रैल 2021 पूर्ण होने की की संभावित तिथि – मार्च 2023
श्रीनगर	नए एकीकृत टर्मिनल भवन का विस्तार / आशोधन।	494.00	पीएमसी की नियुक्ति	प्रारंभ करने की संभावित तिथि – मार्च 2021 पूर्ण होने की संभावित तिथि – मार्च 2024
श्रीनगर	बीएसएफ परिसर में सीआईएसएफ बैरक का निर्माण (डी एंड एस आधार पर पीईबी और अन्य संबद्ध कार्य)	44.38	ए/ए और ई/एस स्तर पर	प्रारंभ करने की संभावित तिथि –जनवरी 2021 पूर्ण होने की संभावित तिथि – नवंबर 2021
उदयपुर	उदयपुर हवाई अड्डे पर नए टर्मिनल भवन का निर्माण	650.00	योजना स्तर पर	प्रारंभ करने की संभावित तिथि – अप्रैल 2021 पूर्ण होने की संभावित तिथि – अक्टूबर 2023

13. पश्चिमी क्षेत्र में की गई विकास गतिविधियाँ

वर्ष 2020 के दौरान पूर्ण पूंजीगत योजनाएं।

(राशि करोड़ रु में)

परियोजना स्थल	विवरण	पूर्ण होने की तिथि	पूर्ण होने पर लागत
औरंगाबाद	एमएसएसआरभवन का निर्माण	दिसंबर 2020	3.00
इंदौर	रोटुंडा यात्री बोर्डिंग ब्रिज के लिए फिक्स्ड फिंगर का प्रावधान	फरवरी 2020	1.80
कोल्हापुर	पेरीमीटर दीवार का निर्माण	जनवरी 2020	25.33
केशोद	धावनपथ की रिकार्पेटिंग तथा संबद्ध कार्य।	दिसंबर 2020	13.53
वडोदरा	750 किलोवाट के सौर ऊर्जा संयंत्र का प्रावधान	फरवरी 2020	8.63

वित्त वर्ष 2020–21 में प्रगति पर पूंजीगत योजनाएँ

(राशि करोड़ रूपये में)

परियोजना स्थल	विवरण	वास्तजविक प्रगति	पीडीसी	अनुमोदित लागत
अहमदाबाद	एप्रन का विस्तार, लिंक टैक्सीवे और संबद्ध कार्य।	90.00%	फरवरी 2021	45.73
भोपाल	पीबीबी के लिए रोटुंडा और फिक्ड लि फिंगर का निर्माण	86.00%	मार्च 2021	5.30
	मौजूदा ड्रेन पर आरसीसी ड्रेन कवर का प्रावधान और प्रचालन क्षेत्र में नए ड्रेन का निर्माण।	60.00%	मई 2021	2.61
दीव	रनवे का विस्तार और रनवे के दोनो सिरों पर आरईएसए,आइसोलेशन बे और संबद्ध कार्य।	80.00%	मार्च,2021	20.78
	एटीसी टॉवर–सह–तकनीकी ब्लॉक – सह – अग्निशमन स्टेशन और अन्य संबद्ध संरचनाओं का निर्माण	77.00%	जून 2021	13.53
गोवा	टर्मिनल भवन का विस्तार और संबद्ध कार्य।	05.00%	सितंबर, 2022	255.69
इंदौर	15 पार्किंग बे का विकास, समानांतर टैक्सी ट्रैक और अन्य संबद्ध कार्य	90.00%	मार्च 2021	62.96
	प्रचालन क्षेत्र को कवर करते हुए ड्रेन को विकसित करना।	95.00%	जनवरी 2021	5.23
जबलपुर	रनवे का विस्तार, नए एप्रन और लिंक टैक्सी, एवं पेरीमीटर रोड सहित आइसोलेशन बे का निर्माण और संबद्ध कार्य।	72.00%	जून 2021	147.00
	नए टर्मिनल भवन, एटीसी टॉवर का निर्माण और संबद्ध कार्य।	12.00%	अप्रैल 2022	190.92
जामनगर	एप्रन कस विस्तार और संबद्ध कार्य।	75.00%	जून 2021	6.00
कोल्हापुर	रनवे का विस्तार और सुदृढ़ीकरण, एप्रन का निर्माण और संबद्ध कार्य।	70.00%	जून 2021	150.53
	नए टर्मिनल भवन का निर्माण, तकनीकी ब्लॉक सह एटीसी टॉवर का निर्माण और संबद्ध कार्य।	15.00%	अप्रैल 2022	74.50
पुणे	नए एकीकृत टर्मिनल भवन का निर्माण पुराने टर्मिनल भवन का पुनः निर्माण। मौजूदा विस्तारित टर्मिनल भवन का आशोधन	51.00%	अप्रैल 2022	475.00
राजकोट	एबी 320 विमान के लिए लिंक टैक्सी ट्रैक के साथ एप्रन का निर्माण	28.00%	सितंबर 2021	14.98
हीरासर, राजकोट	नए ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का निर्माण	18.00%	दिसंबर 2022	1405.00
सूरत	टर्मिनल भवन, हवाई अड्डा प्रणाली, आई टी का विस्तार और अनुषंगी कार्य।	20.00%	अप्रैल 2022	138.48
	एप्रन का विस्तार और समानांतर टैक्सी ट्रैक का निर्माण	6.00%	अप्रैल 2022	63.13
वडोदरा	तकनीकी ब्लॉक सह एटीसी टॉवर और संबंधित कार्यों का निर्माण	26.00%	2022 फरवरी	57.00

कैलेंडर वर्ष 20 20 के दौरान योजना के तहत परियोजनाएं

(राशि करोड रूपये में)

परियोजना स्थल	विवरण	लागत	स्थिति	अभियुक्तियां
भोपाल	तकनीकी ब्लॉक सह एटीसी टॉवर का निर्माण और संबंधित कार्य।	41	निविदा स्तर पर	निविदाएं आमंत्रित की गईं ।
धोलेरा	न्यू ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का विकास।	1685	योजना स्तर पर	प्रारंभ होने की संभावित तिथि – सितंबर 2021 पूर्ण होने की संभावित तिथि – दिसम्बर 2023
इंदौर	तकनीकी ब्लॉक सह एटीसी टॉवर और संबंधित कार्यों का निर्माण	87	निविदा स्तिर पर	प्रक्रियाधीन निविदा कार्रवाई।
जामनगर	नए टर्मिनल भवन का निर्माण और संबद्ध कार्य।	68	योजना स्तर पर	भारतीय वायु सेना से एनओसी न मिलने के कारण होल्ड किया गया, क्योंकि जामनगर एक सिविल एन्क्लेव है।

14. दक्षिणी क्षेत्र में विकास गतिविधियाँ

कैलेंडर वर्ष 2020 के दौरान पूर्ण पूंजीगत योजनाएँ

(राशि करोड़ रूपये में)

परियोजना स्थल	विवरण	पूर्ण होने की तिथि	पूर्ण होने पर व्यय लागत
तिरुपति	तिरुपति हवाई अड्डे पर कैऔसुब बैरक और कोटे , गोला बारूद और आयुद्ध भवन का निर्माण	जून –20	5.53
त्रिवेंद्रम	त्रिवेंद्रम हवाई अड्डे पर प्रचालन पेरीमीटर सड़क का चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण	जून –20	12.03
त्रिवेंद्रम	त्रिवेंद्रम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर नए एकीकृत टर्मिनल भवन के पास अतिरिक्त एप्रन और जीएसईक्षेत्र का निर्माण	अगस्त 20	36.70
वेल्लोर	आरसीएस योजना उडान–2के तहत वेल्लोर हवाई अड्डे का विकास –एसएचरू प्री फैब टर्मिनल भवन टाइप –1, सब स्टेशन भवन का निर्माण और इलेक्ट्रिकल कार्य।	नवंबर –20	8.96
पुदुच्चे री	पुदुच्चेरी हवाई अड्डे, पुदुच्चेरी में नए एटीसी टॉवर और तकनीकी ब्लॉक सह अग्निशमन स्टेशन का निर्माण ।	नवंबर –20	10.77

कैलेंडर वर्ष 2020 के दौरान प्रगति के तहत पूंजीगत योजनाएँ

(राशि करोड़ रूपये में)

परियोजना स्थल	विवरण	वास्तजविक प्रगति	पीडीसी	स्वीकृत लागत
चेन्नई	चेन्नई एयरपोर्ट चरण –2 का आधुनिकीकरण, चेन्नई	60%	चरण I – जून– 2021 द्वितीय चरण– दिसंबर – 2022	2467
	चेन्नई के अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर मुख्य रनवे 07/25 के लिए 2 रैपिड एक्जिट टैक्सीवे (आरईटी) का निर्माण और कोड–ई विमान के लिए बी–टैक्सी2 वे को सीधा कर (स्ट्रेकटनिंग) समानांतर टैक्सी ट्रैक के रूप में बनाना ।	89%	मार्च 2021	97.60

	चेन्नई एयरपोर्ट, चेन्नई में रनवे 07/25&12/30 को जोड़ने वाले आर टैक्सी ट्रैक के शेष भाग, बॉक्स कल्वर्ट सहित रनवे 07 / 25 के साथ एन टैक्सी ट्रैक (शेष भाग) का निर्माण।	95%	मार्च 2021	98.36
	चेन्नई हवाई अड्डे पर मुख्य रनवे 07 / 25 के लिए बी–टैक्सी–ट्रैक (रनवे के महत्वपूर्ण हिस्से से आगे) के साथ जोड़ने के लिए 2 रैपिड एग्जिट टैक्सीवे (आरईटी) के शेष भाग का निर्माण और टैक्सीवे डी और टैक्सीवे–एम के बीच पुनः सतहीकरण एवं संबद्ध कार्य।	15%	दिसंबर 2021	66.18
	चेन्नई एयरपोर्ट, चेन्नई पर कोड 'ई' विमान के प्रचालन के लिए 'एच' टैक्सी ट्रैक, 'ई' टैक्सी ट्रैक का पुनः निर्माण और सुदृढ़ीकरण, अंतर्देशीय एप्रन में आरईटी–एम से एच से लिंक टैक्सीई ट्रैक का निर्माण, सेकेंडरी रनवे का पुनःसतहीकरण और संबद्ध कार्य।	3%	मार्च 2022	53.66
चेन्नई	चेन्नई एयरपोर्ट, चेन्नई में आवासीय क्वार्टर का निर्माण	7%	नवंबर 2023	460.75
त्रिची	तिरुचिरापल्ली (त्रिची) अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर यात्री टर्मिनल भवन और एयर साइड सुविधाओं का उन्नयन	47%	मार्च, 2021	951
	एसएचः नए टर्मिनल भवन का निर्माण, संबद्ध इलेक्ट्रो–मैकेनिकल, हवाई अड्डा प्रणाली के साथ एलिवेटेड रोड, व्यापक रखरखाव और प्रचालन सहित आईटी कार्य।			
	एसएचः एप्रन का निर्माण, संबद्ध टैक्सीवे, आइसोलेशन बे, जीएसई क्षेत्र, और संबंद्ध कार्य।	77%	मार्च 2021	
	त्रिची अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे, त्रिची में मौजूदा रनवे 09–27 का पुनः सतहीकरण और संबद्ध कार्य	39%	मार्च 2021	29.81
हैदराबाद	बेगमपेट हवाई अड्डा, हैदराबाद, में नागर विमानन अनुसंधान संगठन परिसर का चरण–I में निर्माण।	11%	मई 2022	353.61
	बेगमपेट हवाई अड्डा पर नागर विमानन अनुसंधान संगठन परिसर का निर्माण । **एसएचः** छात्रावास ब्लॉक का निर्माण	55%	दिसंबर –21	25.78
	बेगमपेट हवाई अड्डे, हैदराबाद में मौजूदा टर्मिनल बिल्डिंग में एटीएम प्रशिक्षण सुविधाओं, एसएमयू, कैलिब्रेशन लैब और आर एंड डी सेंटर के प्रावधान के लिए आशोधन । **एसएचः** आंतरिक और सिविल कार्य सहित आंतरिक, बाहरी विद्युत कार्य, बिजली और डेटा सर्किट के लिए केबल प्रबंधन प्रणाली और अग्निअलार्म और अग्निशामक का एसआईटीसी	95%	मार्च 2021	23.24

	बेगमपेट हवाई अड्डा, हैदराबाद में क्षतिग्रस्त हिस्से (द्वितीय चरण) में प्रचालन दीवार का निर्माण/पुनर्निर्माण	1%	अप्रैल 2022	20
विशाखापत्तनम	सिविल एंकलेव विशाखापत्तनम में मौजूदा एकीकृत टर्मिनल भवन का लिनीयर विस्तार	77%	मार्च 2021	53.77
तिरुपति	हवाई अड्डे पर मौजूदा रनवे के सुदृढ़ीकरण के साथ रनवे का विस्तार, कोड–ई प्रकार के विमान के लिए एईआरए और आरईएसए और संबद्ध कार्यों का प्रावधान।	70%	2021 दिसंबर	177
कडप्पा	कैटेगरी–सी प्रकार के विमान के प्रचालन हेतु कडप्पा हवाई अड्डे पर मौजूदा आइसोलेशन बे के निर्माण सहित मौजूदा रनवे, टैक्सीईवे तथा एप्रन का विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण, ब्लास्टम इरोजन के साथ पेवमेंट, आरईएसए तथा पट्टी की पेरीमीटर सडक ग्रेडिंग इत्यादि तथा विद्युत कार्य।	93%	मार्च 2021	94.44
तूतीकोरिन	तूतीकोरिन हवाई अड्डे का विकास : ब्लास्ट पैड, आरईएसए, टैक्सीवे, एप्रन, जीएसई क्षेत्र, आइसोलेशन बे और विविध निर्माण के साथ रनवे का विस्तार	20%	मार्च 2021	185.53
	तूतीकोरिन हवाई अड्डे पर भाविप्रा की नव अधिग्रहीत भूमि के लिए कंपाउड दीवार का निर्माण	65%	मार्च 2021	14.28
कोयंबटूर	कोयम्बटूर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सी कैटेगरी के 5 विमानो की पार्किंग के लिए तथा अतिरिक्त 02 एटीआर हेतु एप्रन का विस्तार।	80%	मार्च 2021	29.93
मदुरै	मदुरै हवाई अड्डे पर एप्रन का विस्तार और संबद्ध कार्य।	99%	मार्च 2021	25.71
	मदुरै हवाई अड्डे पर कोड–सी प्रकार के विमानों के लिए मौजूदा रनवे 09/27 का पुनः सतहीकरण और संबद्ध कार्य।	5%	नवंबर –21	28.40
कोयंबटूर और त्रिची	कोयंबटूर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर स्टाफ क्वार्टरों का निर्माण और त्रिची हवाई अड्डे पर पुराने वायरलेस स्टेशन पर नए आवासीय स्टाफ क्वार्टर, के औ सु ब बैरक, डॉग केनेल और सामुदायिक भवन का निर्माण ।	54%	जुलाई 2021	113.87
विजयवाड़ा	विजयवाड़ा हवाई अड्डे पर संबद्ध कार्यों सहित नए एकीकृत टर्मिनल भवन का निर्माण	1%	मार्च 2023	611.80
	विजयवाड़ा हवाई अड्डे पर नए एप्रन, लिंक टैक्सीवे और संबंधित कार्यों का निर्माण	2%	सितम्बर –2021	
	विजयवाड़ा हवाई अड्डे पर नए अग्निशमन स्टेशन (श्रेणी– VII) का निर्माण	98%	मार्च 2021	6.48
मैसूर	मैसूर हवाई अड्डे पर प्रचालन क्षेत्र में दीवार से दीवार(वॉल टू वॉल) ग्रेडिंग की कार्य।	2%	जुलाई 2021	24.24

योजना के तहत परियोजनाएँ

(राशि करोड़ रूपये में)

परियोजना स्थल	विवरण	लागत	स्थिति	अभियुक्तियां
कोयंबटूर	कोयम्बटूर हवाई अड्डे पर नए घरेलू प्रस्थान टर्मिनल भवन का निर्माण और संबद्ध कार्य।	146	निविदा चरण	प्रारंभ की संभावित तिथि –जून 2021 पूर्ण होने की संभावित तिथि – जून 2023
	कोयम्बटूर हवाई अड्डे पर रनवे का पुनः सतहीकरण।	25	योजना स्तर पर	प्रारंभ करने की संभावित तिथि –जून 2021 पूर्ण होने की संभावित तिथि – जून 2023
तूतीकोरिन	तूतीकोरिन हवाई अड्डे पर नया अंतरराज्जीय टर्मिनल भवन एवं विविध कार्य।	195.34	निविदा चरण	प्रारंभ करने की संभावित तिथि – मार्च 2021 पूर्ण होने की संभावित तिथि – मार्च, 2023
अगाती	अगाती हवाई अड्डे का विकास	283	निविदा चरण	प्रारंभ करने की संभावित तिथि – जून 2021 पूर्ण होने की संभावित तिथि – जून 2024
मदुरै	मदुरै हवाई अड्डे पर टर्मिनल भवन का विस्तार	106	योजना के स्तर पर	प्रारंभ करने की संभावित तिथि – जून 2021 पूर्ण होने की संभावित तिथि – जून 2023
	मदुरै हवाई अड्डे पर तकनीकी ब्लॉक सह एटीसी टॉवर।	99	निविदा चरण	प्रारंभ करने करने की संभावित तिथि – जून 2021 पूर्ण होने की संभावित तिथि 2023 जून
राजमुंदरी	राजमुंदरी हवाई अड्डे पर टर्मिनल भवन का विस्तार	200	योजना के स्तर पर	प्रारंभ करने की संभावित तिथि – जून 2021 पूर्ण होने की संभावित तिथि –जून 2023
तिरुवनंतपुरम	त्रिवेंद्रम हवाईअड्डे पर तकनीकी ब्लॉक सह एटीसी टॉवर।	123	निविदा चरण	प्रारंभ करने की संभावित तिथि – जून 2021 पूर्ण होने की संभावित तिथि– जून 2023

15. पूर्वी क्षेत्र में की गई विकास गतिविधियां

दिसंबर 2020 तक वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान भवन या सुविधाओं का उद्घाटन
पूर्वी क्षेत्र

परियोजना–स्थल	विवरण	आयोजन तिथि
दरभंगा, बिहार	आरसीएस योजना के तहत मैसर्स स्पाइस जेट द्वारा दरभंगा सिविल एन्क्लेव पर शुरू किया गया सिविल परिचालन।	08.11.2020

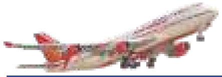

दिसंबर 2020 तक वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान पूरी की गई पूंजी योजनाएँ

पूर्वी क्षेत्र

परियोजना–स्थल	विवरण	पूरा होने की तिथि	पूरा होने की लागत
रायपुर	तकनीकी ब्लॉक सह नियंत्रण टावर का निर्माण, नया फायर स्टेशन (सीएटी–VIII), सब स्टेशन तथा स्वामी विवेकानंद हवाईअड्डा, रायपुर (छत्तीसगढ़) में संबद्ध कार्य	06.07.2020	अंतिम बिल प्रक्रियाधीन है।
रांची	बिरसा मुंडा हवाईअड्डा, रांची में तकनीकी ब्लॉक के निर्माण का शेष कार्य तथा नियंत्रण टावर	31.07.2020	मापन एवं अंतिम बिल प्रक्रियाधीन है।
बोकारो	बोकारो में सिविल हवाईअड्डे का विकास। उपशीर्ष: विस्तार योग्य कम लागत के टर्मिनल भवन, नियंत्रण टावर, ईएसएस भवन तथा वॉच टावर का प्रावधान	28.12.2020	अंतिम बिल प्रक्रियाधीन है।
झारसुगुड़ा	आईएलएस (सिविल वर्क्स) का निर्माण	30.11.2020	अंतिम बिल प्रक्रियाधीन है।

वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान प्रक्रियाधीन पूंजी योजनाएँ (दिसंबर 2020 तक)

पूर्वी क्षेत्र

(राशि करोड़ रुपए में)

परियोजना–स्थल	विवरण	वास्तविक प्रगति (संचयी)	पूरा करने की प्रस्तावित तिथि	कार्य की लागत
भुवनेश्वर	एटीसी टावर, तकनीकी ब्लॉक, फायर स्टेशन तथा ई एंड एम कार्यशाला का निर्माण।	86.00%	मार्च–21	34.18
	यात्री बोर्डिंग ब्रिज की सुविधा का उपयोग कर एकीकृत परिचालन के लिए टी1 एवं टी2 के बीच लिंक बिल्डिंग का निर्माण तथा टर्मिनल टी2 का विस्तार/नवीनीकरण कार्य	22.50%	जून–21	53.93
	08 कोड सी विमानों की पार्किंग हेतु समानान्तर टैक्सी पथ, शीघ्र निकास टैक्सी–वे एवं एप्रन का निर्माण।	61.00%	मार्च–21	65.66
	4.0 मेगा वॉट पीक (डीसी) ग्राउंड माउंटेड सौर ऊर्जा संयंत्र का प्रावधान।	80.00%	मार्च–21	18.75
पोर्ट ब्लेयर	वीएसआई एयरपोर्ट पोर्ट ब्लेयर में नए एकीकृत टर्मिनल भवन का निर्माण (शेष कार्य)	70.82%	जून–21	441.33
	पोर्ट ब्लेयर में लिंक टैक्सी–वे के साथ नए एप्रन का निर्माण	1.00%	जूलाई–21	57.57
रांची	रनवे एवं टैक्सी–वे का रिसर्फेसिंग।	30.00%	मार्च–21	19.13
पटना	पटना हवाईअड्डे पर नए घरेलू टर्मिनल भवन एवं अन्य संरचनाओं (चरण । एवं ।।) का निर्माण। पटना हवाईअड्डे (पैकेज ।) पर नियंत्रण टावर सह तकनीकी ब्लॉक, फायर स्टेशन तथा कार्गो भवन का निर्माण	55.00%	मार्च–21	26.46

	पटना हवाईअड्डे पर नए घरेलू टर्मिनल भवन एवं अन्य संरचनाओं (चरण । और ॥) का निर्माण। उपशीर्ष:– पटना हवाईअड्डे पर टर्मिनल भवन, आवासीय भवन, मल्टी–लेवल कार पार्क, प्रशासन भवन का निर्माण तथा अन्य संबद्ध कार्य (पैकेज ॥)।	22.75%	अप्रैल-23	539.20
	पटना हवाईअड्डे पर नए घरेलू टर्मिनल भवन एवं अन्य संरचनाओं (चरण । एवं ॥) का निर्माण। उपशीर्ष: राज्य सरकार हैंगर, फ्लाइंग क्लब, वीआईपी लाउंज भवन का निर्माण तथा अन्य संबद्ध कार्य (पैकेज ॥।)।	25.00%	अप्रैल-21	33.68
गया	गया हवाईअड्डा, गया पर तकनीकी ब्लॉक सह नियंत्रण टावर का निर्माण	60.00%	मार्च-21	17.71
देवघर	देवघर हवाईअड्डा, झारखंड का विकास। देवघर हवाईअड्डे पर आरसीसी ड्रेनेज, सुरक्षा निगरानी टावर, कूलिंग पिट, फायर पिट सहित चारदीवारी का निर्माण तथा अन्य संबद्ध कार्य।	85.00%	मार्च-21	34.82
	देवघर हवाईअड्डा, झारखंड का विकास। देवघर हवाईअड्डे, झारखंड में नए टर्मिनल भवन, एटीसी टॉवर, तकनीकी ब्लॉक सह फायर स्टेशन भवन, ई एंड एम कार्यशाला, सेवा ब्लॉक, डीवीओआर का निर्माण तथा अन्य भवन निर्माण कार्य।	77.00%	अप्रैल-21	61.28
कोलकाता	एनएससीबीआई हवाईअड्डा, कोलकाता में एटीसी टॉवर तथा तकनीकी ब्लॉक का निर्माण।	63.00%	जून-21	219.91
	सेकेंडरी रनवे 19आर/01एल का रिसर्फेसिंग	70.00%	फरवरी-21	37.34
	एनएससीबीआई हवाईअड्डा, कोलकाता में एप्रन तथा टैक्सी लिंक (नारायणपुर की ओर) को जोड़ने वाले सी श्रेणी विमानों के लिए 03 हैंगर का निर्माण। उपशीर्ष:– एनेक्सी भवन के साथ 03 हैंगर का निर्माण।	85.00%	जूलाई-21	25.94
	एनएससीबीआई हवाईअड्डा, कोलकाता की एयरसाइड क्षमता वृद्धि। उपशीर्ष: एफ–टैक्सी ट्रैक का प्रस्तावित बे नं. सी–13 से 19आर तथा 19आर से 19एल तक विस्तार, एनएससीबीआई हवाईअड्डा, कोलकाता के विभिन्न स्थानों में 03 आरईटी, 04 एप्रन, शोल्डर एवं बॉक्स कल्वर्ट का निर्माण (सिविल एवं इलेक्ट्रिकल कार्य)।	43.00%	अक्तूबर-22	264.99
दरभंगा	वायु सेना स्टेशन दरभंगा में रनवे, टैक्सी ट्रैक, एप्रन तथा संबद्ध कार्यों का सुदृढ़ीकरण।	62.00%	मार्च-21	64.61
पाक्योंग	पाक्योंग हवाईअड्डे पर माइक्रो पाइल तथा प्री–टेंशन एंकर के माध्यम से आरई दीवार के आधार को मजबूत करना।	36.00%	Jun-21	29.63
	पाक्योंग हवाईअड्डा, सिक्किम (री–कॉल) में मूल पट्टी की पश्चिमी दिशा में ढलान को बनाए रखने के लिए फिंगर ड्रेन सहित कंक्रीट क्लैडिंग वॉल आई/सी का निर्माण।	43.00%	Jun-21	108.34

दिसंबर 2020 तक वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान योजनाधीन पूंजी योजनाएँ

पूर्वी क्षेत्र

(राशि करोड़ रुपए में)

परियोजना–स्थल	विवरण	लागत	स्थिति	टिप्पणी
भुवनेश्वर	नए टर्मिनल भवन टी–3 का निर्माण	913.08	निविदा चरण	शुरू होने की संभावित तिथिः दिसंबर–21 पूरा होने की संभावित तिथिः सितंबर–25 पीआईबी का अनुमोदन आवश्यक है।
बिहटा	बिहटा में एएआई तथा आईएएफ के लिए संयुक्त उपयोग सिविल एन्क्लेव का विकास।	937.00	निविदा चरण	शुरू होने की संभावित तिथिः मई–21 पूरा होने की संभावित तिथिः सितंबर–23 पीआईबी का अनुमोदन आवश्यक है।
धालभूमगढ़	झारखंड राज्य में एटीआर–72 प्रकार के विमानों के अच्छे मौसम के दौरान परिचालन हेतु धालभूमगढ़ हवाईअड्डे का विकास। पूरा होने की अपेक्षित तिथिः सभी अवरोधों, जैसे पेड़, इत्यादि से मुक्त भूमि के भौतिक कब्जे से 18 महीने के भीतर। (राज्य सरकार द्वारा एएआई को भूमि सौंपा जाना शेष है)		योजना चरण	शुरू होने की संभावित तिथिः ––––
पटना	पटना हवाईअड्डा, पटना पर रनवे की रिसर्फेसिंग।			योजना चरण
रायपुर	रायपुर हवाईअड्डा, रायपुर में एनआईटीबी का निर्माण।			योजना चरण
कोलकाता	एनएससीबीआई हवाईअड्डा, कोलकाता में आम उपयोगकर्ता घरेलू कार्गो टर्मिनल (सीयूडीसीटी) का निर्माण।			योजना चरण ए/ए एवं ई/एस प्रक्रिया में है।
कोलकाता	एनएससीबीआई हवाईअड्डा, कोलकाता में घरेलू टर्मिनल भवन का निर्माण।		योजना चरण	दिनांक 03.01.2020 को एसओडबल्यू जारी किया गया।
कोलकाता	एनएससीबीआई हवाईअड्डा, कोलकाता में, नारायणपुर की ओर नए सीआईएसएफ परिसर (सीआईएसएफ बैरक, महिला प्रशिक्षण छात्रावास, विमानन सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थान, डब्ल्यूटीपी तथा एसटीपी) का निर्माण।		योजना चरण	ए/ए एवं ई/एस प्रक्रिया में है।

10.13 माइक्रो–लर्निंग

माइक्रो–लर्निंग 'इग्नाइट' पर एक नई पहल शुरू की गई है, जिसके तहत एक पाक्षिक फ्लायर के माध्यम से कर्मचारियों के बीच नागर विमानन क्षेत्र, प्रबंधन अवधारणाओं, नवीनतम शब्दों एवं ट्रेंड से संबंधित प्रासंगिक जानकारी का प्रसार किया जा रहा है। फ्लायर में कर्मचारियों के बीच रुचि पैदा करने के लिए वरिष्ठ प्रबंधन से प्रेरक उद्धरण तथा आवधिक प्रश्नोत्तरी भी शामिल हैं।

10.14 हवाई अड्डा प्रबंधन व्यावसायिक प्रत्यायन कार्यक्रम (एएमपीएपी) – 2019–20 बैच

एएआई के 12 अधिकारियों ने एएमपीएपी पाठ्यक्रम के अपने अंतिम मॉड्यूल को वर्चुअल मोड से पूरा किया तथा नवंबर 2020 में स्नातक किया।

10.15 प्रशिक्षुओं की नियुक्ति

एएआई एमएसडीई एवं एमएचआरडी द्वारा समय–समय पर जारी किए गए दिशा–निदेशों के अनुरूप, विभिन्न स्थानों पर प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षण प्रदान करके अपनी सामाजिक जिम्मेदारी को पूरा करता रहा है। 2020–21 के लिए लगभग 900 प्रशिक्षुओं (श्रम–शक्ति का लगभग 3%) का लक्ष्य लिया गया है।

10.16 इंटर्नशिप

लॉकडाउन के दौरान इंटर्नशिप प्रशिक्षण प्राप्त करने हेतु छात्रों के अनुरोधों को ध्यान में रखते हुए, जून 2020 से ऑनलाइन इंटर्नशिप की शुरुआत की गई थी। दिसंबर 2020 तक कुल 27 छात्रों ने ऑनलाइन/कार्यालय–स्थित इंटर्नशिप की है।

10.17 एचआरएम समझौता ज्ञापन मापदंड 2019–20 की उपलब्धि

प्रशिक्षण प्रकोष्ठ से संबंधित निम्नलिखित एचआरएम समझौता ज्ञापन मापदंडों को समय सीमा के भीतर सफलतापूर्वक पूरा किया गयाः

क. लोगों की क्षमता परिपक्वता मॉडल में परिपक्वता के अगले स्तर को प्राप्त करना

ख. प्रतिष्ठित भारतीय संस्थानों में कम से कम एक सप्ताह का प्रशिक्षण प्रदान करके प्रतिभा प्रबंधन एवं कैरियर में प्रगति को बनाए रखना

ग. ऑनलाइन सीखने पर ध्यान देते हुए तकनीकी एवं प्रबंधकीय क्षेत्रों में क्षमता विकास

11. एअर इंडिया लिमिटेड

11.1 परिचय

नेशनल एविएशन कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड (नैसिल) का गठन कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत 30 मार्च, 2007 को किया गया था। दिनांक 24 नवम्बर, 2010 से "नेशनल एविएशन कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड" का नाम बदलकर "एअर इंडिया लिमिटेड" कर दिया गया। कंपनी का पंजीकृत कार्यालय एवं निगमित कार्यालय नई दिल्ली में है। कंपनी का निगमित संचालन निदेशक मंडल द्वारा किया जाता है जिसमें अध्यदक्ष एवं प्रबंध निदेशक, कार्यात्मक निदेशक, सरकारी निदेशक तथा स्वतंत्र निदेशक सम्मिलित होते हैं। कंपनी ने अपने प्रचालनों में जवाबदेही, पारदर्शिता, जिम्मेवारी तथा निष्पक्षता के उच्चतर स्तर प्राप्त करने के लिए प्रयास किए हैं। कंपनी अपने ग्राहकों तथा अन्य स्टेकहोल्डर्स को उत्कृष्ट सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। एअर इंडिया अपनी सहायक कंपनियों – एलाइंस एयर एविएशन लि. (एएएएल) तथा एअर इंडिया एक्सप्रैस लि. (एआईएक्सएल) के साथ विभिन्न घरेलू तथा अंतरराष्ट्रीय सेक्टरों पर प्रचालन करती है।

11.2 प्राधिकृत शेयर पूंजी

कंपनी की प्राधिकृत शेयर पूंजी रु. 35,000,00,00,000 है, जो 10/–रुपए प्रति के 35,000,00,00,00 इक्विटी शेयरों में विभाजित है। 01 दिसम्बर, 2020 को कंपनी की जारी, अभिदत्त एवं प्रदत्त शेयर पूंजी 32,665,22,00,000/– रुपए है जो 10/–रुपए प्रति के 3266,52,20,000 पूर्ण रूप से प्रदत्त इक्विटी शेयरों में विभाजित है।

11.3 सहायक कंपनियां

एअर इंडिया लिमिटेड की निम्नलिखित पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनियां हैं, और 31 मार्च, 2020 को इन सहायक कंपनियों में कंपनी का निवेश निम्नानुसार है :–

- ए आई एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड 138.42 करोड़ रुपए
- एअर इंडिया एक्सरप्रैस लिमिटेड 780.00 करोड़ रुपए
- एअर इंडिया इंजीनियरिंग सर्विसेज लिमिटेड 166.67 करोड़ रुपए
- एलाइंस एयर एविएशन लिमिटेड 402.25 करोड़ रुपए

एअर इंडिया लिमिटेड की एक और सहायक कंपनी अर्थात् होटल कारपोरेशन ऑफ इंडिया लि. (एचसीआई) है। 01 दिसम्बर, 2020 को एचसीआई में कंपनी का निवेश 110.60 करोड़ रुपए तथा भारत सरकार का निवेश 27 करोड़ रुपए है।

11.3.1एआई एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड (एआईएएसएल) (पूर्व में एअर इंडिया एयर ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लि. (एआईएटीएसएल):

(करोड़ रुपए में)

विवरण	2019–20	2018–19 (पुनः प्रस्तुत)
कुल आय	708.80	705.00
कर पूर्व लाभ/(हानि)	133.85	116.09

एअर इंडिया के पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी एआई एयरपोर्ट सर्विसेज लि. ने 1 फरवरी, 2013 से कार्य आरंभ किया तथा अप्रैल 2014 से स्वतंत्र रूप से अपने प्रचालन आरंभ किए। वर्तमान में, कंपनी भारत में 80 एयरपोर्टों पर ग्राउंड हैंडलिंग सेवाएं प्रदान करती है। एअर इंडिया लिमिटेड तथा इसकी सहायक कंपनियों जैसे एअर इंडिया एक्सप्रैस तथा एलाइंस एयर की उड़ानों को ग्राउंड हैंडलिंग सेवाएं प्रदान करने के अतिरिक्त, यह 41 विदेशी शेड्यूल्ड एयरलाइनों, 3 घरेलू शेड्यूल्ड एयरलाइनों, 4 क्षेत्रीय एयरलाइनों, 14 सीजनल चार्टर एयरलाइनों, नाशवान कार्गो हैंडलिंग सेवाएं लेने वाली 23 विदेशी एयरलाइनों को भी ग्राउंड हैंडलिंग सेवाएं प्रदान करती है। कोविड –19 महामारी तथा अंतरराष्ट्रीय उड़ानें बंद हो जाने के कारण शेड्यूल एयरलाइन प्रचालन अभी भी रूका हुआ है तथा डीजीसीए के पूर्व अनुमोदन से केवल यात्रियों को स्वदेश वापस लाने वाली उड़ानों, एयर बबल फ्लाइट्स का ही प्रचालन किया जा रहा है। वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए वित्तीय वर्ष 2020–21 में एआई एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड द्वारा एअर इंडिया, एलाइंस एयर, एअर इंडिया एक्सप्रैस की लगभग 36,000 उड़ानों तथा कस्टमर एयरलाइनों की लगभग 16000 उड़ानों की हैंडलिंग किए जाने की संभावना है। एआई एयरपोर्ट सर्विसेज लि. पर कोई ऋण नहीं है तथा स्वतंत्र प्रचालन प्रारंभ के बाद लगातार छठी बार कंपनी वित्तीय वर्ष 2019–20 को भी लाभ के साथ पूरा कर रही है।

11.3.2 एअर इंडिया एक्सप्रैस लिमिटेड (एआईएक्सएल):

(करोड़ रुपए में)

विवरण	2019–20	2018–19
कुल आय	5,231	4,202
कर पूर्व लाभ/(हानि)	418	169
कर पश्चात लाभ (हानि)	414	164
कुल आय	413	162

एअर इंडिया के पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी एआईएक्सएल ने 'एअर इंडिया एक्सप्रैस' के ब्राण्ड नाम से 29 अप्रैल, 2005 से लीज पर लिए गए 3 बी737–800 विमानों के साथ प्रति सप्ताह 26 उड़ानों का प्रचालन आरंभ किया। आरंभ में, एआईएक्सएल ने केरल के 3 शहरों से खाड़ी में 6 स्थानों के लिए उड़ानों का प्रचालन किया।

एअर इंडिया एक्सप्रैस द्वारा वित्तीय वर्ष 2019–20 में 20 भारतीय स्टेशनों तथा मध्य पूर्व व दक्षिण पूर्व एशिया में 13 अंतरराष्ट्रीय स्टेशनों के नेटवर्क के साथ 651 साप्ताहिक प्रस्थान प्रचालित किए गए।

वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान प्रतिदिन, प्रति विमान औसत उपयोग 13.4 घंटे था।

एआईएक्सतएल ने वित्त वर्ष 2018–19 में 4.36 मिलियन यात्रियों के वहन की तुलना में वर्ष 2019–20 के दौरान 4.84 मिलियन यात्रियों का वहन किया।

कोविड–19 महामारी के कारण 22 मार्च, 2020 से अंतरराष्ट्रीय हवाई यात्रा रोक दी गई थी। 7 मई, 2020 से एअर इंडिया एक्सप्रेस 'वंदे भारत मिशन' तथा तत्पश्चात विभिन्न 7 देशों के साथ एयर बबल अरेंजमेंट्स के तहत उड़ानों का प्रचालन कर रही है।

मौजूदा गंतव्यों के अतिरिक्त एअर इंडिया एक्सप्रैस वंदे भारत मिशन तथा कुवालालम्पुर व हैदराबाद से/तक एयर बबल अरेंजमेंट्स के तहत उड़ानें प्रचालित कर रही है।

31 दिसम्बर, 2020 की स्थिति के अनुसार एअर इंडिया एक्सप्रैस अपने 16 तथा लीज पर लिए गए 8 विमानों के साथ लगभग 354 साप्ताहिक प्रस्थान कर रही है।

एअर इंडिया एक्सप्रैस द्वारा प्रचालित वंदे भारत मिशन/एयर बबल उड़ानें

माह	उड़ानों की संख्या
मई–20	215
जून–20	455
जुलाई–20	630
अगस्त–20	908
सितम्बंर–20	888
अक्तूबर–20	1,130
नवम्बर–20	1,264
दिसम्बंर–20	1,596
कुल	**7,086**

मई–दिसम्बर, 2020 के दौरान एअर इंडिया एक्सप्रैस ने वंदे भारत मिशन/एयर बबल ट्रांसपोर्ट अरेंजमेंट्स के अंतर्गत भारत से/को 7086 उड़ानों का प्रचालन करते हुए 0.83 मिलियन यात्रियों का वहन किया।

11.3.3 एअर इंडिया इंजीनियरिंग सर्विसेज लिमिटेड (एआईईएसएल):

(करोड़ रुपए में)

विवरण	2018–19	2017–18
कुल आय	1206.4	740.48
कर पूर्व लाभ/(हानि)	(180.87)	(495.65)

एअर इंडिया के पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी एआईईएसएल ने 1 फरवरी, 2013 से कार्य आरंभ किया। विभिन्न प्रकार के एयरबस, बोइंग तथा एटीआर विमान बेड़े के अनुरक्षण, मरम्मत तथा ओवरहॉल (एमआरओ) के लिए दिल्ली, मुम्बई, हैदराबाद, त्रिवेन्द्रम, नागपुर तथा कोलकाता में इसके बेस हैं। एअर इंडिया इंजीनियरिंग सर्विसेज लिमिटेड (एआईईएसएल) जनरल इलैक्ट्रिक, कतर एयरवेज, सिल्क एयर, गो एयर आदि ग्राहक एयरलाइनों के अलावा एअर इंडिया, एएएसएल (एयरलाइन एलाइड सर्विसेज लिमिटेड) और एआईएक्सएल (एअर इंडिया एक्सप्रेस लिमिटेड) के विमानों के लिए भी अनुरक्षण, मरम्मत तथा ओवरहॉल (एमआरओ) सेवाएं प्रदान करती है। एआईईएसएल के पास 3800 उच्चस्तरीय प्रशिक्षित, अनुभवी तकनीकी कार्मिक दल है। अनुरक्षण के सभी पहलुओं को कवर करने वाली इसकी कई सुविधाएं अर्थात लाइन मेंटेनेंस, बेस मेंटेनेंस, इंजन और एपीयू ओवरहाल शॉप्स, कंपोनेंट्स और एवियोनिक्स ओवरहाल शॉप्स, इंजीनियरिंग मैनेजमेंट – एसेट मैनेजमेंट, मैटेरियल एंड लॉजिस्टिक्स सपोर्ट, क्वालिटी एश्योरेंस, तकनीकी सेवाएँ, तकनीकी प्रशिक्षण, सुविधाएं और एक्विपमेंट मेंटेनेंस, 'वन स्टॉप शॉप' के रूप में काम कर सकती हैं। यह 78 घरेलू स्टेशनों में लाइन मेंटेनेंस की सुविधा प्रदान करती है।

एआईईएसएल ने नागपुर में एक विश्व स्तरीय एमआरओ सुविधा विकसित की है जो 2015 से प्रचालन में है। वर्ष 2018 में एआईईएसएल ने बी–787 ड्रीमलाइनर विमान में लगे जीईएनएक्स इंजन पर क्विक टर्न रिपेयर शुरू किया। इंजन ओवरहाल क्षमता जुलाई 2020 से पूरी तरह चालू हो जाएगी। जीई 90 परीक्षण सुविधा पहले से ही डीजीसीए द्वारा अनुमोदित है। उत्तरोत्तर, सुविधा पूरी तरह से चालू होने के बाद, जिन इंजनों की विदेशों में मरम्मत की जाती है उनकी भारत में मरम्मत की जाएगी। हैदराबाद एमआरओ भी आधुनिक एमआरओ की सभी सुविधाओं से सुसज्जित है। एमआरओ हैदराबाद में सेंट्रलाइज्ड हाइड्रो स्टैटिक परीक्षण सुविधा भी स्थापित की गई है। एआईईएसएल ने शारजाह और दुबई में भी एमआरओ शुरू किया है। काठमांडू, कोलंबों तथा ढाका में एमआरओ सुविधा के लिए बातचीत जारी है।

एआईईएसएल के पास अपने विभिन्न शॉप्स और सुविधाओं के लिए डीजीसीए (डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन), एफएए (फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन), ईएएसए (यूरोपियन एविएशन सेफ्टी एजेंसी), सीएएएस (सिविल एविएशन अथॉरिटी ऑफ सिंगापुर), आईएसओ–9001:2000, आईओएसए (आईएटीए ऑपरेशनल सेफ्टी ऑडिट) से अनुमोदन प्राप्त है। एआईईएसएल ने कुवैत, कतर, जीएसीए–यूएई, सीएएएस–सिंगापुर, सीएएएसएल–श्रीलंका, सीएएएन–नेपाल और सीएएटी–थाईलैंड जैसे विभिन्न विदेशी नागरिक विमानन प्राधिकरणों से भी अनुमोदन प्राप्त किया है ।

11.3.4 एलाइंस एयर एविएशन लि. (पूर्व एयरलाइन एलाइड सर्विसेज लिमिटेड (एएएसएल)):

(करोड़ रुपए में)

विवरण	2019–20	2018–19
कुल आय	1181.15	836.28
कर पश्चात लाभ/(हानि)	(201.00)	(292.33)

एलाइंस एयर एविएशन लि0 (एएएल) एअर इंडिया लिमिटेड के पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी है जिसने 15 अप्रैल, 1996 से एलाइंस एयर ब्रांड नाम के साथ प्रचालन प्रारंभ किया।

एलाइंस एयर एविएशन लि0 (पूर्व में एयरलाइन एलाइड सर्विसेज लि0) देश की एक अग्रणी अंतरराष्ट्रीय क्षेत्रीय एयरलाइन है जो एअर इंडिया के नेटवर्क के साथ समन्वयन में टियर II तथा टियर III शहरों के लिए कनेक्टिविटी प्रदान करती है। अपने विमान बेड़े में और विमान शामिल कर कंपनी अपने प्रचालन का अखिल भारतीय स्तर पर विस्तार करने की प्रक्रिया में है। यह विमान देश के भीतर छोटे मार्गों में प्रचालन करेंगे तथा विदेशों के लिए भी प्रचालन करेंगे।

एलाइंस एयर के पास जनवरी, 2003 से एटीआर विमानों से प्रचालन करने की सुविधा है। एलाइंस एयर टियर II तथा टियर III शहरों के लिए प्रचालन करने के अपने अनुभव को और सुदृढ़ करना चाहती है। कंपनी के पास 18 एटीआर 72–600 विमानों का विमान बेड़ा है। मौजूदा विमान बेड़े से एयरलाइन 61 स्टेशनों के नेटवर्क में प्रतिदिन 105 उड़ानों का प्रचालन कर रही है। वित्तीय वर्ष 2019–20 में कंपनी ने पड़ोसी देशों के लिए अपने नेटवर्क का विस्तार किया। आने वाले वर्षों में कंपनी की अपने विमान बेड़े तथा अपने नेटवर्क में और वृद्धि करने की योजना है।

रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम

सरकार द्वारा 'उड़े देश का हर नागरिक' (उड़ान) रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम (आरसीएस) प्रारंभ किए जाने से कई ऐसे एयरपोर्ट जहां अभी प्रचालन नहीं किया जा रहा था या फिर कम प्रचालन किया जा रहा था, एलाइंस एयर प्रचालनों के लिए खुल गए। 27 अप्रैल, 2017 से शिमला/दिल्ली सेक्टर के लिए प्रचालन प्रारंभ कर एलाइंस एयर इस योजना के अंतर्गत प्रचालन करने वाली पहली एयरलाइन बन गई। इस उड़ान का शुभारंभ भारत के माननीय प्रधानमंत्री द्वारा किया गया था।

भारत सरकार की रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम–उड़ान पहले चरण के अंतर्गत एलाइंस एयर को 17 मार्ग प्रदान किए गए और एलाइंस एयर ने इन सभी मार्गों पर प्रचालन प्रारंभ कर दिए हैं।

रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम (आरसीएस) उड़ान के चरण 2 में एलाइंस एयर को 26 मार्ग प्रदान किए गए जिनमें से 8 मार्गों पर प्रचालन किया जा रहा है।

रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम (आरसीएस) उड़ान के चरण 3 में एलाइंस एयर को 40 मार्ग दिए गए हैं।

रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम (आरसीएस) उड़ान चरण के 3.1 के अंतर्गत एलाइंस एयर को 12 मार्ग प्रदान किए गए हैं।

आरसीएस – उड़ान के तीन चरणों में एलाइंस एयर को दिए गए 95 मार्गों में से एलाइंस एयर ने 61 मार्गों पर उड़ान प्रचालन शुरू कर दिया है। शेष मार्गों पर भी प्रचालन प्रारंभ करने के पूरे प्रयास किए जा रहे हैं बशर्ते एयरपोर्ट एटीआर 72 प्रकार के विमानों के लिए ऑपरेशनल कर दिए जाएं।

उत्तर–पूर्व प्रचालन

नागर विमानन मंत्रालय के साथ एक समझौता ज्ञापन के तहत एलाइंस एयर एटीआर 72 विमान से उत्तंर पूर्व क्षेत्र के लिए उड़ानें प्रचालित कर रही है। इस संबंध में रूट शेड्यूल नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल के साथ परामर्श के बाद तैयार किया जाता है तथा विमान पूरी तरह तैनात हैं। निम्नलिखित उड़ानों का प्रचालन किया जा रहा है:

1. कोलकाता/गुवाहाटी/तेजपुर/गुवाहाटी/कोलकाता – प्रति सप्ताह तीन उड़ानें
2. कोलकाता/गुवाहाटी/पासीघाट/गुवाहाटी/कोलकाता – प्रति सप्ताह चार उड़ानें
3. कोलकाता/शिलांग/कोलकाता – दैनिक उड़ान (10 अगस्त, 2019 से सीधी नई उड़ान)

10 अगस्त, 2019 से एलाइंस एयर ने कोलकाता/शिलांग/कोलकाता सेक्टर के अपने उड़ान प्रचालन को बंद कर दिया क्योंकि आरसीएस – उड़ान के चरण 3 के तहत यह मार्ग इंडिगो एयरलाइन को दे दिया गया था। तदनुसार 10 अगस्त, 2019 से उत्तर पूर्व प्रचालन को पुनः रिस्ट्रक्चर किया गया तथा निम्नलिखित उड़ानों का प्रचालन किया जा रहा है :

कोलकाता/लीलाबाड़ी/कोलकाता –दैनिक

कोलकाता/गुवाहाटी/तेजपुर/गुवाहाटी/कोलकाता –तीन उड़ानें/सप्ताह

कोलकाता/गुवाहाटी/पासीघाट/गुवाहाटी/कोलकाता–चार उड़ानें/सप्ताह

दिनांक 07 दिसम्बर, 2019 से एलाइंस एयर ने गुवाहाटी/दीमापुर/इम्फाल/दीमापुर/गुवाहाटी सेक्टरों के लिए उड़ानें प्रारम्भ की हैं जिन्हें क्षेत्रीय कनेक्टिविटी योजना (आरसीएस) – उड़ान राउंड 3 योजना के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है।

लाइफलाइन उड़ान – वैश्विक महामारी के दौरान एलाइंस एयर का योगदान

25 मार्च, 2020 से भारत सरकार द्वारा घोषित लॉकडाउन को देखते हुए कोविड–19 वैश्विक महामारी के दौरान राष्ट्र की सहायता हेतु आवश्यक कार्गो की आवाजाही प्रतिबंधित कर दी गई थी।

एलाइंस एयर ने एटीआर 72 विमान के साथ चिकित्सा किट, पीपीई उपकरण, दवाईयां इत्यादि लेकर देश के विभिन्न भागों में यूडीएएन उड़ानों का प्रचालन किया। एलाइंस एयर ने 135 उड़ानों का प्रचालन किया तथा 55.7 टन कार्गो का वहन किया।

इस लॉकडाउन की अवधि के दौरान दिनांक 07 मई, 2020 को विशाखापट्टनम में गैस का रिसाव हुआ था। एलाइंस एयर ने मुंबई/पुणे/नागपुर/विशाखापट्टनम सेक्टरों पर एक विशेष उड़ान का प्रचालन किया जिसमें पुणे एवं नागपुर से विशाखापट्टनम के लिए विशेष कार्मिकों तथा सामग्री का परिवहन करने में सहायता प्रदान की गई।

11.3.5 होटल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (एचसीआई):

(करोड़ रुपए में)

विवरण	2019–20	2018–19
कुल आय	67.62	67.28
कर पूर्व लाभ / (हानि)	(65.55)	(71.20)

एचसीआई की चार यूनिट हैं – सेन्टॉर होटल दिल्ली, शेफेयर दिल्ली, शेफेयर फ्लाइट केटरिंग, मुम्बई तथा सेन्टॉर लेक व्यू होटल, श्रीनगर। यह आईजीआई एयरपोर्ट पर टी–3 लाउंज और एअर इंडिया स्टाफ के लिए नरीमन प्वाइंट, मुंबई व जीएसडी, दिल्ली में कैंटीनों का कार्य भी देखती है।

इसके अलावा, सरकार के निदेश के अनुसार दिल्ली की यूनिटों अर्थात् सेन्टॉर, दिल्ली तथा शैफेयर, दिल्ली के लिए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) से लीज पर लिए गए 45000 वर्ग मीटर के भूमि पार्सल को कंपनी द्वारा 31.03.2032 को समाप्त लीज अवधि तक उपयोग करने की अनुमति है ।

11.4 ग्राउंड हैंडलिंग पर एअर इंडिया लिमिटेड तथा सिंगापुर एयरपोर्ट टर्मिनल सर्विसेज (सैट्स) के बीच संयुक्त उद्यम करारः

एअर इंडिया सैट्स एयरपोर्ट सर्विसेज प्रा.लि. (एआईसैट्स), एअर इंडिया लि. (एआई) तथा सैट्स लि. का एक संयुक्त उद्यम है जिसमें दोनों ही भागीदारों ने संयुक्त उद्यम की स्थापना के समय समान रूप से प्रति भागीदार 33.33 करोड़ रुपए निवेश किए थे। 31 मार्च, 2020 को एआईसैट्स की जारी/प्रदत्त शेयर पूंजी 80,84,99,500 रुपए है (जो 10/–रुपए प्रति के 8,08,49,950 इक्विटी शेयरों में विभाजित है)। एआई का निवेश में 50% शेयर है जो 40,42,49,750 रुपए है (10/–रुपए प्रति के 40424975 प्रदत्त शेयर)। 31 मार्च, 2020 को शेयरहोल्डरों की नेट वर्थ 492 करोड़ रुपए है।

एअर इंडिया द्वारा निवेश की गई राशि 10 वर्षों में 40.42 करोड़ रुपए से बढ़कर 246 करोड़ रुपए (492 करोड़ रुपए का आधा) हो गई है जिसमें शेयरहोल्डर फंड में 20% की सीएजीआर वृद्धि हुई है। उक्त के अतिरिक्त , एआईसैट्स ने वित्तीय वर्ष 12–13, 13–14, 14–15 में 15% लाभांश की, 15–16 में 7.5% लाभांश की, 16–17, 17दृ18 में 5: तथा 18–19 में 3% लाभांश की भी घोषणा की तथा एअर इंडिया को अब तक इस संयुक्त उद्यम से 26.45 करोड़ रुपए का कुल लाभांश प्राप्त हुआ है।

वर्तमान में, संयुक्त उद्यम बेंगलूरु, हैदराबाद, दिल्ली, मंगलूरु व त्रिवेन्द्रम में एअर इंडिया तथा इस ग्रुप की कंपनियों की प्रतिवर्ष एक लाख से अधिक उड़ानों की हैंडलिंग का कार्य कर रहा है। वित्तीय वर्ष 19 –20 में, एआईसैट्स का राजस्व तथा पीएटी क्रमशः 730 करोड़ रुपए तथा 58 करोड़ रुपए है। 31 मार्च, 2020 तक कंपनी का स्थिर परिसंपत्तियों में निवेश 213 करोड़ रुपए है।

11.5 वित्तीय निष्पादन

(करोड़ रुपए में)

विवरण	अप्रैल से नवम्बर		2019–20 (अनंतिम)	2018–19 वास्तविक	2017–18 वास्तविक	(2016–17) वास्तविक
	2020–21	2019–20				
यात्री राजस्व	3886.05	15052.36	22619.70	20774.16	17744.09	15997.81
प्रचालनात्मक राजस्वत	5243.59	18742.92	22710.61	25508.82	23003.68	21859.61
प्रचालनात्मक व्यलय	9458.70	19920.35	32370.92	30194.06	24661.77	21561.58
प्रचालनात्मक लाभ / (हानि)	(4215.11)	(1177.43)	(4,660.31)	(4685.24)	(1658.09)	298.03
कुल राजस्व (असाधारण तथा समग्र आय सहित)	5328.54	18985.24	28307.35	26349.02	23777.68	20032.29
कुल व्यय	12232.73	21842.17	36290.18	34905.37	29125.86	25797.45
निवल लाभ / हानि	(6904.19)	(2856.93)	(7982.83)	(8556.35)	(5348.18)	(5765.16)
ईबीआईटीडीए	(2829.16)	177.19	231.89	(2066.34)	944.50	244.36

11.5.1 प्रचालनात्मक निष्पादन

विवरण	ईकाई	अप्रैल से नवम्बर		2019–20 (अनंतिम)	2018–19 वास्तविक	2017–18 वास्तविक	(2016–17) वास्तविक
		2020–21	2019–20				
ए एस के एम(अनुसूचित सेवाएं)	मिलियन	11755	43052	63185	62134	57722	54155
पी के एम (अनुसूचित सेवाएं)	मिलियन	7534	34481	50395	49063	45970	41316
यात्री भार घटक	(%)	64.1	80.1	79.8	79.0	79.60	76.3
वहन किए गए यात्रियों की संख्या (अनुसूचित सेवाएं)	मिलियन	10.94	19.23	22.05	21.66	20.90	19.1

11.5.2 वास्तविक/वित्तीय निष्पादन का विश्लेषण

(I) 2018–19 की तुलना में 2019–20

कंपनी ने पिछले वर्ष की तुलना में वित्ते वर्ष 2019–20 के दौरान प्रचालनात्मक/वित्तीय पैरामीटर में सुधार दर्शाया है जो निम्नलिखित है :–

(क) वित्तीय फ्रंट में सुधार

- कंपनी ने पिछले वर्ष के 25508.83 करोड़ रुपए के प्रचालन राजस्व की तुलना में इस वर्ष 27,710.61 करोड़ रुपए का प्रचालन राजस्व अर्जित किया है जो मुख्य रूप से यात्री राजस्व, में 1,795.54 करोड़ रुपए की वृद्धि के कारण हुआ है।
- निवल हानि में 573 करोड़ रुपए अर्थात् 6.7% की कमी आई है जो 2018–19 में 8556.36 करोड़ की तुलना में 2019–20 में 7982.82 करोड़ रुपए हो गई जिसके निम्मिलिखित कारण थेः–
- ईंधन दर में 9.3% की कमी के कारण एटीएफ लागत में 635 करोड़ (6.3%) रुपए की कमी आई।
- दिनांक 01.04.2019 से आईएनडी एएस –116 के लागू होने के कारण निम्नलिखित व्यय में 2013 करोड़ रुपए की वृद्धि हुई।
- विमान के किराए में 3231 करोड़ रुपए की कमी आई।
- आरओयू परिसंपत्तियों के सृजन के कारण मूल्यह्रास लागत मं 2575 करोड़ रुपए की वृद्धि हुई।
- वर्ष के अंत में रिवेल्यूवेशन के कारण विदेशी मुद्रा में हानि में (लीज देयता तथा विमान की रि–डिलीवरी पर) 2001 करोड़ रुपए की वृद्धि हुई।
- आईएनडी एएस–116 के प्रभाव के कारण लीज देयताओं पर ब्याज लागत में 668 करोड़ रुपए की वृद्धि हुई।
- एएसकेएम में 1.7% की वृद्धि के कारण विमान अनुरक्षण लागत में 390 करोड़ रुपए की वृद्धि हुई।
- सामान्य् डीए में वृद्धि, छुट्टी नकदीकरण/चिकित्सा प्रावधानों के कारण स्टाफ लागत में 220 करोड़ रुपए की वृद्धि हुई।

(ख) प्रचालनात्मक फ्रंट में सुधार

- प्रदत्त क्षमता (एएसकेएम) में 1.7% का सुधार हुआ है जो 2018–19 में 62134.00 मिलियन से बढ़कर 2019–20 में 63185.60 मिलियन हो गया।
- क्षमता का उपयोग(आरपीकेएम) में 2.7% का सुधार हुआ है जो 2018–19 में 49063.00 मिलियन से बढ़कर 2019–20 में 50395.47 मिलियन रुपए हो गया।
- ले जाए गए यात्रियों की संख्या 2018–19 में 21.66 मिलियन थी जो 2019–20 में बढ़कर 22.05 मिलियन हो गई अर्थात 21.8% की वृद्धि हुई ।

(II) 2020–21 (अप्रैल से नवम्बर 2020)

अप्रैल से नवम्बर, 2019 की तुलना में अप्रैल से नवम्बर, 2020 की अवधि में कंपनी के निष्पादन की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैः

- अप्रैल से नवम्बर, 2019 में 15052.36 करोड़ के यात्री राजस्व की तुलना में अप्रैल से नवम्बर, 2020 के दौरान 3,886.05 करोड़ यात्री राजस्व था अर्थात् कोविड–19 वैश्विक महामारी के कारण 11,166.31 करोड़ रुपए अर्थात् 74.1% में कमी आई।
- अप्रैल से सितम्बर, 2019 के दौरान 1177.43 करोड़ रुपए की प्रचालन हानि की तुलना में इस अवधि में 4215.11 करोड़ रुपए की प्रचालन हानि हुई अर्थात् 3037.68 करोड़ रुपए की प्रचालन हानि में वृद्धि हुई।
- अप्रैल से नवम्बर, 2019 के दौरान 2856.93 करोड़ रुपए की निवल हानि की तुलना में अप्रैल से नवम्बर, 20 के दौरान 6904.19 करोड़ की निवल हानि हुई अर्थात् 141.6 प्रतिशत की निवल हानि में वृद्धि हुई।
- अप्रैल से नवम्बर, 2019 में 177.19 करोड़ रुपए के घनात्मलक ईबीआईटीडीए की तुलना में अप्रैल–नवम्बर, 2020 के दौरान ऋणात्मक ईबीआईटीडीए 2829.16 करोड़ रुपए था।
- प्रचालनात्मक फ्रंट में कोविड–19 वैश्विक महामारी के प्रभाव के कारण एएसकेएम के संदर्भ में क्षमता में 31297 मिलियन अर्थात् 72.7 प्रतिशत (अप्रैल–नवम्बर, 2019 में 43052 मिलियन से अप्रैल–नवम्बर, 2020 में 11755 मिलियन) की कमी आई है।
- इसी प्रकार आरपीकेएम के संदर्भ में क्षमता के उपयोग में 78.2 प्रतिशत की कमी आई है अर्थात् अप्रैल–नवम्बर, 2019 में 34481 मिलियन की तुलना में अप्रैल–नवम्बर, 2020 में 7534 मिलियन रुपए की कमी आई।
- यील्ड प्रति आरपीकेएम में 0.8 रुपए अर्थात् 18 प्रतिशत की वृद्धि हुई (अप्रैल से नवम्बर, 2019 में 4.37 की तुलना में अप्रैल से नवम्बर, 20 में 5.16 रुपए)
- यात्री भार घटक अप्रैल से नवम्बर, 2019 में 80.1 प्रतिशत था जो घटकर अप्रैल–नवम्बर, 2020 में 64.1 प्रतिशत हो गया।

11.6 एअर इंडिया लिमिटेड का विनिवेश

एअर इंडिया लिमिटेड (एआईएल) की इक्विटी शेयर पूंजी के 100% विक्रय सहित एअर इंडिया एक्सलप्रैस लिमिटेड (एआईएक्सिएल) में एआईएल की 100% शेयरधारिता तथा एअर इंडिया सैट्स एयरपोर्ट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड (एआई सैट्स) में 50% शेयरधारिता के लिए एक्सैप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट आमंत्रित करने के लिए प्रीलिमनरी

इनफॉरमेशन मैमोरेंडम (पीआईएम) को दिनांक 27.01.2020 को पुनः जारी किया गया है। पीआईएम जारी करने के बाद इच्छुक बोलीकर्ताओं से इस संबंध में प्रश्न प्राप्त हुए। इच्छुक बोलीकर्ताओं द्वारा उठाए गए प्रश्नों पर स्पष्टीकरण जारी कर दिया गया है। तथापि कोविड 19 से उत्पन्न मौजूदा स्थिति को देखते हुए ईओआई जमा कराने की अंतिम तिथि 14.12.2020 तक बढ़ा दी गई है। इसी प्रकार जिस तिथि तक अर्हता प्राप्त इच्छुक बोलीकर्ताओं को सूचना दी जानी थी, उसे 05.01.2021 तक बढ़ा दिया गया है। इसके पश्चात अर्हता प्राप्ति बोलीकर्ताओं को अपनी वित्तीय बोली प्रस्तुत करने का समय दिया जाएगा।

11.7 स्टार एलाइंस

एअर इंडिया 11 जुलाई, 2014 को स्टार एलायंस की सदस्य बनी। 26 एलायन्स सदस्यों वाली स्टार एलायन्स 19000 दैनिक प्रस्थान ऑफर करती है। 5000 विमानों का संयुक्त विमान बेड़ा पूरे विश्व में 195 देशों में 1300 गंतव्यों के लिए उड़ान भरता है और हमें विशाल ग्लोबल एयरलाइन एलायंस बनाता है। एअर इंडिया के लिए स्टार एलायंस के सदस्य बनने हेतु इसकी कोर वैल्यू प्रक्रियाओं तथा मानको के अनुरूप अपने को तैयार करना आवश्यक था जिसके तहत बेहतर प्रक्रियाओं को अपनाते हुए उच्च सेवा मानकों के लिए अपनी प्रतिबद्धता को सुनिश्चित करने के साथ–साथ पूरे विश्वभर में संपर्क प्रदान करना अपेक्षित था।

स्टार वाहकों द्वारा प्रचालित उड़ानों से यात्रा करने वाले सभी यात्री निम्नलिखित लाभ प्राप्त करते हैः

- स्टार एलाइंस नेटवर्क में समन्वित शेड्यूल से यात्रियों के प्रतीक्षा समय में कमी।
- यात्री सेवाओं में वृद्धि एवं सुखद यात्रा अनुभव। निर्बाध स्थानांतरण एवं कोड शेयरिंग उड़ानों के फलस्वरूप विश्वभर में उड़ानों के अनेक विकल्प उपलब्ध और स्टार एलायंस सदस्य एयरलाइनों के राजस्व में वृद्धि।
- एलाइंस यात्रियों को सिल्वर या गोल्ड स्टेटस के लाभ पूरे एलाइंस में उपलब्ध कराता है। स्टार एलाइंस के पूरे नेटवर्क में यात्री के स्टेटस को विश्वभर में मान्यता दी जाती है।
- फ्रीक्वेंट फ्लायर प्रोग्राम के अंतर्गत अधिक लाभ जिसके तहत यात्री स्टार एलाइंस नेटवर्क की सदस्य एयरलाइनों पर क्वालीफाइंग उड़ानें लेकर अधिक फ्रीक्वेंट फ्लायर माइल्ज अर्जित कर सकते हैं। अर्जित प्वाइंट्स को किसी भी स्टार एलायंस सदस्य एयरलाइन पर रिडीम करने की सुविधा उपलब्ध है।
- स्टार एलाइंस गोल्ड सदस्यों को विश्व में 1000 से अधिक लाउंज की सुविधा उपलब्ध है तथा वे अधिक बैगेज छूट, चैक–इन में प्राथमिकता, प्रतीक्षा–सूची में प्राथमिकता तथा प्राथमिकता के आधार पर बोर्डिंग सुविधा पाने के पात्र हैं।

ब्रांड वेल्यू के अतिरिक्त एलाइंस के वाहक सदस्यों को विभिन्न अन्य फीचर्स के माध्यम से भी लाभ प्राप्त होते हैं। एअर इंडिया के स्टांर एलायंस से जुड़ने से यात्री राजस्व / संख्या, फ्रिक्वेंट फ्लायर लाभों, कोड–शेयर व्यवस्थाओं के संदर्भ में एअर इंडिया के निष्पादन में वृद्धि हुई है और हम स्टार एलायंस राउंड द वर्ल्ड फेयर्स और कॉरपोरेट प्लस एग्रीमेंटस जैसे उन विभिन्न उत्पादों (प्रोडक्सन) के लाभों का उपयोग कर रहे हैं जो स्टार एलायंस जैसे प्रतिष्ठित एलायंस का सदस्य होने के नाते ऑफर किए जा सकते हैं।

वर्तमान वैश्विक महामारी की अवधि के दौरान 26 सदस्य एयरलाइंस निम्नलिखित 6 स्वास्थ्य तथा स्वच्छता सुरक्षा मानदंडों के लिए प्रतिबद्ध है।

- मानार्थ स्वच्छता सुविधाएं
- यात्रियों के लिए फेस मास्क की आवश्यकता
- सुरक्षा संकेत तथा उदघोषणाएं
- विमान की गहन सफाई तथा व्यक्तिगत डिस्इंफेक्शन में वृद्धि
- क्रू के लिए सुरक्षात्मक उपकरण
- यात्रियों में लक्षण दिखाई देने पर विशेष प्रक्रिया

11.8 एअर इंडिया वेबसाइट/इंटरनेट बुकिंग इंजन(आईबीई)

एअर इंडिया वेबसाइट विश्वभर की 29 स्थानीय मुद्राओं में बुकिंग भुगतान स्वीकार करती है। एअर इंडिया वेबसाइट, फेसबुक तथा ट्विटर हैंडल के माध्यम से सोशल मीडिया से भी जोड़ती है। एअर इंडिया वेबसाइट दिव्यांगजनों के प्रयोग के अनुकूल है। रीअल टाइम इंटीग्रेशन के माध्यंम से स्टार एलाइंस की सदस्य एयरलाइनों पर एअर इंडिया की वेबसाइट के माध्यम से फ्रीक्वेंट फ्लायर कार्यक्रम के माइल्स के उपयोग की अनुमति है। भुगतान की सुविधा को डिजिटल वॉलेट जैसे पेटीएम, मोबीक्विक, पेपाल, फोनपे, ईजीक्लिक, जियोमनी, भीम यूपीआई पेटीएम आदि के साथ भी जोड़ा गया है। चयनित क्रेडिट कार्डो पर ईएमआई विकल्प भी उपलब्ध है।

एअर इंडिया ने वेबसाइट को प्रतिस्पर्धी विक्रय चैनल बनाने के लिए नवीकृत किया है।

- नेटवर्क राजस्व मे वेब राजस्व का योगदान चालू वित्त वर्ष के दिसम्बर 2020 तक 31% है जबकि पिछले वर्ष में यह 13% था। अप्रैल–दिसम्बर, 2020 की अवधि के लिए राजस्व वेब के लिए 2666 करोड़ रुपए था जबकि पिछले वर्ष इसी अवधि के लिए यह 2341 करोड़ रुपए था जो कि 14% वृद्धि है। हालांकि यह महत्वपूर्ण है कि एयरलाइन के कुल राजस्व में इस वर्ष महामारी की स्थिति के कारण गिरावट आई है। एयरलाइन द्वारा यात्रियों के साथ सामाजिक दूरी और संपर्क हीन बातचीत सुनिश्चित करने के लिए ऑनलाइन बिक्री को बढ़ावा देने के लिए सभी प्रयास किए गए हैं।
- संपर्क हीन चैक–इन तथा यात्रियों को बेहतर उपयोग अनुभव प्रदान करने के लिए एअर इंडिया ने वेब चैक–इन तथा मोबाइल चैक–इन प्रक्रिया को प्रवाह पूर्ण बनाते हुए अपग्रेड किया है। संपर्क हीन चैक–इन में गत वर्ष की तुलना में वृद्धि हुई है। दिसम्बर, 2020 तक गत वर्ष 30% की तुलना में संपर्क हीन चैक–इन 85% हो गए।

- एअर इंडिया ने विज्ञापनों के माध्यम से राजस्व अर्जित करने तथा सहायक राजस्व को बढ़ाने के लिए गूगल एंडसेंस को एकीकृत किया है।
- सीट चयन अतिरिक्त सामान और अपग्रेड जैसे अन्य सहायक राजस्व विकल्प पहले से ही उपलब्ध हैं।
- एअर इंडिया वेबसाइट के माध्यम से फ्रीक्वेंट फ्लायर प्रोग्राम से संबंधित माइल्स रिडीम कराने की सुविधा रीयल टाइम इंटीग्रेशन द्वारा सभी स्टार वाहकों पर अनुमत की गई है।
- वेबसाइट के लिए नए होम पेज की डिजाइनिंग प्रक्रियाधीन है तथा यह फरवरी, 2021 तक तैयार हो जाएगा।
- एअर इंडिया बुकिंग इंजन के निर्बाध उपयोग के लिए एअर इंडिया इस वर्ष में निम्नलिखित संवर्धन को सक्षम करने की प्रक्रिया में है–
  - i. फेयर लॉक (निर्धारित समय के लिए निश्चित राशि पर सीट ब्लॉक करना
  - ii. यातायात बीमा
  - iii. ए आर आर (ऑटोमेटेड रिफंड तथ रि–इशु करने) मॉड्यूल तैयार है तथा अनुसूचित उड़ानों के चालू हो जाने के बाद इसे लाइव किया जाएगा।
  - iv. एयरलाइन एजेन्सी मॉड्यूल (ए 2 ए)
- वैश्विक महामारी के चलते तथा 100% वेब चेक–इन के लिए आवश्यकता के कारण।

11.8.1 एअर इंडिया मोबाइल ऐप

- एअर इंडिया ने 24 अक्तूबर, 2016 को अपने नए और बेहतर मोबाइल ऐप को लॉन्च किया जो कि एंड्रॉइड और आई ओ एस प्लेटफॉर्म दोनो पर विश्व भर में कही भी एअर इंडिया की उड़ानों में शीघ्र, आसान और सुविधाजनक बुकिंग के लिए है।
- वित्त वर्ष 2020–21 में एअर इंडिया मोबाइल ऐप द्वारा राजस्व 244 करोड़ रूपए था (31 दिसम्बर 2020 तक) पिछले वर्ष की तुलना में 33% की वृद्धि (01 अप्रैल 2019 से 31 दिसम्बर 2020 तक)।
- एअर इंडिया की वेबसाइट के माध्यम से औसत यात्री वहन राजस्व कुल यात्री राजस्व का लगभग 3% है।
- यात्री एअर इंडिया द्वारा प्रचालित सभी उड़ानों के लिए चेक–इन कर सकते है। नए मोबाइल ऐप का कुल डाउन लोड 3.89 मिलियन प्लस है। एअर इंडिया मोबाइल ऐप पर आप एफ एफ पी प्वाइंट्स भी रिडीम कर सकते है।
- एअर इंडिया मोबाइल ऐप को अपग्रेड करने के लिए लगातार प्रयास कर रही है।
- मोबाइल एप में ऑटोमेटेड री–इश्यू तथा रिफंड (ए आर आर) मॉड्यूल एक बार शेड्यूल उड़ान प्रचालन शुरू होते ही लाइव होने के लिए तैयार है।

11.9 विमान बेड़ा

एअर इंडिया	
विमान प्रकार	**संख्या**
ए 319	21
ए 320	36
ए 321	20
एयरबस फैमिली	77
बी 777	18*
बी 747	04
बी 787–800	27
कुल एअर इंडिया	**126**
एअर इंडिया एक्सप्रेस	
बी 737–800	24
कुल एअर इंडिया एक्सप्रेस	**24**
एलाइंस एअर	
एटीआर 72	18
एलाइंस एअर कुल	**18**
कुल विमान एआई ग्रुप	**168**

11.9.1 विमान बेड़े की उपयोगिता तथा प्रेषण विश्वसनीयता

दिसम्बर, 2020 में एअर इंडिया लि. के नैरो बॉडी विमान बेड़े की विमान बेड़ा क्षमता तथा तकनीकी प्रेषण विश्वसनीयता निम्नानुसार हैः–

प्रकार	टीडीआर (%) विमान बेड़ा क्षमता	(दिसम्बर 2020) (दिसम्बर 2020)
ए319	99.36	21
ए320	99.47	36
ए321	99.33	20
ए 320 विमान फैमिली	99.42	77
बी747	100	04
बी777	97.21	18*
बी 787	97.45	27
बोइंग फैमिली	97.42	49

(*वीटी–ए एल वी तथा वीटी–ए एल डब्यूनु में भी शामिल जो एस ई एस एफ विमान हैं।)

11.10 वंदे भारत मिशन

कोविड–19 वैश्विक महामारी के मद्देनजर विदेशों में फंसे और परेशान भारतीयों को घर वापस लाने की तत्काल आवश्यकता थी। भारत में अनुसूचित उड़ानों के निलंबन के बाद एअर इंडिया ने विदेशों में फंसे यात्रियों को घर लाने की चुनौती स्वीकार की। भारत में फंसे विभिन्न राष्ट्रीयताओं के कई व्यक्तियों को भी अपने देशों में वापस जाने की आवश्यकता थी। एअर इंडिया को इस उद्देश्य के लिए विभिन्न देशों के लिए उड़ान भरने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी।

I. एअर इंडिया ने 31.01.2020 को वुहान, चीन में फंसे हुए छात्रों को घर वापस लाने के लिए पहली इवेक्युवेशन उड़ान के साथ शुरू किया, जिसके बाद 02.02.2020 को दूसरी उड़ान भरी गई। इन दो उड़ानों में 647 फंसे हुए भारतीयों को वापस लाया।

II. एअर इंडिया ने वंदे भारत मिशन के 7वें चरण (सातवां चरण 01.11.2020 से प्रारंभ हुआ) में 54 देशों में 76 गंतव्यों के लिए भारत से 07.05.2020 से 20.12.2020 तक 11971 उड़ानें भरी हैं। इस दौरान एअर इंडिया ने 972930 यात्रियों को विदेश के विभिन्न स्थानों से भारत और 603739 यात्रियों को भारत से विदेशी गंतव्यों तक पहुंचाया है।

III. 07 मई, 2020 से अब तक अर्थात् 31 दिसम्बर, 2020 तक एअर इंडिया समूह की (एअर इंडिया तथा एअर इंडिया एक्सप्रेस) ने 6392 उड़ानें प्रचालित की हैं और 10,38,572 भारतीयों को वापस लाया गया है।

- एअर इंडिया द्वारा वंदे भारत उड़ानों से 54 देशों में 76 शहरों को कवर किया गया है।
- विदेश में फंसे हुए भारतीयों को भारत के 17 राज्यों के 28 शहरों में लाया गया।
- एअर इंडियाः 2922 उड़ानों से 5,06803 भारतीयों को लाया गया।
- एअर इंडिया एक्सप्रेसः 3470 उड़ानों से 5,31,769 भारतीयों को लाया गया।

चरण	अवधि	उड़ानों की संख्या	यात्रियों की संख्या
1.	07 मई–16 मई (10 दिन)	64	12, 708
2.	16 मई–13 जून (29 दिन)	325	59,576
3.	09 जून–03 जुलाई (25 दिन)	455	89,243
4.	01 जुलाई–31 जुलाई (31दिन)	640	1,14,602
5.	01 अगस्त0–31 अगस्त (31 दिन)	738	1,23,773
6.	01 सितम्बर–31 सितम्बर (61 दिन)	1798	2,50,425
7.	01 नवम्बबर–31 दिसम्बर (61 दिन)	2372	3,88,245

11.11 एअर बबल व्यरवस्था

क्रम सं.	देश	शहर	प्रचालक	एयर बबल डाटा समझौते का	कुल
1	संयुक्त अरब अमीरात	अबूधाबी	एअर इंडिया ग्रुप		1032
		दुबई	एअर इंडिया ग्रुप		2583
		रस अल खम्माह	एअर इंडिया ग्रुप	09–जुलाई–20	4
		सालालाह	एअर इंडिया ग्रुप		49
		शारजाह	एअर इंडिया ग्रुप		762
			कुल		**4430**
2	फ्रांस	पेरिस	एअर इंडिया ग्रुप	13–जुलाई–20	97
3	जर्मनी	फ्रेंकफर्ट	एअर इंडिया ग्रुप	13–जुलाई–20	228
4	संयुक्त राज्य अमेरिका	शिकागो	एअर इंडिया ग्रुप		238
		नेवार्क	एअर इंडिया ग्रुप		222
		न्यूयार्क	एअर इंडिया ग्रुप		138
		सेन फ्रांसिस्कोप	एअर इंडिया ग्रुप	16–जुलाई–20	212
		वाशिंगटन	एअर इंडिया ग्रुप		138
			कुल		**948**
5	ब्रिटेन	लंदन	एअर इंडिया ग्रुप		764
		बरमिंघम	एअर इंडिया ग्रुप	27–जुलाई–20	26
			कुल		790

6	कनाडा	वेंकुवर	एअर इंडिया ग्रुप	04–अगस्त–20	94
		टोरंटो	एअर इंडिया ग्रुप		194
			कुल		288
7	बहरीन	बहरीन	एअर इंडिया ग्रुप	10–अगस्त–20	278
8	मालद्वीप	माले	एअर इंडिया ग्रुप	12–अगस्त–20	36
9	कतर	दोहा	एअर इंडिया ग्रुप	13–अगस्त–20	254
10	अफगानिस्तान	काबुल	एअर इंडिया ग्रुप	26–अगस्त–20	30
11	जापान	नारिता	एअर इंडिया ग्रुप	16–सितम्बर–20	28
12	नाइजीरिया	लागेस	एअर इंडिया ग्रुप	17–सितम्बर–20	14
13	इराक	एनए	एअर इंडिया ग्रुप	17–सितम्बर–20	0
14	भूटान	एनए	एअर इंडिया ग्रुप	19–सितम्बर–20	0
15	केन्याड	नैरोबी	एअर इंडिया ग्रुप	28–सितम्बर–20	20
16	ओमान	मस्कइट	एअर इंडिया ग्रुप	01–अक्तूबर–20	642
			कुल योग	8083	

11.12 वंदे भारत मिशन की क्षेत्रवार स्थिति

क्षेत्र	**उड़ान का प्रकार**	**प्रचालनों की संख्या**	**वहन किए यात्रियों की संख्या**
अफ्रीका	इनबाउंड	41	7557
	आउडबाउंड	42	4882
ऑस्ट्रेलिया तथा न्यूजीलैंड	इनबाउंड	74	12663
	आउडबाउंड	74	7575
पूर्व एशिया	इनबाउंड	80	12925
	आउडबाउंड	81	9094
यूरोप तथा यूके	इनबाउंड	821	139467
	आउडबाउंड	822	106969
मध्य पूर्व (एआई)	इनबाउंड	928	135846
	आउडबाउंड	931	50571
मध्य पूर्व (आईएक्सज)	इनबाउंड	3205	487882
	आउडबाउंड	3211	283565
दक्षिण एशिया	इनबाउंड	95	11763
	आउडबाउंड	94	5648
दक्षिण पूर्व एशिया (एआई)	इनबाउंड	116	20504
	आउडबाउंड	116	9361
दक्षिण पूर्व एशिया (आईएक्सए)	इनबाउंड	359	56974
	आउडबाउंड	359	16275
यूएसए तथा कनाडा	इनबाउंड	828	175541
	आउडबाउंड	824	190453

नोटः दिनांक 04 जनवरी 2021 तक

11.12.1 कोविड 19 की महामारी के दौरान कार्गो प्रचालन

एअर इंडिया ने 26 मार्च–31 मई, 2020 के बीच अपने संपूर्ण घरेलू नेटवर्क में 195 लाइफ लाइन उड़ान फ्लाइट्स का प्रचालन किया तथा लगभग 429 टन कार्गो (प्रमुख रूप से चिकित्सा संबंधी उपकरण/सप्लाई) का वहन किया। साथ ही, 04 अप्रैल–06 अगस्त, 20 के बीच चीन (शंघाई, गुआंगहौप, डेलियन, हांगकांग) से 126 अंतरराष्ट्रीय चार्टरों को प्रचालित किया गया जिसके द्वारा लगभग 3590 टन कार्गो का परिवहन किया गया। इन चार्टरों में मुख्य रूप से आवश्यक चिकित्सा उपकरणों तथा पीपीई किटों को भारत में लाया गया।

यात्रियों द्वारा यात्रा कम करने तथा कार्गो वहन हेतु उपलब्ध अधिशेष क्षमता को ध्यान में रखते हुए एआई ने कुछ उच्च मांग वाले सेक्टरों पर केवल कार्गो उड़ानों को आरंभ किया है। 01 अगस्त–24 दिसम्बर, 2020 के बीच हमने दिल्ली–सियोल–दिल्ली/दिल्ली– सियोल–चेन्नै–दिल्ली सेक्टरों पर 24 केवल कार्गो उड़ानों का प्रचालन किया जिसमें 655 टन कार्गो का वहन किया गया साथ ही, 01 अगस्त–28 दिसम्ब़र के बीच बैंकॉक–दिल्ली/बैंकॉक–मुम्बई सेक्टरों पर लगभग 55 कार्गो चार्टरों का प्रचालन किया गया जिसमें कुल 1186 टन कार्गो का वहन किया गया। इनके अलावा, घरेलू बाजार की आवश्यकता पूरी करने तथा अगरतला तथा इम्फाल के दूर दराज के शहरों तक अधिक आवश्यकता वाले सामान/नाशवान वस्तुएं उपलब्ध करने के लिए कोलकाता–अगरतला–इम्फाल–कोलकाता सेक्टरर तथा चेन्नै–पोर्टब्लेयर– चेन्नै सेक्टर पर भी अनुसूचित कार्गो उड़ानों का प्रचालन किया गया। कम लोड/इन उड़ानों को जारी रखने के लिए मांग को देखते हुए बाद में इन उड़ानों को बंद कर दिया गया।

उल्लेखनीय है कि इन कार्गो उड़ानों पर क्षमता उपयोग/राजस्व अर्जन को अधिकतम करने के लिए यात्री केबिन में भी कार्गो को वहन करने के लिए डीजीसीए से विशेष अनुमति प्राप्त की गई, यदि आवश्यक हो तो संपूर्ण ए आई नेटवर्क के सभी संबंधितों को इसके लिए एसओपी भी भेज दी गई हैं।

11.12.2 एअर इंडिया का उत्तर–पूर्व के लिए मौजूदा प्रचालन

मार्ग	फ्रीक्वेंसी/सप्ताह	विमान
कोलकाता–डिब्रुगढ़–कोलकाता	4 उड़ानें प्रति सप्ताह	ए 319
कोलकाता–दीमापुर–कोलकाता	3 उड़ानें प्रति सप्ताह	ए 319
कोलकाता–इम्फाल–आइजल एवं वापसी	2 उड़ानें प्रति सप्ताह	ए 319
कोलकाता–आइजल–कोलकाता	1 उड़ान प्रति सप्ताह	ए 320
बेंगलूरू–गुवाहाटी–बेंगलूरू	3 उड़ानें प्रति सप्ताह	ए 319
कोलकाता–गुवाहाटी–कोलकाता	4 उड़ानें प्रति सप्ता्	ए 319
कोलकाता–अगरतला–कोलकाता	7 उड़ानें प्रति सप्ताह	ए 319/ए 320
कोलकाता–सिल्चर–कोलकाता	3 उड़ानें प्रति सप्ताह	ए 319
दिल्ली–इम्फाल एवं वापसी	7 उड़ानें प्रति सप्ताह	ए 320
दिल्ली–गुवाहाटी–दिल्ली	6 उड़ानें प्रति सप्ताह	ए 320/ए 319
दिल्ली–डिब्रूगढ़ एवं वापसी	3 उड़ानें प्रति सप्ताह	ए 320

7.12.3 वर्ष 2020–21 के दौरान आरंभ की गई नई उड़ानें/गंतव्य

घरेलू

क्रम सं.	सेक्टर	प्रभावी तिथि
1.	दिल्ली–अहमदाबाद–वडोदरा–दिल्ली	11 जुलाई 2020
2.	हैदराबाद–जयपुर–अहमदाबाद–हैदराबाद	11 जुलाई 2020
3.	हैदराबाद–देहरादून–बेंगलूरू–हैदराबाद	15 जुलाई 2020
4.	हैदराबाद–बेगूलरू–देहरादून–हैदराबाद	19 जूलाई 2020
5.	बेंगलूरू–पटना–बेंगलूरू	01 अगस्त 2020
6.	बेंगलूरू–लखनऊ–दिल्ली	01 अगस्त 2020
7.	दिल्ली–पुणे–अहमदाबाद–दिल्ली	10 अगस्त 2020
8.	दिल्ली–सूरत–गोवा	06 सितम्बर 2020
9.	गोवा–सूरत–गोवा	06 सितम्बर 2020
10.	हेदराबाद–सूरत–हैदराबाद	06 सितम्बर 2020
11.	दिल्ली–सूरत–कोलकाता	09 सितम्बर 2020
12.	कोलकाता–सूरत–भुवनेश्वर	09 सितम्बर 2020
13.	बेंगलूरू–जयपुर–बेंगलूरू	15 सितम्बर 2020
14.	बेंगलूरू–पुणे–बेंगलूरू	16 सितम्बर 2020
15.	दिल्ली–लखनऊ–देहरादून–दिल्ली	16 अक्तूबर 2020
16.	बेंगलूरू–मंगलूरू–बेंगलूरू	26 अक्तूबर 2020
17.	दिल्ली–डिब्रुगढ़–दिल्ली	28 दिसम्बर 2020

11.13 एअर इंडिया में प्रत्येक ग्रुप में अनु.जाति/अनु.ज. जाति/ओबीसी का प्रतिनिधित्व– नियमित कर्मचारी 01.12.2020 को

ग्रुप	कर्मचारियों की कुल संख्या	अनु.जाति का कुल प्रतिनिधित्व	प्रतिशत (%)	अनु.ज.जाति का कुल प्रतिनिधित्व	प्रतिशत (%)	ओबीसी का कुल प्रतिनिधित्व	प्रतिशत (%)
ए	सबसे निचले स्तर के अलावा	2992	524	17.51	207	6.91	2157.18
ए1	सबसे निचला स्तर	1583	265	16.74	127	8.02	382.40
बी		2175	359	16.50	166	7ण63	31714.57
सी		70	09	12.85	08	11.42	0710.00
डी	सफाई कर्मचारियों को छोड़कर	1161	360	31.00	94	8.09	837.14
डी1	सफाई कर्मचारी	389	229	58.86	16	4.11	164ण11
	कुल	**8370**	**1746**	**20.86**	**618**	**7.38**	**6768.07**

11.13.1 महिला कल्याण

एअर इंडिया विश्व के उन कुछ संगठनों में से है जो उच्च कौशल वाले व्यवसाय जैसे फ्लाइंग या विमान की मेंन्टेनेंस के लिए महिला कर्मचारियों को नियुक्त करती हैं। वर्तमान में कुल 04 कार्यकारी निदेशकों में से 02 महिला कार्यकारी निदेशक हैं। इसके अतिरिक्त कुल 14 कार्यपालक निदेशकों में से 06 महिला कार्यपालक निदेशक हैं। इसके अलावा एअर इंडिया में कुल 45 महाप्रबंधकों में से 11 महिला महाप्रबंधक हैं। 01.12.2020 के अनुसार सहायक कंपनियों को छोड़कर एअर इंडिया की कार्मिक शक्ति में 8370 स्थायी कर्मचारी हैं जिनमें से 2500 महिला कर्मचारी हैं जो कुल कार्मिक शक्ति का 29.86% है। इनमें से 116 महिला कार्यपालक तथा 142 महिला पायलट (16 कार्यपालक पायलटों सहित) हैं।

कंपनी कार्यस्थल पर महिला कर्मचारियों की विशेष आवश्यकताओं का ध्यान रखती है जिसमें सुरक्षित कार्य वातावरण, विश्राम कक्ष, यात्रा भत्ता, स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं तथा छुट्टियां और अन्य लाभ सम्मिलित हैं। एयरपोर्टों और प्रचालनात्मक क्षेत्रों में रात्रि शिफ्टों में कार्य करने वाली महिला कर्मचारियों को निवास स्थान से कार्यस्थल तक पिक–अप एंड ड्रॉप सुविधा प्रदान की जाती है।

कार्यस्थल पर महिला यौन उत्पीड़न (रोकथाम, प्रतिबंध तथा निवारण) अधिनियम, 2013 के अनुपालन में कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की रोकथाम के लिए एक मकेनिज्म है जिसे एअर इंडिया में लागू किया गया है। एअर इंडिया लिमिटेड की महिला कर्मचारियों में यौन उत्पीड़न की रोकथाम तथा शिकायतों की जांच के लिए शिकायत समिति का गठन कार्यपालक निदेशक की अध्यक्षता में निगमित मुख्यालय स्तर पर तथा सभी क्षेत्रों में किया गया है।

एअर इंडिया महिलाओं के स्वास्थ्य की देखभाल के लिए सकारात्मक और स्वास्थ जीवन के लिए विशेष कार्यक्रमों का आयोजन करती है जोकि संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ/डॉक्टरों द्वारा आयोजित किए जाते हैं। चिकित्सा सेवा विभाग भी महिला कर्मचारियों के लाभ के लिए विभिन्न स्पेशल हैल्थ चैक्स तथा स्वास्थ्य के मामलों से संबंधित लैक्चरों का आयोजन कराता है। जेंडर सेंसिटाइजेशन तथा कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, प्रतिबंध तथा निवारण) अधिनियम, 2013 पर कार्यक्रम का भी आयोजन अखिल भारतीय स्तर पर किया जा रहा है।

एअर इंडिया प्रशासनिक तथा वाणिज्यिक क्षेत्रों के साथ–साथ नियमित रूप से विभिन्न प्रकार की गतिविधियों में महिला विकास का समर्थन करती है। विशेषीकृत तकनीकी क्षेत्रों की हैंडलिंग महिलाओं द्वारा कराए जाने को प्रोत्साहित करने के लिए एअर इंडिया पहली एयरलाइन रही है। प्रतिवर्ष 8 मार्च को महिला दिवस का आयोजन किया जाता है तथा बहुत सारे इंटरएक्टिव कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं जो ज्ञान में वृद्धि करते हैं तथा एयरलाइन्स में महिलाओं की उपलब्धियों के गौरव को भी प्रकट करते हैं। वार्षिक आधार पर, महिला पायलटों, महिला केबिन क्रू, गुणवत्ता एवं सुरक्षा ऑडिटर्स, महिला सिम्युचलेटर इंजीनियरों, विमान को प्रमाणित करने वाली इंजीनियरों तथा उड़ानों को रिलीज करने वाली महिला फ्लाइट डिस्पैचर्स सहित सभी महिला क्रू उड़ानों (ऑल वूमेन क्रू फ्लाइट) के साथ महिला दिवस मनाया जाता है।

11.14 प्रदूषण नियंत्रण

एअर इंडिया में निगमित पर्यावरणीय कक्ष स्थापित है। इस पर्यावरणीय कक्ष में क्वाइलीफाइड और प्रोफेशनल एक्ससपरटाइज वाली टीम मौजूद है। यह टीम विशेष रूप से पर्यावरण के संरक्षण एवं सुरक्षा से संबंधित सभी मामलों को देखती है। एअर इंडिया अपने 'पर्यावरणीय कक्ष' के माध्यम से सभी लागू नियमों और विनियमों का पालन करती है और अपने पर्यावरण संबंधी निष्पादन में सुधार के लिए आवधिक रूप से अपनी पॉलिसी की समीक्षा द्वारा आवश्यकताओं से अधिक अनुपालन करने का प्रयास करती है।

एअर इंडिया ने प्रदूषण को कम करने और पर्यावरण की रक्षा करने के लिए विभिन्न कार्यक्रम कार्यान्वित किए हैं जिनमें फ्यूल एफिशिएंसी गैप एनालिसिस प्रोग्राम (एफईजीए), शोर को कम करने संबंधी प्रक्रियाएं, वेस्ट प्रबंधन, पर्यावरण जागरूकता, फ्लाइट प्लानिंग सिस्टोम, इलैक्ट्रॉनिक दस्तावेज प्रबंधन प्रणाली (डीएमएस), नई तकनीक के विमान बेड़े का आगमन तथा तकनीक में निवेश इत्यादि सम्मिलित है।

11.15 अवार्ड एवं उपलब्धियां:

स्वच्छ भारत पखवाड़े के दौरान उत्कृष्ट कार्य करने के लिए एअर इंडिया को मार्च 2020 में विंग्सा इंडिया 2020 में ''स्वच्छ भारत अवार्ड'' प्रदान किया।

11.16 डिजि़टलाइजेशन

- कोविड 19 के दौरान यात्रियों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए एअर इंडिया ने अपने एयरपोर्ट एस ओ पी में संशोधन किया ताकि जहां तक संभव हो यात्री के साथ संपर्क हीन इन्टरेक्शन किया जा सके। इस उद्देश्य के लिए डिजिटलाइजेशन पर ज्यादा जोर दिया तथा यात्रियों को ऑनलाइन टिकट बुक तथा चैक–इन करने के लिए प्रोत्साहित किया गया।
- संपर्क हीन चैक इन प्रतिशत पिछले वर्ष के 34% से बढ़कर चालू वित्त वर्ष में 85% हो गया।
- वेब़ मोबाइल ऐप सेल्स पिछले वर्ष के 14% से बढ़कर चालू वित्त वर्ष में 43% हो गया।

11.16.1 यात्री पहल सेवा

- यात्री की सुविधा के लिए यह सुनिश्चित किया गया था कि पूरे लॉकडाउन अवधि के दौरान हैल्पडेस्क नंबर ऑपरेशनल रहे तथा घर से कार्य करने के लिए कर्मचारियों को सहायता प्रदान करने के लिए आवश्यक आधारभूत आवश्यकताएं प्रदान की गई थी। कोविड पूर्व की अवधि में 11500 कॉल्स प्रति दिन की तुलना में कोविड पश्चात की अवधि में औसतन 15000 कॉल्स प्रति दिन के उत्तर दिए गए।
- अपने प्रश्न तथा शिकायतों को लॉज करने के लिए यात्री के लिए वेबसाइट पर सुविधा प्रदान की गई।
- बेहतर यात्री सेवा प्रदान करने तथा वॉइस कॉल निर्भरता को कम करने के लिए चैट एंड चैट बॉट को तैनात किया गया।

वर्तमान कैलेंडर वर्ष (01.01.2020–28.12.20) में, कुल 5748 लोक शिकायतें प्राप्त हुई तथा कुल 5356 लोक शिकायतों का निवारण किया गया।

11.17 दिव्यांगजन तथा कम मोबिलिटी वाले व्यक्तियों को सुविधाएं

एअर इंडिया आई सी ए ओ तथा आई ए टी ए के अंतर्गत वर्णित अंतरराष्ट्रीय मानकों एवं दिशा–निर्देशों के अनुसार हवाई यात्रा करने वाले दिव्यांग यात्रियों की आवश्यकताओं के प्रति संवेदनशील है। डीजीसीए द्वारा ''कैरिज बाय एयर–पर्सन्स विद डिसेबिलिटी एंड/ऑर पर्सन्स विद रेडूज्ड मोबिलिटी'' पर नोटिफाइड सी ए आर, सेक्त्ता 3 सीरिज एम पार्ट–I, इश्यू III,आर ई वी 4 दिनांक 12 जुलाई, 2016 का अनुपालन करती है।

एअर इंडिया 26 सदस्य एयरलाइनों के संगठन स्टार एलायंस की भी सदस्य है। इन सुविधाओं में रैम्प एक्सेस तथा बुकिंग कार्यालयों में व्हीलचेयर समर्थित एक्सेस तथा यात्रियों की हैंडलिंग में प्राथमिकता सम्मिलित है। एअर इंडिया ऐसे एयरपोर्टों पर परिचालन करती है जो दिव्यांगजनों के लिए राष्ट्रीय और वैश्विक मानकों वाली सुविधाओं का अनुपालन करते हैं। एअर इंडिया उड़ानों की बुकिंग के समय व्हीलचेयर की मांग को अग्रिम सूचना के आधार पर प्रदान करती है। एअर इंडिया के स्टेशनों पर प्रस्थान, आगमन और ट्रांजिट पर आवश्यकता होने पर एस्कॉशर्ट बोर्डिंग प्रदान की जाती है। एअर इंडिया राष्ट्रीय निर्देशों एवं दिशा निर्देशों के अनुपालन में अपने विभिन्न कार्यालयों में दिव्यांगजनों को रोजगार भी प्रदान करती है। एअर इंडिया तथा इसके ग्राउंड हैंडलर्स एयरपोर्टों पर उपलब्ध आधारभूत सुविधाओं के आधार पर सी ए आर में निर्दिष्टारनुसार दिव्यांगजनों तथा कम मोबिलिटी वाले यात्रियों को सुरक्षित यात्रा की आवश्यकताओं का अनुपालन करती है।

भारत सरकार की वेबसाइटों के लिए तय दिशा–निर्देशों को पूरा के लिए एअर इंडिया की वेबसाईट www.airindia.in XHTML 1.0 ट्राजिशनल का उपयोग करके डिजाइन किया गया है तथा यह वर्लड वाइड वेब कंसोर्टियम W3C द्वारा निर्धारित वेब कंटेंट एक्सेसिबिलिटी गाइडलाइंस (डब्यू सी ए जी) 2.0 के एए स्तर का पालन भी करती है। अनुपालन स्टेलटमैंट एअर इंडिया की वेबसाइट के होम पृष्ठ ''एक्सेसिबिलिटी स्टेटमैंट'' लिंक के अंतर्गत उपलब्ध है। दिव्यांगजनों तथा कम मोबिलिटी वाले व्यक्तियों के लिए प्रदान की जाने वाली सुविधाओं की जानकारी को एअर इंडिया की वेबसाइट में ''यात्रा संबंधी जानकारी उड़ान भरने से पूर्व–दिव्यांगजनों को सहायता के अंतर्गत देखा जा सकता है।

11.18 सिटिजन चार्टर:

एअर इंडिया का सिटिजन चार्टर इसकी वेबसाइट www.airindia.in पर उपलब्ध है।

12. पवन हंस लिमिटेड

12.1 संगठन

पवन हंस लिमिटेड का निगमन नागर विमानन मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अध्याधीन अक्तूबर, 1985 ('हेलीकॉप्टर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड' के नाम से) तेल एवं गैस क्षेत्र में अपतटीय खनन के उद्देश्य से हेलीकॉप्टर सेवाएं उपलब्ध कराने, पर्वतीय एवं अगम्य क्षेत्रों में प्रचालन करने, यात्रा एवं पर्यटन के प्रोत्साहन के लिए चार्टर उड़ानें उपलब्ध करवाने, विमान अनुरक्षण इंजीनियरों, पॉयलटों हेतु प्रशिक्षण संस्थान स्थापित करने, सीप्लेन का प्रचालन करने, संरक्षा ऑडिट एवं उत्कृष्टिता के क्षेत्र में विशेषज्ञता प्राप्ति संस्थान की स्थापना करने तथा हेलीपोर्टों एवं हेलीपैडों जैसी अवसंरचनों का विकास करने के लिए किया गया था। पवन हंस का पंजीकृत कार्यालय रोहिणी हेलीपोर्ट, नई दिल्ली में स्थित है तथा इसका निगमित कार्यालय नोएडा एवं इसके क्षेत्रीय कार्यालय मुम्बई, नई दिल्ली तथा गुवाहाटी में स्थित हैं।

12.2 पूंजी एवं संगठन संरचना

कम्पनी की प्राधिकृत एवं प्रदत्त शेयर पूंजी क्रमशः 560 करोड़ रुपए तथा 557.482 करोड़ रूपए है। भारत के राष्ट्रपति तथा ओएनजीसी लिमिटेड की शेयरधारिता का अनुपात 51:49 है। 31.3.2020 की स्थिति के अनुसार पवन हंस लिमिटेड निवल सम्पति 970.54 करोड़ रुपए है।

पवन हंस के निदेशक मंडल में एक स्वतंत्र निदेशकों सहित अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक तथा 5 अंशकालिक निदेशक, संयुक्त सचिव–नागर विमानन मंत्रालय, संयुक्त सचिव एवं वित्त सलाहकार, नागर विमानन मंत्रालय, निदेशक (अपतV)–ओएनजीसी तथा एसीएएस (टी एवं एच)–वायु सेना, हैं।

12.3 विमान बेड़ा प्रोफाइल

पवन हंस एशिया के सबसे बड़े हेलीकॉप्टर प्रचालकों में से एक है तथा इसका 43 हेलीकॉप्टरों का पूर्णतः संतुलित अपना प्रचालनात्मक विमान बेड़ा एवं पट्टे पर प्राप्त 2 एएलएच/ध्रूव हेलीकॉप्ट्रों विमान बेड़ा सम्पूर्ण भारत में प्रचालन कर रहा है। पवन हंस द्वारा अपनी स्थापना के पश्चात से अपने बेड़े से 10 लाख से अधिक उड़ान घंटों के प्रचालन तथा 25 लाख लैंडिंग की गई हैं।

31.12.2020 की स्थिति के अनुसार कम्पनी का प्रचालनात्मक विमान बेड़ा निम्नानुसार हैः–

हेलीकॉप्टर प्रकार	हेलीकॉप्टरों की संख्या	औसत आयु (वर्ष)
डॉफिन एसए 365एन	17	33
डॉफिन एएस365 एन3	14	11
बैल्ल –407	3	17
बैल्ल 206एल4	2	25
एएस 350 बी3	2	9
एमआई–172	3	13
एएलएच/ध्रुव (पट्टे पर)	2	14
योग	43	

निदेशक मंडल द्वारा चार डॉफिन एसए365एन हैलीकॉप्टरों, जो 33 वर्ष से भी अधिक पुराने हैं तथा अप्रचलन के कारण काफी समय से ग्राउंड किए गए हैं, के संबंध में ''अक्षम परिसम्पत्ति'' का अनुमोदन प्रदान किया गया है ।

12.4 बेड़ा परिनियोजन

12.4.1 अपतटीय प्रचालन : तेल एवं प्राकृतिक गैस कम्पनी लिमिटेड के अपतटीय प्रचालनों हेतु मुम्बई अतटीय प्लेटफार्म पर स्थित ड्रिलिंग रिग्स तक उनके व्यक्तियों एवं महत्वपूर्ण आपूर्तियों के वहन के लिए पवन हंस द्वारा राउंड द क्लॉक हेलीकॉप्टर सेवाएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं । ओएनजीसी के साथ किए गए करार के अंतर्गत वर्तमान में 7 डॉफिन एन3 हेलीकॉप्टर उपलब्ध करवाए गए हैं, जिनमें से आपात निकासी के उद्देश्य से रात्रि एम्बूलेंस के लिए नियत हेलीकॉप्टर के अलावा मुख्य प्लेटफार्म पर 1 डॉफिन हेलीकॉप्टर रात भर तैनात रहते हैं ।

12.4.2 तटीय प्रचालन : कम्पनी द्वारा मेघालय, मिजोरम, महाराष्ट्र, त्रिपुरा, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, जम्मू व कश्मीर, गृह मंत्रालय, संघ राज्य क्षेत्र दमन एवं दीव, अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह तथा लक्षद्वीप जैसे अनेक राज्य सरकारों को हेलीकॉप्टर सेवाएं प्रदान की जा रही हैं। एनटीपीसी, ऑयल इंडिया लिमिटेड जैसे कारपोरेट्स के लिए तथा चार्टर सेवाओं के लिए भी कम्पनी द्वारा हेलीकॉप्टर सेवाएं उपलब्ध करवाई जाती हैं।

मिजोरम में पवन हंस द्वारा मेडीवेक सॉर्टिज किया और सीरशिप से आइजल तक रोगी सहित 03 परिचर एवं परिवार के सदस्यों को इवाकुवेट किया।

12.4.3 यात्री सेवाएं : पवन हंस द्वारा फाटा से पवित्र श्राइन केदारनाथ के लिए प्रत्येक वर्ष यात्रा सीजन अर्थात मई–जून एवं सितम्बर–अक्टूबर के दौरान हेलीकॉप्टर सेवाएं प्रदान की जाती हैं।

12.5 पवन हंस लिमिटेड में रणनीतिक विनिवेश

भारत सरकार द्वारा पवन हंस लिमिटेड में प्रबंधन नियंत्रण के अंतरण के साथ भारत सरकार की समग्र 51% शेयरधारिता का विनिवेश किए जाने का निर्णय लिया गया है तथा इसके संबंध में प्रक्रिया जारी है।

12.6 नागर विमानन मंत्रालय के साथ समझौता ज्ञापन

लोक उद्यम विभाग की परक्रामण बैठक के पश्चात पवन हंस लिमिटेड़ कम्पनी द्वारा नागर विमानन मंत्रालय के साथ प्रत्येक वर्ष एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जाते हैं । वर्ष 2016–17 के लिए आपकी कम्पनी द्वारा प्रस्तुत की गई निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट के संबंध समझौता ज्ञापन रेटिंग 'बहुत अच्छी ' तथा वर्ष 2017–18 की रिपोर्ट 'अच्छी' आंकी गई थी। पवन हंस लिमिटेड द्वारा नागर विमानन मंत्रालय के माध्यम से लोक उद्यम विभाग (डीपीई) से जारी विनिवेश प्रक्रिया के कारण वर्ष 2018–2019 एवं 2019–2020 के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जाने के प्रति छूट मांगी गई है।

12.7 मानव संसाधन प्रबंधन

31 दिसंबर , 2019 की स्थिति के अनुसार कम्पनी की 689 जनशक्ति की तुलना में 31 दिसंबर, 2020 की स्थिति के अनुसार कम्पनी की कुल 668 (जिनमें 347 स्थाई कर्मचारी तथा 321 संविदारत कर्मचारी है) जनशक्ति हैं, जिनमें 126 पॉयलट, 99 विमान अनुरक्षण इंजीनियर, 59 अधिशासी, 138 तकनीशियन तथा 246 अन्य, तकनीकी एवं गैर तकनीकी कर्मचारी हैं । वर्ष के दौरान कम्पनी में पायलटों की अत्यधिक कमी है। मानव संसाधन विभाग द्वारा पायलटों की सेवाएं प्राप्त करने के लिए अथक प्रयास किए तथा इसके लिए साक्षात्कार / चयन किए जाने के बावजूद भी कमी बनी हुई है।

12.8 संरक्षा उपाय

कम्पनी द्वारा अपने प्रचालनों एवं अनुरक्षण क्रियाकलापों के लिए अनवरत आधार पर संरक्षा को पर्याप्त महत्व प्रदान किया गया है। वैश्विक डोमेन विशेषज्ञों के माध्यम से आवधिक आधार पर तृतीय पक्ष संरक्षा (एसएमएस) ऑडिट करवाए जाते हैं। मैसर्स ब्यूरो वेरिटास द्वारा ऑडिट के पश्चात पवन हंस लिमिटेड का मूल्यांकन ऐसे विधिवत सरंचित संगठन के रूप में किया है, जिसे सक्षम कार्मिकों की पूर्ण संलिप्तता है एवं विधिवत प्रलेखित संरक्षा व्यवस्था हैं।

12.9 वैश्विक महामारी कोविड–19 के दौरान प्रचालन

वित्तीय वर्ष 2019–20 की अंतिम तिमाही के दौरान पूरा विश्व कोविड –19 वैश्विक महामारी की चपेट में आ गया था। इसका बढ़ता प्रभाव मार्च, 2020 के दौरान भारत में दिखाई देने लगा। इस महामारी का सामना करने के लिए भारत सरकार ने 25.3.2020 से देश भर में पूर्ण लॉक–डाउन लागू किया था। इस अवधि के दौरान, कंपनी द्वारा फंसे हुए यात्रियों की निकासी, चिकित्सा बचाव उड़ानें शुरू करने और देश के सबसे दुर्गम एवं अगम्य क्षेत्रों तक कार्गो पहुंचाने के कार्यों के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई गई। इस अवधि के दौरान बचाए गए यात्रियों की संख्या 230 थी। कंपनी के हेलीकॉप्टरों से 271 यात्रियों को एयर लिफ्ट भी किया गया। कंपनी ने 11,241 किलोमीटर की दूरी तय करके 2878 किलोग्राम वजनी कार्गो का वहन भी किया। कंपनी के चालक दल के सदस्यों ने एक माह की अवधि में विस्तारित काल से अधिक समय तक कार्य करके अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया ।

पवन हंस ने लोगों के कोविद सैम्पल और दवाओं को जम्मू से श्रीनगर पहुंचाया

12.10 वित्तीसय निष्पादन

क) वित्तीय परिणाम

(रूपए लाख में)

विवरण	2018–19 राशि	2019–2020 राशि
क) परिचालन से राजस्व	38115.58	34593.16
ख) अन्य आय	3284.00	3088.80
ग) अन्य आय सहित राजस्व	41399.58	37681.96
घ) व्यय		
i) पूर्वावधि समायोजनों सहित प्रचालनात्मक एवं गैर–प्रचालनात्मक व्यय	43091.24	38778.36
ii) मूल्याह्रास एवं परिशोधन	7583.57	8741.76
योग	50675.14	47520.12
ड.) विशिष्ट मदों से पूर्व लाभ / (हानि)	(9275.56)	(9838.16)
च) असाधारण मदें	–	–
समायोजनों के पश्चात लाभ / (हानि)	(9275.56)	(9838.16)
छ) पूर्व वर्ष के आय कर / आस्थगित देयता के लिए प्रावधान	(2916.57)	(7530.05)
झ) कर पश्चात निवल लाभ / (हानि)	(6358.99)	(2308.11)

ख) लाभांश

वर्ष 2019–20 के दौरान हुई हानियों के कारण पवन हंस लिमिटेड द्वारा समीक्षाधीन वर्ष में किसी भी लाभांश का भुगतान नहीं किया गया है।

12.11 नव प्रयास

क्षेत्रीय सम्पर्कता योजना उड़ान के अंतर्गत निम्नालिखित नव व्यवसायों के लिए हाल ही में अनुसरण एवं अंतिम रूप प्रदान किया गया हैः–

पवन हंस लिमिटेड द्वारा क्षेत्रीय सम्पर्कता योजना उड़ान के अंतर्गत निम्नलिखित मार्गों पर परिचालन आरम्भ किया गया :

- शिमला–कुल्लु (सप्ताह में तीन दिन) 13.5.2019 से प्रारम्भ ।
- शिमला – धर्मशाला–शिमला (सप्ताह में तीन दिन) 14.5.2019 से प्रारम्भ ।
- उत्तराखंड के माननीय मुख्यमंत्री तथा माननीय नागर विमानन मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) द्वारा दिनांक 29 जुलाई, 2020 को क्षेत्रीय सम्पर्कता योजना, उड़ान II के अंतर्गत उत्तराखंड में" देहरादून–नई टिहरी–श्रीनगर – गौचर– नई टीहरी – देहरादून " मार्ग के लिए सेवाओं का उद्घाटन किया गया था ।

उत्तगराखंड में क्षेत्रीय सम्पर्कता सेवा–II के अंतर्गत देहरादून–न्यू तिहरी– श्रीनगर–गौचर–श्रीनगर–न्यू तिहरी–देहरादून के लिए हेलीकॉप्टर सेवा का प्रारम्भ ।

12.12 उदयीमान परिदृश्य

पवन हंस भारत की विशालतम हेलीकॉप्टर कम्पनी है तथा इसके प्रचालनात्मक एवं अनुरक्षण मानक उच्चतर श्रेणी के हैं। पवन हंस द्वारा संरक्षा एवं निष्पादन के क्षेत्र में चौमुखी उत्कृष्टता की प्राप्ति के लिए अनवरत प्रयास किए जाते हैं ।

पवन हंस ने प्रथम बार अपना विजन दस्तारवेज "रणनीतिक निगमित योजना:2020" तथा "नई व्यवसाय योजना 2027" का निर्माण किया है। तथापि, प्रस्तावित रणनीतिक विनिवेश को दृष्टिगत यह योजना रणनीतिक प्रक्रिया के चलते फिलहाल लंबित स्थिति में है । तदनुसार, मुख्य योजना के आधार पर एक पंचवर्षीय मध्यातवधि व्यवसाय योजना 2019–2024 प्रक्षेपित की गई है।

12.13 दिल्ली में हेलीपोर्ट / हेलीपैड

पवन हंस द्वारा रोहिणी, दिल्ली में भारत के प्रथम एकीकृत हेलीपोर्ट का विकास एवं प्रचालनात्मक किया गया है ।

पवन हंस ने मार्च, 2020में बंगमपेट हवाई अड्डा, हैदराबाद में नागर विमानन सेक्टर विंग्स इंडिया अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनी और सम्मेलन के दौरान भागीदारी की ।

12.14 स्वच्छ भारत अभियान

पवन हंस ने 1 से 15 नवंबर, 2020 तक की अवधि के दौरान नागर विमानन मंत्रालय द्वारा प्रायोजित स्वच्छ्ता पखवाड़ा मनाया , जो कि पेयजल और स्वच्छता विभाग, जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार के वर्ष 2020 के लिए भारत सरकार के कैलेंडर के अनुसार था । इस अवधि के दौरान कार्यालय में विभिन्न क्रियाकलापों का आयोजन किया गया, जैसे कि स्वच्छता पर जागरूकता पैदा करने के लिए बैनर, पोस्टर, निबंध और स्लोगन लेखन, कचरा प्रबंधन पर कार्यशाला और साथ ही श्रम पदयात्रा और श्रमदान आदि। राजकीय इंटर कॉलेज, सेक्टर –12, नोएडा, (यूपी), में वृक्षारोपण और प्रतियोगिताओं (निबंध और स्लोगन लेखन और ड्राइंग) का आयोजन । इस अवसरों पर ली गई तस्वीरों की झलक साझा की गई।

प्रथम तस्वीर में स्वच्छता पखवाड़ा के दौरान श्रमदान के लिए अग्रसर होने से पूर्व श्री संजीव राजदान, अप्रति, पहंलि (दाई ओर से द्वितीय) सहित पंजाब नेशनल बैंक ,नोएडा शाखा के कार्मिक। द्वितीय तस्वीर में अप्रनि, पहलि सहित एयर कमोडोर टी.ए. दयासागर, कार्यपालक निदेशक (तकनीकी एवं परिचालन) तथा पवन हंस लिमिटेड के अन्य कर्मचारियों का श्रम पदयात्रा और श्रमदान के लिए अग्रसर।

12.15 प्रदूषण के उपशमन के लिए नीतिगत विवरण का कार्यान्वयन

पवन हंस द्वारा दिल्ली तथा मुम्बई में स्थित अपने कार्यालय परिसरों के आसपास वृक्षारोपणों के माध्यम से प्रदूषण मुक्त वातावरण के निर्माण के प्रति प्रयास किए गए हैं।

12.16 महिला कल्याण

कार्यस्थल पर महिलाओं के प्रति लैंगिक प्रताड़ना (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013 के प्रावधानों तथा उसके अध्याधीन निर्मित नियमों के अंतर्गत कम्पनी में कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न के संबंध में निवारण, प्रतिषेध प्रतितोष समिति का गठन किया गया है।

12.17 लोक शिकायत निवारण व्यवस्था में सुधार के लिए किए गए उपाय

पवन हंस द्वारा मुख्यतः ओएनजीसी, राज्य सरकारों तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों इत्यांदि जैसे चयनित ग्राहकों के साथ दीर्घकालिक करार किए जाते हैं। तदनुसार शिकायतों की प्राप्ति न्यूनतम है तथा इनका निवारण निर्धारित समयावधि में उचित रूप से कर लिया जाता है। पवन हंस में किसी भी प्रकार की लोक शिकायत के समाधान के लिए सीपीजीआरएएमएस सहित लोक शिकायत निवारण व्यवस्था स्थापित की गई है। इसके अलावा, लोक शिकायत निवारण व्यवस्था के अंतर्गत प्राप्त होने वाली शिकायतों की प्रक्रिया निगमित कार्यालय में नोडल अधिकारी तथा क्षेत्रों में शिकायत निवारण अधिकारी द्वारा की जाती है।

12.18 (31.12.2020 की स्थिति के अनुसार) अ.जा./अ.जजा. तथा अ.पि.व. का प्रतिनिधित्व

पवन हंस ने विकलांग व्यक्तियों को भी रोजगार दिया है।

संस्था का नाम	कर्मचारियों की कुल संख्यां	योग – अ.जा कर्मचारी	प्रतिशत (%)	योग – अ.जजा कर्मचारी	प्रतिशत (%)	योग – अ.पि.व. कर्मचारी	प्रतिशत (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
पवन हंस	347	62	17.87	32	9.22	31	8.93

12.19 पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए हेलीकॉप्टर सेवाएं

पवन हंस द्वारा मेघालय, मिजोरम, असम, त्रिपुरा तथा सिक्किम सहित अनेक राज्य सरकारों को हेलीकॉप्टर सेवाएं प्रदान की जा रही हैं।

12.20 सतर्कता

कम्पनी में मुख्य सतर्कता अधिकारी की देखरेख में एक सतर्कता विभाग स्थापित किया गया है। केन्द्रींय सतर्कता आयोग द्वारा जारी दिशानिर्देशों का अनुसरण करते हुए ई–निविदा, ई–टिकटिंग, ई–भुगतान तथा फाईल ट्रैकिंग का कार्यान्वयन किया गया है। अधिप्राप्तियों के प्रति पारदर्शिता के सुनिश्चय के लिए पारदर्शिता अंतरराष्ट्रीय भारत के साथ नवंबर, 2011 को सत्यनिष्ठा संधि पर हस्ताक्षर किया गया है। निदेशक मंडल द्वारा कम्पनी के लिए सचेतक नीति अनुमोदित कर दी गई है।

12.21 राजभाषा नीति

विचाराधीन वर्ष के दौरान कम्पनी द्वारा सरकार की राजभाषा नीति के अनुपालन की दिशा में हिन्दी दिवस / पखवाड़ा का आयोजन, हिन्दी कार्यशालाओं का आयोजन (14.09.2020 से 28.09.2020), नकद प्रोत्साहन प्रदान किए जाने तथा राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3(3) एवं राजभाषा नियम, 1976 का अनुपालन किए जाने जैसे महत्वपूर्ण कार्यान्वयन किए गए हैं। इसके अलावा, अपने अधिकांश कार्य का निष्पादन राजभाषा में किए जाने को मान्यता प्रदान करने के तौर पर पवन हंस को नागर विमानन मंत्रालय से वर्ष 2020 के लिए द्वितीय पुरस्कार प्राप्त हुआ है और साथ ही नागर विमानन मंत्रालय द्वारा अपने अधीनस्थ कार्यालयों के लिए आयोजित प्रतियोगिता में पवन हंस की गृह पत्रिका ''हंसध्वनि''के लिए भी द्वितीय पुरस्कार प्रदान किया गया

है। श्री प्रदीप सिंह खरोला ,सचिव नागर विमानन की उपस्थिंति में डॉ. सुमित जेराथ , सचिव राजभाषा विभाग , गृह मंत्रालय द्वारा श्री संजीव राजदान, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, पवन हंस लिमिटेड को तथा श्री एच.एस.कश्यप, संयुक्त महाप्रबंधक (मासं व प्रशा.) को "राष्ट्रीय गौरव पुरस्कार" शील्ड प्रदान किया गया ।

प्रथम तस्वीर में श्री प्रदीप सिह खरोला (बाईं ओर), सचिव,नागर विमानन मंत्रालय तथा श्री अरविंद सिंह,अध्यक्ष, भाविप्रा एवं डॉ.सुमीत जैरथ ,सचिव, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय से 'राजभाषा गौरव पुरस्कार' शील्ड प्राप्त करते हुए श्री संजीव राजदान, अप्रनि, पहंलि तथा द्वितीय तस्वीर में श्री एच. एस.कश्यप, संयुक्त महाप्रबंधक (मासं व प्रशा)

13. मंत्रालय में लेखांकन व्यवस्था

13.1 सचिव (नागर विमानन) नागर विमानन मंत्रालय के मुख्य लेखांकन प्राधिकारी हैं। उनके द्वारा अपने इस उत्तरदायित्व का निर्वाह विभाग के संयुक्त सचिव एवं वित्त सलाहकार (JS&FA) तथा मंत्रालय के मुख्य वित्त नियंत्रक के सहयोग से किया जाता है।

13.2 मुख्य वित्त नियंत्रक लेखांकन संगठन विभाग के प्रमुख हैं तथा वे वित्त सलाहकार के समग्र पर्यवेक्षण और नियंत्रण में कार्य करते हैं।

सिविल लेखांकन मैनुअल के पैरा 1.3 के अनुसार मुख्य लेखांकन प्राधिकारी के लिए तथा उनकी ओर से कार्य करते हुए मुख्य लेखांकन नियंत्रक मुख्यतः निम्नलिखित के प्रति उत्तरदायी हैंः—

(a) वेतन लेखा कार्यालयों/प्रधान लेखा कार्यालय के माध्यम से सभी भुगतानों की व्यवस्था करना जो ऐसे विभिन्न प्रकार के भुगतानों के अलावा है जिसके लिए आहरण एवं संवितरण अधिकारियों को भुगतान के प्राधिकार प्राप्त हैं।

(b) मंत्रालय के लेखों का संकलन एवं समेकन तथा लेखा महानियंत्रक को निर्धारित प्रारूप में उनकी प्रस्तुति करना मंत्रालय की अनुदान मांगों की वार्षिक विनियोजन लेखा को तैयार करना, उन्हें लेखापरीक्षित करवाना तथा मुख्य लेखांकन अधिकारी के विधिवत हस्ताक्षरों के साथ लेखा महानियंत्रक को उनकी प्रस्तुति करना।

(c) मंत्रालय के विभिन्ना अधीनस्थ स्थापनाओं तथा वेतन लेखा कार्यालयों द्वारा अनुरक्षित भुगतान एवं लेखांकन रिकार्डों की आंतरिक जांच की व्यवस्था करना।

विभाग की विभिन्न अधीनस्थ स्थापनाओं तथा वेतन लेखा कार्यालयों द्वारा अनुरक्षित भुगतान एवं लेखांकन रिकार्डों की आंतरिक जांच की व्यवस्था करना तथा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में अनुरक्षित सरकारी मंत्रालयों / विभागों द्वारा किए गए संव्यवहार के रिकार्डों की जांच करना।

वित्त वर्ष 2019—20 के लिए नागर विमानन मंत्रालय के बजट प्रावधान निम्नानुसार हैः—

(रुपए करोड़ में)

राजस्व खंड	4474.99
पूंजी खंड	25.01
योग	4500.00

13.3 प्रधान लेखा कार्यालय

नागर विमानन मंत्रालय का प्रधान लेखा कार्यालय मुख्यतः निम्नलिखित के प्रति उत्तरदायी हैः

- महालेखा नियंत्रक द्वारा निर्धारित की गई पद्धति तथा सिविल लेखा मैनुअल के प्रावधानों के अनुसार नागर विमानन मंत्रालय के लेखों का समेकन।
- नागर विमानन मंत्रालय के मासिक लेखों तथा नागर विमानन मंत्रालय की अनुदान मांग के वार्षिक विनियोग खातों को तैयार करना, महालेखा नियंत्रक, वित्त मंत्रालय के सम्मुख केन्द्रीय संव्यवहार एवं वित्त लेखों की सामग्रियों की प्रस्तुति करना।
- विदेश मंत्रालय, शहरी विकास मंत्रालय, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, इत्यादि जैसे विभिन्न एजेंट मंत्रालयों को अंतर्विभागीय प्राधिकार जारी करना।
- वेतन एवं लेखा कार्यालय को तकनीकी परामर्श प्रदान करना तथा लेखांकन मामलों में समग्र समन्वय एवं नियंत्रण के लिए महालेखा नियंत्रक के कार्यालय के साथ आवश्यक सम्पर्क रखना।
- प्राप्ति बजट एवं पेंशन बजट का निर्माण करना।
- पीएफएमएस, एनटीआरपी से संबन्धित कार्यों का समन्वयन और ईएटी मॉड्यूल का क्रियान्वयन।

13.4 वेतन एवं लेखा कार्यालय

नागर विमानन मंत्रालय के अध्याधीन वेतन एवं लेखा कार्यालय निम्नानुसार निधियां जारी करने, व्यय नियंत्रण करने तथा अन्य प्राप्तियों और भुगतान कार्यों के प्रति उत्तरदायी हैः—

- मंत्रालय के नॉनचेक आहरण एवं संवितरण अधिकारियों (NCDDOs) द्वारा भुगतान के लिए प्रस्तुत बिलों की भुगतान पूर्व जांच।
- "लेटर ऑफ क्रेडिट" जारी करके चेक आहरण एवं संवितरण अधिकारियों (CDDOs) को निधियों के निश्चित स्तर तक कार्रवाई के लिए प्राधिकार प्रदान करना। लखनऊ में मुख्यं रेल संरक्षा आयुक्त के साथ बंगलौर, कोलकाता, और मुंबई कार्यालयों में रेल संरक्षा आयुक्त चार चेक आहरण एवं संवितरण अधिकारी (CDDOs) हैं।
- नागर विमानन मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण वाले स्वायत्त निकायों / सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को अनुदान सहायता/इक्विटी का भुगतान जारी करना।
- चेक आहरण एवं संवितरण अधिकारियों (CDDOs) द्वारा संग्रहित प्राप्तियों एवं लेखों का विधिवत मिलान एवं लेखों में शामिल किए जाने के पश्चात किए गए भुगतानों पर आधारित मासिक लेखों का समेकन तथा उसे प्रधान लेखा कार्यालय में प्रस्तुत करना।
- सामान्य भविष्य निधि खातों का अनुरक्षण, ट्रस्टी बैंकों को नई

पेंशन योजना का अंशदान प्रेषण करना। आवक और जावक दावों का निपटान। सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को पेंशन, पारिवारिक पेंशन, कमुटेशन, उपदान, छुट्टी नकदीकरण इत्यादि प्राधिकृत करना/ भुगतान करना।

- सभी संबंधित प्राधिकरणों / प्रभागों को लेखांकन सूचना उपलब्ध करवाना।
- डीडीएस एवं आर शीर्षों के अंतर्गत शेष की समीक्षा करना

16.5 आंतरिक लेखापरीक्षा

आंतरिक लेखापरीक्षा एकक अपर सचिव एवं वित्त सलाहकार तथा मंत्रालय के सचिव के प्रति पूर्ण रूप से उत्तरदायी होने के साथ मुख्यतः वित्तं नियंत्रक के अध्याधीन कार्य कर रहा है। नागर विमानन मंत्रालय तथा पर्यटन मंत्रालय का आन्तरिक लेखापरीक्षा एकक एक ही है तथा मुख्य वित्त नियंत्रक के अध्याधीन इसकी स्वीकृत जनशक्ति चार सहायक लेखा अधिकारी एवं चार लेखाकार/वरिष्ठ लेखाकार हैं।

आंतरिक लेखापरीक्षा संगठन की भूमिका लेखांकन और वित्तीय मामलों में नियमों और विनियमों, प्रणाली और प्रक्रियाविधि को लागू करने की सीमा का पता लगाने के लिए शासी कार्यालयों में रखे जाने वाले आरंभिक लेखों की जांच करना है।

लेखापरीक्षा के प्रयोजनों और आंतरिक लेखा परीक्षा मानकों के अनुसार, आंतरिक लेखापरीक्षा यादृच्छिक नमूना के सिद्धांत पर कार्य करती है। आंतरिक लेखा परीक्षण के प्रचालन स्वतंत्र होते हैं तथा इसका उद्देश्य संगठन में लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए प्रक्रियाबद्ध, अनुशासित अभिमुखता की स्थापना के लिए मूल्यांकन करके जोखिम प्रबंधन, नियंत्रण एवं शासी प्रक्रियाओं के प्रति प्रभावी रूप से सुधार लाकर प्रभावी बनाना है।

प्रधान लेखा कार्यालय, वेतन और लेखा कार्यालयों के साथ–साथ नागर विमानन मंत्रालय में आहरण संवितरण अधिकारियों के कार्यालय आंतरिक लेखापरीक्षा के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते हैं। इन कार्यालयों के अतिरिक्त, आंतरिक लेखापरीक्षा एकक को स्वायत्त निकायों/अनुदान ग्राही संस्थानों की लेखापरीक्षा करना भी अनिवार्य है।

प्रधान लेखा कार्यालय, वेतन और लेखा कार्यालय और साथ ही नागर विमानन मंत्रालय में आहरण संवितरण अधिकारियों के कार्यालय आंतरिक लेखा परीक्षा के क्षेत्राधिकार में हैं। इन कार्यालयों के अलावा स्वायत्तनिकाय / ग्रांटी संस्थानों के ऑडिट के लिए आंतरिक लेखा परीक्षा शाखा की आवश्यकता होती है।

आंतरिक लेखा परीक्षणों के बकाया पैराग्राफों की स्थिति निम्नलिखित है:–

यूनिटों की संख्या	(31.12.2020) को बकाया पैरा
54	782

13.6 शिकायतों का निराकरण

प्रधान लेखा अधिकारी को मुख्यतया पेंशनरों/फैमिली पेंशनरों और सीपीजीआरएएम पोर्टल से शिकायतें प्राप्त होती हैं। इसके अलावा, ई–मेल/डाक से भी शिकायतें प्राप्त होती रही हैं। प्राप्त अधिकांश शिकायतें समय–समय पर पेंशन और पेंशनर कल्याण विभाग द्वारा जारी आदेशों के आधार पर पेंशन के संशोधन से संबंधित थीं। शिकायतों को न्यूनतम करने के लिए, कार्यालय में एक पेंशन और शिकायत एकक की स्थापना की गई है।

13.7 भुगतान और प्राप्ति के डिजिटिकरण के लिए पहलः

वित्तं मंत्रालय और महालेखा नियंत्रक द्वारा जारी दिशानिदेशों के अनुसार, नागर विमानन मंत्रालय के लेखांकन संगठन ने एजेंसी स्तर पर कार्यान्वयन तक लेखांकन कार्यों में समग्र सुधार और पारदर्शिता लाने के लिए सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) को पूर्णतः व्यवस्थित करके भुगतान प्रदान करने के प्लेटफार्म को प्रभावी कर लिया गया है।

13.8 सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली

सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) भारत सरकार की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत जारी निधियों का पता लगाने के लिए ऑनलाइन वित्तीय प्रबंधन सूचना और निर्णय सहायता प्रणाली स्थापित करने के प्रयोजन के साथ कार्य करता है।

निधियों के अंतरण के लिए केंद्रीकृत तथा पूर्णतया संचालन आईटी एप्लीकेशन होने के नाते पीएफएमएस ''बिलकुल समय पर बजट जारी करना'' को सुविधायुक्त बनाता है तथा अंतिम स्तर तक हितग्राहियों द्वारा निधियों के उपयोग की पूरी तरह से निगरानी करता है। वित्त मंत्रालय के दिशानिर्देशों के अनुसार, स्वायत्त निकाय/गारंटी संस्थान को भी ईएटी मॉड्यूल के माध्यम से पीएफएमएस की कार्रवाई करने हेतु अनुरोध किया गया है।

मंत्रालय से संबंधित वेतन लेखा कार्यालय, सीडीडीओ, एनसीडीडीओ की स्थिति निम्नानुसार है:–

वेतन लेखा कार्यालय	सीडीडीओ	एनसीडीडीओ
05	04	44

सभी वेतन लेखा कार्यालय तथा आहरण एवं संवितरण अधिकारी पीएफएमएस की प्रक्रिया कर रहे हैं तथा ईआईएस माड्यूल का कार्यान्वंयन किया गया है। सभी सम्बद्ध रिपोर्टों की उत्पति पीएफएमएस के माध्यम से की जा रही है।

13.9 नॉन टैक्स रिसीट पोर्टल (एनटीआरपी)

लेखा महानियंत्रक द्वारा विकसित गैर कर रसीद पोर्टल मैनुअल सिस्टम की देरी और अक्षमताओं को दूर करने के लिए एक व्यापक अंतिम समाधान है। डिजिटल इंडिया पहल के दिशा–निर्देशों का पालन करने के लिए, आर्थिक मामलों के वित्त विभाग मंत्रालय ने इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से सभी गैर–कर राजस्व प्राप्त करने के लिए भारतकोश के तहत एनटीआर पोर्टल के उपयोग को सार्वभौमिक बनाया है। इसके अनुपालन में मंत्रालय अब एनटीआर पोर्टल के साथ एकीकृत है, जो भारतकोश के माध्यम से राजस्व प्राप्तियों की ऑनलाइन छूट की सुविधा देता है। सभी शुल्क, लाभांश, गारंटी शुल्क आदि अब एनटीआरपी के माध्यम से हो रहे हैं। चालू वित्तीय वर्ष में 31 दिसंबर 2020 तक एनटीआरपी के माध्यम से 163.75 करोड़ रुपये की राशि प्राप्त हुई है।

14. महिला कल्याण

14.1 प्रस्तावना

नागर विमानन मंत्रालय ने महिलाओं के कल्याण के लिए तथा स्टाफ की महिला सदस्यों को सुविधाजनक एवं परेशानी रहित काम का माहौल प्रदान करने के लिए उपयुक्त कदम उठाए हैं। नागर विमानन मंत्रालय और इसके प्रशासनिक नियंत्रणाधीन संगठनों में आंतरिक शिकायत समितियों का भी गठन किया गया है जो कार्य–स्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न की शिकायतों की सुनवाई और से उत्पीड़न को रोकने के लिए उपचारी उपाय सुझाती है। मंत्रालय और इसके संगठनों में महिला कल्याण की स्थिति/यौन उत्पीड़न के मामलों की आवधिक रूप से निगरानी की जाती है और जहां जरूरत हो, आवश्यक कार्रवाई की जाती है।

14.2 नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो

महिला कर्मचारियों की समस्याएं जब कभी रिपोर्ट की जाती हैं तभी इस विषय में सरकारी नीति संबंधी विशिष्ट अपेक्षाओं को ध्यान में रखते हुए उन पर तत्काल ध्यान देकर उनका निवारण किया जाता है।

14.3 रेलवे संरक्षा आयोग

रेलवे संरक्षा आयोग के कार्यालय, सामान्यतः रेलवे कार्यालय परिसरों में ही अवस्थित हैं और उनमें शौचालय, शिशुगृह, टिफिन कक्ष इत्यादि जैसी सुविधाओं का उपयोग आयोग की महिला कर्मचारियों द्वारा भी किया जाता है। महिला कर्मचारी, महिला समिति जो कि, रेलवे का महिला कल्याण संगठन, में भी भाग लेती है, और इसकी पदाधिकारी होती हैं। भारत सरकार द्वारा समय–समय पर महिला कर्मचारियों के कल्याण के लिए जारी अनुदेशों को जहां तक संभव हो, कार्यान्वित किया जा रहा है।

14.4 भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण

भा.वि.प्रा.ने अपने महिला कर्मचारियों के लिए एक संरक्षित और सुरक्षित कार्य वातावरण सुनिश्चित करने हेतु अधिक जोर देता है। यौन उत्पीड़न के उन्मूलन के लिए इसके विभिन्न कार्यालयों में आंतरिक शिकायत समितियों का गठन किया गया है।

एएआई महिलाओं को खेल में प्रोत्साहित करता है और उन्हें अपनी गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में समान भागीदार मानता है। एएआईमें स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड की सदस्य के रूप में दो महिला अधिकारी हैं और अनुबंध / छात्रवृत्ति योजनाओं पर लगभग 57 महिला खिलाड़ी हैं, जिन्होंने न केवल एएआई अपितु हमारे देश को भी गौरवान्वित किया है।

उपर्युक्त के अतिरिक्त, एएआई अपने महिला कर्मचारियों के स्वास्थ्य और समग्र हितों के प्रति विशेष ध्यान देती है और स्वास्थ्य जागरूकता शिविरों का आयोजन करता है। इसके अतिरिक्त, हाल ही में एएआई प्रबंधन ने समर्थकारी वातावरण, सुरक्षा और कल्याण उपाय पर विचार करते हुए, सभी हवाईअड्डों पर अवस्थित एएआई कॉलोनी में, जहां भी आवश्यक हो, एकल महिला कर्मचारी के लिए छात्रावास आवंटित करने का निर्णय लिया है।

14.5 एअर इंडिया लिमिटेड

एयर इंडिया विश्व के उन बहुत कम संगठनों में से एक है जो विमान उड़ाने और उसके प्रबंधन जैसे कुशल कार्यों में महिलाओं को नियोजित करते हैं। वर्तमान में, एअर इंडिया में कुल 11 कार्यकारी निदेशकों में से 05 महिला कार्यकारी निदेशक हैं। इसके अतिरिक्त, एअर इंडिया में कुल 55 महाप्रबंधकों में से 12 महिला महाप्रबंधक हैं। एयर इंडिया में कुल कार्य बल का 29.63% महिला कर्मचारी हैं।

कंपनी, कार्यस्थल पर महिला कर्मचारियों की विशेष जरूरतों का ध्यान रखती है, जिसमें कार्य का सुरक्षित माहौल, विश्राम कक्ष, वाहन, स्वास्थ्य देखभाल सुविधाएं और छुट्टी तथा अन्य प्रसुविधाएं शामिल हैं। हवाईअड्डों पर और परिचालन क्षेत्रों में रात की पाली में काम करने वाली महिला कर्मचारियों को काम करने के लिए निवास स्थान से पिकअप और ड्रॉप की सुविधा प्रदान की जाती है।

"महिला कार्यस्थल (निवारण, प्रतिषेध तथा प्रतितोष) अधिनियम, 2013' की तर्ज पर कार्य स्थल पर यौन उत्पीड़न को रोकने के लिए एक तंत्र है। एअर इंडिया लिमिटेड की महिला कर्मचारियों के यौन उत्पीड़न की शिकायतों और रोकथाम के लिए कॉरपोरेट स्तर पर आंतरिक शिकायत समितियां गठित की गई है।

एअर इंडिया महिला स्वास्थ्य देखभाल, सकारात्मक और स्वस्थ्य जीवन शैली के लिए विशेष कार्यक्रमों का आयोजन करता है, जो उस क्षेत्र के विशेषज्ञों / चिकित्सकों द्वारा संचालित किए जाते हैं। मेडिकल सेवा विभाग, महिला कर्मचारियों के लाभ संबंधी स्वास्थ्य मुद्दों पर विभिन्न विशेष स्वास्थ्य जांच और व्याख्यान आयोजित करता है। लैंगिक संवेदनशीलता और महिलाओं के कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध तथा प्रतितोष) अधिनियम, 2013 का कार्यक्रम भी अखिल भारतीय आधार पर आयोजित किया जा रहा है।

एअर इंडिया, प्रशासनिक और व्यावसायिक क्षेत्रों के अलावा महिलाओं के विकास संबंधी विभिन्न प्रकार की गतिविधियों में निरंतर सहायता करता है। एअर इंडिया ऐसी पहली एयरलाइन कंपनी है जिसने महिलाओं को विशेष तकनीकी क्षेत्रों में योगदान देने के लिए प्रोत्साहित किया है। प्रत्येक वर्ष 08 मार्च को महिला दिवस मनाया जाता है और इंटरैक्टिव क्रिया वाले कई कार्यक्रम संचालित किए जाते हैं जो अत्यधिक ज्ञानवर्धक होते हैं और एयरलाइंस में महिलाओं की उपलब्धियों के गौरव को भी प्रकट करते हैं। महिला पायलटों, महिला केबिन क्रू, महिला गुणवत्ता और सुरक्षा लेखा परीक्षकों, महिला सिम्युलेटर इंजीनियरों, विमान को प्रमाणित करने वाले इंजीनियरों के साथ–साथ उड़ानों को जारी करने वाली महिला डिस्पेचर सहित सभी महिला क्रू फ्लाइट्स के साथ प्रत्येपक वर्ष महिला दिवस का आयोजन किया जाता है।

14.6 इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी

इग्रुआ में 14 महिला कर्मचारी (02 नियमित. 12 संविदात्मक) हैं तथा सामान्य प्रशासनिक चौनलों के माध्यम से उनके कल्याण का ध्यान

रखा जाता है। तीन सदस्यों की एक समिति भी यौन उत्पीड़न से संबंधित महिला कल्याण के मामलों की देखरेख करती है।

14.7 पवन हंस लिमिटेड

पवन हंस के सभी कार्यालयों के लिए अलग से महिला एकक तथा यौन उत्पीड़न समितियों का गठन किया गया है। पवन हंस उनके लिए सभी अनिवार्य सुविधाओं की उपलब्धता को सुनिश्चित करने तथा उनके चौतरफा विकास को प्रोत्साहित करने के लिए निरन्तर प्रयास कर रहा है। कंपनी, महिलाओं के कौशल उन्नयन के लिए आंतरिक प्रशिक्षण के साथ ही बाहरी विशेषज्ञ संस्थाओं के लिए महिला कर्मचारियों को प्रायोजित भी करता है।

14.8 भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण

प्राधिकरण में 15 महिला कर्मचारी हैं, जिनमें प्रतिनियुक्ति पर आए अधिकारी / कर्मचारी, एएआई से लोन पर आए कर्मचारी और आऊट सोर्स किए गए स्टाफ शामिल है। महिला कल्याण की पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं।

14.9 राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय

विश्वविद्यालय परिसर में छात्राओं और महिला कर्मचारियों (दोनों अकादमिक और साथ ही आवासीय परिसर) की सुरक्षा के लिए, "कार्यस्थल पर महिलाओं की यौन उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध तथा प्रतितोष) अधिनियम, 2013' के प्रावधानों के अनुसार एक आंतरिक शिकायत समिति (आईसीसी) का गठन किया गया है। आईसीसी का व्यापक कार्य, विश्वविद्यालय परिसर में लैंगिक संवेदनशीलता और लैंगिक न्याय के मूल सिद्धांतों के किसी भी उल्लंघन पर ध्यान देना है और इसके विरुद्ध जैसा उचित समझा जाए, कार्रवाई करना है। छात्राओं की संरक्षा और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, यात्राओं और छात्रों के छात्रावास में बंटवारा करते हुए छात्रावास परिसर को दो भागों में बांटा गया है।

15. निःशक्त व्यक्तियों के लिए सुविधाएं

15.1 दिशा–निर्देशों को लागू करना

नागर विमानन मंत्रालय तथा इसके अनुषंगी कार्यालय निःशक्त व्यक्तियों की जरूरतों के प्रति संवेदनशील हैं और निःशक्त व्यक्तियों तथा वरिष्ठ नागरिकों का ध्यान रखने के लिए सरकार के निर्देशों का निष्ठापूर्वक पालन करते हैं। सार्वजनिक स्थानों पर निशक्त व्यक्तियों और वरिष्ठ नागरिकों को आराम/सुविधाएं प्रदान करने के लिए, यात्रियों को किसी प्रकार के भेदभाव से बचाने के लिए तथा यह सुनिश्चित करने के लिए कि सभी सम्मानित यात्रियों को उनकी विमान यात्रा के दौरान सभी संभव सहायता प्राप्त होनी चाहिए, नागर विमानन महानिदेशालय द्वारा ''हवाईअड्डों पर यात्रा करने वाले सम्मानित लोगों के लिए सुविधाएं/शिष्टाचार'' तथा ''निःशक्त व्यक्तियों और/या कम गतिशील व्यक्तियों का विमान द्वारा परिवहन'' पर नागर विमानन अपेक्षाएं (सीएआर), खंड–3, विमान परिवहन, श्रृंखला–एम, भाग–1 पर विमान परिवहन परिपत्र 01/2014 जारी किया गया है। सीएआर में ऐसे वरिष्ठ नागरिकों की ओर भी ध्यान दिया गया है जिन्हें विशेष सहायता की आवश्यकता है बशर्ते कि एयरलाइन से अग्रिम तौर पर सहायता प्रदान करने का अनुरोध किया जाए। डीजीसीए ने शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों द्वारा आसान पहुंच के लिए एक व्हील चेयर की खरीद की है। निःशक्त व्यक्तियों की सुविधा के लिए नागर विमानन महानिदेशालय में रैंप का निर्माण किया गया है। डीजीसीए केवल निःशक्त व्यक्तियों द्वारा उपयोग के लिए एक वॉश रूम के निर्माण की प्रक्रिया में है।

15.2 नागर विमानन महानिदेशालय

डीजीसीए ने शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों द्वारा आसान पहुंच के लिए एक व्हील चेयर की खरीद की है। नागर विमानन महानिदेशालय में निःशक्त व्यक्तियों द्वारा उपयोग के लिए विशेष रैंप्स और शौचालयों का निर्माण किया गया है।

15.3 नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो

लिफ्टों/शौचालयों आदि सहित नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो के नई दिल्ली स्थित मुख्यालय के साथ–साथ क्षेत्रीय कार्यालयों में निःशक्त व्यक्तियों/वरिष्ठि नागरिकों को यूजर फ्रेंडली सुविधाएं प्रदान की गई हैं।

15.4 रेलवे सुरक्षा आयोग

वरिष्ठ नागरिकों और निःशक्त व्यक्तियों के कल्याण के लिए भारत सरकार रेलवे सुरक्षा आयोग के निर्देशानुसार कार्य कर रहा है।

15.5 भारतीय विमानपत्तरन प्राधिकरण

विभिन्न भाविप्रा हवाईअड्डों पर निःशक्त व्यक्तियों के लिए उपलब्ध सुविधाओं का विवरण निम्नानुसार हैः

- **रैंप्सः** टर्मिनल भवन प्रवेश द्वारों तथा पटरी के किनारों पर आरामदायक ढाल वाले फिसलन रहित फ्लोरिंग वाले सपाट रैंप बनाए गए हैं।
- **दरवाजेः** आसान प्रवेश के लिए प्रवेश द्वारों पर सेंसर लगे दरवाजे/व्यक्ति रक्षित दरवाजे उपलब्ध कराए गए हैं। खुलने के बाद दरवाजों की चौड़ाई इतनी अधिक होती है कि व्हील चेयर यात्री आसानी से प्रवेश कर सकते हैं।
- **शौचालयः** निःशक्त व्यक्तियों के लिए उपयुक्त निर्देशकों के साथ विशेष रूप से डिजाइन किए गए पृथक शौचालय उपलब्ध कराए गए हैं।
- **लिफ्टः** टर्मिनल भवन के सभी तलों पर जाने के लिए यात्रियों के लिए लिफ्टें बनाई गई हैं जिनके दरवाजों की चौड़ाई इतनी अधिक है कि बड़े से बड़े आकार की व्हील चेयर उसमें प्रवेश कर सकती है।
- **ऐरोब्रिजः** व्हील चेयर वाले निशक्त व्यक्तियों को हवाई जहाज पर चढ़ने तथा हवाई जहाज से उतरने को सुविधायुक्त बनाने के लिए, आरामदायक ढाल एवं फिसलन रहित फ्लोरिंग वाले ऐरोब्रिज उपलब्ध कराए गए हैं।
- **व्हीलचेयरः** हवाईअड्डा प्रबंधक एवं एयरलाइनों के पास व्हींलचेयर उपलब्ध हैं जो मांगने पर प्रदान की जा सकती हैं।
- **कार पार्किंगः** विभिन्न हवाईअड्डों पर प्रस्थान एवं आगमन टर्मिनलों की सिटी साइट पर साइनेज सहित आरक्षित पार्किंग स्थल उपलब्ध कराए गए हैं। निःशक्त व्यक्तियों के लिए कार पार्किंग स्थल में 3.6 मी से 5.0 मी के कार पार्किंग क्षेत्र विशेषता निर्दिष्ट किए गए हैं।
- **गमनीय मार्गः** टर्मिनल भवन के सामने 5 मीटर – 10 मीटर चौड़े फुटपाथ उपलब्ध कराए गए हैं जो सपाट रैंप के साथ सड़क को सीधे जोड़ते हैं। फुटपाथ की ओर से यात्री टैक्सी/कार पर चढ़ सकते हैं। व्हील चेयर के सुगम प्रवेश के लिए फुटपाथ में विशेष कटाव और ढाल बनाई गई हैं। कुछ हवाईअड्डों पर, दृष्टिहीन व्यक्तियों के लिए जेब्रा क्रॉसिंग का तल उकेर कर बनाया गया है।
- **टैकटाइलः** दृष्टिहीन व्यक्तियों के लिए महानगरों के हवाईअड्डों पर उतरने के स्थान से लेकर प्रवेश की दहलीज तक टैकटाइल पथ प्रदान किया गया है।

- निःशक्त व्यक्तियों/कम गतिशील व्यक्तियों और वरिष्ठ नागरिकों की सहायता के लिए एक मिलियन या उससे अधिक वार्षिक यातायात वाले भाविप्रा हवाईअड्डों पर "क्या मैं आपकी सहायता कर सकता/सकती हूँ" के डेस्क लगाए जा रहे हैं।

15.6 एअर इंडिया लिमिटेड

आईसीएओ (इकाओ) तथा आईएटीए (आयटा) के अंतर्गत बनाए गए अंतर्राष्ट्रीय मानकों तथा दिशानिर्देशों के अनुसार एअर इंडिया निःशक्त हवाई यात्रियों की जरूरतों और आवश्यकताओं के प्रति संवेदनशील है। एअर इंडिया स्टार एलांयस का सदस्य भी है जो 28 एयरलाइनों से मिल कर बना है। सुविधाओं में बुकिंग कार्यालयों में रैम्पस एक्सेस और व्हील चेयर युक्ति एक्सेस, और यात्रियों की प्राथमिक हैंडलिंग शामिल है। एअर इंडिया उन हवाईअड्डों से प्रचालन करती है जो निशक्त व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय और वैश्विक मानकों युक्त सुविधाओं का अनुपालन करते हैं। एअर इंडिया उड़ान की बुकिंग करते समय आवश्यकता की अग्रिम सूचना के आधार पर व्हील चेयर की सुविधा प्रदान करती है। एअर इंडिया स्टेशनों पर प्रस्थान, आगमन और ट्रांजिट के समय आवश्यकता पड़ने पर अनुरक्षक सहित बोर्डिंग की अनुमति दी जाती है।

15.7 इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा विकलांगों के लिए जारी किए गए दिशानिर्देशों को लागू किया गया है और जहां भी संभव हो, निःशक्त व्यक्तियों की सुविधा हेतु उचित उपाय किए जा रहे हैं।

15.8 राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय

निःशक्त लोगों के लिए आसान पहुंच प्रदान करने के लिए, शैक्षणिक भवन में रैंप प्रदान किए गए हैं। आरजीएनएयूके शैक्षणिक भवन में शारीरिक अक्षमता वाले व्यक्तियों द्वारा आसान उपयोग के लिए अलग शौचालय भी बनाए गए हैं। दृष्टिहीन व्यक्तियों की सहायता के लिए अकादमिक भवन के सभी क्षेत्रों में पर्याप्त प्रकाश व्यवस्था की गई है।

16. इकाओ परिषद् में भारत के प्रतिनिधि

16.1 प्रस्तावनाः

अंतरराष्ट्रीय नागर विमानन संगठन (इकाओ) की स्थापना दिसंबर 1944 में अंतरराष्ट्रीय नागर विमानन पर शिकागो अभिसमय के अधीन की गई थी। वर्तमान में 192 संविदाकारी देश इस अभिसमय के पक्षकार हैं। अभिसमय की शर्तों के अनुसार, संगठन में एक एसेंबली और 36 निर्वाचित सदस्यों की परिषद और एक सचिवालय है। मुख्यं अधिकारी परिषद के अध्यक्ष और महासचिव हैं जो इस पद पर निर्वाचित हुए हैं।

इकाओ मुख्यालय, मांन्ट्रीयल

एसेंबली, जिसमें सभी 192 संविदाकारी सदस्य देशों के प्रतिनिधि शामिल हैं, इकाओ का संप्रभु निकाय है। संगठन के कार्य की विस्तारपूर्वक समीक्षा करने, और आने वाले वर्षों के लिए नीति निर्धारित करने के लिए, इसकी बैठक हर तीन वर्ष में होती है। इसमें त्रैवार्षिक बजट पर मतदान भी किया जाता है।

संगठन का शासी निकाय काउंसिल है, जिसका चुनाव एसेंबली द्वारा तीन वर्ष की अवधि के लिए किया जाता है, इसमें 36 सदस्य देश शामिल हैं। एसेंबली तीन शीर्षकों के अधीन काउंसिल के सदस्य देशों का चुनाव करती हैः हवाई परिवहन में मुख्य महत्व वाले देश, वे देश जिनका हवाई दिक्चालन के लिए सुविधाएं मुहैया कराने में सबसे अधिक योगदान है, और वे देश जिसके मनोनयन से विश्व के सभी प्रमुख क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित होता हो। शासी निकाय के रूप में, काउंसिल इकाओ के कार्य को निरंतर दिशा प्रदान करती है। काउंसिल में ही मानकों और अनुशंसित परिपाटियों का अंगीकरण किया जाता है और इन्हें अंतरराष्ट्रीय नागर विमानन पर अभिसमय के अनुबंधों के रूप में समाविष्ट किया जाता है। काउंसिल को हवाई दिक्चालन आयोग (तकनीकी मामले), हवाई परिवहन समिति (आर्थिक मामले), हवाई दिक्चालन सेवाओं पर संयुक्त समर्थन संबंधी समिति और वित्त समिति द्वारा सहायता प्रदान की जाती है।

हवाई दिक्चालन आयोग (एएनसी) में उन्नीस ऐसे सदस्य शामिल हैं जो "वैमानिकी के विज्ञान और परिपाटी में उपयुक्त योग्यता और अनुभव" प्राप्त होते हैं, जैसा कि अंतरराष्ट्रीय नागर विमानन पर अभिसमय (शिकागो अभिसमय) में रेखांकित किया गया है। एएनसी को इकाओ के तकनीकी कामों के कार्यक्रम का प्रबंधन करने का काम सौंपा गया है और, इसकी स्थापना के समय से, आयोग ने शिकागो अभिसमय के 19 में से 17 अनुबंधों वाले एसएआरपी पर विचार किया और अनुशंसित किया है जिनमें सबसे ताजातरीन संरक्षा प्रबंधन पर नए अनुबंध 19 को

काउंसिल चेंबर

एएनसी चेंबर

लागू किया जाना शामिल है। काउंसिल के अनुमोदन के अधीन, एएनसी सामान्यतः अपने कार्यक्रम के भीतर मामलों पर विचार करने के लिए प्रति वर्ष तीन सत्र आयोजित करता है। प्रत्येक सत्र सामान्यतः नौ सप्ताह तक चलता है जिसमें एक तीन सप्ताह का विश्राम काल शामिल होता है।

सचिवालय, जिसकी अध्यक्षता महासचिव द्वारा की जाती है, पांच मुख्य प्रभागों में विभाजित है: हवाई दिक्चालन ब्यूरो, हवाई परिवहन ब्यूरो, तकनीकी सहयोग ब्यूरो, विधिक ब्यूरो और प्रशासन एवं सेवा ब्यूरो। इस उद्देश्य से, कि सचिवालय का कार्य सही मायने में अंतरराष्ट्रीय दृष्टिकोण को परिलक्षित करता हो, वृहत भौगोलिक आधार पर व्यावसायिक स्तर के कार्मिकों की भर्ती की जाती है।

इकाओ संयुक्त राष्ट्र के अन्य सदस्यों के साथ पूर्ण सहयोग से कार्य करता है, जैसे विश्व मौसम विज्ञान संगठन (डब्यूडब्यूएसओ), अंतरराष्ट्रीय दूरसंचार संघ (आईटीयू), यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन (यूपीयू), विश्व स्वास्थ संगठन (डब्यूएचओ), विश्वं पर्यटन संगठन (डब्यूटीओ) और अंतरराष्ट्रीय सामुद्रिक संगठन (आईएमओ)।

गैर–सरकारी संगठन भी इकाओ के कार्य में भागीदारी करते हैं, उनमें शामिल हैं इंटरनेशनल एयर ट्रांस्पोर्ट एसोशिएशन (आयटा), एयरपोर्ट्स काउंसिल इंटरनेशनल (एसीआई), सिविल एयर नेवीगेशन सर्विसेज ऑरगेनाइजेशन (कानसो), इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ एयर लाइन पायलट्स एसोसिएशन (आईएफएएलपीए) और इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ एयरक्राफ्ट ओनर एंड पायलट एसोसिएशन (आईएओपीए)।

16.2 इकाओ के कार्यनीतिक उद्देश्य

वैश्विक विमान यातायात नेटवर्क बनाने तथा इसे सहायता प्रदान करने के अपने निरंतर मिशन में इकाओ ने पांच व्यापक कार्यनीतिक उद्देश्य स्थांपित किए हैं जो वैश्विक व्यापार और यात्रियों की सामाजिक और आर्थिक विकास एवं व्यापक संपर्क आवश्यकताओं को पूरा करते हैं या बढ़ाते हैं और प्रणाली सुरक्षा, दक्षता, सुविधा या पर्यावरणीय प्रदर्शन पर अनावश्यक प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना 2030 तक वैश्विक हवाई परिवहन क्षमता के अनुमानित दोहरीकरण को प्रत्याशित एवं प्रबंधित करने की स्पष्ट आवश्ययकता को स्वीकार करते हैः

- **संरक्षाः** वैश्विक नागर विमानन संरक्षा में संवर्धन। यह रणनीतिक उद्देश्य मुख्यतः देश की विनियामक निगरानी क्षमताओं पर केंद्रित है। वैश्विक विमानन संरक्षा योजना (जीएएसपी) में तीन वर्ष की अवधि के लिए मुख्य उद्देश्यों को रेखांकित किया गया है।

- **हवाई दिक्चालन क्षमता और दक्षताः** वैश्विक विमानन प्रणाली की क्षमता में वृद्धि और दक्षता में सुधार करना। यद्यपि कार्यकारी दृष्टि से और संगठनात्मक रूप से, यह रणनीतिक उद्देश्य और संरक्षा अन्योन्यात्रित है तथापि मुख्यतः विमानन प्रणाली के निष्पादन को इष्टतम करने के प्रयोजनार्थ हवाई दिक्चालन और एयरोड्रोम अवसंरचना का स्तारोन्नयन करने और नई प्रक्रियाएं विकसित करने पर केंद्रित है। वैश्विक हवाई दिक्चातलन क्षमता और दक्षता योजना (वैश्विक योजना) में त्रैवार्षिक अवधि के लिए प्रमुख गतिविधियों को रेखांकित किया गया है।

- **सुरक्षा और सुविधाकरणः** वैश्विक नागर विमानन सुरक्षा और सुविधाकरण में संवर्धन करना। यह रणनीतिक उद्देश्य विमानन सुरक्षा, सुविधाकरण और संबंधित सीमा सुरक्षा मामलों में इकाओ के नेतृत्व की आवश्यरकता को परिलक्षित करता है।

- **हवाई परिवहन का आर्थिक विकासः** एक ठोस और आर्थिक रूप से व्यवहार्य नागर विमानन प्रणाली के विकास को पोषित करना। यह रणनीतिक उद्देश्य आर्थिक नीतियों और सहायक गतिविधियों पर केंद्रित हवाई परिवहन ढांचे के सौहाद्रीकरण में इकाओ के नेतृत्वि की आवश्यकता को परिलक्षित करता है।

- **पर्यावरण संरक्षणः** नागर विमानन गतिविधियों के प्रतिकूल पर्यावरणीय प्रभावों को न्यूनतम करना। यह रणनीतिक उद्देश्यव सभी विमानन–संबद्ध पर्यावरणीय गतिविधियों में इकाओ के नेतृत्व को पोषित करता है और इकाओ और संयुक्त राष्ट्र प्रणाली की पर्यावरणीय संरक्षण नीतियों और परिपाटियों के अनुरूप है।

16.3 आरओआई के कार्यकलाप

भारत इकाओ में भारत के प्रत्योजन का स्थायी कार्यालय अनुरक्षित करता है, जिसमें भारत के प्रतिनिधि, तकनीकी सलाहकार और अन्य कर्मचारी शामिल हैं।

आरओआई का मुख्य कार्य इकाओ की काउंसिल में भारत का प्रतिनिधित्व करना और काउंसिल, काउंसिल के विभिन्न अधीनस्थ निकायों, कार्य समूहों, विशेष समूहों आदि के सभी सत्रों में उपस्थित रहना इकाओ के बजट और प्रबंधन, संरक्षा, सुरक्षा, पर्यावरण से संबंधित कार्यनीतिक निर्णय लेने, मानकों और अनुशंसित परिपाटियों (एसएआरपी) को निर्धारित करने /संशोधित करने में इकाओ के शासन में सक्रिय और प्रभावी रूप से भागीदारी करना है।

आरओआई के कार्यों में निम्नंलिखित को अनुरक्षित करना भी शामिल है–

- विभिन्न नीतिगत मुद्दों पर सामान्य समझ सुनिश्चित करने के उद्देश्य, से देशों के सभी शिष्टमंडलों के साथ राजनयिक और सामाजिक सम्पर्क

- इकाओ और भारत सरकार के बीच सूचना के प्रवाह के लिए इकाओ के अध्यक्ष/महासचिव और वरिष्ठ सचिवालयी अधिकारियों के साथ गहन और सौहाद्रपूर्ण सम्पर्क

- काउंसिल और अन्यक निकायों में चर्चा के लिए आने वाले प्रमुख नीतिगत मुद्दों पर मंत्रालय/डीजीसीए की सलाह प्राप्त करना।

आरओआई नागर विमानन मंत्रालय को नागर विमानन के विभिन्न क्षेत्रों, जैसे हवाईअड्डा अवसंरचना, एयरलाइनें, संरक्षा, सुरक्षा, आदि पर

आवधिक रिपोर्ट भी भेजता है, जिनमें वैश्विक नागर विमानन में समग्र प्रवृत्तियों और गतिविधियों का सारांश दिया जाता है और सरकार के विचारार्थ महत्वपूर्ण मुद्दों और पहलों के बारे में सुझाव दिए जाते हैं, और सरकार को प्रमुख सम्मेलनों/संगोष्ठियों/कार्यशालाओं/प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों के बारे में अवगत रखना है, जिनमें भारत की ओर से विभिन्न स्तरों के अधिकारियों की भागीदारी उपयोगी हो सकती है। आरओआई विभिन्न प्राधिकरणों/पीएसयू के साथ चर्चाएं करने, पूर्ववर्ती अवधि की वैश्विक गतिविधियों पर प्रस्तुतिकरण देने, और अधिकारियों को प्राधिकरणों के पास लंबित विभिन्न मामलों पर अनुवर्ती कार्रवाई करने और चर्चा करने के बारे में संवेदी बनाने के लिए नागर विमानन मंत्रालय का दौरा भी करता है।

सत्यमेव जयते

नागर विमानन मंत्रालय

भारत सरकार